नवम माला, खंड 4, अंक 25

बुधवार, 18 अप्रैल, 1990
28 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)



(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 18 अप्रैल, 1990/28 चैत्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
13	4	"पूते" के स्थान पर "पुट्टे" पढ़िये।
27	अंतिम	"विशास पासवान" के स्थान पर "विलास पास" पढ़िये।
52	नीचे से 4	"धथापित" के स्थान पर "स्थापित" पढ़िये।
91	1	"गांधी" के स्थान पर "बांध" पढ़िये।
98	नीचे से 3	"व्यसायिक" के स्थान पर "व्यावसायिक" पढ़िये।
104	12	"अन्तर्धान" के स्थान पर "अन्तर्गत" पढ़िये।
105	14	"भाउसाहेब पुंडलिक फुंकर" के स्थान पर "भाउसाहेब पुंडलिक फुंडकर" पढ़िये।
143	नीचे से 13	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
149	4	"(ग)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये।
	5	"राथ्ट्रीय" के स्थान पर "राष्ट्रीय" पढ़िये।
	12	"समाप्त" के स्थान पर "समाप्त" पढ़िये।
	18	(क) के स्थान पर "(क) और (ङ)" पढ़िये।
159	7	"जन जातियों" के पश्चात "के" भी पढ़िये।
285	4	"पासवाद" के स्थान पर "पासवान" पढ़िये।

विषय-सूची

श्रृंखला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

क 25, बुधवार, 18 अप्रैल, 1990/28 चैत्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 493 से 497	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	20—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—288
तारांकित प्रश्न संख्या : 498 से 504 और 506 से 513	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5255 से 5277, 5279 से 5331, 5333 से 5377, 5379 से 5415, 5417 से 5425, 5427 से 5446, 5448, 5449, 5451 से 5458 और 5460 से 5486	
पटल पर रखे गए पत्र	288—291
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	291—293
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
द्वारा वक्तव्य	293—296
आनन्दमार्गियों की गतिविधियां	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	
समन्वित आदिवासी विकास परियोजना (आई० टी० डी० पी०) क्षेत्रों तथा आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति योजना को जारी रखना तथा इस योजना का क्षेत्र बढ़ाकर असम के उत्तरी कछार तथा कारबी-आंगलोंग जिलों तक करना	
श्री नाथू राम मिर्धा	

* सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
समितियों के लिए निर्वाचन	296—298
(एक) कॉयर बोर्ड	
(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान	
(तीन) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड	
(चार) राजघाट समाधि समिति	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	298—313
बोकारो इस्पात संयंत्र से भट्ठी तेल के भारी मात्रा में बहकर दामोदर नदी में चले जाने के कारण नदी का पानी प्रदूषित होना और उससे बिहार के धनबाद जिले के सम्पूर्ण औद्योगिक तथा कोयला खनन क्षेत्र को पानी की आपूर्ति बन्द होना	
श्री ए० के० राय	298
श्री दिनेश गोस्वामी	298—304
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	305—306
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक	306—307
श्री पीयूष तीरकी	307—308
श्री प्रेम प्रदीप	308—313
कार्य-मंत्रणा समिति	31
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	313—
(एक) श्रीलंका में मारे गये भारतीय शांति सेना के कर्मियों के परिवारों को अधिक मुआवजा दिए जाने की मांग	
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	313—
(दो) कर्नाटक में टुमकुर और देवनगिरि के बीच सीधी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की मांग	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	
(तीन) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कटला और पलाना नदियों पर बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० एस० बासवराज	314—315
(चार) कानपुर में पेयजल की समस्या दूर किए जाने हेतु वहां गंगा बांध का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री केसरी लाल	315

(पांच) देश में "ध्वनि प्रदूषण" को रोके जाने के लिए कानून बनाए जाने की मांग

श्री राज मंगल मिश्र 315

(छः) देश में हीरा उद्योग के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री काशीराम छबीलदास राणा 315—316

(सात) मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल 316

(आठ) जम्मू क्षेत्र में काम पर लगाए गए सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर 316—317

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 317—350

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 317—321

श्रीमती सुमित्रा महाजन 321—323

श्री चित्त महाता 323—325

श्री पी० वी० नरसिंह राव 325—335

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 335—339

श्री हीरा भाई 339—341

प्रो० एम० जी० के० मेनन 341—350

नियम 193 के अधीन चर्चा 350—392

383 अप मोकामा-दानापुर यात्री रेलगाड़ी में 16-4-90 को आग लगने की घटना

श्री हरीश रावत 350—355

श्री तरित बरण तोपदार 355—356

श्री राम धन 356—358

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव 358—361

श्री ए० चार्ल्स 361—362

श्री नीतीश कुमार 362—366

श्री जनार्दन यादव 366

श्री सन्तोष मोहन देव 366—368

श्री बृज भूषण तिवारी 369

श्री सत्यनारायण जटिया	369—371
श्री चित्त बसु	371—372
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	372—374
श्री समरेन्द्र कुन्डू	374—375
श्री ईश्वर चौधरी	375—376
श्री तेज नारायण सिंह	376—377
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	377
श्री राम नाईक	377—378
श्री दाऊ दयाल जोशी	378—379
श्री रामेश्वर प्रसाद	379
श्री एम० एस० पाल	380
श्री दसई चौधरी	380
श्री जार्ज फर्नान्डीज	380—392

लोक सभा

बुधवार, 18 अप्रैल, 1990/28 चैत्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

[अनुवाद]

*493. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट एबालिशन अजेंडा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, दिल्ली किराया अधिनियम के उत्पादन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार इस समाचार से अवगत है।

(ख) दिल्ली भाटक नियन्त्रक अधिनियम, 1958 को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई बार सवाल उठाए गए हैं। काफी लोग परेशान हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कानून 1952 में बना है और इसमें सुधार होता रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि रूल्स कब बने हैं, अगर नहीं बने हैं तो रूल्स बनने में क्यों विलम्ब हो रहा है और कब तक रूल्स बनने की उम्मीद है। रूल्स न होने के कारण हाई कोर्ट में 1900 केसेस पैंडिंग हैं और जिला न्यायालयों में 4000 से ज्यादा केसेस पैंडिंग हैं, यह 1988 में राज्य सभा में उत्तर दिया गया है। जब 10 साल के बाद फ्रीजन रेंट हो जाता है, उससे न मालिक को फायदा होता है, न किराएदार को फायदा होता है। इस बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती कि वह खुद मालिक बने और कोआपरेटिव सोसायटी स्थापित करे।

[अनुवाद]

वे अपनी इमारत खुद बनवा सकते हैं और मकान-मालिक को समुचित मुआवजा दे सकते हैं।

श्री मुरासोली मारन : पहले प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है मुझे यह कहते हुए खेद है कि अभी तक नियम नहीं बन पाए हैं। हमारे मंत्रालय ने मामला विधि मंत्रालय भेजा है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : वर्ष 1952 में।

श्री मुरासोली मारन : इस समय मैं अधिनियम की बात कर रहा हूं जिसमें वर्ष 1988 में संशोधन किया गया है। साथ ही ये नियम किराया-नियन्त्रक द्वारा विवादास्पद सम्पत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। किराया नियन्त्रक द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन उसके विवेक पर निर्भर करता है। अत: नियम बनाने में बिलम्ब से किराया नियन्त्रक द्वारा मामलों के निपटाने में कोई बिलम्ब नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि नियम शीघ्र ही बन जायेंगे और उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उन्होंने अधिकतम सीमा-राशि अर्थात् 3,500 रु० के किराये को समाप्त करने के बारे में भी एक प्रश्न उठाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे अत्यधिक नुकसान हुआ है। यह एक अत्यन्त विवादास्पद मामला है। उदाहरण के लिये झा आयोग ने कहा है कि 1,000 रु० का किराया अथवा क्षेत्र मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने कहा है कि कुर्सी-सीमा क्षेत्र मानदण्ड होना चाहिये। इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें एक उचित मानदंड निर्धारित करना है। अत: हम वर्ष 1988 में किए गए नवीनतम संशोधन की प्रभावशीलता को देख रहे हैं। अत: उसी का मूल्यांकन करने के पश्चात, यदि आवश्यक हुआ, हमें मामले पर पुनर्विचार करना होगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा है कि—

[अनुवाद]

"समझौते पर क्रियान्वयन न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाये जिसके कार्यक्षेत्र में किराये-दार और मकान-मालिक के बीच शर्तें तय की जाएं।"

[हिन्दी]

कई केसिज पड़े हैं, जिसके कारण इसका फैसला नहीं हुआ है और यह भ्रष्टाचार की जगह बन गयी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग रिटायर हो गए और दिल्ली में उनका कोई मकान नहीं है, उनको मकान नहीं मिल रहा है, इसका कारण यह है कि भूमि सुधार कानून न लागू होने के कारण दिल्ली में जो भूमि मिलने की आशा थी, वह नहीं मिली। जो भूमि मिली होगी वह भूमिहीन लोगों को, झुग्गी-झोपड़ी वाले लोगों को मकान बनाने के लिए दी है, क्या सरकार कोशिश करेगी जैसे रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स वालों को कानूनी सुविधा है, लेकिन हमारे यहां भ्रष्टाचार काफी है, धांधली है, कम से कम दिल्ली में जिनके पास मकान नहीं हैं और रिटायर लोग हैं, उनको मकान देने के बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी ?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : यह किराया नियन्त्रण अधिनियम के बारे में है। भूमिहीनों को भूमि देने के सम्बन्ध में मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता है। उन्होंने उन अवकाश प्राप्त सेना के अधिकारियों को मकान देने के बारे में प्रश्न उठाया है। अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रावधान यह है कि अवकाश

प्राप्त अथवा अवकाश ग्रहण करने वाले सेना के अधिकारियों को अवकाश ग्रहण करने से पहले एक वर्ष के अन्दर ही एक नोटिस भेजना चाहिए और अवकाश ग्रहण करने से पहले ही उन्हें उनका अपना घर का कब्जा मिल सकता है। इसका अधिनियम में ही प्रावधान किया गया।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : दिल्ली में किरायेदारी कानून और किराया नियंत्रण कानून इतने जटिल हैं कि इसमें बेईमान किरायेदार अपने परिसर को आगे किराये पर दे देते हैं और उस किरायेदार की कोई सुरक्षा भी नहीं रहती है, यद्यपि वे किरायेदारों को काफी ज्यादा किराया देते हैं। इन परिस्थितियों में मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इन बेईमान किरायेदारों से निपटने के लिए कोई व्यापकर कानून बनाने का विचार करेगी? माननीय मन्त्री जी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि नियम अभी तक नहीं बने हैं। अतः यह मेरा निवेदन है कि व्यापक कानून बनाया जाये।

श्री मुरासोली मारन : विभिन्न आयोगों और राज्य सभा की याचिका समिति को सिफारिशें प्राप्त करने के बाद पूर्व सरकार द्वारा यह संशोधन किया गया था।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : आप पूर्व सरकार पर दोष लगाकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिये।

श्री मुरासोली मारन : मैं आपको बता रहा हूं। केवल नेक इरादों से ही इसमें संशोधन किया गया था। इसे केवल डेढ़ वर्ष पहले ही पारित किया गया था। हम इसको प्रभाव देख रहे हैं। इस नये संशोधन को पूरा समय देना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य बड़े शहरों में भी एक ही मकान में बांटकर रहना आम बात हो गई है। मकानों को किराये पर देने का प्रत्येक शहर का अपना अलग तरीका है। अतः शहरी विकास मंत्रालय ने मानव आवास प्रबन्ध संस्थान से निवेदन किया है कि वह दिल्ली में किराया नियन्त्रण और भूमि के सम्बन्ध में अध्ययन करे और मकानों के किराये के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट संशोधनों का सुझाव दे जिससे मकान मालिक और किराये दार दोनों के हितों की रक्षा हो सके।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि रेंट कंट्रोल एक्ट मैट्रोपोलिटन काउंसल के अन्दर जिस रूप में पास किया गया, उसके लिए सिलैक्ट कमेट बनी थी, उसमें दिल्ली के भ्यू जाने गए, जो मुद्दे थे या जिस तरह से पास किया गया उसके जस्ट अपोजिट पार्लियामेंट के पास किया। जैसे आपने अभी कहा कि हमने सबसे बात कर ली है, यह दिल्ली वालों की इच्छाओं के खिलाफ है, जो वहां से प्रपोजल आयी उसके जस्ट अपोजिट यहां पास किया गया, क्या उसमें संशोधन करने के बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : मैंने पहले ही इस सम्माननीय सदन को बता दिया है कि पहले ही इस प्रणाली का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम वर्ष 1988 के संशोधन को उचित समय दे रहे हैं। माननीय सदस्य के सुझाव पर भी विचार किया जायेगा और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मानव आवास

अनुसंधान संस्थान इस समय इस पर अध्ययन कर रहा है। यह स्वाभाविक है कि हम इन सभी विचारों को भी ध्यान में रखें।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किराया नियंत्रण अधिनियम में कोई संशोधन करने से पहले उन्हें दिल्ली के संसद सदस्यों से परामर्श कर लेना चाहिए। यह लगभग 90 लाख किरायेदारों से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। किराया नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने के बारे में बात करना बहुत आसान है। कुछ व्यक्ति जो भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे बड़ी आसानी से इस किराया नियंत्रण अधिनियम, जिससे कुछ कारंवाई की जा सकती है, को समाप्त करने के बारे में बात करते हैं। एक संतुलन कायम करना है। हमने इसमें संतुलन बनाये रखने का प्रयत्न किया था। जुराना जी, मैं आपसे कोई विवाद करना नहीं चाहता। उनके सारे दावे पूरी तरह से झूठे हैं। हमने संतुलन बनाये रखने का प्रयत्न किया था। जब आप कोई प्रस्ताव लेकर आयें तब क्या आप दिल्ली के ससद सदस्यों से परामर्श करेंगे।

श्री मुरासोली मारन : हम निश्चित रूप से उनसे परामर्श करेंगे। दिल्ली के संसद सदस्यों से परामर्श किये बिना हम दिल्ली के संबंध में कोई कानून कैसे ला सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मंत्री जी ने बहुत ठीक कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कर्मचारी तथा सैनिक अवकाश-ग्रहण करने से एक वर्ष पूर्व अपना मकान खाली कराने के लिए नोटिस दे सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, जब मैं दिल्ली प्रशासन/मंत्रालय में था, सैकड़ों आवेदन-पत्र इसी संबंध में प्राप्त हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस खण्ड के इस भाग को तुरन्त कार्यान्वित करने जा रहे हैं। अन्यथा अपनी सेवा से अवकाश-ग्रहण करने वाले व्यक्ति अपने मकानों में प्रवेश नहीं कर सकते।

श्री मुरासोली मारन : उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में लगभग 58 मामले लम्बित पड़े हैं तथा ये सभी मामले धारा 14 (ख) (ग) (घ) के संबंध में हैं अर्थात् अवकाश प्राप्त अथवा अवकाश प्राप्त करने वाले सेना के अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी और उनकी विधवाओं द्वारा अपने मकानों का तुरन्त कब्जा लेने के संबंध में हैं। अतः हम आशा करते हैं कि यदि उच्चतम न्यायालय से निर्णय हो जाता है तो हम शीघ्र ही अवकाश प्राप्त सेना के अधिकारियों अथवा अवकाश ग्रहण करने वाले सेना के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इससे सहायता मिलेगी।

श्री के० एस० राव : महोदय, देश में और विशेष रूप से दिल्ली में आवास की समस्या है। वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम के रहते हुए मैं समझता हूं कि अनेक मकान मालिक किराये पर अपने मकान देने के बजाए उन्हें बन्द रखे हुए हैं। अतः इससे समस्या और बढ़ गई है तथा कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय किरायेदार और मकान मालिक की परेशानियों को देखते हुए नियम बनाने में और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम में संशोधन करने में और अधिक समय खराब नहीं करेंगे ?

श्री मुरासोली मारन : यह कहना बहुत आसान है कि "मकान मालिक और किरायेदार के हितों को ध्यान में रखा जाये।"···(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : सरकार को यह कार्य करना है।

श्री मुरासोली मारन : हमें ऐसा करना है। इसीलिए पिछली सरकार द्वारा एक प्रयोग शुरू किया गया था। यह अभी भी जारी है। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम इसका मूल्यांकन करेंगे। माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सही है। यह न केवल दिल्ली के संबंध में अपितु बम्बई, कलकत्ता और अन्य शहरों पर भी सही बैठना है।

कुछ भी हो यह खेल है। लेकिन साथ ही हम किराया नियंत्रण अधिनियम को समाप्त नहीं कर सकते। हमें किरायेदारों को समुचित सुरक्षा देनी होगी। साथ ही हमें मकानों को किरायों पर देने की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना होगा। जैसा कि आपने कहा है कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। संतुलन बनाये रखना पड़ेगा। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यदि जरूरी हुआ तो हम शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

निर्माण कार्य सम्बन्धी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति

+

*494. श्री वसुदेव आचार्य :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य संबंधी मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति की घोषणा कब तक की जाएगी ?

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भवन और निर्माण कार्यकलापों में काम कर रहे कर्मकारों को कतिपय संरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधान लाने के लिए सरकार विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था कि जो भवन और निर्माण कार्यकलापों में काम कर रहे हैं उनके बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने पर सरकार क्या विचार कर रही है, लेकिन जवाब दिया है कि भवन और निर्माण कार्यकलापों में काम कर रहे कर्मकारों को कतिपय संरक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधान लाने के लिए सरकार विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय नीति और विधान में बहुत अंतर है। भवन और निर्माण कार्य के साथ करीब-करीब 50 लाख से ज्यादा मजदूर जुड़े हैं। लेकिन उनके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले, क्योंकि उनको अभी तक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरों को बोनस भी नहीं मिल रहा है और सामाजिक सुरक्षा स्कीम का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। हालांकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। और जगहों के मुकाबले यह संख्या तीन गुना है। अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुआ था जिसमें कुछ सुझाव भी आये थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में एक नेशनल कैम्पेन कमेटी भी है जिसने एक ड्राफ्ट बिल बनाया है और उसने कुछ सुझाव भी दिये हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सेमिनार में ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिये हैं, वे क्या हैं और क्या सरकार ऐसा बोर्ड बनायेगी जिसमें मजदूरों, कंस्ट्रक्टर बिल्डर्स, एम्प्लायर्स और सरकार के प्रतिनिधि होंगे जो यह देख सके कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विचार करे ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री वसुदेव आचार्य ने जो प्रश्न किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें दो मत नहीं हैं। निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों का शोषण होता है—चाहे उनके न्यूनतम वेतन का मामला हो, सामाजिक सुरक्षा का मामला हो या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित मुआवजा मिलने की बात हो—मजदूरों का नाम मजदूरी लिस्ट में रहता ही नहीं है। ये सारी समस्याएं गम्भीर हैं। जैसाकि आपने कहा कि एक सम्मेलन हुआ था तो मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में 12 फरवरी, 1990 को बुलाया गया था जिसमें मजदूरों, सरकार और बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस समय सरकार के पास बहुत अच्छे सुझाव आये हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। राष्ट्रीय अभियान समिति जस्टिस कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में बनाई गई थी जिसने बहुत सारे सुझाव दिये हैं जिसमें एक सुझाव यह है कि एक बोर्ड बनाया जाये जो मजदूरों के बारे में और उनके काम के बारे में गारंटी ले कि उसमें मजदूरों का कितना अंशदान हो और मजदूरों के काम को पंजीकृत किया जाये और उसी बोर्ड के माध्यम से मजदूरों को काम पर रखा जाये। यह अच्छा सुझाव है और आज सरकार इस पर विचार कर रही है। गत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय अभियान समिति को लेकर एक बिल राज्यसभा में पेश किया गया था जिस पर बहस होने वाली थी लेकिन याचिका समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक मैमोरेंडम दिया और कहा कि इस पर विचार करें और यह बिल अभी राज्यसभा में लम्बित है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उस पर विचार कर रही है और जहां तक बोर्ड बनाने का मामला है, वह भी विचाराधीन है।

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि मजदूरों के सामने अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट कम्पलीट होता है, किसी प्रोजेक्ट का काम पूरा होता है, निर्माण कार्य पूरा होते ही, मजदूरों की भी छंटनी कर दी जाती है और उसे जल्दी दूसरा काम नहीं मिल पाता। क्या ऐसी किसी प्रस्ताव पर यह सरकार विचार करेगी कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट कम्पलीट हो जाये, चाहे वह प्रोजेक्ट किसी पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग का हो, या गवर्नमैंट का हो, उस प्रोजेक्ट के निर्माण में जितने मजदूर काम पर लगे थे, उनमें से एक निश्चित प्रतिशत, में बी 30 परसेंट या 40 परसेंट, किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी प्रोजेक्ट में स्थानांतरित कर दिये जायें, उनकी रिक्रूटमैंट कर ली जाये। उदाहरण के लिए कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की है, जैसे हमारी वैस्ट बंगाल सरकार ने ऐसा निर्णय किया है, वैस्ट बंगाल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी ऐसा निर्णय लिया है कि कन्स्ट्रक्शन के काम में जितने मजदूर लगे हैं, उनमें से एक निश्चित परसेंट को परमानैंट एम्लाईज का दर्जा देकर किसी दूसरे काम पर रख लिया जाता है। क्या केन्द्रीय सरकार वैसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री राम विलास पासवान : इस तरह का कोई विचार सरकार के सामने अभी नहीं है परन्तु जब हम आपके सामने इससे सम्बन्धित विधेयक लायेंगे, उस पर सदन की जैसी सर्वसम्मत राय होगी, ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री बाल दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों में 6 लाख से भी अधिक मजदूर राजस्थान के निवासी हैं और उनमें से अधिकांशतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों से आये मजदूरों के लिए क्या यहां पहचान पत्र दिए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसा देखने में आया है कि यहां काम करते समय यदि वे किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है और अधिकांश ये लोग किसी न किसी ठेकेदार के पास काम करते हैं परन्तु

ऐसी स्थिति में वह ठेकेदार साफ मुकर जाता है कि वह मजदूर मेरे यहां काम करता था। यदि वह हां कर दे तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। इस कारण अस्थायी मजदूरों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। क्या माननीय मंत्री जी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी मजदूरों को पहचान पत्र जारी करने सम्बन्धी किसी सुझाव पर विचार करेंगे। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आये अनेक मजदूर निर्माण कार्य में लगे हैं, दिल्ली को सजाने संवारने का काम करते हैं। क्या स्थायी, अस्थायी और डेली बेजेज सभी मजदूरों को पहचान पत्र जारी किए जायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : जब हम सदन के सामने मजदूरों से सम्बन्धित विधेयक लायेंगे, उस समय पहचान पत्र जारी करने वाले मामले पर भी विचार कर लिया जायेगा। यह ठीक है कि यदि मजदूरों के पास पहचान पत्र नहीं होगा तो हमारा लेबर कमिश्नर भी कुछ नहीं कर सकता; इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। उस विधेयक में हमारा विचार एक बोर्ड बनाने का है, अभी वह विचाराधीन है। यह भी स्वाभाविक है कि जब मजदूर उस बोर्ड में अपने आप को पंजीकृत करायेगा, तो उसके बाद चाहे वह कहीं भी काम करने के लिए जाये, बोर्ड के पास उसका लेखाजोखा रहेगा कि कौन सा मजदूर कहां काम पर लगा है, बोर्ड की अनुमति के बाद ही वह कहीं काम ले सकता है, इसके लिये मजदूर को भी कुछ अंशदान देना होगा, ताकि ऐसी किसी समस्या के आने पर उसकी सहायता की जा सके। इसलिए जब वह विधेयक सदन के सामने आएगा तो पहचान पत्र जारी करने वाले मामले पर भी विस्तार में चर्चा कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, चार से पांच हजार के बीच निर्माण-श्रमिक मेट्रो रेल परियोजना, कलकत्ता के प्रथम चरण के निर्माण में लगे हुए हैं और परियोजना पूरी हो जाने के बाद वे बेकार हो जायेंगे, बिना किसी सुरक्षा के और भविष्य में बिना किसी रोजगार की आशा में। इनमें से 250 सुरंग के काम में लगे श्रमिक हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। वे सभी प्रकार की बीमारियों जैसे बहरापन, खून बनाने वाली कोशिकाओं का नष्ट हो जाना, जोड़ों का दर्द और नपुंसकता आदि से ग्रस्त हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि जब निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए यह बोर्ड गठित किया जाएगा, जब यह विधेयक कानून बन जाएगा उस समय क्या मंत्रालय इन श्रमिकों के मामलों पर विचार करेगा जो राष्ट्रीय परियोजना पर अपने स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। वास्तव में इनमें से अधिकांश "हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी" के उप-ठेकेदारों द्वारा रख गए हैं। अब यह न घर के हैं न घाट के, कोई उनका दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। अतः क्या मंत्रालय उनके लिए कुछ करेगा ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, अभी 20 तारीख को हमने राज्य के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया हुआ है। 21 और 22 को आई० एल० ओ० (इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन) की कांफ्रेंस भी है। जो सवाल इन्होंने उठाया है, उसके बारे में, मैंने पहले ही कहा, जो बोर्ड बनेगा उसमें इस बात की गारन्टी भी रखनी पड़ेगी कि जो पंजीकृत श्रमिक है, उनको परमानेन्ट काम मिले। यह उस बोर्ड की जवाबदेही रहेगी।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मैं माननीय मंत्री के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि

इन समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाये। लेकिन मुझे डर है कि इस त्रिपक्षीय समिति का भी वही हश्र न हो जो महंगाई भत्ते के लिए गठित त्रिपक्षीय समिति का हुआ था जब त्रिपक्षीय समिति पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रही थी। उसी समय एकपक्षीय रूप से सरकार ने महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी। महोदय, एक बड़ी समस्या बीमे की है। महोदय, पहले से ही देश में कुछ बीमा कम्पनियों के सहयोग से कुछ यूनियन इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी बीमा पालिसी शुरू कर दी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार बीमा कम्पनियों को यह निर्देश देगी कि वे ऐसी बीमा व्यवस्था को प्रोत्साहन दें जिनसे श्रमिकों को वित्तीय मदद मिल सके और ठेकेदार जो उनकी सेवाओं का उपयोग करते है उनको भी कहा जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, जहां तक इनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वह इंश्योरेंस के बारे में है, इसलिए इससे सम्बन्ध नहीं रखता है। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि बोर्ड एडवायजरी रहेगा या अधिकार भी रहेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बोर्ड मात्र एडवायजरी नहीं रहेगा, बल्कि उसको अधिकार भी रहेगा।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जो लेबर कांट्रेक्ट में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी समस्याएं हैं, यह तो एक बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जैसे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनका पंजीकरण होता है, वैसे ही क्या बिल्डर्स की जो नई जमात पैदा हुई है, वे घर बनाते हैं और लोगों को एक्सप्लायट करते ही हैं, बल्कि मजदूरों को भी मिनिमम वेजेज नहीं देते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करने का सरकार विचार रखती है या इस प्रकार का व्यवसाय जो भी लोग करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करने की क्या सरकार की कोई नीति है ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा—जब इस तरह का बोर्ड बनेगा, तो उसमें निश्चित रूप से ऐसे निर्माण करने वालों को बोर्ड से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के निर्माण कार्य वे शुरू नहीं कर सकेंगे या जारी नहीं रख सकेंगे, उसमे इस बात का प्रावधान रहेगा।

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश काबडे : महोदय, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक ठेकेदारों या बिचौलियों की दया पर निर्भर हैं जो सब तरफ से लाभ कमा रहे हैं। यह एक तरह की पूंजीवादी व्यवस्था है। श्रमिकों की भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह एक अच्छा विचार है कि मंत्री महोदय इस विषय में सुधार करने की सोच रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या इस बीरान राज्य प्रशासन या केन्द्रीय सरकार की मशीनरी को निर्माण स्थलों पर यह देखने के लिए अचानक निरीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है या नहीं, उनका बीमा किया गया है और पुरुषों और महिलाओं के वेतन मे कोई असमानता तो नहीं है। इसमें बहुत अन्तर है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन मामलों पर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की मशीनरी द्वारा नजर रखी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, निश्चित रूप से अभी भी कानून है, उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि यह तो ड्यूटी है राज्य सरकार के अधिकारियों की कि जो मिनिमम वेजेज हैं उनके बारे में गौर

करें या अन्य श्रमिक सम्बन्धी जो भी कानून हैं, उनको वे चैक करते रहें कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। जब भी समय मिलेगा मैं भी इनको देखने का काम करूंगा।

अनाथ बच्चों को प्रशिक्षण

[अनुवाद]

*495. श्री भक्त चरण दास : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित अनाथालयों में अनाथ बच्चों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें आजीविका कमाने योग्य बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र ने अनाथ बच्चों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के बारे में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके माध्यम से बाल गृहों में रहने वाले अनाथ तथा निराश्रित बच्चों को पालन पोषण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत संस्थाओं द्वारा शामिल बच्चों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-3-90 तक शामिल बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3125
2.	असम	1020
3.	बिहार	1450
4.	गुजरात	1218
5.	हरियाणा	540
6.	हिमाचल प्रदेश	82
7.	कर्नाटक	4690
8.	केरल	1200

1	2	3
9.	मध्य प्रदेश	875
10.	महाराष्ट्र	3045
11.	मणिपुर	175
12.	मेघालय	525
13.	नागालैंड	425
14.	उड़ीसा	2853
15.	पंजाब	260
16.	राजस्थान	2850
17.	सिक्किम	100
18.	तमिलनाडु	10493
19.	त्रिपुरा	475
20.	उत्तर प्रदेश	3142
21.	पश्चिम बंगाल	5285
22.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	100
23.	अरुणाचल प्रदेश	145
24.	दिल्ली	1134
25.	गोवा	375
26.	मिजोरम	25
27.	पाण्डिचेरी	350
	कुल योग	45957

राज्यों में अनाथालयों में रहने वाले अनाथों की संख्या, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जाती है अथवा ऐसे अनाथालय जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना का उद्देश्य, सुधारक सेवाओं के क्षेत्र के माध्यम से समुदाय में अनाथ तथा निराश्रित बच्चों को पुनर्वास करना है। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य, बाल गृहों में रह रहे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसमें व्यावसायों में प्रशिक्षण भी शामिल है जैसे दर्जी का कार्य, बढ़ईगीरी, रेडियो मैकेनिक, मुद्रण, बुक बाइंडिंग इत्यादि। इसके अतिरिक्त, संस्थाओं के अन्दर

अथवा बाहर स्कूलों में बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे बच्चों को भविष्य में सम्मानजनक जीविका अर्जित करने के योग्य बनाने हेतु अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेषकर सुविधाओं का विस्तार और मरम्मत केन्द्र तथा उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य कार्यक्रम होना चाहिए।

श्री भक्त चरण दास : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण में अनाथ आश्रमों और अनाथ बच्चों से सम्बन्धित कार्यों में संलिप्त स्वयंसेवी संगठनों की सूची नहीं दी गई है ? महोदय, इस देश में लाखों अनाथ और अनाश्रित बच्चे हैं और जो उनको सहायता दी जाती है, वह बहुत थोड़ी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई अनाथालयों के विस्तार और उनके भवनों के निर्माण आदि जैसे कल्याण कार्यों की एक सूची केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : लिस्ट मेरे पास है। मैंने उसमें जो विवरण दिया है उसे यदि आप देखेंगे तो उसमें उड़ीसा का भी है। जो लिस्ट हमने दी है उसमें दो तरह के मद होते हैं। एक अनाथालय में रहने वले बच्चों की है जिसको भारत सरकार सहायता देती है। सहायता तीन स्तर पर होती है। 45 प्रतिशत भारत सरकार देती है, 45 प्रतिशत राजकीय सरकारें देती हैं और 10 प्रतिशत स्वयंसेवी संस्थाएं देती हैं। भारत सरकार जिन संस्थाओं को सहायता देती है उसकी लिस्ट हमने इसके साथ संलग्न की है। इसके अलावा राजकीय सरकारें भी सहायता देती हैं उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं रहती है प्राइवेट भी हैं। जहां तक उड़ीसा स्टेट का मामला है, उड़ीसा स्टेट में 51 संस्थाएं हैं जो अनाथालय के रूप में काम कर रही हैं।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि उड़ीसा में अनाथालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अनाथालय छोड़ने वाले बच्चों का रोस्टर के अनुसार अध्ययन किया गया है या नहीं क्योंकि पुनर्वास के मामले में आर्थिक पुनर्वास और व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। अत: मैं जानना चाहूंगा कि इन अनाथालयों से बाहर आने वाले कितने अनाथों का अब तक पुनर्वास किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शिकायतें मिली हैं और उसमें कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन जितनी कार्यवाही होनी चाहिए उतनी कार्यवाही नहीं की गई है। 1989-90 में तीन करोड़ सात लाख का अनुदान हमने स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया था। 1990-91 में पांच करोड़ की योजना है। अनाथ बच्चों की संख्या को देखते हुए बहुत कम है। लेकिन एक बच्चे के ऊपर अनाथालय 250 रुपये खर्च होते हैं। 125 रुपये राज्य सरकार देती है और 125 रुपये हम देते हैं। पहले 150 रुपये होता था। जब से हम मन्त्रिमण्डल में आए हैं, हमने बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। पहले हाउस वगैरह के लिए 6,000 रुपये था उसको हमने दस हजार किया है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि अनाथ बच्चों के ऊपर पैसा खर्च होता है। जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनको प्रावधानों के अनुसार पैसा दिया जाता है। ये संस्थाएं अनाथ बच्चों के लिए क्या काम कर रही हैं, भविष्य में उनके

रीहैबीलीटेशन के लिए काम करती हैं या नहीं, उनको नौकरी दिलवा पाती हैं कि नहीं, उनको उनके पांव पर खड़ा कर पाती हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में जब हमने मन्त्रालय से पता लगाया तो हमें मालूम हुआ कि अभी तक न तो मन्त्रालय के पास सूची है न राज्य सरकार भेजती है। हमने निर्णय लिया है कि हम इसकी मोनीटरिंग भी करेंगे और जो संस्थाएं सीधे-सीधे पैसा लेती हैं, हम उनसे पूछने का काम करेंगे कि वे अनाथ बच्चों के लिए क्या करती हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० बेंजामिन : महोदय, कुछ स्वयंसेवी संगठनों और व्यक्तियों ने अनाथों के मामले को अपने हाथ में लिया है। लेकिन राज्य स्तर पर मंत्री द्वारा रियायतों को लागू करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी मशीनरी बनायी जा सकती है जो इस लाभ को उचित लोगों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व ले सके।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है यह उड़ीसा का नहीं है, यह सभी राज्यों के लिए है। अब हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो सुविधायें अनाथालय या अनाथ बच्चों को मिली हुई हैं, वह स्ट्रीट चिल्ड्रन्स और दूसरे बच्चों को भी मिलें।

श्री बसई चौधरी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में जो अनाथालय हैं और उनको राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उस पैसे का दुरुपयोग वहां के अनाथालय के पदाधिकारी करते हैं और वास्तव में जो सुविधायें अनाथालय में बच्चों को मिलनी चाहिए, वह मिलती नहीं हैं, क्या उच्च न्यायालय ने इसके बारे में कोई आदेश दिया है ?

श्री राम विलास पासवान : असल में जो प्रश्न है वह अलग-अलग राज्यों का नहीं है, यह एक साथ में है। बिहार का जहां तक सम्बन्ध है उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करके सदन को दे दूंगा और माननीय सदस्य को भी दे दूंगा। अभी तक अनाथालय में बच्चे 45,957 हैं। आपको तो मालूम ही है कि यह अनाथालय नहीं बल्कि एक बैगर्स होम हैं। मैंने स्वयं इसकी जांच की थी। खुराना साहब ने भी कुछ दिन पूर्व इस मामले को उठाया था और कहा था कि इसमें धांधली होती है। मैं भी मानता हूं कि धांधली होती रही है। हम सरप्राइज विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि जहां-जहां बैगर्स होम चलते हैं, वहां वे स्वयं जाकर चैकिंग करें। इस मामले में जो भी शिकायत उन्हें मिले वह हमें बतायें। फिर हम उस पर कार्यवाही अवश्य करेंगे।

श्री बलवन्तराव डाक्ने : अध्यक्ष महोदय, जो अनाथ बच्चे अनाथालयों में रहते हैं, उनको कितनी उम्र तक वहां रहने दिया जाता है ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, 18 साल के उम्र तक के बच्चे वहां रहते हैं। लेकिन 18 साल के बाद भी कानून है कि यदि वे अपने पैरों पर खड़े न हों तो उनको और सुविधायें दी जा सकती हैं।

पर्यावरण निगरानी समिति

[अनुवाद]

*496. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री डी० एम० पूत्ते गौड़ा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सिंचाई' बहुउद्देश्यीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में पर्यावरण के सुरक्षोपायों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण निगरानी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति को कहा है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोठाड़िया) : (क) और (ख) जी, हां। समिति की संरचना एवं विचारणीय विषय सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। समिति विभिन्न नदी बेसिनों में भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के पर्यावरण सम्बन्धी प्रबन्ध की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रस्तुत करेगी।

विवरण

संरचना

(i) सदस्य (डब्ल्यू पी), केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
(ii) संयुक्त आयुक्त (पी पी), जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
(iii) प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य
(iv) उप सलाहकार (आई एवं सी ए डी) योजना आयोग	सदस्य
(v) विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	सदस्य
(vi) निदेशक, कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(vii) मुख्य इंजीनियर, बेसिन आयोजन एवं प्रबन्ध संगठन, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(viii) मुख्य इंजीनियर (प्रबोधन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(ix) निदेशक (पर्यावरण), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य-सचिव

विचारणीय विषय

(i) सिंचाई, बहु-उद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की स्वीकृति की अवस्था पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए पर्यावरणीय उपायों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना।

(ii) परियोजना क्षेत्रों, सिंचाई कमान क्षेत्रों और जलग्रहण क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का प्रबोधन करने हेतु परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्थापित क्रिया प्रणाली की पुनरीक्षा करना ।

(iii) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां अतिरिक्त क्षतिपूरक उपायों/सुविधाओं का सुझाव देना ।

(iv) त्रुटि के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों जिनके कारण परियोजना के निर्बाधन अथवा उनके वित्त पोषण की व्यवस्था की समीक्षा करनी पड़ सकती है, के विषय में योजना आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय को अवगत कराना । ऐसे मामलों को, जहां विस्थापित जनजातीय के लिए पुनर्वास स्कीमों के क्रियान्वयन में कोई चूक हुई है, कल्याण मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, इरिगेशन प्रोजेक्ट के क्लीयरेंस में बहुत बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं । कई जगह इसके सपोर्ट में और कई जगह इसके विरोध में आन्दोलन हो रहे हैं । हम चाहते हैं कि जो भी नियम इस बारे में बने हुए हैं उनका कड़ाई से पालन हो । यह बहुत आवश्यक है । उदाहरण के लिए नर्मदा प्रोजेक्ट लीजिए । आपने अभी अपने जवाब में मॉनटरिंग कमेटी के काम के बारे में कहा कि :

[अनुवाद]

परियोजना क्षेत्रों, सिंचाई कमान क्षेत्रों और जलग्रहण क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का प्रबोधन करने हेतु परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्थापित क्रियाप्रणाली की पुनरीक्षा करना ।

[हिन्दी]

ये सारे काम इनमें होते हैं । मैं सरदार सरोवर का उदाहरण आपको अब देना चाहता हूं । जो योजना आपकी बनी उसमें कैपेसिटी वगैरह का बेस आपने कितना लिया है ? इसके पहले वहां कितना पानी बहता था, उसका कोई माप-तोल नहीं लिया गया ? गर्देश्वर एक जगह है । 42 साल में आपने उसका रीडिंग किया । आपका डिपार्टमेंट कहता है कि 24 एम० ए० एफ० पानी वहां बहता है । आपने वहां जो हाईट डैम की ली है और जो योजना बनायी वह 28 एम० ए० एफ० के बेसिन पर बनायी है । इससे आपको पानी मिलने वाला नहीं है और इसके अलावा इससे बहुत से लोग बरबाद हो जायेंगे । अगर आप इसे 24 एम० ए० एफ० बनायेंगे तो उसकी ऊंचाई भी कम हो जायेगी, पूरे पानी का उपयोग होगा और डिसप्लेसमेंट लोगों का भी नहीं होगा । यह जो रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट की आती है, उसको ख्याल में रखकर आप योजना तरीके से बनाइये, इसमें देश का पैसा बर्बाद होना चाहिए, यह जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए न, आपके दो सवाल हैं ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा सीधा प्रश्न है कि आपकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें गर्देश्वर में बेज है क्या ? उस बेज में 42 साल की रीडिंग में 24 एम० ए० एफ० की रीडिंग आई है क्या ? यदि आई है तो उस बेसिस पर आप इसको फिर से रीकास्ट करके उसकी हाइट वगैरह बराबर बनाने वाले हैं क्या? दूसरा, देश के अन्दर एक बवाल टिहरी डैम का बना हुआ है, आपकी कमेटी की एप्रेजल

रिपोर्ट अभी आई है, उसको आप हाऊस में रखते नहीं, मैंने इसके लिए 377 भी रखा। इसको सपरेस क्यों किया गया, क्यों इसको आप लोगों से और पार्लियामेंट से बचा रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। यह जरूर आपको रखनी चाहिए। यहां कम से कम इतना जरूर मानेंगे आप कि जहां निगेटिव रिपोर्ट है, एनवायरमेंट की···

अध्यक्ष महोदय : हो गया न। दो सवाल हैं, आप पहले सवाल का पूछिये।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं यह पूछता हूं कि एनवायरमेंट रिपोर्ट के हिसाब से टिहरी डैम पर भी विचार करेंगे क्या ? टिहरी डैम पर भी रिपोर्ट रखेंगे क्या ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : महोदय, क्वश्चन में से यह बात नहीं आती है। जो प्रश्न था वह यह था कि कमेटी बनाई गई है या नहीं। अगर कमेटी कमेटी बनाई गई तो कमेटी को क्या काम करना था और उसके कौन-कौन मैंबर हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने सरदार सरोवर के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है, ऐसा कहीं और जगह भी होगा तो उसकी वजह से ही तो यह कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी इस सब की देखभाल करेगी और रिपर्ट देगी। सरदार सरोवर के बारे में जो बोला है उसके बारे में नर्मदा कण्ट्रोल एथॉरिटी (एन० सी० ए०) ने एक अलग से कमेटी बना दी है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं स्पैसिफिक रिप्लाई चाहता हूं, मेरा स्पैसिफिक क्वश्चन है, मैं इससे एग्री नहीं करता, मिनिस्टर साहब जो बोल रहे हैं। मैंने आपको पढ़कर बताया, आपके रिप्लाई से ही मेरा सप्लीमेंट्री निकला है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि यह सप्लीमेंट्री का सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सवाल कीजिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आपसे मैं यह क्लियर पूछ रहा हूं, आप हां बोलिए कि 28 एम० ए० एफ० के बेसिस पर डिजाइन किया हुआ है और आपकी 42 साल की रीडिंग 24 एम० ए० एफ० की है क्या ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि कमेटी बनाई है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : लेकिन आप इससे एग्री करते हैं क्या ? मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं। मेरा स्टेट क्वश्चन है कि यह है क्या ?

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : दूसरा, एनवायरमेंट कमेटी की एप्रेजल रिपोर्ट जो क्लियरेंस से पहले होती है, इसके बिना क्लियरेंस नहीं हो सकती उसको मैं पढ़ता हूं···

अध्यक्ष महोदय : लम्बा न पढ़िये।

(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल पुरोहित : यह रिपोर्ट का कन्क्लूजन है कि टिहरी डैम को क्लियरेंस नहीं मिली, उसके बाद 300 करोड़ रुपया देश का आपने कैसे खर्च कर दिया, बिना एनवायरमेंट की एप्रेजल रिपोर्ट के, बिना इसकी क्लियरेंस के वह काम कैसे चालू है, मैं यह पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मनुभाई खोडाभाया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जवाब दे दिया कि सरदारसरोवर के बारे में जो कण्ट्रोवर्सी है, उसको जानने के लिए और उसका एण्ड होने के लिए यह कमेटी बनी है। जहां तक टिहरी प्रोजेक्ट है, वह हमारे अण्डर में नहीं आता है, वह एनवायरमेंट में है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, यह जवाब नहीं है। मेरा क्वश्चन मैंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को दिया था और इसका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को रिप्लाई देना चाहिए। यह प्रश्न लास्ट टाइम लगा भी था फिर पता नहीं कैसे अपने आप ट्रांसफर हो गया। मेरा सवाल एक्चुअली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को जाना चाहिए था, यह कैसे ट्रांसफर हुआ ? पता नहीं कैसे मर्जी से ट्रांसफर हो जाता है, यह ट्रांसफर कैसे हुआ। पहली चीज तो यह होनी चाहिए कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में मेरा क्वश्चन है और यह एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में लगा था और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी इसका जवाब देने वाली थीं लेकिन उसकी डेट चेंज होकर ट्रांसफर कैसे हो गया, यह मैं जानना चाहता हूं और आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, यह मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि···

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा एनवायरमेंट का प्रश्न है और मैं इसका जवाब चाहता हूं। नहीं तो मेरे को फिर से क्वश्चन पूछने का चांस दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि मेनका गांधी से पूछिये तो ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : इसे अन्तरित किया गया है। क्यों ?

श्री अजीत पांजा : इस प्रश्न का उत्तर पुनः दिया जाना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : यह सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, आगे चलकर आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से भी जवाब आए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं क्या करूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के जवाब के बारे में मिनिस्ट्री से बात करके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री द्वारा जवाब देने के लिए तय हुआ था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मैं यह नहीं जान सका कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है, यह रिपोर्ट सभा पटल पर क्यों नहीं रखी गई ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने जवाब दिया, यह टिहरी प्रोजेक्ट मेरी मिनिस्ट्री से संलग्न नहीं है, यह पावर प्रोजेक्ट है।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर क्यों नहीं दिया है ? माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर देना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहूंगा कि चूंकि उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है, अतः उनसे आशा की जाती है कि वे बाद में आपको इसका उत्तर दे दें।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों से पर्यावरण की जो सिंचाई योजनायें अन-आपत्ति-प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं, वे वर्षों तक पड़ी रहती हैं। इस कारण सिंचाई योजनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, फिर समस्या लागत के बढ़ जाने की हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो योजनायें प्रदेशों की ओर से अनआपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आती हैं, उनको क्लीयरेंस देने के लिए कोई निश्चित समयबद्ध योजना है, कोई कार्यक्रम है और कोई नीति है ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पहले दस साल में और पन्द्रह साल में भी प्रोजेक्ट क्लीयर नहीं होता था, लेकिन अब जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक मेजर एण्ड मल्टीपरपज प्रोजेक्ट के लिए चौदह महीने और मीडियम प्रोजेक्ट के लिए सात महीने का समय है।

श्री अरविन्द नेताम : यह जो मोनेटरिंग कमेटी है यह एनवायरमेंट के बारे में है। क्या यह रिहेबलिटेशन के बारे में भी जांच-पड़ताल करेगी ? अगर नहीं तो क्या इसके लिए अलग से कोई मोनेटरिंग कमेटी बनायेंगे ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : यह तो पर्यावरण की कमेटी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसके लिए कोई कम्पलशन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ए० एम० सिंह देव : महोदय, जैसा कि मन्त्री जी जानते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, पर्यावरण, मन्त्रालय अनेक परियोजनाओं, विशेष रूप से उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं, जहां इस समय सिंचाई का केवल लगभग 20 प्रतिशत उपलब्ध है,

को मंजूरी देने के लिए रोके हुए है। अत: इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अधिवेदन जल-संसाधन मन्त्रालय के पास है। अत: यदि समिति इसको मन्जूरी दे देती है तो क्या इसका प्रभाव पर्यावरण मन्त्रालय पर भी पड़ेगा ? क्या पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा स्वत: ही इसे मन्जूरी मिल जाएगी ?

[हिन्दी]

श्री मनुभाई कोटाडिया : यह कमेटी बनाने का मतलब ही यह है। यह कमेटी 22 फरवरी को रखी गई थी।

बेरोजगारी भत्ता

+

*497. **श्री नाथू सिंह** :

श्री गंगा चरण लोधी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) सभी नागरिकों को किसी किस्म की रोजगार गारण्टी प्रदान करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है परन्तु इसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

श्री नाथू सिंह : यह जो ब्यौरा तैयार करने की बात मंत्री महोदय कर रहे हैं, इनको ध्यान होगा कि प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कि केबिनेट की सब कमेटी बन गई है और वह जल्दी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो कमेटी बनायी गई है इसका टर्म्स आफ रेफरेंस क्या-क्या इस कमेटी को दिया गया है ? यह कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देगी ?

श्री राम विलास पासवान : यह तो सरकार के अन्दर काम करने का मामला है। केबिनेट के अन्दर में जो सब-कमेटी बनती है वह कब तक अपनी रिपोर्ट देगी यह हाऊस के अन्दर बताने वाली चीज नहीं है। लेकिन काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए उसके लिए कटिबद्ध सरकार जरूर है और उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। आपका जो प्रश्न है वह बेरोजगारी भत्ते के सम्बन्ध में है। काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में जोड़ने को सरकार निश्चित रूप में गंभीरतापूर्वक ले रही है।

श्री नाथू सिंह : जब तक यह कमेटी रिपोर्ट दे राईट टू वर्क के बारे में और आप उसे फंडामेंटल राईट्स में सम्मिलित करें तब तक क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिन राज्य सरकारों ने नौकरी देने पर पाबंदी लगा रखी है क्या आप उन राज्य सरकारों को निर्देश देंगे कि वे पाबन्दी को हटाएं ? राजस्थान में 1982 से पाबंदी लगी हुए है। दूसरे जो अनएम्प्लायड यूथ है जो कि नौकरी के लिए एप्लाई करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसा कि हरियाणा सरकार ने कर रखा है उन्हें इंटरव्यू के लिए आने-जाने का मुफ्त पास मिलता है, क्या आप भी ऐसी

यात्रा सुविधाएं जारी करने के निर्देश जारी करेंगे ? उनमें जो पोस्टल आर्डर वगैरह: लिये जाते हैं और फिर उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती है और सरकार को इससे आय होती है, क्या आप इसको समाप्त करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है यह तो केबिनेट सब-कमेटी के विचार करने का है। दूसरे राज्य राज्य सरकारों के अपने अपने कानून है। बहुत-सी जगह अनएम्पलाएमेंट एलाउंस है और दूसरी चीजें चलती हैं। मैंने कहा है कि हम चाहते हैं कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए और इस पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है, यह विचार करते समय इन सारे सवालों पर भी विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो एम्पलाएमेंट पर बैन लगाने का उल्लेख किया है, जिन राज्यों में राज्य सरकार ने ऐसा किया हुआ था वहां सरकारें भी बदल चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। यह किसी एक स्टेट का मामला नहीं है, केन्द्र शासित प्रदेशों में भी बेन है, वहां पर बेन हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक इंटरव्यू आदि के लिए आने-जाने की व्यवस्था क्या सरकार करेगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा कीजिए। इनका प्रश्न यह है कि क्या सरकार बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है, इसके संबंध में ब्यौरा क्या है। यह बात बेरोजगारी भत्ते के संबंध में नहीं है, बेन हटाने के बारे में खास जानकारी मुझे नहीं है। (व्यवधान)

श्री गंगाचरण लोधी : अध्यक्ष महोदय, राइट टू वर्क की बात कही गई है। यह सही है कि सरकार की मंशा, नीति और नीयत साफ है कि हिन्दुस्तान के हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे इस सदन के सामने काम की परिभाषा को डिफाइन करें। काम की परिभाषा क्या है। क्या होटल में काम करना, झूठ बर्तन साफ करना काम है, क्या बस स्टैंड पर मूंगफली बेचना काम है, क्या जूते पालिश करना काम है, कृपया मंत्री महोदय काम की परिभाषा को डिफाइन करें, काम की परिभाषा क्या है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, काम का मतलब काम है। (व्यवधान) मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो काम का अधिकार है, काम के अधिकार का मतलब राइट टू वर्क, इट इज्ड मीन राइट टू एंप्लायमेंट ओनली। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : सरकार ने कई समितियां गठित की हैं बेरोजगार युवकों के सम्बन्ध में भी एक मन्त्रिमण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इससे पहले कि यह उप-समिति अपना निर्णय दे, क्या माननीय मंत्री जी जो श्रम विभाग को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं —कम से कम समाचार पत्रों में उनके भाषणों से मैंने ऐसा पाया है, इन बेरोजगार युवकों को कुछ तदर्थ आधार पर भत्ता देंगे क्योंकि केवल पश्चिमी बंगाल में ही पिछले 13 वर्षों के दौरान पंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या 18 लाख से बढ़कर 48 लाख हो गई है। अत: क्या वे इन बेरोजगार युवकों को तदर्थ आधार पर भत्ता देने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरोजगारी की समस्या है, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। 1952 में यह संख्या 3 लाख थी, अब यह बढ़ कर 4 करोड़ तक हो गई है। आज की स्थिति में सरकार और किसी भी पक्ष के समझदार लोग यह नहीं कह सकते कि सबको राइट टू एंप्लायमेंट, मनचाहा काम दिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जब राइट टू वर्क जस्टिसिएबल बन जाएगा तो निश्चित रूप से जिनको काम नहीं दिया जा सकेगा, जिनको काम नहीं मिलेगा, उनको बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। (व्यवधान)

श्री गाजाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, देश में साढ़े 3, 4 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। जब तक इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, मैन-पावर का उपयोग नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए जो कमेटी या सब कमेटी सरकार ने गठित की है, उसकी कितनी सिटिंग्स अब तक हुई हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक सदन के सामने प्रस्तुत की जाएगी, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत गंभीरता से और बहुत तेजी से इस पर विचार कर रही है। (व्यवधान)

अल्प सूचना प्रश्न

वनस्पति और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

अ० सू० प्र० 1. प्रो० के० वी० थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सामान्य बजट पेश किए जाने के बाद वनस्पति और खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वनस्पति और खाद्य तेलों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

माननीय सदस्य महोदय जानना चाहते हैं कि क्या आम बजट के पेश किए जाने के बाद वनस्पति और खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

वनस्पति सहित खाद्य तेलों के मूल्यों में मुख्यतः दिसम्बर, 1989 के अन्तिम सप्ताह से ही वृद्धि का रुख रहा है। यद्यपि जनवरी, 1990 के महीने के दौरान पिछले माह की अपेक्षा खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में 2·4% तक की वृद्धि हुई थी, फरवरी, 1990 के अन्त तक यह वृद्धि 4.8% तक पहुंच गई। मार्च के अन्त तक, दिसम्बर अन्त के मूल्यों की तुलना में 6.3% की वृद्धि हुई।

मार्च के तीसरे सप्ताह से लेकर माह के अन्त तक (17-3-1990 और 31-3-1990 के बीच) खाद्य तेल के थोक मूल्य सूचकांक में 0.3% क वृद्धि हुई। अप्रैल के प्रथम भाग के दौरान जबकि मूंगफली के तेल के मूल्य में थोड़ी गिरावट देखी गयी, वहां कुछ अन्य तेलों में आंशिक से मामूली हद तक वृद्धि दिखाई पड़ी।

हालांकि हाल के महीनों में तेल के मूल्यों में वृद्धि को रुख रहा है, तथापि यह कहना सही नहीं होगा कि 19 मार्च, 1990 को आम बजट पेश किए जाने के बाद तेल के मूल्यों में कोई अधिक वृद्धि हुई है। वनस्पति सहित खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में 17-3-1990 में चल रहे मूल्यों की तुलना में 31-3-1990 को 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान भी लगभग 0.3% की समान वृद्धि देखने को मिली थी। विशेष तेलों की दृष्टि से पिछले वर्ष मे 1.3% आंशिक गिरावट की अपेक्षा इस अवधि के दौरान रेपसीड और सरसों के तेल में 0.1% की वृद्धि हुई है। मूंगफली के तेल के मामले में पिछले वर्ष के दौरान 1.5% की आंशिक वृद्धि की अपेक्षा इस अवधि में 0.8% की आंशिक कमी आई है। वनस्पति के मूल्य उपर्युक्त पखवाड़े के दौरान स्थिर रहे जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.6% की आंशिक वृद्धि हुई थी।

चालू वर्ष के दौरान तेल के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः तिलहनों के उत्पादन के आसार कम होने के कारण हुई है। पिछले वर्ष के दौरान 178.9 लाख मी० टन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में तिलहन की फसल के मौजूदा अनुमान केवल 169 लाख मी० टन आंके गए हैं। कम पैदावार के आसार से बाजार में कम आपूर्ति होने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई किए जाने वाले आयातित तेल के घटे हुए आवंटन से बाजार के रुख पर प्रभाव पड़ा है। इस समय विवाह और त्योहार का मौसम होने के कारण भी वनस्पति की मांग में मौसमी वृद्धि हुई है। वनस्पति तैयार करने के लिए स्वीकृत तिल के तेल तथा अन्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि से भी वनस्पति के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है।

सदस्यगण जानते हैं कि वर्ष 1990-91 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करते हुए वित्त मन्त्री महोदय ने पहले ही कुछ रियायतों की घोषणा की है जिनसे खाद्य तेलों के मूल्यों पर संयंतकारी प्रभाव पड़ने की आशा है। परिष्कृत रेपसीड तेल और सरसों के तेल पर उत्पादन शुल्क की पूरी छूट दी गई है। ऋणराशि ऋण योजना (क्रेडिट ऑफ मनी स्कीम), जो वनस्पति के मामले में पहले से ही उपलब्ध है, को मार्गरीन तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले अप्रक्षालन तेलों के लिए भी लागू कर दिया गया है। विधायक निष्कर्षित तिल के तेल और साल बीज की वसा को वनस्पति के लिए निवेशों की सूची में शामिल किया गया है और वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के लिए सरकार ने मार्च, 1990 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए तेल की आपूर्ति में वृद्धि कर दी है। जबकि मार्च, 1990 में 35,200 मी० टन का आवंटन किया गया था, अप्रैल, 1990 के दौरान 40,000 मी० टन मात्रा का आवंटन किया गया है। सरकार ने खाद्य तेलों की देशीय उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खाद्य तेल का आयात करने का भी निर्णय किया है। वनस्पति तैयार करने में सरसों के तेल की 20% तक मात्रा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिसका वनस्पति के मूल्यों पर संयंतकारी प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने तेलों की भण्डारण सीमा को भी कम करने के आदेश दिए हैं और जमाखोरी विरोधी अभियान में तेजी लाई जा रही है। राज्य सरकारों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है।

प्रो० के० वी० थामस : जब सदन में बजट में प्रस्तुत किया गया तो खाद्य तेलों के मूल्यों को कम करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी ने इन वनस्पति और खाद्य तेल कम्पनियों को कुछ छूट देने की घोषणा की थी। माननीय वित्त मन्त्रीजी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था। उन्होंने सरकार की ओर से कई छूटों की घोषणा की। वास्तव में हुआ यह है कि दिसम्बर की तुलना में जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक 2.4% बढ़ गया है और इन छूटों के बाद मार्च के अन्त में यह बढ़कर 6.3% हो गया है। इस प्रकार वनस्पति के एक टिन का मूल्य 60 रु० से बढ़ गया है। साधारण लोग इसे वहन नहीं कर सकते। यह केवल बजट की गलत नीतियों के कारण हुआ है।

अब आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि मूल्य बजट से पहले की स्थिति के बराबर नीचे आ सके ?

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल पूछने के पहले जो भी चर्चा की वह बिल्कुल फैक्ट्स के परे हैं। इन्होंने कहा कि 6 परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है। यह गलत है। प्राईस इनडैक्स में तेलों में जरूर ·3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैंने एक टिप्पण परिचालित किया गया है। यह मेरा टिप्पण है; यह तथ्यों का विवरण है।

मैं संगत अनुच्छेद को पढ़ता हूं :

"मार्च के तीसरे सप्ताह से मास के अन्त तक (17-3-1990 से 31-3-1990 के बीच) खाद्य तेलों का थोक मूल्य सूचकांक 0·3% बढ़ गया। अप्रैल के प्रथम भाग में मूंगफली के तेल में थोड़ी कमी आई और कुछ अन्य तेलों के मूल्यों में आंशिक से मामूली वृद्धि हुई। (व्यवधान)

मैं तथ्य बता रहा हूं। यदि वे नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता··· (व्यवधान)

"हालांकि हाल ही के महीनों में तेल के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। परन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि सामान्य बजट के 19 मार्च, 1990 को प्रस्तुत किए जाने के बाद इन तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। 17-3-1990 की मूल्य स्थिति के अनुसार वनस्पति तेल सहित अन्य खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में 31-3-1990 को 0·3% वृद्धि हुई है।"

मैं बजट से पहले और बाद में आंकड़े दे रहा हूं :

"पिछले वर्ष भी इसी अवधि के दौरान 0·3% की समान वृद्धि हुई थी। जहां तक विशेष तेलों का सम्बन्ध है। पिछले वर्ष 1.3% की आंशिक कमी की तुलना में इस दौरान रेपसीड और सरसों के तेल में 0·1% की वृद्धि हुई।"

(व्यवधान)

क्या आप इन आंकड़ों को चुनौती दे रहे हैं ? यह मूल्य वैधे बाजार के लिए है। (व्यवधान)

मैं कुछ नहीं बता रहा हूं यह विवरण है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

यह आंकड़े मेरे घर के बनाए हुए नहीं हैं। (व्यवधान) आप पहले पूरी बात सुन तो लें।

[अनुवाद]

पिछले वर्ष की 1.9 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि की तुलना में मूंगफली के तेल में इस दौरान 0.8 प्रतिशत की आंशिक कमी आई है। पिछले वर्ष वनस्पति के मूल्य में आंशिक वृद्धि 0·6 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में उपरोक्त विश्लेषण में यह दर स्थिर रही।

इस प्रकार, ये आंकड़े हैं मैं बजट के पहले और बाद की इसी वर्ष की स्थिति की बात कर रहा हूं (व्यवधान) जो भी मूल्य वृद्धि थी मैंने बता दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : इससे काम नहीं चलेगा, सही जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप भी बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, यदि आप माननीय मन्त्री जी के उत्तर का अन्तिम अनुच्छेद पढ़ें तो आप स्वयं ही वनस्पति और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि पर सहमत होंगे। माननीय मन्त्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है : "मार्च, 1990 के दौरान 35,200 टन का आबंटन किया गया जबकि अप्रैल, 1990 के दौरान 40,000 टन का आबंटन किया गया।" इस प्रकार तेल के आबंटन में वृद्धि हुई है। परन्तु मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल कहां जा रहा है। क्या यह सरकार वनस्पति और खाद्य तेलों के निर्माताओं द्वारा खरीद ली गई है ? महोदय, इसे देखने का उत्तरदायित्व मन्त्री जी का है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको सहाभाइट : क्या यह सच है कि गुजरात के सिविल सप्लाई मिनिस्टर आये थे और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि गुजरात में इस समय मूंगफली के तेल की कमी है जिसके कारण वहां के लोगों को मूंगफली का तेल नहीं मिल पा रहा है जो कि वहां पर जरूरी है। इसलिए सेंट्रल पूल से बड़ी मात्रा में मूंगफली का तेल देने की कृपा करें। वहां के मुख्य मन्त्री खुद आना चाहते थे, मगर ला एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वह नहीं आ सके। गुजरात सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि एक लाख टन पामोलीन आयल और तीव

लाख टन मूंगफली का तेल एन० डी० डी० ओ० से दिखाया जाये। वरना इसकी वजह से वहां आंदोलन हो सकता है। हमारी सरकार पुरानी संरकार की तरह नहीं है कि वहां के लोगों की मदद न करे। हम तेल पीने वाले नहीं हैं, हम तेल खाने वाले हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : गुजरात सबसे ज्यादा मूंगफली का तेल उत्पन्न करने वाली स्टेट है। इस साल वहां पर मूंगफली का उत्पादन कम हुआ है, इसलिए गुजरात में भी मूंगफली का तेल महंगा हुआ। इसी वजह से मैंने वहां के मुख्य मन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री से बात की है। उनको बाहर से आने वाला तेल ज्यादा दिया गया है और इससे भावों पर असर पड़ा है। चूंकि मूंगफली का तेल बाहर से नहीं आता है, इसलिए जो तेल बाहर से मंगाया गया है, वही उन्हें दिया गया है। वैसे यह मामला कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित है जिसकी एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें एन० डी० डी० बी० के पास जितना तेल है, उसके बारे में लेखा-जोखा हुआ। उनकी भी एक कमेटी बनायी जाये जो दो-दिन में यह फैसला कर दे कि बाजार में कितना तेल छोड़ना है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : जो आंकड़े दिये गए हैं, वे होल सेल के दिये गये हैं। अब रिटेल में 5/- रु० से 7/- रु० प्रति किलो डालडा घी बढ़ गया है। मन्त्री जी यह बतायें कि ये दाम क्यों बढ़े और कृपया रिटेल प्राईस भी बताने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज, यह क्या हो रहा है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं आंकड़े दे रहा हूं। पन्द्रह किलो टीन के भाव···

कुछ माननीय सदस्य : आप एक किलो के भाव बताइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त : मुझे 15 किलोग्राम का मूल्य नहीं चाहिए। मैं एक किलो का मूल्य जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : आप इसे 15 से भाग कर सकते हैं। यह बहुत साधारण प्रक्रिया है··· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

···मैं जनवरी, 1990 के भाव दे रहा हूं : 15 किलो टीन के भाव :

	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास
7 जनवरी	353-370	380-386	395
14 जनवरी	350	380-385	400
21 जनवरी	356-370	385-390	390-400

अब मैं आपको अप्रैल के भाव दे रहा हूं। जनवरी के भाव बता ही चुका हूं। ये वीक वाईज दे रहा हूं जिसमें दिल्ली के भाव ये हैं :

7 अप्रैल	425-445
14 अप्रैल	432-462
17 अप्रैल	435-466

अप्रैल महीने में दिल्ली में 15 किलो टिन के भाव 425 से 445 रुपये रहे। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : कितने प्रतिशत बढ़ गये, यह भी बताइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, पहले मन्त्री को को सुनिये।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : कलकत्ता के भाव भी सुन लीजिये। जनवरी में 380 से 386 रुपये प्रति टिन थे जो अप्रैल में 455 से 458 रुपये हो गये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ कर सुनिये, मन्त्री जी पर-किलो रेट्स भी बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बाल दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पूरी चर्चा आधे घंटे की होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सब तरह के जवाब के लिए तैयार हैं। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जो आप पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आप लोगों का ही सवाल है, पूरे देश का सवाल है, उन्हें बताने दीजिये। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : पर-किलो के रेट्स भी सुनिये। गन्टूर में 28 रुपये, कुरनूल में 29 रु०, चित्तूर में 30 रुपये, हैदराबाद में 29 रुपये और विशाखापट्टनम में 29 रुपये 50 पैसे। (व्यवधान)

अब क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि गन्टूर क्या है। (व्यवधान)

मैं दिल्ली की तरफ भी आ रहा हूं। आप सुनिये तो। (व्यवधान)

असम में, सिल्चर में 30 रुपये, बिहार में, रांची में 29 रुपये और धनबाद में 28 रुपये पर के० जी०। अब मैं गोआ की तरफ आता हूं : पाणाजी में 29 रुपये। (व्यवधान)

गुजरात का सुनिये। गांधी नगर में 27 रुपये, सूरत में 28 रुपये और बड़ोदरा में 28 रुपये पर के० जी०।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष जी, बिल्कुल गलत। ये पता नहीं कब और कहां की फीगर्स बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : हरियाणा के हिसार में 29 रुपये और करनाल में 28 रुपये। हिमाचल प्रदेश में 28 रुपये मण्डी में। जम्मू और कश्मीर में 28 रुपये पर के० जी० अब कर्नाटक की तरफ

आता है : बीजापुर में 29 रुपये और चिकमगलूर में 30 रुपये पर के० जी० । मध्य प्रदेश में भिलाई में 29 रुपये और दुर्ग में भी 29 रुपये पर के० जी० । नागपुर में 29 रुपये, बम्बई में 29 रुपये, अरंगाबाद में 29 रुपये और पूना में 29 रुपये पर के० जी० । मिजोरम में 32 रुपये पर के० जी० । (व्यवधान)

मेरे पास सभी स्टेट्स की फीगर्स हैं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं । (व्यवधान)

मेरे पास पुरानी फीगर्स भी मौजूद हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मित्रसेन यादव ।

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रायपुर नाम का एक गांव है, वहां विवाहत भोजन खाने से 300 आदमी···

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, अभी अल्प सूचना प्रश्न ही चल रहा है ।

श्री मित्रसेन यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है । अत्यन्त आवश्यक वस्तु, चीनी नमक का दाम दुगना हो गया है । मिट्टी के तेल दाम बढ़े हैं, दालों के भी दाम दुगने हो गए हैं । खाद्य तेलों में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है । यानी सभी चीजें, जिनको व्यक्ति रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सभी के दाम बढ़ गए हैं और पूरे देश में बढ़े हैं किसी एक क्षेत्र में नहीं बढ़े हैं । सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं । यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे सारे देश की जनता चिन्तित है और सारे देश की जनता का हित इससे जुड़ा हुआ है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसको रोकने के लिए मन्त्री महोदय इस सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार हैं ? ताकि इस प्रस्ताव के जरिए पूरे देश की आवाज को सदन में सुनाया जा सके और इस महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए क्या सरकार कोई नया कदम उठाएगी जिससे महंगाई रुक सके ?

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न वनस्पति घी से रिलेटेड था, मैंने वनस्पति के सब दाम बताए । आप जनरल प्राइस-राइज की बात कर रहे हैं । आपने और अन्य कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है । इसके सम्बन्ध में एक और प्रस्ताव आपके सामने आने वाला है । उस पर इस बारे में भी आप पूरी चर्चा कर लें । जो आपका यह शार्ट नोटिस क्वश्चन है इस पर मैंने आपको जवाब दे दिया है । आपने जो प्राइस-राइज का मोशन दिया है, उस पर चर्चा हो जाएगी, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । अगले समाप्त प्राइस-राइज पर बहस होनी है, लेकिन इस एडीबल आयल पर मैं देख रहा हूं कि लोगों की चिन्ता बहुत है । इसलिए इस पर भी हम आधे घन्टे की चर्चा कर लेंगे । मैं आपकी चिन्ता देख रहा हूं आप सब लोग हाथ उठा रहे हैं । इसलिए इस पर भी आधे घन्टे की चर्चा कर लेंगे । अत: अब इसको हम बन्द करें । एडीबल आयल्स पर आधे घन्टे की चर्चा कराने के लिए आप नोटिस दे दीजिए ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दालों का आयात

*498. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान दालों के मूल्यों में पन्द्रह से बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इस वर्ष दालों की बहुत अच्छी फसल हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर दालों की बिक्री करने की कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या सरकार का दालों का आयात करने का भी विचार है, यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(घ) राजस्थान को कितनी मात्रा में दालें उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) आयातित दालों की लागत क्या होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) उपलब्ध सूचना से विदित होता है कि दालों का थोक मूल्य सूचकांक 25-3-1989 के 187.9 से बढ़कर 24-3-1990 को 206.6 हो गया है। इस प्रकार सूचकांक में लगभग 10.0% की वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस की अवधि बराबर अनुमति दी जाती है।

(घ) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ता को दालें मुहैया करने के लिए केन्द्रीय पूल में दालों का स्टाक नहीं रखती है।

(ङ) 1989-90 (दिसम्बर, 1989 तक) के दौरान दालों की 2.51 लाख मीटरी टन अनुमानित मात्रा का 128.08 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर आयात किया गया था।

उड़ीसा में कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

[अनुवाद]

*499. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से वर्ष 1989-90 के दौरान इस आशय के प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त पत्र के विषय जनहित में बताए नहीं जा सकते ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के बारे में एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया था तथा पिछली सरकार के मंत्रिमंडल को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । मंत्रिमंडल की 26-12-88 को हुई बैठक में मामले को आस्थागित रखा गया । वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों आदि की नए सिरे से जांच कर रही है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में किसी प्रकार का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा किया जाना है ।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा मंजूरी

[हिन्दी]

*500. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोठाड़िया) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1989 तक केन्द्रीय जल आयोग की सूची में 10 बृहद और 5 मध्यम परियोजनाओं में से 4 बृहद और 4 मध्यम परियोजनाओं का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मूल्यांकन किया गया है और उन्हें तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार्य पाया गया है लेकिन 2 बृहद और 4 मध्यम परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण और/अथवा वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, एक बृहद परियोजना के संशोधित लागत अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं और एक और बृहद परियोजना में विस्थापितों के लिए पुनःस्थापना योजना अभी निश्चित नहीं की गई है । शेष मामलों में राज्य को मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना भेजनी है ।

गुवाहाटी में आवास मंत्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

*501. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** :

श्री जी० एस० वासवराज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुवाहाटी में मार्च, 1990 में पूर्वोत्तर राज्यों के आवास मंत्रियों का दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में राज्यों के किन-किन मंत्रियों ने भाग लिया था; और

(ग) इसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई, उसका ब्यौरा क्या है और उस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां । उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम

के आवास तथा शहरी विकास मन्त्रियों की एक क्षेत्रीय बैठक केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में 2 और 3 मार्च, 1990 को गुवाहाटी में हुई थी।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों और मन्त्रियों के राज्यवार नाम नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के नाम
असम	श्री पी० के० महन्त, मुख्य मन्त्री
	श्री अतुल बोरा, नगर तथा ग्राम नियोजन एवं लोक निर्माण विभाग मन्त्री
	श्री एस० आलम चौधरी, एम० ए० डी० एवं पी० एच० ई० मन्त्री
	श्री के० कालिता, राज्य स्वास्थ्य मन्त्री
मेघालय	श्री पी० ए० संगमा, मुख्यमन्त्री
	श्री ए० मारक, आवास मन्त्री
मिजोरम	श्री जलावमा, मन्त्री (एल० ए० डी० एवं राजस्व)
सिक्किम	श्री के० एन० उप्रेती, मन्त्री (स्थानीय स्वायत्त शासन, आवास, खाद्य तथा आपूर्ति)
त्रिपुरा	महारानी बी० देवी, मन्त्री (स्थानीय स्वायत्त शासन तथा राजस्व)

(ग) बैठक में आवास तथा मूलभूत सेवाओं में वृद्धि, शहरी विकास नीति आवास वित्त प्रणाली के विकास और सामग्रियों तथा जनशक्ति की समस्याओं पर क्षेत्र तथा सिक्किम की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन के अन्त में घोषणा की गई प्रमुख अनुवर्ती कार्यवाहियां निम्नलिखित थीं :—

(i) आवास तथा शहरी विकास नीति तैयार तथा कार्यान्वित करने में इस क्षेत्र के राज्यों तथा सिक्किम की सहायार्थ हुडको और नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन उत्तर-पूर्वी परिषद (एन०ई०सी०) के अधीन एक सैल की स्थापना करेंगे।

(ii) सहभागी राज्यों तथा भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय और सिक्किम के लिए संयुक्त रूप से स्थापित किये जाने वाले मात्र आवास तथा शहरी विकास वित्त संस्थान, के सृजन के लिए प्रारम्भिक प्रयास करना, जो इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो सके।

(iii) हुडको तत्काल से बाद सम्भावित क्षेत्रों में पक्के प्लींथ मकानों के निर्माण का वित्त पोषण करेगा जिससे लाभग्राहियों को बाद के पश्चात उत्तम संरचनाएं बनाने में सहायता मिलेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*502. श्री राम बहादुर सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियां पाई गई हैं;

(ख) क्या राज्यों ने इसके कार्यकरण में किन्हीं कठिनाईयों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए प्रमुख आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचलन में पाई गई कुछ कमियों में ये शामिल हैं : किसी समय विशेष में कुछ वस्तुओं का उपलब्ध न होना, कुछ क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों का आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर न होना तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त आधार-ढांचा न होना। इनके अलावा, राज्यों ने कुछ समयावधियों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का पर्याप्त आवंटन न होना जैसी कठिनाइयां बताई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा उसके कार्य को सुव्यवस्थित बनाना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करते हैं, समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सुपुर्दगी की प्रणालियों में तथा उचित दर की दुकानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार करें, उपभोक्ता सलाहकार/सतर्कता समितियां स्थापित करें, प्रवर्तन तथा निरीक्षण प्रबन्धों को मजबूत करें, तथा दूरस्थ क्षेत्रों में आधार-ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें। उनके द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी के लिए बजट

[हिन्दी]

*503. श्री राम प्रसाद चौधरी :
श्री जनार्दन तिवारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी के लिए आवंटित राशि कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :—

(1) प्लान निधियों की समग्र उपलब्धता में अड़चनें।

(2) सतत और प्रस्तावित क्रियाकलापों के विभिन्न संघटकों का पुन: मूल्यांकन करना ताकि सभी सम्भव बचत की जा सके तथा व्यय को कम किया जा सके।

(3) बजट सहायता कम करना तथा सरकार पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति को बदलना।

(4) उद्योग की विशिष्ट कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से करना।

(5) अपैरल/परिधान/वस्त्र उद्योग तथा इस क्षेत्र से संबंधित अन्य संगठनों से निधियां प्राप्त करने के वैकल्पिक उपायों का पता लगाना।

बच्चों को विदेश भेजने वाला गिरोह

[अनुवाद]

*504. **श्री आनंदराव सिंधिया** : : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों को ऊंटों की दौड़ में प्रयोग किए जाने के लिए उन्हें खाड़ी के देशों को भेजने वाले गिरोह की, जिसका हाल ही में पता चला था, कार्यप्रणाली क्या थी; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जो मामले ध्यान में आए हैं उनसे पता चलता है कि जाली पासपोर्ट या उसमें किए गए जाली पृष्ठांकन के आधार पर माता पिता द्वारा या झूठा दावा करने वाले माता पिता/अभिभावक द्वारा बालकों को ले जाया जाता है। बाद में बालकों का प्रयोग ऊंट सवार के रूप में किया जाता है। संबंधित भारतीय मिशन ने इस प्रकार नियोजित बालकों को भारत वापस प्रत्यावर्तित करने के लिए मध्यस्थता की और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ भारत में आपराधिक मामले भी चलाए गए हैं। उत्प्रवास से संबंधित सभी भारतीय एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है कि वे अपेक्षित अनुमति प्रदान करने से पहले उन मामलों की जांच में उचित सावधानी बरतें जहां पासपोर्ट पर अव्यस्क बालकों को ले जाया जाता है।

विभिन्न किस्मों के धागों की कीमतें स्थिर करना

*506. **श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों ने सरकार से विस्कोस फिलामेंट यार्न तथा नायलान फिलामेंट यार्न की कीमतों में स्थिरता लाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्कोस फिलामेंट यार्न तथा नायलान फिलामेंट यार्न की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी० एफ० वाई०) और नायलान फिलामेंट यार्न (एन० एफ० वाई०) की कीमत स्थिरीकरण के लिए सरकार को बुनकर क्षेत्र के विभिन्न खण्डों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) सरकार इन यार्नों की कीमतों की बराबर समीक्षा और मानीटरी करती रही है और इन यार्नों की उचित कीमतें सुनिश्चित करने की दृष्टि से कताई करने वालों और बुनकरों के बीच समय-समय पर बैठकें कर रही है। नवम्बर, 1989 में कताई करने वालों और बुनकरों के बीच हुए करार के अनुसार विस्कोस फिलामेंट यार्न की कीमतों में जो कि नवम्बर, 1989 में 139 रु० प्रति किग्रा० थी, मार्च, 1990 में घटकर 127 रु० प्रति किग्रा० हो गई और इस प्रकार 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा कताई करने वालों और बुनकरों के साथ परामर्श जारी है। नायलान फिलामेंट यार्न के बारे में मांग और पूर्ति में संतुलन रखने के उद्देश्य से सरकार बराबर ओ० जी० एल० पर नायलोन फिलामेंट यार्न का आयात करती रही है और उसने वर्ष 1990-91 के बजट में आयात शुल्क भी 130 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया है।

वृद्धों और विकलांगों को संरक्षण

*507. **श्री एम० डेनिस** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वृद्ध और शारीरिक रूप से विकलांग निर्धन लोगों को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उन्हें यह लाभ किस आधार पर दिए जाते हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सभी राज्य सरकारें तथा केन्द्र शासित प्रदेश निराश्रित तथा निर्धन, वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान कर रहे हैं।

(ख) पात्रता के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड तथा पेंशन दर हर राज्य में अलग-अलग हैं। यह विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनेक राज्यों में 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाली निराश्रित तथा निर्धन वृद्ध महिलाएं और 65 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले निराश्रित पुरुष पेंशन पाने के हकदार हैं। कुछ राज्यों में विकलांगों के लिए भी कुछ विशेष आयु सीमा निर्धारित की गई है। पेंशन 30 रु० से 100 रु० प्रतिमाह तक प्रदान की जाती है।

दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अस्पतालों में सुविधाएं

*508. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के क्या कारण हैं;

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अन्य स्थानों से भेजे गये रोगियों और गम्भीर बीमारियों के इलाज तक ही सीमित करके वहां रोगियों की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली में अन्य सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी अस्पताल के लिए बजट में किया गया आवंटन और वास्तविक व्यय सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोलमनि राउतराय) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बेहतर नैदानिक और चिकित्सीय सुविधाओं का उपलब्ध होना और राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में इसकी प्रतिष्ठा का होना रोगियों की भीड़ के मुख्य कारण है। इसके अलावा, संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला कुछ अति विशिष्ट उपचार देश में अन्य अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है अथवा केवल सीमित रूप में उपलब्ध है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हो रही अत्यधिक भीड़ को केवल तभी कम किया जा सकता है यदि देश के अन्य भागों में ऐसे ही अस्पताल खोले जायें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मुख्य तौर पर एक रेफरल अस्पताल बनाने के प्रश्न की विगत में जांच की गई है। एक ही साथ दोतरफा नीति आवश्यक प्रतीत होती हैं अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बहिरंग रोगी विभाग/क्लीनिक के रोगियों की जांच करने की

व्यवस्था करना और दिल्ली तथा इसके इर्द-गिर्द के जनरल अस्पतालों में क्लिनिकल परिचर्या के स्तर में सुनियोजित वृद्धि करना। इन दोनों पहलुओं से सम्बन्धित प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना, दिल्ली प्रशासन और सम्बन्धित राज्य योजनाओं का एक भाग होंगे। दिल्ली के मुख्य सरकारी अस्पतालों में उपयुक्त विशिष्टताएं और उप-विशिष्टताएं आवश्यकता के अनुसार और संसाधन सम्बन्धी कठिनाई को देखते हुए विकसित की जायेंगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में और दिल्ली में अन्य मुख्य सरकारी अस्पतालों में हो रही अत्यधिक भीड़ को कम करने की दृष्टि से दिल्ली के इर्द-गिर्द के परिधीय क्षेत्रों के लिए अनेक नए अस्पताल खोलने की भी योजना है। संलग्न विवरण-1 ऐसे नए अस्पतालों को खोलने के स्थानों और उनके लिए निर्धारित निधियों का ब्यौरा दर्शाता है। प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी अस्पताल के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया बजट आवंटन और वास्तविक व्यय संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

नए अस्पतालों हेतु नियत किए गए स्थान और निधियां

क्र०सं०	अस्पताल का नाम	स्थान	परिव्यय (1990-91) (लाख रुपयों में)
1.	100 पलंग वाला संजय गांधी स्मारक अस्पताल	मंगोलपुरी	100.00
2.	100 पलंग वाला राव तुला राम अस्पताल	जफ्फरपुर	120.00
3.	100 पलंग वाला अस्पताल	खिचड़ीपुर	85.00
4.	100 पलंग वाला अस्पताल	जहांगीरपुरी	100.00
5.	100 पलंग वाला अस्पताल	मैदानगढ़ी	10.00
6.	100 पलंग वाला अस्पताल	पुठखुर्द	2.00
7.	100 पलंग वाला अस्पताल	सिरसपुर	2.00
8.	100 पलंग वाला अस्पताल	रघुबीर नगर	2.00
9.	500 पलंग वाला अस्पताल	रोहिणी	2.00

विवरण-2

पिछले वर्षों के दौरान इन अस्पतालों के लिए आवंटन और इन पर हुआ व्यय (लाख रुपयों में)

उप शीर्ष	1987-88				1988-89				1989-90			
	प्लॉन		नॉन-प्लॉन		प्लॉन		नॉन-प्लॉन		प्लॉन		नॉन-प्लॉन	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	546.37	567.47	2055.05		2014.06	710	715.94	222.55	2285.63	651	651.00	2262.82	2200.00
(i) मुख्य													
(ii) अति विशिष्टता	320.00	355.05	89.00		79.97	500	548.62	90	100.83	518	518.00	188.73	188.73
(iii) डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र	66.00	60.58	186.52		176.23	120	127.87	211	203.05	120	120.00	241.65	241.65
(iv) रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान	33.32	33.03	40.00		41.15	25	18.21	62	69.38	51.00	80.75	84.80	84.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(v) कृष-डीएडिक्शन केन्द्र	74.50	64.00	—	—	60	61.00	—	—	70.00	70.00	—	—
(vi) दुर्घटना और अधिक्षत सेवाएं	10.00	11.84	—	—	40	33.03	—	—	10.00	2.50	—	—

टिप्पण : 1. वर्ष 1989-90 के व्यय सम्बन्धी आंकड़े अस्थायी हैं, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की युक्ति पर आधारित हैं और वर्ष 1989-90 के लेखों को अन्तिम रूप देते समय हिसाब लगाए गए वास्तविक व्यय के आधार पर इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है।

2. वेतन, विद्युत, जल-प्रभार, नगरपालिका कर और भवनों का रखरखाव अस्पताल चलाना और टेलीफोन प्रभार आदि जैसे वचन-बद्ध व्यय को कवर करने के लिए नान-प्लान आवंटन आवश्यक है।

2. सफदरजंग अस्पताल	160.00	123.69	1025.98	1193.33	185.00	×	1183.00	×	200.00	×	1350.00	×
3. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	90.00	78.02	697.39	819.07	125.00	×	775.00	×	125.00	×	864.00	×
4. सुचेता कृपलानी अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	65.00	67.89	484.00	657.42	65.00	98	655.00	690	65.00	76.00	755.00	877.00

× आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रेटर गंगऊ बांध परियोजना विवाद

[हिन्दी]

*509. श्री राम सजीवन : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर गंगऊ बांध परियोजना में जल की उपलब्धता के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा किया गया संयुक्त अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह परियोजना सम्बन्धी विवाद कब से लम्बित है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह विवाद सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) यह मामला सबसे पहले 1985 में केन्द्रीय जोनल परिषद की 15 वीं बैठक के समक्ष रखा गया। उसके पश्चात् राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को जल उपलब्धता के अध्ययन का कार्य सौंपा गया। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अध्ययनों पर राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों और उसके बाद केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए विचार-विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को नवम्बर, 1989 में ग्रेटर गंगऊ बांध स्थल पर केन नदी में जल उपलब्धता संबंधी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने हेतु अनुरोध किया गया।

सफदरजंग अस्पताल में अल्ट्रा साउन्ड और "कैट स्कैन" उपकरण

[अनुवाद]

*510. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के विकिरण-चिकित्सा विज्ञान विभाग में अल्ट्रा साउन्ड और "केन स्कैन" उपकरण है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और रोगियों, विशेषकर गरीब रोगियों की जांच करने के लिए इस हेतु क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का सफदरजंग अस्पताल में अल्ट्रा साउंड और "केन स्कैन उपकरण लगाने का विचार है, और यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जब भी कभी आवश्यकता होती है, रोगियों को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेजा जाता है जहां पर ये नैदानिक उपकरण उपलब्ध हैं।

(ग) विकिरण विज्ञान विभाग में एक अल्ट्रा साउण्ड यूनिट पहले ही प्राप्त कर ली गई है और दो मास की अवधि में इसे स्थापित कर दिए जाने की आशा है। जापान सरकार के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कैट स्कैन मशीन प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है और इस मशीन के 1991 में लगाए जाने की आशा है।

बस्तर जिले में पेचिश का प्रकोप

[हिन्दी]

*511. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पिछले पांच वर्षों से पेचिश रोग फैलने की जानकारी है;

(ख) क्या रोग के कारणों का पता लगाने के लिए पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां पर कोई चिकित्सक दल भेजा गया था और यदि हां, तो उक्त चिकित्सक दल के निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या चिकित्सक दल ने केन्द्रीय सरकार को यह चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते प्रभावी और स्थायी उपचारात्मक उपाय न किए गए तो आगामी वर्षों में कई गुणा आदिवासियों के मरने की आशंका है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, कितने इससे प्रभावित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई; और

(ङ) इस घातक रोग से बचाव के लिए सरकार ने अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं और इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ङ) सरकार को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेचिश रोग फैलने की जानकारी है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के दलों ने अप्रैल और सितम्बर, 1989 में बस्तर जिले का दौरा किया था। इन दलों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :--

(I) 1989 के दौरान दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तीन गांवों में यह रोग फैला। अप्रैल से जून, 1989 के दौरान रोगियों और इससे होने वाली मौतों की संख्या क्रमशः 18 और 12 थी।

(II) रोगियों की मृत्यु का कारण यह था कि स्थानीय लोग इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के पास नहीं गए और पारम्परिक औषधियों पर ही निर्भर रहे।

(III) यह रोग संदूषित जल और भोजन के कारण उत्पन्न हुआ था।

इन दलों ने निगरानी कार्य, पर्याप्त उपचार सुविधाओं, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने की सिफारिश की।

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि जल स्रोतों को साफ करके पीने के सुरक्षित पानी की उपलब्धता और संक्रमण के खतरे वाले लोगों को क्लोरीन की गोलों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर हैंड पम्पों सहित नलकूपों को खोदकर पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में निवारक उपायों के बारे में जनशिक्षा सम्बन्धी कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान बस्तर जिले में रोगियों/मौतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1987-88	3240	298
1988-89	95	22
1989-90 (अनन्तिम)	*100*	*8*

रुग्णता और मृत्यु दर की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक आवश्यक उपाय इस प्रकार हैं :

(क) पीने के सुरक्षित पानी की व्यवस्था;

(ख) मल का सुरक्षित निपटान;

(ग) सामान्य पर्यावरणात्मक सफाई में सुधार; और

(घ) लोगों को स्वास्थ्य और पौषणिक शिक्षा।

केन्द्र सरकार जांच और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश के लिए प्रभावित क्षेत्रों को चिकित्सीय दल भेजकर राज्य सरकार की सहायता कर रही है। राज्य सरकार रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने तथा दवाइयों, पुनर्जलीकरण नमक (ओ० आर० एस०) और क्लोरीन की गोलियों की आपूर्ति के लिए प्रभावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सीय दल भी भेज रही है।

दिल्ली में समाज कल्याण संस्थाओं का कार्यकरण

[अनुवाद]

*512. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री राम सागर (भरतपुर) : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विभिन्न समाज कल्याण संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, क्या इन संस्थाओं के कार्यकरण की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) इन संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उपयुक्त कार्यवाई की गई है/आरम्भ की गई है।

शिशुओं में अज्ञात रोग के उपचार के लिए नई औषधि

*513. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी खाद्य और औषध प्रशासन द्वारा स्वीकृत नई औषधि उन बच्चों

के लिए लाभदायक होगी जो जन्म से ही ऐसे अज्ञात रोग से ग्रस्त होते हैं जिसके कारण वे रोगाणुओं का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस औषधि की कारगरता के बारे में अध्ययन किए हैं; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इस अज्ञात रोग से पीड़ित बच्चों को इस नई औषधि का लाभ मिले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जन्मजात इम्यूनो डेफिसेन्सी सिनड्रोम रोग बहुत बहुत ही कम होता है। अतीत में अनेक प्रकार के उपायों (फॉरिन प्रोटीनों और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रयोग करना) की आजमाइश की गई है। समाचार पत्र में उल्लिखित नई औषध का भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत अभी मूल्यांकन किया जाना है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सकों के वेतनमानों में संशोधन

[हिन्दी]

5255. **श्री भाणेय गोवर्धन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1988 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सकों के वेतनमानों में संशोधन करते समय उन्हें ऊंचे वेतनमान देने के स्थान पर उनके वेतनमानों को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या सरकार को कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

5256. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण करके उसके कार्यकरण में सुधार लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों ने इस बारे में कुछ सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (घ) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक चीनी फैक्ट्री की होती है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण करने के लिए सक्षम बनाने के लिए उन्हें ब्याज की रियायती दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे वे संस्थापक के अंशदान में कमी को पूरा कर सकें। केन्द्रीय वित्तीय संस्थान भी चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन/सक्षम क्षमता तक विस्तार करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दे रहे हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की उत्पादन क्षमता का उपयोग

5257. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री वनस्पति के अधिक उत्पादन के बारे में 21 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के शाम नगर तथा महाराष्ट्र के बम्बई में स्थित हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के एककों के लिए स्वीकृत की गई वनस्पति की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा वनस्पति के लिए अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का किस हद तक उपयोग किया जाता है और वर्ष 1987 से 1990 के दौरान वर्ष-वार कम्पनी को कितने टन आयातित तेल प्रत्येक एकक के लिए दिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड शाम नगर और बम्बई द्वारा वनस्पति तैयार करने के लिए संस्थापित क्षमता के उपयोग की मात्रा तथा तेल वर्ष 1987 से 1990 के दौरान कम्पनी को आयातित तेलों का आवंटन निम्नवत है :

एकक का नाम	क्षमता का उपयोग (%)		
	1987-88	1988-89	1989-90
मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड शाम नगर, पश्चिम बंगाल	24·3	20·8	21·5
मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	5·7	0·1	शून्य

आयातित तेल का मी० टनों में आवंटन

एकक का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, शाम नगर पश्चिम बंगाल	9,062	1,876	शून्य
मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	5,915	शून्य	शून्य

महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या

5258. **श्री वसन्त साठे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में तथा विशेषकर विदेश में उनमें से कितने रोगियों को सरकार/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा रोगमुक्त और पुनर्वास कराया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी परिव्यय आने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) मार्च, 1990 तक महाराष्ट्र राज्य में 25,87,564 रोगी रिकार्ड किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान उपचार के बाद छुट्टी किए गए रोगी इस प्रकार हैं :—

	वर्ष		
	1987-88	1988-89	1989-90
उपचार करने के बाद छुट्टी किए गए रोगी	574598	605302	592276

महाराष्ट्र में दो कुष्ठरोग पुनर्वास संवर्धन एकक और 11 पुनर्रचनात्मक शल्य चिकित्सा यूनिटें हैं जो कुष्ठ रोगियों की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस राज्य में 3860 व्यक्तियों को चिकित्सीय तौर पर पुनर्वास और 5290 व्यक्तियों को व्यावसायिक तौर पर पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई हैं।

विदर्भ के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)		
	नकद	सामग्री	कुल
1987-88	35.00	30.00	65.00
1988-89	35.00	50.00	85.00
1989-90	30.00	35.63	65.63

विदर्भ क्षेत्र सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम इन्हीं गतिविधियों को जारी रखेगा, जिसमें शामिल हैं :—

I. रोगियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार,

II. देश में स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों का पता लगाना,

III. औषधों के मिश्रण से कुष्ठ रोगियों का उपचार,

IV. स्वास्थ्य उन्मूलन गतिविधियों का पता लगाना और उपचार किये गए रोगियों के लिए पुनर्वास।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए महाराष्ट्र राज्य को 90.00 लाख रुपये दिये गए हैं।

गढ़वाल में औषध जड़ी बूटियां

5259. *श्री सी० एम० नेगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में औषध जड़ी-बूटियों के बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बीमार लोगों के लाभ के लिए इन जड़ी-बूटियों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का चमोली/पौड़ी गढ़वाल में प्राकृतिक आयुर्वेदिक, संस्थान की शाखा खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद की सर्वेक्षण यूनिटों ने गढ़वाल के विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर प्राकृतिक वानस्पतिक सर्वेक्षण किए हैं। पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने गढ़वाल में प्रयुक्त/बेचे जाने वाले औषधीय पादपों की दुर्लभ हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(I) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बी० एस० आई०) के बागानों में संरक्षित उत्पादन।

(II) टिशु कल्चर की अखिल भारतीय समन्वित योजना जिसके अंतर्गत कुछ अत्यन्त दुर्लभ पादपों में वृद्धि की जाती है।

(III) जन-जागरूकता पैदा करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों का आयात

5260. *श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया और इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हो गई;

(ख) किन-किन देशों से उपर्युक्त अवधि के दौरान आयात किया गया;

(ग) क्या अपने स्वदेशी खाद्य तेल उत्पादन कार्यक्रम के बावजूद आयात में वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा और आयात पर खर्च की गई राशि वर्ष-वार निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन)	मूल्य (लागत, बीमा भाड़ा करोड़ रुपये में)
1987-88	19.67	947.77
1988-89	10.89	365.16
1989-90	2.94	165.78

(गैर लेखा-परीक्षित अनन्तिम)

उपर्युक्त आयातित मात्रा में, रुपये के भुगतान के प्रति की गई खरीद और उपहार/सहायता के रूप में प्राप्त आयात की मात्रा शामिल है।

(ख) जिन देशों से उपर्युक्त आयात किया गया है वे तेल-वार नीचे दिए गए हैं :—

अपरिष्कृत सोयाबीन का तेल	—	अर्जेन्टाइना, बेल्जियम, ब्राजील, फ्रांस, नीदरलैंड, पराग्वे, स्पेन, संयुक्त राज्य अमरीका।
अपरिष्कृत रेपसीड तेल	—	बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी (एफ० आर० जी०), नीदरलैंड, स्वीडन, यू० के०
सूरजमुखी का तेल	—	अर्जेन्टाइना, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका।
निर्विषमीकृत ताड़ का तेल	—	मलेशिया
परिष्कृत विरंजित निर्गन्धीकृत ताड़ का तेल	—	इंडोनेशिया, मलेशिया।
परिष्कृत विरंजित निर्गन्धीकृत पामोलीन	—	इंडोनेशिया, मलेशिया।

(ग) और (घ) खाद्य तेल का आयात मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। इस प्रकार खाद्य तेल का भावी आयात उपर्युक्त बात पर निर्भर करेगा।

मस्तिष्क-शोथ रोग के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्यों को धन का आवंटन

5261. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार का विचार मस्तिष्क-शोथ रोग के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित किये जाने की सम्भावना है और धन आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) योजना आयोग ने इस प्रयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल चार करोड़ रुपये का केन्द्रीय परिव्यय मंजूर किया है। जापानी एनसेफलाइटिस से प्रभावित राज्यों के लिए इस रकम का अस्थायी आवंटन इस प्रकार है :—

राज्य	लाख रुपए में
आंध्र प्रदेश	52.06
असम	75.26
बिहार	6.33
गोवा	5.65
कर्नाटक	38.78
मणिपुर	9.58
त्रिपुरा	1.00
तमिलनाडु	44.21
उत्तर प्रदेश	104.37
पश्चिम बंगाल	60.76
नागालैंड	1.00
उड़ीसा	1.00
	———
	कुल योग : 400.00
	———

इस अस्थायी आवंटन के लिये मानदंड पिछली घटना और अत्यधिक खतरे वाली जनसंख्या पर आधारित है। तथापि, आवंटन पूर्णतया अस्थायी हैं और इन्हें अन्ततः प्रत्येक राज्य सरकार के साथ अन्तिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकारों को इतना ही अंशदान प्रदान करना होगा।

होम्योपैथी की शिक्षा

5262. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देकर तथा इसका विस्तार करके होम्योपैथी उपचार के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना में क्या योजनायें तैयार की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) चिकित्सा शिक्षा मुख्यत: राज्यों का विषय है। बहरहाल चुनिंदा कालेजों में होम्योपैथी में स्नातकोत्तर शिक्षा आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसके लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ने 1989 में आवश्यक विनियम अधिसूचित किये हैं।

(ग) होम्योपैथी कालेजों के विकास और उन्हें समुन्नत करने का प्रस्ताव है जिससे कि शिक्षा तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के न्यूनतम स्तर को प्राप्त किया जा सके।

वस्त्र नीति पर श्वेत-पत्र

5263. श्री रामदास सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 'वस्त्र नीति' पर कोई श्वेत-पत्र जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने जून, 1985 की वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आबिद हुसैन समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जोकि विचाराधीन है।

युवा वैज्ञानिकों/शोध छात्रों द्वारा आत्महत्या

5264. श्री हुस्नान मोल्लाह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के कितने युवा वैज्ञानिकों/शोध छात्रों ने गत तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या की है;

(ख) क्या प्रत्येक मामले की कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या निष्कर्ष निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) केवल एक अनुसंधान अधिकारी ने 1987 में आत्महत्या की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच अधिकारी के निष्कर्षों तथा पुलिस अन्वेषणों से यह पाया गया कि डा० आर० के० सक्सेना, अनुसंधान अधिकारी ने आत्महत्या की। विकृति विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उनकी पेशेवर जिन्दगी से उनकी आत्महत्या का कोई सम्बन्ध नहीं है।

अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित डी० डी० ए० फ्लैटों को रद्द किया जाना

5265. **श्री प्रकाश बापू पसन्तराव पाटिल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुसूचित जातियों तथा अन्य सामान्य वर्ग के लोगों को आवंटित डी० डी० ए० फ्लैट रद्द किये जाने के बारे में सितम्बर, 1989 से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी लोगों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों को पहले से आवंटित फ्लैट शीघ्र पुनः आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है;

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से प्राप्त 19 अभ्यावेदनों सहित 121 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 44 मामलों को अब निपटा दिया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति मार्ग-निर्देशनों के अनुसार प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है।

ग्राइप वाटर में अल्कोहल

[हिन्दी]

5266. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों को पिलाने के लिए तैयार किए गए ग्राइप वाटर में अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होती है;

(ख) क्या यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नोलमणि राजत राय) : (क) से (ग) ग्राइप मिक्स्चर में 9 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहल की इस मात्रा द्वारा, उत्पन्न जठरीय स्राव अम्ल में अधिक, पेप्सीन घटक में सामान्य होता है और यह पोष्टक पाचन शक्ति में कोई बाधा पैदा नहीं करता है। इसमें विद्यमान अन्य घटक या तो वातानुलोमक अथवा प्रशमन हैं। ग्राइप मिक्स्चर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं। सरकार का इस पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी का उत्पादन

[अनुवाद]

5267. श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चीनी का कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) स्थापित क्षमता से यह कितने प्रतिशत कम है;

(ग) क्या चीनी के उत्पादन में इस कमी का कारण राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गन्ना ले जाने पर लगा प्रतिबन्ध और खांडसारी एककों को गन्ना भेजा जाना बताया जाता है;

(घ) क्या सरकार का गन्ने के परिवहन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या नीति बनाई गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले 3 मौसमों के दौरान राज्यवार चीनी के उत्पादन, स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग की प्रतिशतता का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) से (ङ) जैसा कि उपर्युक्त विवरण से विदित होगा, अखिल भारत आधार पर क्षमता उपयोग 100% से भी अधिक रहा है। चीनी फैक्टरियों के लिए गन्ने की नियमित और पर्याप्त आपूर्तियों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बन्धित फैक्टरियों द्वारा गन्ना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र आरक्षित करें और सामान्यतया फैक्टरियों से बन्धक गन्ने की पिराई हो जाने से पूर्व अपने आरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में जाने की आज्ञा नहीं की जाती है। तथापि, अधिशेष गन्ने की उपलब्धता के मामले में राज्य सरकारें राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गन्ने का संचलन करने की अनुमति दे सकती हैं। चीनी फैक्टरियों द्वारा गन्ने के उपयोग की प्रतिशतता में वर्ष-प्रति-वर्ष उतार-चढ़ाव आता रहता है और वह गन्ने के उत्पादन, वैकल्पिक स्वीटनरों आदि के मूल्यों जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है और क्षमता उपयोग में अन्तर को प्रत्येक कारण के लिए अलग-अलग मात्रा के हिसाब से नहीं बताया जा सकता है।

(च) सरकार स्वदेशी चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय करती आ रही है। इस सम्बन्ध में किए गए कुछेक उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) 1989-90 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल रिकवरी पर 22.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जिसमें अधिक रिकवरियों के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की व्यवस्था है। 1988-89 के लिए यह मूल्य 19.50 रुपये प्रति क्विंटल था।

(2) 1990-91 के लिए 8.5% की रिकवरी पर 23.00 रुपये प्रति क्विंटल के और अधिक मूल्य की घोषणा की गई है।

(3) पहली अक्तूबर, 1989 से 15 नवम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान अधिक उत्पादन पर चीनी मिलों को मुक्त बिक्री की चीनी के अतिरिक्त कोटे की अनुमति दी गई थी। इस योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों की पहली अक्तूबर से 15 नवम्बर तक की अवधि के दौरान चीनी मिलों द्वारा प्राप्त किए गए औसत उत्पादन की तुलना में पहली अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1989 की अवधि के दौरान अधिक उत्पादन करने पर मुक्त बिक्री के 80% कोटे की इजाजत दी गई थी जबकि मुक्त बिक्री के कोटे को सामान्य हकदारी 55% है।

(4) चीनी की आन्तरिक आवश्यकता के अनुरूप नई क्षमता के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

(5) चीनी मिलों को उनके परिचालन के क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए और यूनिटों की आधुनिकीकरण करने हेतु चीनी विकास निधि से आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(6) लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात में चीनी उद्योग की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाने के लिए पिछले कुछेक वर्षों में परिवर्तन कर दिया गया है जिससे वे किसानों को अच्छा मूल्य अदा कर सकें। 1984-85 में लेवी और मुक्त बिक्री को चीनी का अनुपात 65 : 35 था। इस अनुपात को 1985-86 में बदलकर 55: 45 कर दिया गया, 1986-87 में 50 : 50 कर दिया गया और 1988-89 में इसे बदलकर 45 : 55 कर दिया गया।

(7) पिछले मौसम की पहली मई से 31 जुलाई की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन से पहली मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन करने पर 55% के मुक्त बिक्री के सामान्य कोटे की बजाय 80% की दर पर मुक्त बिक्री का अधिक कोटा प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

(8) इसके अतिरिक्त, चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकारों के आदेशों के अधीन अपने आरक्षित क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों से ढोये गए गन्ने से 16-11-1989 से 30-4-1990 तक की अवधि के दौरान उत्पादित चीनी के लिए मुक्त बिक्री के अधिक कोटे की भी अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इस अवधि के दौरान पिछले मौसम में तदनुरूपी अवधि में प्राप्त किए गए उत्पादन की तुलना में अधिक उत्पादन करने की सीमा का अनुपालन किया जाए।

विवरण

पिछले तीन मौसमों के दौरान राज्यवार चीनी का उत्पादन, स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग की प्रतिशतता

(क्षमता की गणना पूर्व के मानदण्डों के आधार पर की गई है)

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1986-87 चीनी का उत्पादन	1986-87 स्थापित क्षमता	1986-87 क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता	1987-88 चीनी का उत्पादन	1987-88 स्थापित क्षमता	1987-88 क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता	1988-89 चीनी का उत्पादन	1988-89 स्थापित क्षमता	1988-89 क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पंजाब	2.34	1.21	193.4	2.10	1.43	146.8	2.45	1.562	156.85
2.	हरियाणा	2.89	1.55	186.4	2.72	1.55	175.5	2.80	1.55	180.64
3.	राजस्थान	0.23	0.27	85.2	0.06	0.27	22.2	0.14	0.27	51.85
4.	उत्तर प्रदेश	25.57	18.656	131.1	26.66	19.291	138.2	23.02	10.571	117.62
5.	मध्य प्रदेश	0.71	0 64	110.9	0.85	0.64	132.8	0.63	0.64	98.43
6.	गुजरात	5.76	5.155	111.7	5.78	5.35	108.0	5.78	5.35	108.3
7.	महाराष्ट्र	23.88	25.612	93.24	27.94	26.932	103.74	26.29	27.132	96.89

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. बिहार	2.99	3.475	86.0	3.12	3.475	89.8	3.19	3.579	89.13
9. असम	0.05	0.32	15.6	0.10	0.32	31.3	0.09	0.32	28.12
10. उड़ीसा	0.21	0.22	95.5	0.28	0.22	127.27	0.17	0.40	42.5
11. पश्चिम बंगाल	0.04	0.15	26.7	0.03	0.15	20.0	0.02	0.15	13.33
12. नागालैंड	0.03	0.12	25.0	0.06	0.12	50.0	0.04	0.12	33.33
13. आंध्र प्रदेश	5.30	5.705	92.9	5.44	5.835	93.2	5.07	5.835	86.88
14. कर्नाटक	6.12	7.916	77.3	7.45	7.916	94.1	7.03	8.091	86.88
15. तमिलनाडु	8.13	6.805	119.5	7.85	6.955	112.9	10.04	7.695	130.47
16. पांडिचेरी	0.59	0.34	173.5	0.50	0.34	147.1	0.54	0.34	158.82
17. केरल	0.10	0.22	45.5	0.07	0.22	31.8	0.14	0.22	63.63
18. गोआ	0.08	0.20	40.0	0.09	0.20	45.0	0.08	0.20	40.0
अखिल भारत	85.02	78.564	108.22	91.10	81.214	112.17	87.52	83.02	103.42

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की स्थापना

5268. **श्री भजमन बेहेरा :**

श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल जिलों और जलपुर सब-डिवीजन में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अनेक कार्यालय/उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की स्थापना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है और इनकी स्थापना हेतु मानदंड क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) किसी नए शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए 7500 अथवा उससे अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों की बुनियादी संख्या का होना आवश्यक है। निर्धारित प्रतिमान पूरे होने के बाद ही उड़ीसा के शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी।

होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीकरण

5269. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सकों को होम्योपैथिक, चिकित्सा प्रणाली बोर्ड के पास अपना पंजीकरण करवानी होती है तथा सदस्यता, जिसका निकारण प्रत्येक वर्ष किया जाता है, के लिए आवश्यक शुल्क देना होता है;

(ख) यदि हां, तो 15 जून, 1989 तक इस बोर्ड के रजिस्टर में ऐसे कैश सदस्य कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हाल ही में चुनाव हुए थे;

(घ) यदि हां, तो कब और क्या चुनाव लड़ने वाले और वोट डालने वाले चिकित्सकों में से बहुत ऐसे थे जिन्होंने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं करवाया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस नए गठित बोर्ड को अवैध घोषित करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ से बेदखल किए गए लोगों को स्थल का आवंटन

5270. बाबा सुच्चा सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़, पंचकुला और मौहाली बेदखल किए गए लोगों को स्थल आवंटित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्री की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में खाद्य परिष्करण उद्योग

[हिन्दी]

5271. स० अतिन्दर पाल सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में खाद्य परिष्करण उद्योगों की स्थापना करने की सम्भावना के बारे में कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने भी इस बारे में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भी इस बारे में कोई अध्ययन किया है और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ज) इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार नहीं की है ।

(घ) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी ।

केरल में "नर्सिंग यूनीवर्सिटी" स्थापित करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

5272. श्री टी० बशीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में "नर्सिंग यूनिवर्सिटी" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण पद

5273. श्री एम० सेल्वाराजू : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियमित रूप से स्थानान्तरण होने वाले श्रेणी के पदों की मंजूरी अखिल भारतीय स्तर पर होती है; जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मद्रास क्षेत्र के लिए (क्षेत्र-घ) इन पदों का आवंटन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एल० पी० जी० गोदामों को गिराया जाना

[हिन्दी]

5274. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को पूर्वी दिल्ली के एल० पी० जी० वितरकों के गोदाम और शो-रूम गिराये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें अन्य जगह भूमि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कोई ऐसा गोदाम/शो-रूम नहीं गिराया गया है ।

ऐसे गोदामों/शोरूमों, जो वैकल्पिक स्थल के लिए पात्र हैं, को स्थानान्तरित करने के लिए भूमि के आवंटन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है ।

बिहार में पटसन मिल की स्थापना

5275. श्री रमेन्द्र कुमार यादव रवि : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के मधेपुरा जिले में एक पटसन मिल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पटसन क्षेत्र में परम्परागत पटसन सामान विनिर्माण के लिए देश के भीतर पहले से ही पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। निर्यात तथा स्थानीय बाजारों दोनों में आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन है पटसन क्षेत्र सिंथेटिक से निर्मित प्रतिस्थापनापन्न वस्तुओं के साथ भी कड़ा मुकाबला कर रहा है इस लिए परम्परागत पटसन उत्पादों के विनिर्माण के लिए मधेपुरा जिला सहित देश में नई पटसन मिल स्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तथापि, पटसन क्षेत्र के लिए विविधीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सरकार विविधीकरण उत्पादों के विनिर्माण के लिए एककों की स्थापना हेतु आवेदन-पत्रों पर गुणावगुण आधार पर विचार करने के लिए तैयार है।

पुरानी कपड़ा मिलें

[अनुवाद]

5276. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश कपड़ा मिलें पुरानी पड़ गई हैं;

(ख) देश में कपड़ा मिलों के पुराने उपकरण और मशीनें बदलने तथा मिलों को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उद्योग में स्थापित 68 प्रतिशत तकुए और 82 प्रतिशत करघे 15 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं।

(ख) से (घ) वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 1-8-86 को 750 करोड़ रुपए की राशि से एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की गई है। निधि का एक हिस्सा संवर्धनकर्ता के अंशदान का एक बड़ा भाग (80 प्रतिशत तक) पूरा करने के लिए कमजोर लेकिन अर्थक्षम इकाईयों को विशेष ऋण प्रदान करने हेतु सुरक्षित रखा गया है।

मोतिया खान में खाली पड़ी जमीन

[हिन्दी]

5277. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोल बाग के मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण की खाली पड़ी जमीन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मोतिया खान में दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्वार्टरों के निकट खाली पड़ी जमीन पर बने गोदामों और शैडों का किराया कौन वसूल कर रहा है;

(घ) दो वर्ष पहले कितनी भूमि खाली पड़ी थी और इस समय कितनी भूमि खाली पड़ी है;

(ङ) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने मार्च, 1985 से दिल्ली विकास प्राधिकरण की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है;

(च) सरकारी जमीन के अवैध कब्जाधारियों से किस आधार पर क्षति-राशि वसूली गई है और यहां से कितनी अनधिकृत परिवहन कम्पनियां कार्य कर रही हैं; और

(छ) अवैध कब्जाधारियों से जमीन छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (घ) मोतिया खान—लगभग 5 एकड़ करोल बाग— शून्य।

(ख) करीब 3 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत एक अनधिकृत दखलकार पर हरजाने का मूल्यांकन किया गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मार्च, 1985 से कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(च) हर्जानों का निर्धारण लोक परिसर (अनधिकृत दखलदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। मोतिया खान में पांच अवैध परिवहन कम्पनियां अपना व्यापार चला रही हैं।

(छ) दो मामले न्यायाधीन हैं तथा शेष तीन मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

राजस्थान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

5279. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिया गया है और उन्हें दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन्हें अनुदान देने की कसौटी क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में "मत्स्य सहकारिता के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण" परियोजना को लागू करने के लिए "नेशनल फिशरमेंस कोआपरेटिव लिमिटेड, यूनिट 8, साकेत नई, दिल्ली" को स्वैच्छिक संगठन के लिए मंजूर 10.11 लाख रुपये के कुल परिव्यय में से वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: 3.88 लाख रुपये तथा 1.10 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया। राजस्थान के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को पूरी तरह कवर किया गया है और उदयपुर जिले को आंशिक रूप से कवर किया गया है।

(ख) उन संगठनों/संस्थानों को अनुदान दिए जाते हैं जो सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 अथवा अन्य सोसाइटियों के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जो स्वैच्छिक कार्य कर रहे हैं तथा जो लाभ अर्जन नहीं कर रहे हैं और सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

[अनुवाद]

5280. श्री के० एस० राव : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की वर्तमान राशि कितनी है तथा इसमें कितनी वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(ख) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन का प्रश्न, कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन थीं और इनमें 1-7-1989 से संशोधन किया गया था। समूह क पाठ्यक्रमों जिनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग शामिल है, में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की पुरानी और नई दरें निम्न प्रकार हैं :—

	पुरानी दरें	रुपए में नई दरें
होस्टल में रहने वाले	185	280
दिवस छात्र	100	125

कलकत्ता में चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

5281. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कलकत्ता में एक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कलकत्ता में पहले से ही निम्नलिखित दो अनुसंधान प्रतिष्ठानों को चला रही है :—

1. राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान ।

2. क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

को-आपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को चुनाव कराने की अनिवार्यता पूरी करने हेतु अनुदेश

5282. श्री कमल चौधरी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 30(1) के अन्तर्गत दिल्ली की किसी भी को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को अनिवार्यताएं पूरी करने का अनुदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है और ये अनुदेश किन तारीखों को जारी किये गये थे और उक्त समितियों द्वारा किन-किन तारीख को चुनाव कराये गये थे;

(ग) उन समितियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इन अनुदेशों का उल्लंघन किया और प्रत्येक दोषी समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कुछ ऐसी समितियां भी हैं जिनके खिलाफ उक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण 1 और 2 में दिये गये हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण—I

क्रम सं०	समिति का नाम		मांग पत्र जारी करने की तारीख	चुनाव कराने की तारीख	कार्यवाही
1	2		3	4	5
1.	विजनेस एण्ड प्रोफेशनल वूमेन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०		13-3-87	30-5-87	...
2.	कश्मीरा सहायक	वही	8-1-86	—	18-3-86 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
3.	सी० आई० एस० अधिकारी	वही	1-8-86	18-3-86	—
4.	हिन्दुस्तान टाइम्स	वही	31-3-86	—	14-8-86 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
5.	प्रेस एसोसिएशन	वही	29-4-86	25-5-86	—
6.	सुख बिहार	वही	19-1-87	8-3-87	—
7.	रवीन्द्र	वही	13-3-87	—	3-12-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
8.	बानु बिरादरी	वही	17-11-86	—	23-2-87 को वही]
9.	नव भारत	वही	13-3-87	—	3-12-87 को वही
10.	इलाहाबाद बैंक स्टाफ	वही	21-7-86	16-8-86	—

1	2	3	4	5
11.	नवभारत टाइम्स	वही	19-3-86	—	29-4-86 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
12.	गोल्डेन	वही	1-8-86	24-8-86	—
13.	जीवन आनन्द	वही	17.1-87	—	12-3-86 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
14.	आई० एम० डी० इम्प०	वही	11-6-86	—	28-7-86 को वही
15.	दिल्ली रेल कर्मचारी	वही	22-10-86	23-11-86	—
16.	ईस्ट दिल्ली	वही	13-3-87	5-4-87	—
17.	आवर्स जीवन	वही	13-3-87	—	8-5-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
18.	इण्डियन एक्सप्रेस सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०		5-1-87	—	17-2-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
19.	जीवन बीमा विकास अधिकारी	वही	13-3-87	—	26-5-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
20.	पोन्डरोक	वही	13-3-87	—	1.6-87 वही
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	वही	13-3-87	7-6-87	—
22.	बीमा निगम कर्मचारी	वही	13-3-87	—	8-5-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
23.	सुवर्धन	वही	13-3-87	—	3-6-87 वही
24.	पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट	वही	1-6-87	18-8-87	—
25.	यूनिवर्सिटी टीचर	वही	13-3-87	—	12-5-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
26.	डिफेंस	वही	13-3-87 3-12-87	10-1-88	—

1	2		3	4	5
27.	मार्डन	वही	2-2-87	11-7-87	—
28.	शिवालिक	वही	13-3-87	12-4-87	—
29.	ई० के० जोट	वही	13-3-87 16-9-87	30-8-87	
30.	बैंक ऑफ बड़ौदा	वही	1-8-86	19-10-86	—
31.	एन० डी० एम० सी०	वही	1-8-86	24-6-87	—
32.	कीमेत	वही	3-2-87	1-3-87	—
33.	अजय	वही	13-3-87 4-12-87	23-4-88	—
34.	होम गार्ड्स	वही	13-3-87	17-3-87	—
35.	गुजरावाला	वही	13-3-87	14-5-87	—
36.	लायला	वही	13-3-87	7-4-87	—
37.	बलबीर पार्क	वही	13-3-87	14-6-87	—
38.	मिलन	वही	13-3-87	26-4-87	—
39.	रंगमहल	वही	13-3-87	12-4-87	—
40.	आई० आई० टी० डी० टीचर्स	वही	13-3-87	27.4-87	—
41.	ऋषि	वही	6-8-85	—	धारा 52 के अन्तर्गत नगरपालिका अधिक्रमण
42.	नेहरू सेवा सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०	वही	13-3-87	—	24-4-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया

1	2	3	4	5
43. ओ० एफ० जी०	वही	11-6-86	6-12-87	—
44. नीलगिरि	वही	13-3-87	24-7-83	—
45. लोक सभा सैक्रेटरियेट	वही	13-3-87	27-1-87	—
46. जे० एन० यू०	वही	13-3-87	6-10-87	—
47. ए० पी० एम०	वही	13-3-87	8-8-87	—
48. सूचना	वही	13-3-87	28-9-86	—
49. कलोल	वही	13-3-87	15-11-87	—
50. नवीन	वही	6-8-86	—	30-10-86 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
51. डिप्लोमेटिक मिशन	वही	13-3-87	1-11-87	—
52. अनामिका	वही	13-3-87	12-7-87	—
53. नवसेना	वही	13-3-87	15-2-87	—
54. चौलीचार	वही	13-3-87	28-2-88	—
55. रक्षा विकास	वही	13-3-87	26-4-87	—
56. विन्ध्याचल	वही	13-3-87	14-3-87	—
57. अमरदीप	वही	13-3-87	22-3-87	—
58. लोक निर्माण	वही	15-12-87	2-1-88	—
59. अजन्ता	वही	5-8-86	6-9-86	—
60. प्रामिस	वही	7-8-86	7-9-86	—
61. विकास विहार	वही	13-3-87	4-5-87	—

1 2		3	4	5
62. बंधेच्य	वही	13-3-87	12-4-87	—
63. परमारच	वही	13-3-87	410-87	—
64. उत्तरांचल	वही	13-3-87	16-5-87	—
65. मधुर	वही	10-3-87	4-4-87	—
66. न्यू डेवलपमेंट	वही	13-3-87	14-11-87	—
67. मायाकुरी	वही	13-3-87	5-4-87	—
68. आई० बी० टी०	वही	13-3-87	14-9-87	—
69. गुजरात सरगोदा	वही	13-3-87	9-11-86	—
70. देना सहकारी ग्रुप आवास	वही	13-3-87	12-7-87	—
71. लक्ली	वही	13-3-87	—	4-10-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया
72. सहयोग	वही	13-3-87	13-5-87	
73. निधि	वही	13-3-87	26-8-87	—
74. सागर	वही	13-3-87	19-4-87	—
75. वीर	वही	13-3-87	12-12-87	—
76. विशाल	वही	13-3-87	12-5-87	—
77. स्टार लाइट	वही	13-3-87	—	धारा 63(क) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया ।
78 एयरपोर्ट	वही	13-3-87	14-8-87	—
79. स्वीट होम	वही	13-3-87	27-9-87	—

1	2	3	4	5
80.	चेतना	वही	13-3-87	12-4-87	—
81.	झाक	वही	13-3-87	16-11-87	—
82.	नाइटएंगल	वही	11-9-86	14-9-86	—
83.	न्यू टाउन	वही	13-3-87	10-6-87	—
84.	न्यू गुडविल	वही	10-9-86	22-12-86	—
85.	अमर ज्योति	वही	13-3-87	12-4-87	—
86.	यूनिक	वही	6-8-86	9-8-86	—
87.	एन० डी० एम० सी०	वही	13-3-87	8-5-87	—
88.	अहिंसा	वही	13-3-87	9-10-88	—
89.	बोनस	वही	13-3-87	24-8-88	—
90.	नीरज	वही	13-3-87	20-6-87	—
91.	मयूरध्वज सहकारी सामूहिक आवास समिति	वही	13-3-87	31-5-87	—
92.	मनस्थली	वही	6-8-86	8-8-87	—
93.	इन्द्रप्रस्थ	वही	25-9-86	18-1-87	—
94.	प्रेमकुटीर	वही	21-7-86	18-12-87	—
95.	एकता विहार	वही	13-3-87	21-3-87	—
96.	जनयुग	वही	6-8-86	9-11-86	—
97.	रंग रसायन	वही	13-3-87	6-9-87	—

1	2	3	4	5
98.	संत तुलसी दास	वही	13-3-87	26-4-87	—
99.	सम्राट	वही	13-3-87	—	16-9-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
100.	पुलिस कम्प्यूटर	वही	13-3-87	9-5-87	—
101.	सिल्वर ओक	वही	12-2-87	—	3-8-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
102.	शिखा	वही	5-2-87	24-2-87	—
103.	सरस्वती	वही	13-3-87	—	13-7-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
104.	अनुपम	वही	13-3-87	19-4-87	—
105.	नवीनटाक	वही	13-12-86	—	10-2-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
106.	स्लम एण्ड जे० जे० इम्प०	वही	12-3-87	25-4-87	—
107.	कामधेनु	वही	20-1-87	14-2-87	—
108.	पंजाबी सौदागर	वही	13-3-87	—	4-8-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
109.	विश्वकर्मा	वही	13-3-87	—	13-8-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
110.	बरखा	वही	16-2-87	29-3-87	—
111.	स्वरूप सदन	वही	13-3-87	3-5-87	—

1	2		3	4	5]
112.	नर्मकुंज	वही	12-3-87	19-4-87	—
113.	टी० ए० बी०	वही	14-1-87	24-1-87	—
114.	नव क्रांति सामूहिक सहकारी आवास समिति	वही	13-3-87	12-5-87	—
115.	सरस्वती इंक्लेव	वही	9-4-87	26-7-87	—
116.	मिचला	वही	13-3-88 और 13-12-87	20-11-87	—
117.	नार्दन एण्ड	वही	19-12-86	8-2-87	—
118.	बिजली	वही	15-12-86	19-1-87	—
119.	दूर संचार	वही	18-2-87 और 20-7-87	20-3-88	—
120.	सीताराम	वही	23-2-87	9-4-87	—
121.	मीना	वही	13-?-87	3-5-87	—
122.	नई दिल्ली एपार्टमेंट	वही	18-12-86	30-4-87	—
123.	श्री जोग	वही	19-2-87	27-7-87	—
124.	डी० एस० आई० डी० सी०	वही	19-2-87	—	9-4-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
125.	श्री गणेश	वही	26-2-87	26-7-87	—

1	2	3	4	5
126.	न्यू विन्ध्याचल	वही	9-3-87	—	20-7-87 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
127.	एन० डी० एस० एस० ई०	वही	13-3-87	29-3-87	—
128.	जय त्रिवेणी	वही	13-3-87	—	14-5-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
129.	लक्ष्मी बिहार	वही	3-4-87	16-4-87	—
130.	ओवरसीज यंग एण्ड	वही	19-2-87	11-4-97	—
131.	लेख न्यू	वही	13-3-87	—	30-4-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
132.	नव केतन	वही	13-3-87	25-10-87	—
133.	सिविल लाइन्स	वही	13-3-87	—	9-4-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
134.	पूजा	वही	27-6-86	18-7-86	—
135.	हिन्दन	वही	19-2-77	10-3-87	—
136.	पापुलर	वही	17-2-87	12-9-87	—
137.	दिल्ली राजधानी सहकारी सामूहिक आवास समिति	वही	18-2-87	20-6-87	—
138.	मंगल	वही	19-2-87	19-7-87	—
139.	महेश	वही	3-2-86	3-8-86	—

1	2	3	4	5
140.	मौर्य	वही	25-11-85	29-12-85	—
141.	पुंजाब बिहार	वही	23-9-86	—	2-8-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
142.	साईं	वही	20-8-86	—	फरवरी, 87 वही
143.	न्यू प्रगतिशील	वही	13-3-87	—	26-5-87 वही
144.	ई०एस०आई०सी० फेडस	वही	19-12-85	7-3-86	—
145.	पवित्र	वही	2-1-87	28-3-87	—
146.	न्यू सरस्वती	वही	13-3-87	31-5-87	
147.	रामाकृष्णा	वही	13-3-87	—	13-7-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
148.	मौड	वही	12-3-87	—	14-5-87 वही
149.	एयरफोर्स एण्ड नवल अफीसर्स	वही	12-3-87	—	5-4-87 वही
150.	अरुणोदय	वही	13-3-87	3-7-87	—
151.	इंजीनियर्स	वही	13-3-87	3-4-87	—
152.	एयरमैन एण्ड सेलर	वही	13-3-87	10-5-87	—
153.	प्रिया	वही	13-3-87	24-12-87	—
154.	अबुल फजल	वही	12-3-87	16-6-87	—
155.	संस्कृत नगर	वही	13-3-87	28-3-87	—

1	2	3	4	5
156.	जनसेवक	वही	13-3-87	23-5-87	—
157.	हनुमान मंगला	वही	13-3-87	—	1-2-87 को पहले ही चुनाव किया गया ।
158.	श्री महावीर	वही	13-3-87	23-8-87	—
159.	विक्रांत	वही	13-3-87	—	24-7-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया ।
160.	ज्योति	वही	12-3-87	10-5-87	—
161.	प्रगतिशील नागरिक सहकारी सामूहिक आवास समिति लि०	वही	13-3-87	22-8-87	—
162.	विराट	वही	12-3-87	26-7-87	—
163.	एन० जेड० पी० एच० रेलवेज इम्प०	वही	13-3-87	5-4-87	—
164.	महालक्ष्मी	वही	13-3-87	—	3-12-87 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया ।
165.	कैपिटल	वही	12-3-87	—	3-12-87 वही
166.	शंकर	वही	12-3-87	22-3-87	—
167.	ओखला	वही	13-3-87	26-5-87	—
168.	न्यू मॉडल	वही	14-3-87	11-6-87	—
169.	आक्सफोर्ड	वही	13-3-87	23-6-87	—

1	2		3	4	5
170.	वाटर एण्ड पावर इंजी०	वही	14-3-87	16-6-87	—
171.	सिद्धार्थ	वही	13-3-87	4-6-87	—
172.	वार्डर रोड्स	वही	14-3-87	11-6-87	—
173.	यूको हट्स	वही	13-3-87	17-7-87	—
174.	उपकार	वही	14-3-87	4-6-87	—
175.	प्रशांत	वही	13-3-87	11-5-87	—
176.	न्यू सूर्य किरन	वही	13-3-87	27-12-87	—
177.	दिल्ली प्रदेश	वही	13-3-87	12-7-87	—
178.	नव कुंज	वही	13-3-87	19-7-87	—
179.	बेना	वही	13-3-87	9-8-87	—

विवरण-2

वर्ष 1983 के पश्चात् की समितियां

क्र० सं०	समिति का नाम	मांग पत्र जारी करने की तारीख	चुनाव की तारीख (यदि हुआ है) अथवा नहीं हुआ है	चुनाव में होने की स्थिति में की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	एच० एम० एस० इम्प०	26-11-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
2.	श्रेया	3-4-87	21-7-86	—
3.	रोजि	15-12-86	20-4-87	—
4.	बी० टी० पी० एस०	27-1-86	27-12-85	—
5.	राष्ट्रपति भवन	3-4-87	22-3-87	—
6.	वैन्सन	1-1-87	28-12-87	—
7.	चिनार	16-1-86	1-9-85	—
8.	हैपी फ्रैंड्स	19-12-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
9.	श्री सेनमुनंचा	17-12-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

1 2	3	4	5
10. खाखी	2-4-87	25-12-88	—
11. जय कल्याण	24-11-86	2-7-88	—
12. जय श्री	12-11-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
13. हॉस्पीटल इम्प०	16-12-86	18-12-88	—
14. रवि शंकर	3-11-87	2-10-88	—
15. चोपड़ा	22-10-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
16. जय निर्माण	24-11-86	12-7-86	
17. इंक्योरेंस इम्प०	18-12-86	9-1-87	
18. रसायन व्यापारी	3-4-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
19. ब्रीज्ज	18-12-86	25-12-88	
20. एयर लाइनर	3-4-87	16-1-88	
21. जीवन विहार	2[illegible]-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
22. लार्ड बालाजी	26-11-86	—	वही
23. खपू हाउस	6-11-86	12-1-87	—
24. वैल बिल्ड	21-10-86	1-12-86	
25. बैंक लवन	27-1-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
26. निर्यात विहार	30-4-87	—	वही
27. भारतीय अमन	27-11-86	11-1-87	
28. भाखड़ा	27-1-86	23-2-86	

1 2	3	4	5
29. मोहन	3-4-87	12-7-87	
30. सतिसर	17-11-87	29-12-87	
31. अपनी	3-4-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
32. वन विहार	25-11-86	—	वही
33. खण्डेलवाल	3-4-87	6-11-87	
34. हिमाचल छोती घर	20-11-86	27-12-87	
35. नव संजीवनी	24-11-86	8-8-87	
36. सप्तऋषि	31-3-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
37. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस	11-1-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
38. संजय गांधी	29-6-87	—	वही
39. मॉडिस्ट केतकी	28-4-86	10-4-88	
40. होली फेमिली हॉस्पीटल	26-4-86	16-7-87	
41. सरुणा	28-12-87	19-4-87	
42. प्राइड	28-12-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
43. अप्पू एनक्लेव	28-12-87	—	वही
44. जीवनतारा	28-11-86	29-12-86	
45. मनीषा	22-12-87	5-6-88	
46. सर छोटू राम	28-10-86	16-11-86	
47. चिरंजी एण्ड जगदीश	3-10-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया

1	2	3	4	5
48.	शहीद भगतसिंह मैम०	10-2-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया
49.	मेन एनक्लेव	28-12-87	—	वही
50.	एडमिरल	30-11-87	—	वही
51.	बाबा दीप सिंह	27-1-87	—	वही
52.	छोटो किन	17-12-86	8-8-87	
53.	क्रिस्त	24-11-86	12-1-87	
54.	लवुन	22-12-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
55.	ए० पी० एम० ए०	27-11-86	22-3-87	
56.	खिड़ी बाबा	28-12-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
57.	संस्कृति	17-12-86	—	वही
58.	आई० सी० एम० आर० इम्प०	19-12-86	—	वही
59.	महाशक्ति	12-12-86	—	वही
60.	आई० बी० पी० इम्प०	16-2-87	18-2-87	
61.	दिवाकर	15-12-86	25-1-87	
62.	अष्टमजी	7-11-86	24-3-87	
63.	सिंह बैल	17-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
64.	दीपांकर	30-1-86	—	वही
65.	भंग इदर्स	1-2-86	—	वही
66.	कहकशां	25-11-86	—	वही

1	2	3	4	5
67.	बेनजीर	27-1-86	—	वही
68.	समाज उत्थान	24-11-86	—	वही
69.	शिव भोला	2-4-87	31-5-87	
70.	वसुंधरा	1-12-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
71.	टैनेंट्स	15-12-86	—	वही
72.	वैलकम ग्रुप	21-10-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
73.	बिजनौरी	3-4-87	31-5-87	
74.	नन्दा	27-1-86	11-1-87	
75.	भवाना	24-11-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
76.	खोसला	3-4-87	18-2-87	—
77.	गौतम	3-4-87	24-8-86	—
78.	क्रिसेन्ट	1-3-87	18-3-87	
79.	मिस्टर निवास	1-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
80.	पार्वती	5-2-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
81.	कमल	25-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
82.	बहू	27-1-86	—	वही
83.	बी० एच० ई० एल० कर्मचारी	11-2-87	13-3-87	
84.	अबंने	28-12-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
85.	मीमेंट कान्ट०	16-2-87	14-10-87	

1	2	3	4	5
86.	विदेश विहार	29-12-87	15-9-86	—
87.	पेनोरमा	6-2-87	—	चुनाव अधिकारी निपुक्त किया गया
88.	बैकुण्ठ	16-2-87	—	वही
89.	आकाश	8-4-87	7-6-87	
90.	अंजलि कोमैल	1-12-86	—	वही
91.	हयात नगर	25-11-86	20-7-86	—
92.	अंबिल	31-3-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
93.	योग्य ज्योति	1-4-87	25-10-87	
94.	वेस्को	3-4-87	20-5-87	
95.	आस्के	3-4-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
96.	ईस्टओरिएन्ट	14-10-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
97.	राज	12-12-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
98.	ग्रैंड मैनुफैक्चरर्स	3-4-87	25-1-87	—
99.	हरबन्स लाल	26-11-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
100.	संजय विकास	28-12-87	7-8-88	
101.	नव बैंजामिनी	17-11-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
102.	बेलुर	27-1-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
103.	संजय गांधी	28-10-86	3-1-87	
104.	मनटोला	12-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

1	2	3	4	5
105.	अमन अपार्टमेंट्स	25-2-86	—	वही
106.	महाराजा सैनी	15-10-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
107.	कसोर	6-11-86	—	वही
108.	मनोकामना	29-8-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
109.	श्री गुरु गोबिन्द सिंह	3-4-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
110.	न्यू स्काई	27-1-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
111.	जे० एम० अलमोनी	24-1-86	—	वही
112.	शिवाजा	28-12-87	30-12-87	
113.	नवल भाई	1-12-86	27-6-86	
114.	एच० सी० आई०	17-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
115.	लीवेक्स	26-11-86	—	वही
116.	क्रान्तिकारी	26-11-86	—	वही
117.	न्यू रावलपिंडी	16-11-86	24-5-87	
118.	सुगन्ध	3-4-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
119.	रेल विहार	31-3-87	21-2-87	—
120.	रस्तोगी	3-4-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
121.	कबीर ज्योति	26-11-86	1-5-88	
122.	पार्क एवेन्यू	16-7-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
123.	सपन श्रीक	15-12-87	25-1-88	

1	2	3	4	5
124.	लैदर मर्चेन्टस	26-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
125.	चम्बका	30-1-86	30-11-86	
126.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंजीनियर्स एण्ड एसोसिएशन	30-3-87	6-11-87	
127.	श्री बाहुबली	31-3-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
128.	दीप एण्ड दीप	30-3-87	—	वही
129.	भगवान महावीर	31-3-87	15-6-87	
130.	खेरावाली	12-2-87	7-3-88	
131.	कंसट्रक्शन एम्प्लाइज	30-11-87	23-5-87	
132.	सी० वी० एस० ई० एम्प्लाइज	31-3-87	4-3-87	
133.	नव सहयोग	11-12-87	12-7-87	
134.	प्रत्यक्षकर	30-3-87	26-[illegible]-87	
135.	बचरंग	9-12-86	27-9-87	
136.	नीलाचारी विहार	15-10-86	9-4-87	
137.	श्रीकृष्ण	11-11-86	20-2-86	—
138.	राजेन्द्र प्रसार	26-9-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
139.	रैन बक्सी एम्प्लाइज	7-10-86	27-6-88	
140.	नव भारतीय	31-8-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
141.	आंध्र बैंक एम्प्लाइज	31-3-86	9-1-88	—

1	2	3	4	5
142.	एम०एम०टी०सी० एम्प्लाइज	26-11-86	16-11-86	—
143.	पेपर ट्रेडर्स	14-8-87	30-12-87	—
144.	लेडी एक्ज्यूक्युटिव	14-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
145.	जीवन दीप	30-9-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
146.	चाणक्य	21-10-86	6-5-87	
147.	एस० टी० सी०	17-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
148.	कल्याण	13-3-87	—	वही
149.	नेशनल	15-10-86	—	वही
150.	आई० ई० एस० आफीसर	3-4-87	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
151.	भैरव भारती	27-1-86	2-3-86	
152.	हेमकुंट	26-4-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
153.	हजरत अमीर खुसरो	18-12-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
154.	गृह मन्त्रालय	4-11-86	16-1-87	
155.	भारतीय इंडस० एम्प्लाइज	30-9-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
156.	हनी मैन एम्पलेब	26-11-86	—	वही
157.	सैंफो	3-4-87	—	वही
158.	बंकन	16-1-86	—	वही
159.	बाल भवन	27-1-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
160.	होटल ओबराय	16-12-87	21-8-86	

1	2	3	4	5
161.	फिलिप्स	16-2-87	15-4-87	
162.	न्यू पूडेन्सियल	17-9-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
163.	परम पवित्र	3-4-87	26-4-87	
164.	हिलान्स	4-11-87	4-10-87	
165.	सभा अपार्टमेंटस	3-4-87	8-3-87	
166.	इलेक्शन कमीशन	3-4-87	25-2-87	
167.	आर्कीटेक्ट	2-7-87	12-4-87	—
168.	अभिनन्दन	27-1-86	22-2-86	—
169.	अतेल	3-4-87	4-4-87	—
170	सुखी परिवार	17-12-86	17-10-86	—
171.	गगन	19-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
172.	एयर फ्रेट्स	3-4-87	21-12-86	—
173.	बिरुदावा गार्डन	3-4-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
174.	अनुप्रिया	3-4-87	22-5-87	—
175.	लिज्जा	24-3-87	27-5-87	—
176	डोन बोस्को	24-8-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
177.	जवाहरलाल	28-8-86	22-9-86	—
178.	नेहरू विहार	3-4-87	17-7-86	—
179.	कल्पाका	6-11-86	21-4-86	—

1	2	3	4
180. मंजुला	12-11-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
181. शान्तम	28-11-87	22-2-87	—
182. सहयादी	3-4-87	25-1-87	—
183. जयवीर	11-3-87	11-7-87	—
184. एच० सी० एल० ऑफीससं	26-11-86	19-10-86	—
185. डल्लसा	11-3-87	5-3-87	—
186. इंडियन एयर लाइंस	26-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
187. कमल दीप	23-6-87	—	वही
188. चितरंजन	3-4-87	18-1-87	—
188. मुफ्ती-ए-आजम	11-3-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
190. महर्षि दयानन्द	15-10-86	11-1-87	—
191. साई एनक्लेव	11-3-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
192. गरिमा	18-12-87	—	वही
193. नव गीत	15-10-86	—	वही
194. ग्रीन व्यू	11-3-87	5-3-87	—
195. परम पुनीत	11-3-87	3-4-88	—
196. रूप संयम	26-11-86	—	चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
197. न्यू कास्मो पोलि०	12-12-86	25-5-86	—

1	2	3	4	5
198.	दिल्ली टेलीफून	5-2-87	3-4-87	—
199.	होम लिविंग	26-11-87	17-1-87	—
200.	न्यू कालकाजी	11-2-87	29-3-87	—
201.	जय भवानी	11-3-87	12-6-87	—
202.	कटरा ईश्वर भवन	25-11-86	25-8-86	—
203.	करुणा विहार	23-12-87	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
204.	गीतांजलि विहार	11-3-87	26-6-88	—
205.	माडर्न नव जीवन	16-2-87	29-3-87	—
206.	निशात बाग	11-2-87	21-3-87	—
207.	आम ग्रह	18-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
208.	उपग्रह	18-2-86	—	वही
209.	सुमित विहार	12-1-87	—	वही
210.	बुद्धिजीवी	27-1-86	—	वही
211.	कौटिल्य	7-10-86	—	चुनाव अधि० नियुक्त किया गया
212.	मधिलिका	25-11-86	—	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
213.	न्यू हंस ध्वनि	29-9-86	—	वही
214.	उपासना	2-4-87	5	वही
215.	मजिधारी	31-12-86	—	वही
216.	राधिका कुंज	12-12-86	—	वही
217.	अपना निवास	24-9-86	—	वही
218.	नहाटा	12-10-87	—	वही
219.	प्लेनेट	11-3-87	26-5-87	
220.	सावरिया	3-4-87	16-11-87	

विदेशी कम्पनी द्वारा मेरी डियन होटल का निर्माण

[हिन्दी]

5283. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मेरीडियन होटल का निर्माण किसी विदेशी कम्पनी द्वारा एक भारतीय फर्म के सहयोग से किया गया था;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली की उक्त फर्म एक जाली फर्म निकली;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा ब्यौरा है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी का उत्पादन, खपत तथा आयात

[अनुवाद]

5284. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन प्रतिव्यक्ति खपत तथा आवश्यक आयात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) फरवरी, 1988, 1989, अक्तूबर, 1989 में और फरवरी, 1990 में चीनी का औसत मूल्य कितना था;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में किसानों को गन्ने की कितनी बकाया-राशि का भुगतान किया जाना था;

(घ) गन्ने की बकाया-राशि का भुगतान करने, चीनी की कमी को दूर करने तथा चीनी के मूल्य को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए कौन-सी नई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(ङ) इस नई कार्य-योजना की यदि कोई कार्यप्रणाली है, तो वह क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) अपेक्षित सूचना *नीचे दी गई है :—

*चीनी वर्ष (अक्तूबर से सितम्बर)	उत्पादन (लाख मीटरी टन)	आयात (लाख मीटरी टन)	आन्तरिक खपत (लाख माटरी टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता किलो/प्रति वर्ष
1986-87	85.02	9.51	85.75	11.4
1987-88	91.19	0.71	93.33	11.7
1988-89 (अनन्तिम)	87.52	—	99.19	12.1
1989-90 (31-3-90 तक)	81.69	2.42	49.61	—

(ख) दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की पांच प्रमुख मंडियों में चीनी के खुदरा मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :—

वर्ष	खुदरा मूल्यों का रेंज (रु०/किलो)
फरवरी, 1988	रुपये 6.25 से 6 90
फरवरी, 1989	रुपये 6.20 से 7.50
अक्तूबर, 1989	रुपये 8.70 से 10.50
फरवरी, 1990	रुपये 8.00 से 9.10

(ग) वर्तमान मौसम और पूर्व के मौसमों के दौरान 15 मार्च को स्थिति के अनुसार गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि निम्ननुसार है :—

(करोड़ रुपये में)

मौसम	निम्न तारीख को स्थिति	देय कुल मूल्य	अदा किया गया कुल मूल्य	बकाया	बकाया राशि की प्रतिशतता
1989-90	15-3-90	2339.01	2052.34	286.67	12.3
1988-89	15-3-89	1669.81	1474.10	195.71	11.7
1987-88	15-3-88	1537.34	1349.61	187.73	12.2
1986-87	15-3-87	1369.68	1215.52	154.16	11.3

(घ) और (ङ) सरकार ने इस संबंध में पहले ही कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय शुरू किए हैं। ये उपाय निम्नानुसार हैं :—

(1) राज्य सरकारों/मुख्य मन्त्रियों को सलाह दी गई है कि वे गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का तत्परता से भुगतान सुनिश्चित करें।

(2) 1989-90 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 19.50 रुपये से बढ़ाकर 22.00 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(3) 1990-91 के लिए गन्ने के 23.00 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पेशगी घोषणा कर दी गई है।

(4) वर्तमान मौसम 1989-90 के लिए जल्दी पिराई शुरू करने और देर तक पिराई करते रहने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को अतिरिक्त मुक्त बिक्री के कोटे के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना।

(5) जिन चीनी फैक्ट्रियों से राज्य सरकार के आदेशों पर अपने आरक्षित क्षेत्र से बाहर गन्ने दुलाई करने की अपेक्षा की जाती है उन्हें अतिरिक्त मुक्त बिक्री के कोटे के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना।

(6) नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान क्षमताओं में विस्तार करने के लिए पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करना।

(7) चीनी फैक्ट्रियों के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार-एवं-आधुनिकीकरण करने के लिए चीनी विकास निधि से आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(8) नई फैक्ट्रियों तथा उन फैक्ट्रियों, जो न्यूनतम लाभकारी आकार अर्थात 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार करती हैं, के लिए प्रोत्साहन योजना।

(9) चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियों के जरिये चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जा रही है।

अल्पसंख्यक आयोग को मानवाधिकार आयोग में परिवर्तित करना

5285. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग को मानवाधिकार आयोग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रुई का निर्यात

5286. **श्री कावन्दुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 सत्र के दौरान कितनी कपास होने का अनुमान है;

(ख) क्या रुई का निर्यात, रुई के तार (स्टैपल) की लम्बाई पर आधारित है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम द्वारा रुई की जे-34 किस्म का निर्यात किया गया था;

(घ) यदि हां, तो निर्यात किस दर पर किया गया था; और

(ङ) निर्यात नीति से कपास उत्पादकों को पिछले वर्ष की तुलना में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में कहां तक सहायता मिली है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) रुई सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1989-90 रुई मौसम के दौरान रुई की 122.00 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया है। वर्ष 1990-91 मौसम के लिए अभी अनुमान नहीं लगाया है।

(ख) रुई का निर्यात कोटा फाइबर की स्टेपल लम्बाई अर्थात् 24.5 एम एम से ऊपर 28.0 एम एम से ऊपर, 34.5 एम एम से ऊपर आदि के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। सी सी आई ने अभी तक 142.20 अमरीकी सेंट प्रति कि० ग्राम एफ ओ बी से लेकर 160.94 अमरीकी सेंट प्रति कि० ग्रा० एफ ओ बी तक की कीमत पर चालू कई मौसम के दौरान जे-34 काटन की 1.49 लाख गांठों के निर्यात के लिए ठेके पंजीकृत किए हैं।

(ङ) निर्यात कोटाओं को रिलीज करने से कपास कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिली है जोकि पिछले मौसम की कीमतों से ही नीचे चली गई थीं। वह अब वर्ष 1989-90 के पूरे मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन कीमतों से ऊपर बनी रहीं। न्यूनकम समर्थन कीमतें लाभकारी मानी जाती हैं क्योंकि वे अन्तर्निविष्टियों की लागत कवर करने के लिए किसानों को समुचित आय प्रदान करती हैं।

नर्मदा और सरदार सरोवर परियोजनाएं

[हिन्दी]

5287. श्री राम अवध :

डा० बंगाली सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1990 के "जनसत्ता" हिन्दी दैनिक में "नर्मदा व सरदार सरोवर के बजाय छोटे प्रोजेक्ट शुरू करने की अपील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) से (ङ) 113.5 मिलियन हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए देश में बृहद तथा लघु दोनों सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक सतही सिंचाई विकास की आवश्यकता है हाइड्रोलिक संरचनाओं के आकार की उपयुक्तता बहुत सी बातों से निर्धारित की जाती है, जैसे जल विज्ञान, स्थलाकृति, भौगोलिक स्थितियों, जल की मांग, पर्यावणिक महत्व तथा परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थान संबंधी निर्णय। परियोजना को कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत करने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

संसद मार्ग, नई दिल्ली का नाम बदलना

[अनुवाद]

5288. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री वी० कृष्ण राव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संगठनों ने संसद मार्ग, नई दिल्ली का नाम बदलकर चौधरी चरन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरदार सरोवर परियोजना पर खर्च हुई धनराशि

5289. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और वर्ष 1990-91 के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए विदेशों से कोई सहायता ली जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सरदार सरोवर परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 6406.04 करोड़ रुपए है और वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 364.76 करोड़ रुपए है जिसमें अन्य तीन सम्बन्धित राज्यों का हिस्सा शामिल है ।

(ख) और (ग) जी हां । विद्युत गृह के टरबाइनों हेतु 450 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक दल से तथा 2850 मिलियन येन तक की ओ०ई०सी०एफ० सहायता प्राप्त हुई है ।

मध्य प्रदेश की कंलो नदी परियोजना

[हिन्दी]

5290. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रायगढ़ में कंलो नदी परियोजना पर निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ हुआ था;

(ख) इसका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस परियोजना पर प्रारम्भ में कितनी लागत आने का अनुमान था और अब इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सातवीं योजना के दौरान इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया गया । यह अनुमोदित परियोजना नहीं है ।

(ख) आठवीं योजना के विवरणों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य की आठवीं योजना में यह परियोजना किस सीमा तक शामिल की जाएगी ।

(ग) मई, 1988 में केन्द्र को भेजी गई परियोजना रिपोर्ट में 57.88 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया था । राज्य द्वारा सूचित अद्यतन अनुमानित लागत 67.60 करोड़ रुपए है ।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए कार्य-योजना

[अनुवाद]

5291. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अधिकांश ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति में शीघ्र सुधार लाने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने का विचार है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें ग्रामीण वर्ग के हित में पूंजी निवेश को पुनः व्यवस्थित करना और संसाधनों का आवंटन शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इससे ग्रामीण निर्धनों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को किस हद तक लाभ मिलेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए एक निगरानी कक्ष स्थापित करने का है; यदि हां, तो इस कक्ष की संरचना क्या होगी ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की सहायता से अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार का ग्रामीण श्रमिकों को काम के अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के स्रोतों में प्रगतिशील वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है।

(ग) चूंकि, ग्रामीण भूमिहीन लोग अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होते हैं, यह आशा की जाती है कि आरम्भ किए गए इन कार्यक्रमों में सभी ग्रामीण गरीब अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल होंगी।

(घ) रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से विभिन्न योजनाओं का मानीटर किया जा रहा है।

अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक साहित्य की चोरी

5292. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक साहित्य की चोरी किए जाने की अनेक घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस बारे में कोई दिशा निदेश जारी किए हैं; और यदि हां, तो जारी किए गए दिशा निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक साहित्य की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं में चोरी की समस्याओं की जानकारी है। वैसे, देश में चोरी की व्यापकता का आकलन करना कठिन है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों के ध्यान में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम-3 को लाया गया है। इस परिषद ने आगे बताया है कि चोरी, धोखा, आंकड़ों को मनचाहे ढंग से तैयार करना आदि आचरण नियमों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इससे कर्तव्य के प्रति निष्ठा का अभाव और ऐसा कार्य जो सरकारी कर्मचारी को शोभा नहीं देता, माना जाता है। इसके पश्चात् किसी भी वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कदाचार का दोषी पाए जाने पर सरकारी कर्मचारी द्वारा अशोभनीय कार्य करने और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी के लिए कार्रवाई की जाएगी। आचरण नियमों के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय :

1. पूर्ण निष्ठा बनाए रखनी होती है।
2. कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी होती है, और
3. कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।

तमिलनाडु में चीनी मिल स्थापित करना

5293. **श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) ऐसी चीनी मिलों की वार्षिक क्षमता क्या होगी और उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1986-87 से 1988-89 के दौरान तमिलनाडु राज्य से नई चीनी फैक्टियां स्थापित करने के लिए लाईसेंस प्रदान करने हेतु 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय पत्र

वर्ष 1986-87

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	फैक्ट्री का स्थान	गन्ने की दैनिक पिराई क्षमता (टी०सी०डी०)	चीनी उत्पादन की वार्षिक क्षमता (लाख मीटरी टन)
1	2	3	4	5
1.	धरानी शुगर एण्ड केमिकल्स लि०, संख्या 1, बीनस कालोनी, सैकन्ड स्ट्रीट, अलवरपेट, मद्रास-600018	तालु० शिवगिरी जिला तिरुनेलवली	2500	0.393

1	2	3	4	5
2.	शक्ति शुगर्स लि०, 180, रेसकोर्स रोड, कोयम्बतूर-641018	तालु० शिवगंगा, जिला पसुम्पन मथुरामलिंगम	2500	—वही—
3.	थिरु अरुणान शुगर्स लि०, 112, नुन्गमबक्कम हाई रोड, एल्डोरेडो, पांचवीं मंजिल, मद्रास-600034	कबिस्तालम फिरका, तालु० पापनासम, जिला थंजावुर	2500	—वही—
4.	राजश्री शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि०, 4/387, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641037	तह० पेरियाकुलम जिला मदुरै	2500	—वही—
		वर्ष 1987-88		
5.	मै० तमिलनाडु कोआप० शुगर फेडरेशन लि०, 2, महाराजा सूर्य रोड, अलवरपेट, मद्रास-600018	तह० हरूर जिला धर्मपुरी	2500	—वही—
6.	मै० तमिलनाडु कोआप० शुगर फेडरेशन लि०, 2, महाराजा सूर्य रोड, अलवरपेट, मद्रास-18	सेठीठोपे, तह० चिदम्बरम, जिला दक्षिणी अरकाट	2500	0.393
7.	मै० तमिलनाडु कोआप० शुगर फेडरेशन, संख्या 2, महाराजा सूर्य रोड, अलवरपेट, मद्रास-600018	तह० चेय्यार वांडीवाश, जिला उत्तरी अरकाट	2500	—वही—
8.	—वही—	तह० अरनथांगी जिला पुडुकु-कोट्टई	2500	—वही—
9.	मै० पोडी शुगर्स लि०, हाउस आफ पोडी सं० 1, बल्लम रोड, थंजावुर	बलंगईमन फिरका, तह० बलंगईमन, जिला थंजावुर	2500	—वही—
		वर्ष 1988-89		

"शून्य"

गलकुंड पर मिट्टी रोक बांध का निर्माण

5294. श्री प्रकाश कोको झा भट्ट :

श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गलकुंड पर एक मिट्टी रोक बांध का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को यह कब भेजा गया था;

(घ) इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(च) इसे कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी हां।

(ख) जबकि स्कीम को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है फिर भी डांग्स जिले के 7 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए शेगु नदी के ऊपर चैक बांध के निर्माण हेतु आरक्षित वन के 1.58 हेक्टे० को निर्मुक्त करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी केन्द्र में प्राप्त हुआ है।

(ग) दिसम्बर, 1988

(घ) से (च) जांच के पश्चात अप्रैल, 1990 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी है।

दादर और नगर हवेली में चीनी मिलें

5295. श्री डी० बी० शिंगडा :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एन० राकेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सायली, दादर और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चीनी मिलों के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) दादर और नगर हवेली जिले में तहसील सिलवासा में स्थित सयाली में 2500 टी० सी० डी० की एक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 29-3-1988 को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ग) आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान कर देने के बाद एक चीनी फैक्ट्री स्थापित करने में 3-4 वर्ष का समय लग जाता है।

किछाऊ बांध का निर्माण

[हिन्दी]

5296. **श्री राम लाल राही :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का जमना परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए किछाऊ बांध बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) इस बांध का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने 2.11 लाख हेक्टयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करने के लिए 600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की किछाऊ बहुप्रयोजनी बांध परियोजना तैयार की है। बाढ़ संरक्षण और पेयजल आपूर्ति घटकों को शामिल करने हेतु राज्य सरकार से परियोजना को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। परियोजना अभी अनुमोदित नहीं हुई है। आठवीं योजना के प्रस्तावों का भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की "बाई" अनुसूची

[अनुवाद]

5297. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की "बाई" अनुसूची का लघु फार्मास्यूटिकल फार्म्यूलेटरों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या अनुसूची "बाई" के कारण अन्ततोगत्वा बहुराष्ट्रिक फार्म्यूलेटरों का बाजार में एकाधिकार हो जाना सम्भव है; और

(ग) यदि हां, तो औषधियों के मूल्य निर्धारण तथा देश में नई औषधियां बनाने पर अनुसूची 'बाई' के उपबन्धों का समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'बाई' को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े और लघु स्तर के कम्पनियों द्वारा तैयार किए गए सम्पाक, इस पद्धति में सुरक्षित, कारगर, और जीवविज्ञानी रूप से उपलब्ध हैं। दूसरा उद्देश्य पूरे देश में गुणवत्ता वाली नई औषधों के भी निर्माण और विपणन में उनकी प्रमाणित सुरक्षा, प्रभावकारिता, और जैव उपलब्धता के सबन्ध में एकरूपता लाना भी था। अनुसूची "बाई" में दिए गए प्रभावकारिता और सुरक्षा के मापदण्ड फार्मास्यूटिकल यूनिट की किसी एक श्रेणी को दूसरी से अलग नहीं करते हैं और इस प्रकार फार्मास्यूटिकल विपणन में किसी एकाधिकार पद्धति को बढ़ावा नहीं देते हैं।

अनुसूची "बाई" का औषधों के मूल्य निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं है और मूल्यों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

दिल्ली में "स्काई ट्रेन" शुरू करने सम्बन्धी योजना

5298. **श्री पी० एम० सईद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में परिवहन की भारी समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा दिल्ली में "स्काई ट्रेन" अथवा "सब-वे" मेट्रो योजना शुरू करने पर कभी विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे लागू करने में देरी के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में सड़क परिवहन के विकल्प के रूप में ऐसी परिवहन व्यवस्था प्रदान करने की योजना पर शीघ्रता से विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सीधा, प्रौद्योगिकी और सम्बद्ध मामलों के विशिष्ट संदर्भों में दिल्ली के लिए एक उपयुक्त द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए विकल्प सुझाने के लिए समय-समय पर कई अध्ययन किए गए हैं। एक—डी० ए०एच०एल०, भूमिगत रेलवे और इसी प्रकार की प्रणालियों पर विचार करने के लिए कई सुझाव थे। दिल्ली के लिए एक उपयुक्त बहुरूपात्मक एकीकृत नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली के लिए द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड (आई० आई० टी० ई० एस०) को सौंपा गया है। यह रिपोर्ट, मई, 1990 तक प्राप्त होनी है।

दिल्ली में औषधालय

5299. **श्री राम जी लाल सुमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धति के औषधालयों की संख्या एलोपैथिक औषधालयों की संख्या की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति के कितने औषधालय खोले गए हैं और ये कहां-कहां खोले गये हैं; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान राजधानी में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति के कितने औषधालय खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में 1954 में एलोपैथिक औषधालय खोलकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू

की गई। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की मांग पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक पद्धति भी नीचे दिए अनुसार समय-समय पर शुरू की गई :—

पद्धति का नाम	शुरू करने की तारीख
आयुर्वेदिक	1963
होम्योपैथी	1967-68
यूनानी	1974-75
सिद्ध	1980-81

चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक पद्धति बाद में शुरू की गई, इसलिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में इन पद्धतियों की सेवा संस्थाओं की संख्या कम है।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

पद्धति का नाम	खोली गई यूनिटों की संख्या	स्थान
(I) आयुर्वेदिक यूनिट	1	पश्चिम विहार
(II) यूनानी यूनिट	1	साउथ एवेन्यू
(III) होम्योपैथिक यूनिट	2	दक्षिणपुरी, आर० के० पुरम

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के परिव्ययों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

नेत्रदान

5300. श्री वी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेत्रदान से 80 लाख नेत्रहीन व्यक्तियों में से 20 लाख व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने मृत्युपरांत नेत्रदान की शपथ ली है;

(ग) क्या इस कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) ताजा सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में 11 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्तियों में से 2 लाख व्यक्ति उनकी कार्निया क्षतिग्रस्त होने के कारण दृष्टिहीन हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग 2 लाख लोगों ने अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्रदान देने की प्रतिज्ञान की है। राज्यवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने नेत्र बैंक स्थापित किए हैं। भारत सरकार 1.40 लाख रुपये का अनुदान देती है। जिसमें से 1.25 लाख रुपये एकमुश्त सहायता (अनावर्ती) होती है और 0.15 लाख रुपये आवर्ती सहायता होती है।

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर का अनुसंधान तथा विकास कार्य

[हिन्दी]

5301. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर द्वारा आयुर्वेदिक के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण अविष्कार क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्थान की प्रगति देखी है तथा संस्थान का निरीक्षण किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर मुख्यतया एक शिक्षण संस्थान है और स्नातकोत्तर और पोस्ट डाक्टरल शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों सहित अनुसंधान कार्य चला रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा 1986-87 से लेकर 1988-89 के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में चलाए गए कुछ अनुसंधान अध्ययनों का ब्योरा इस प्रकार है :—

1. "सर्पिगुदा" के उपयोग से आयु संबंधी विकारों की रोकथाम।
2. "हृदयानन्दसा" और हरित्यकी चूर्ण से हृद-धमनी संबंधी रोग की रोकथाम।
3. उच्च रक्त दाब में "रसों गुग्गुलू" का प्रभाव।
4. चिरकालिक हृदपात में बैन पालान्डु का प्रभाव।
5. मधुमेह में "पलंदुबीज" का प्रभाव।
6. अजित-शिवत्र में वाचा, चित्रक, कासीज का प्रभाव।
7. ह्रद यमल परद कल्प की एक ऐतिहासिक साहित्यिक खोज—प्राचीन पुस्तक।
8. अजित शिवत्र में उदय आदित्य रस का प्रभाव।
9. कृच्छ्रार्तव में "सोनितरगला रस" का प्रभाव।
10. अभीवातरुग्णता में वरिहान्नायिका का प्रभाव :

(ख) और (ग) यह एक स्वायत्त निकाय है और इसके वैज्ञानिक कार्य की प्रगति का मूल्यांकन वैज्ञानिक परामर्शी समिति और शासी निकाय द्वारा किया जाता है। इस संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है।

जिगर की बीमारी के मामलों में वृद्धि

[अनुवाद]

5302. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जिगर की घातक बीमारी से प्रभावित हैं जैसाकि जयपुर में एक प्रमुख अस्पताल में चिकित्सा रिकार्ड की जांच से पता लगा है;

(ख) क्या सरकार का पूरे देश में अन्य सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की जांच करने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

लघु क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5303. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्री कल्पनाथ राय : क्या **खाद्य प्रसंस्करण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा किन वस्तुओं का उत्पादन तथा विपणन किया जाता है;

(ख) लघु क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इनके द्वारा अब तक उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक हैं तथा ये केवल ऊपरी मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) केवल लघु क्षेत्र में ही विकसित किए जाने के लिए इस समय खाद्य तथा संबद्ध उद्योगों की 19 मदें सरकार द्वारा आरक्षित हैं, जिसके विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकार लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएं दे रही हैं, जैसे कि वित्तकोषीय प्रोत्साहन, जो लघु क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी उपलब्ध हैं ।

(ग) और (घ) लघु क्षेत्र द्वारा निर्मित खाद्य उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और ये समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

विवरण

केवल लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए आरक्षित खाद्य तथा संबंद्ध उद्योगों की मदों की सूची

क्र० सं०	उत्पाद का नाम
1.	आईस क्रीम
2.	अचार एवं चटनियां
3.	सिरका
4.	चावल की पिसाई
5.	दाल की पिसाई
6.	ब्रैड
7.	बिस्कुट
8.	पेस्ट्री
9.	मीठी वस्तुएं (चाकलेट, टाफी तथा च्युइंग-गम के अतिरिक्त)
10.	रेपसीड आयल, सोल्वेंट निकाले हुए तेल को छोड़कर
11.	सरलों का तेल, सोल्वेंट निकाले हुए तेल को छोड़कर
12.	तिल्ली का तेल, सोल्वेंट निकाले हुए तेल को छोड़कर
13.	मूंगफली का तेल, सोल्वेंट निकाले हुए तेल को छोड़कर
14.	काजू के मीठे उत्पाद
15.	पैलेट फार्म के अतिरिक्त पोल्ट्री फीड
16.	मसालों, तेल तथा तैलीय रेजिन मसालों के अतिरिक्त ग्राउन्ड व प्रसंस्कृत मसाले
17.	टैपियोका साबूदाना
18.	टैपियोका आटा
19.	सिंथेटिक सिरप

आंध्र प्रदेश को "हुडको" द्वारा ऋण

5304. श्री वासवपुन्नय्या सिगम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश को कितनी धनराशि ऋण प्रदान किए गये है;

(ख) अब तक कितना ऋण वापस किया जा चुका है; और

(ग) आंध्र प्रदेश से अब तक प्राप्त हुई कितनी परियोजनाएं "हुडको" की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) :

(क)	वर्ष	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)
	1987-88	43.00
	1988-89	50.00
	1989-90	52.00
(ख)	वर्ष	अदा किया गया ऋण (करोड़ रुपयों में)
	1987-88	16.00
	1988-88	21.00
	1988-80	15.00

(दिसम्बर, 89 तक)

242.76 करोड़ रुपये के वास्तविक ऋण की तुलना में आंध्र प्रदेश सरकार ने 31-3-90 तक हुडको को 106.01 करोड़ रुपये अदा किये हैं।

(ग) हुडको ने 31-3-90 तक राज्य में अब तक 887 योजनाएं स्वीकृत की हैं। यह योजनाएं 559 करोड़ रुपये की हैं। जिसके लिए हुडको ने 386 करोड़ रुपये ऋण देने का वचन दिया है। 117 योजनाओं पर स्वीकृत पूर्व तकनीकी मूल्यांकन तथा अन्य अपेक्षाओं के लिए हुडको में कार्रवाई चल रही है।

रुई का निर्यात-आयात

[हिन्दी]

5305. श्री राम पूजन पटेल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों का रुई के निर्यात-आयात का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या रुई के निर्यात के कारण बुनकर बेरोजगार हो गए हैं और सूती कपड़ों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो रुई का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह कहना सही है कि बुनकर बेरोजगार हो गए हैं या सूती कपड़े की कीमतें निर्यात योग्य बेशी रुई के निर्यात के कारण बढ़ गई हैं। निर्यात की अनुमति देते समय घरेलू कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) अधिक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के लाभ उपजकर्ताओं को सुनिश्चित कराने तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से रुई का निर्यात किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान रुई के निर्यात और आयात के ब्यौरे

मात्रा : लाख गांठ में
मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1986-87	13.67	246.61	शून्य	शून्य
1987-88	0.44	21.73	0.52	13.21
1988-89	0.77	71.64	2.25	73.21

आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[अनुवाद]

5306. श्री राज मोहन रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं;

(ख) क्या ये केन्द्र राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं तो चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-12-89 तक आंध्र प्रदेश में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 1283 है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपेक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निकाली गई कुल संख्या 1705 है। इस संख्या मे आदिवासी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल हैं। आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का कार्य पिछड़ा हुआ है। वर्ष 1990-91 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग ने 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे उनके नामों का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता

5307. श्री नरसिंह राव सूर्य वंशी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन संबंधी कार्यक्रमों के लिए और मूलभूत

ढांचे के विकास और प्रशिक्षण विशेषकर व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अं० श्र० संगठन की विभिन्न बैठकों में, विशेषकर शासी निकाय की बैठक में, और अं० श्र० संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान भी, भारत सरकार के शिष्ट मंडल भारत जैसे विकासशील देशों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और अनौपचारिक क्षेत्रों और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को अपने तकनीकी सहयोग कार्यकलापों के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।

(ख) अं० श्र० संगठन द्वारा 1989 के दौरान भारत में चलायी गई तकनीकी सहयोग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, चाहे उसके निजी संसाधनों से या यू० एन० डी० पी०, यू० एन० एफ० पी० ए० और अन्य बहुद्विपक्षीय एजेंसियों के वित्त-पोषण से हों, निम्नलिखित है :—

(i) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण : उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम; (ii) प्रबंध परामर्शी विकास (चरण-III); (iii) बम्बई और कानपुर के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण (एन० सी०/सी० एन० सी०) प्रशिक्षण सुविधाओं तथा कार्यक्रमों की स्थापना; और (iv) खान-पान संस्थानों का आधुनिकीकरण। इसके अतिरिक्त, एशियाई क्षेत्र के देशों के लिए अं० श्र० होटल और संगठन द्वारा "रोजगार संवर्धन के लिए कार्यनीति दृष्टिकोण" नामक एक परियोजना को चलाया गया था।

राज्यों को चीनी का कोटा

[हिन्दी]

5308. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान अनेक राज्यों के चीनी के कोटे में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) कोटे में कमी किए जाने के क्या कारण हैं और क्या पहले जैसे कोटे को बहाल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान की स्थापना

5309. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु इस राज्य में किसी उपयुक्त स्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पैटर्न पर शिलांग में एक क्षेत्रीय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही लखनऊ में एक स्नातकोत्तर संस्थान किया है जो उस राज्य के लोगों को विशिष्ट उपचार सुविधाएं प्रदान करेगी।

मध्य प्रदेश की लिफ्ट सिंचाई क्षमता

[अनुवाद]

5310. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई की कुल क्षमता कितनी है और अब तक कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है; और

(ख) मध्य प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई की शेष क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या केन्द्रीय सरकार का मध्य प्रदेश को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का विचार है ताकि लिफ्ट सिंचाई की शेष क्षमता का शीघ्रता से उपयोग किया जा सके ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) लिफ्ट सिंचाई सहित सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों की कुल क्षमता 22 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से सातवीं योजना के अंत तक लगभग 10 लाख हेक्टेयर के उपयोग हो जाने की आशा है।

(ख) लिफ्ट सिंचाई सहित सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष योजना आबंटनों में वृद्धि की जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1988-89 में 6.4 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1989-90 में 1.36 करोड़ रुपए की भी अग्रिम योजना सहायता प्रदान की है।

उड़ीसा में कैंसर रोग के इलाज की सुविधाएं

5311. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कैंसर रोग का पता लगाने और उसके उपचार की क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ख) क्या ये सुविधाएं कैंसर रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त हैं, यदि हां तो कैंसर रोगियों को मद्रास दिल्ली और अन्यत्र भेजे जाने के मामलों में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) कटक में कैंसर अनुसंधान एवं उपचार सोसायटी का क्षेत्रीय केन्द्र, नामक एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र है जो उड़ीसा में कैंसर का पता लगाने और उसका उपचार करने में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में निम्नलिखित संस्थाओं में कैंसर के उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज अस्पताल, बरहामपुर।

(2) वी० एस० एम० मेडिकल कालेज अस्पताल, बुर्ला

नई दिल्ली अथवा देश में अन्य कहीं भेजे गये कैंसर रोगियों की संख्या के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

कैंसर रोगी और कैंसर संस्थान

[हिन्दी]

5312. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कैंसर रोगियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) देश में विशेष रूप से कैंसर उन्मूलन के कार्य में लगे सरकारी संस्थानों के नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लोगों को घातक रोग के खतरे से अवगत कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय): (क) देश में कैंसर के रोगियों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुमान है कि देश में लगभग 15 लाख से 20 लाख कैंसर रोगी हैं और हर वर्ष लगभग 5 लाख नए रोगी और हो जाते हैं।

(ख) देश में कैंसर के उपचार के लिए अपेक्षित टेलीथिरेपी यूनिटों वाली केन्द्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार लोगों में कैंसर के सात/खतरों संकेतों तथा कैंसर के निवारण और शुरू में पता लगाने के महत्व के बारे में विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के जागरूकता माध्यम से लाने का प्रयास कर रही है।

विवरण

कैंसर के उपचार के लिए अपेक्षित टेलीथिरेपी यूनिटों वाली केन्द्रीय/राज्य सरकारों की संस्थाओं की सूची।

क्र० सं०	संस्था का नाम
1.	असम मेडिकल कालेज अस्पताल, डिबगढ़, असम।
2.	डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम।
3.	पटना मेडिकल कालेज अस्पतालपटना, बिहार।

क्र० सं०	संस्था का नाम
4.	एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज अस्पताल, बहरामपुर, उड़ीसा।
5.	बी० एस० एस० मेडिकल कालेज अस्पताल, बुर्ला (संबलपुर), उड़ीसा।
6.	क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र और उपचार सोसाइटी, कटक, उड़ीसा।
7.	कैंसर अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा।
8.	एन० एन० मेडिकल कालेज अस्पताल, आगरा, उत्तर प्रदेश।
9.	जे० एन० मेडिकल कालेज और अस्पताल, अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
10.	के० जी० मेडिकल कालेज और अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
11.	आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
12.	भारतीय रेल कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
13.	बी० एस० मेडिकल कालेज अस्पताल, बंकूरा, पश्चिम बंगाल।
14.	एस० एस० के० एम० एण्ड पी० जी० संस्थान, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
15.	चितरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
16.	मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
17.	आर० जी० कार मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
18.	एन० आर० एस० मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
19.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।
20.	लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली।
21.	इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एण्ड एलाइड साइंसेस, दिल्ली।
22.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।
23.	इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल, (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), अंसारी नगर, नई दिल्ली।
24.	मेडिकल कालेज अस्पताल, रोहतक, हरियाणा।
25.	गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
26.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज और एस० एम० एच० एस० अस्पताल, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर।
27.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर जम्मू व कश्मीर।
28.	गांधी मेडिकल कालेज, और हमीदिया अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश।
29.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज और कैंसर अस्पताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

क्र० सं०	संस्था का नाम
30.	पंडित जे० एन० एम० कालेज एवं अस्पताल, रायपुर, मध्य प्रदेश ।
31.	एस० बी० एम० सी० एण्ड पी० बी० एम० जी० अस्पताल, बीकानेर, राजस्थान ।
32.	एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर, राजस्थान ।
33.	एस० एन० एम० सी० अस्पताल, शास्त्री नगर, जोधपुर, राजस्थान ।
34.	आर० एन० टी० एम० सी० एण्ड ए० जी० अस्पताल, उदयपुर राजस्थान ।
35.	एम० एन० जे०, कैंसर अस्पताल एवं रेडियम जेनस इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
36.	गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश ।
37.	गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, कुरनूल, आंध्र प्रदेश ।
38.	किंग जॉर्ज अस्पताल, विशाखापतनम, आंध्र प्रदेश ।
39.	विक्टोरिया अस्पताल, बंगलौर, कर्नाटक ।
40.	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ऑनकोलाजी बंगलौर, कर्नाटक ।
41.	कस्तूरबा मेमोरियल अस्पताल, मणिपाल. कर्नाटक ।
42.	जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी
43.	गवर्नमेंट ओरगनार अन्ना मेमोरियल अस्पताल, कांचीपुरम, तमिलनाडु ।
44.	गवर्नमेंट स्टेनले अस्पताल, मद्रास, तमिलनाडु ।
45.	गवर्नमेंट जरनल अस्पताल, मद्रास, तमिलनाडु ।
46.	गवर्नमेंट महिला एवं बाल अस्पताल, एग्मोर, मद्रास, तमिलनाडु ।
47.	गवर्नमेंट रोयपट्टा अस्पताल, रोयपेट्टा हाई रोड, मद्रास, तमिलनाडु ।
48.	गवर्नमेंट राजा जी अस्पताल, मदुरै, तमिलनाडु ।
49.	गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, म्यू सिविल हास्पिटल कम्पाउण्ड, असर्वा, अहमदाबाद, गुजरात ।
50.	मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट, केरल ।
51.	गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल, अर्नाकुलम, केरल ।
52.	मेडिकल कालेज अस्पताल, गांधी नगर, कोट्टायम, केरल ।
53.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र मेडिकल कालेज, परिसर, त्रिवेन्द्रम, केरल ।
54.	मेडिकल कालेज अस्पताल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ।
55.	टाटा मेमोरियल अस्पताल, अर्नेस्ट बारगेस मार्ग, बम्बई, महाराष्ट्र ।
56.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई, महाराष्ट्र ।
57.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज और अस्पताल, नागपुर, महाराष्ट्र ।
58.	दुर्दम रोग उपचार केन्द्र, कमाण्ड अस्पताल (एस० सी०) पुणे महाराष्ट्र ।

विस्थापित आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय नीति

5313. **श्री रमेश बैंस :**

श्री बालेश्वर यादव : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित आदिवासियों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो यह नीति कब तैयार की गयी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विस्थापित आदिवासियों को बिना किसी विलम्ब के मुआवजे का भुगतान करने और उन्हें पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति के मसौदा का भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिपादन किया जा रहा है।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूखंड आवंटित करने के लिए प्राथमिकता सूची

[अनुवाद]

5314. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंड आवंटित करने के लिए कोई प्राथमिकता सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कितनी प्राथमिकता संख्या तक भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

श्रेणी	जिस वरिष्ठता संख्या तक आवंटन किया गया है
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	870
निम्न आय वर्ग	1503
मध्यम आय वर्ग	(I) 90 वर्ग मीटर प्लाट के लिए 945
	(II) 60 वर्ग मीटर प्लाट के लिए 2050

जूट और जूट उद्योग पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

5315 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट और जूट उद्योग से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट पर विशेषकर इस निष्कर्ष पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है कि मिलों में इस प्रकार की औद्योगिक रुग्णता कायम न रहे ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) संदर्भित अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक के 'ओकेजनल पेपर्स' (खण्ड 10 सं० 1, मार्च, 1989), में "दि टैक्नीकल एफीसिएन्सी आफ जूट मिल इण्डस्ट्री नाम प्रकाशित किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विचार परिलक्षित नहीं होते हैं। यह केवल एक अनुसंधान पत्र है जो उपर्युक्त जर्नल में प्रकाशनार्थ दिया गया था।

लेखक ने अपने अध्ययन में विभिन्न पैरा मीटरों के अन्तर्गत 32 पटसन मिलों के आंकड़ों की जांच की जिससे उन कारणों का पता चलता है कि इन मिलों में दक्षता कम क्यों है।

यद्यपि यह एकक सरकारी अध्ययन नहीं है, फिर भी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को पटसन उद्योग पर दीर्घावधि की नीति बनाते समय इन पत्रों से निश्चय ही लाभ होगा।

रुई का निर्यात

[हिन्दी]

5316. **श्री भाउसाहिब वंडलीक फुंकर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कपास की भरपूर फसल को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से रुई के निर्यात का कोटा बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाकर, उनको हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1989-90 रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए 24.5 एम० एम० और उससे ऊपर की लम्बाई के स्टेपल रुई की 8.00 लाख गांठों के अतिरिक्त निर्यात कोटा की मांग की है।

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ लि० के पक्ष में 24.5 एम० एम० और उससे ऊपर की लम्बाई के स्टेपल की रुई की 1.00 लाख गांठों के निर्यात के लिए एक अतिरिक्त कोटा रिलीज किया है जिसके फलस्वरूप इसे आवंटित कुल निर्यात कोटा 2.80 लाख गांठें हो गया है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

5317. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समय कार्य कर रहे और बन्द पड़े प्रशिक्षण केन्द्र की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ग) बन्द पड़े प्रशिक्षण केन्द्रों को पुन: खोलने के लिए क्या कदम उठाये उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य का नाम	केन्द्रों की कुल संख्या	प्रचालित केन्द्रों की संख्या	अप्रचलित केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
(I) उत्तर प्रदेश	182	145	37
(II) राजस्थान	13	9	4

(ग) बन्द पड़े केन्द्रों को फिर से खोलने के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :—

(I) नए स्थानों तथा भवनों का पता लगा लिया गया है ।

(II) नए प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन कर लिया गया है ।

(III) प्रशिक्षणार्थियों के वजीफे की दर बढ़ा दी गई है ।

(IV) इन केन्द्रों के लिए सूत की अपेक्षित सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है ।

(V) कालीन योजना में काम कर रहे प्रशिक्षकों/सहायक प्रशिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कार्यवाही की गई है ।

अफ्रीका के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली मेडिकल डिग्री को मान्यता

[अनुवाद]

5318. **डा० बिप्लव दास गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली मेडिकल डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) . (क) और (ख) अफ्रीका में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के भाग 2 (जब यह भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त नागरिकों के पास हो) में उनको शामिल किए जाने के कारण मान्यता दी गई है :—

दूसरी अनुसूची

दक्षिण अफ्रीकी संघ	
एम० बी०, सी० एच० बी०	दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय (ख)
एम० बी०, सी० एच० बी०	और एम० डी०, सी० एच० एम० केपटाउन विश्वविद्यालय (क) (ग)
एम० बी०, सी० एच० बी०	और एम० डी०, सी० एच० बी० विटवाटर्सरैंड जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय (क) (ग)

(क) यह अर्हता ब्रिटेन की सामान्य चिकित्सा परिषद द्वारा समय-समय पर यथा प्रकाशित ब्रिटिश मेडिकल रजिस्टर की सारणी (एफ) में अवश्य शामिल की जानी चाहिए।

(ख) जब 31 अक्टूबर, 1937 को अथवा इससे पहले प्रदान की गई हो।

(ग) जब 31 मार्च 1942 को अथवा इससे पहले जब प्रदान की गई हो।

तीसरी अनुसूची का भाग—II

एम० बी०, बी० सी० एच० (पूर्वी अफ्रीकी मेकेरियर विश्वविद्यालय कालेज)

एम० बी०, सी० एच० बी० (जाम्बिया विश्वविद्यालय) लुसाका

राज्यों को चीनी का आवंटन

[हिन्दी]

5319. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को प्रतिमाह खुली बिक्री की तथा लेवी चीनी की कितनी-कितनी मात्रा दी जाती है;

(ख) क्या लेवी चीनी उपलब्ध न होने के कारण चीनी के मूल्यों में फिर से वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) आंशिक नियन्त्रण की वर्तमान नीति के अधीन राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी आवंटित की जाती है। लेवी चीनी का मासिक कोटा पहली फरवरी, 1987 से 3.32 लाख मीटरी टन है और इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में मिलों द्वारा खुले बाजार में किसी भी लाइसेंसशुदा चीनी के थोक व्यापारी को चीनी बेचने के लिए प्रत्येक माह मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की जाती है। वर्तमान चीनी मौसम 1989-90 के दौरान मासवार निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख मीटरी टन में)
अक्तूबर, 1989	6.00
नवम्बर, 1989	6.00
दिसम्बर, 1990	5.50
जनवरी, 1989	5.00
फरवरी, 1990	5.50
मार्च, 1990	5.50
अप्रैल, 1990	6.00

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लेवी चीनी का वितरण करने की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। खुले बाजार में उचित दामों पर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुक्त बिक्री चीनी के कोटे को अप्रैल, 1990 से बढ़ाकर 6.00 लाख मीटरी टन कर दिया है जबकि अप्रैल, 1989 के लिए 4.50 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गई थी।

विवरण

लेवी चीनी का राज्यवार मासिक कोटा

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी, 87 और उससे आगे मासिक कोटा
1.	आन्ध्र प्रदेश	25281
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	247
3.	अरुणाचल प्रदेश	314
4.	असम	9617
5.	बिहार	33459
6.	चंडीगढ़	372
7.	दादर तथा नगर हवेली	51
8.	दिल्ली	7689
9.	गोआ, दमन और दीव	539
10.	गुजरात	16194
11.	हरियाणा	6386
12.	हिमाचल प्रदेश	2019
13.	जम्मू तथा कश्मीर	2884
14.	कर्नाटक	17769
15.	केरल	11953
16.	लक्षद्वीप	71
17.	मध्य प्रदेश	25031
18.	महाराष्ट्र	29938
19.	मणिपुर	694

1	2	3
20.	मेघालय	662
21.	मिजोरम	261
22.	नागालैंड	426
23.	उड़ीसा	12393
24.	पांडिचेरी	292
25.	पंजाब	7945
26.	राजस्थान	16914
27.	सिक्किम	165
28.	तमिलनाडु	22547
29.	त्रिपुरा	1001
30.	उत्तर प्रदेश	52926
31.	पश्चिम बंगाल	25888
	जोड़	331928

बीड़ी श्रमिकों को सामाजिक सुविधायें

[अनुवाद]

5320. **श्री डी० अमात** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल की वर्दी का एक सैट उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार बीड़ी श्रमिकों के कितने बच्चों को लाभ पहुंचा है;

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार में बीड़ी सहकारी समितियों को टी० बी० सैट सप्लाई करने की योजना के अन्तर्गत गत दो वर्ष के दौरान अब तक कितने बीड़ी श्रमिकों को लाभ हुआ है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों के लिए खेल-कूद कार्यक्रमों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई; और ये कार्यक्रम कहां-कहां आयोजित किये गए ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जी० ई० एल० चर्च के लिए रांची से भूमि

5321. प्रो० यदुनाथ पांडेय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन इवेन्जेलिकल मिशन (जी० ई० एल०) चर्च का रांची में लगभग 120 एकड़ भूमि पर 1940 से कब्जा है;

(ख) क्या तत्कालीन सरकार ने एनीमी ट्रेडिंग ऐक्ट 1916 की धारा 7 के अन्तर्गत 1916 में जी० ई० एल० चर्च से उक्त भूमि का स्वामित्व तथा कब्जा अपने हाथ से ले लिया था;

(ग) क्या 1919 में इस सम्पत्ति का कब्जा 13 अक्तूबर, 1919 के एक अनुबन्ध, जिसकी दि एनेमी मिशन अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत 1921 में पुष्टि की गई थी, के द्वारा किसी निजी न्याय को हस्तांतरण किया गया था;

(घ) क्या उक्त न्यास के लिए यह अनिवार्य था कि वह करने, उसे पट्टे पर देने या उसे बेचने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति ले यदि हां, तो क्या इस न्यास ने सरकार से ऐसी स्वीकृति मांगी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने न्यास को भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी है; यदि नहीं, तो इस भूमि पर बाजार का निर्माण किए जाने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जर्मन इवेन्जेलिकल मिशन (जी० ई० एल०) छोटा नागपुर और असम को रांची में 120 एकड़ भूमि सौंपी गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एनीमी ट्रेडिंग अधिनियम, 1916 के तहत गवर्नर जनरल परिषद के आदेशों के अनुसार कस्टोडियम ऑफ एनीमी प्रोपर्टीज के रूप मे उनको निहित की गई थी।

13-10-1919 को, कस्टोडियन एनीमी प्रोपर्टी, बिहार और उड़ीसा ने गवर्नर जनरल परिषद की मंजूरी के पश्चात पांच व्यक्तियों वाले न्यास को भूमि हस्तान्तरित कर दी। 1919 के इस दस्तावेज में, जिसके द्वारा कस्टोडियन एनीमी प्रोपर्टी ने न्यास की भूमि दी, मे भारत में किसी प्रोटेस्टेंट मिशन अथवा मिशन चर्च अथवा चर्चा के किसी अथवा सभी प्रयोजनों, उद्देश्य/कार्य जो गवर्नर जनरल परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाएं, के प्रोत्साहन के लिए सभी प्रकार की सहायता का उल्लेख है।

भूमि के इस हस्तान्तरण का अनुमोदन 1921 के अधिनियम IX के तहत इंडियन असेम्बली द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा मिशन एण्ड ट्रस्ट आफ नार्दन इंडिया ने गवर्नर जनरल परिषद के आदेशों पर, और 1921 के अधिनियम के आधार पर सम्पत्ति न्यास मंडल को हस्तान्तरित कर दी और यह निर्णय लिया गया कि न्यास मंडल 10 वर्षों के लिए सम्पत्ति की देखभाल करेगा और तत्पश्चात, अन्तिम दस्तावेज के अनुसार, यह सम्पत्ति छोटा एवेन्जेलिकल लुथरन चर्च, छोटा नागपुर

और अमम को गवर्नर जनरल परिषद की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात हस्तान्तरित कर दी जायेगी। तदनुसार, 17-6-1940 को न्यासीमंडल ने गवर्नर जनरल परिषद की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जी० ई० एल० चर्च को भूमि हस्तान्तरित कर दी और इसके बाद मण्डल को विघटित कर दिया गया था। सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए गवर्नर जनरल परिषद के अनुमोदन के बारे में सूचना महासभा आफ चीफ ऑटानमस चर्चस, रांची को बिहार के मुख्य सचिव द्वारा आदेश सं० 1166 (सी) से सम्प्रेषित की गई थी।

मेडिकल कालेजों द्वारा लिया जाने वाला प्रावेशिक शुल्क

5322. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक प्राइवेट मेडिकल कालेज प्रावेशिक शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके फलस्वरूप मेडिकल कालेजों में गरीब तथा मेधावी छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार देश के 25 मेडिकल कालेज या तो कैपिटेशन फीस अथवा बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं।

(ख) और (ग) गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों की ये बात ध्यान में रखते हुए कि वे कुछ निजी चिकित्सा कालेजों, जहां कैपिटेशन फीस अथवा बहुत ज्यादा अध्यापन फीस ली जा रही है, में प्रवेश पाने में असमर्थ हैं, भारत सरकार ने पहले ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए एक विधेयक पहले ही प्रस्तुत कर दिया है जिसके अन्तर्गत कैपिटेशन फीस लेने अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित की गई फीसों से अधिक कोई भी धनराशि लेने पर रोक लगाने के लिए एक उपबन्ध बनाया जा रहा है। कैपिटेशन फीस पर रोक लगाने से सम्बन्धित उपयुक्त धाराओं के उल्लंघन के लिए जुर्माने से सम्बन्धित उपबंध भी बनाए गए हैं। जैसे ही यह विधेयक कानून बन जाएगा सरकार के लिए इस स्थिति को ठीक करना सम्भव हो जाएगा।

नासिक में हथकरघा विद्युतकरघा बुनकरों को धागा उच्च दामों पर उपलब्ध होना

[हिन्दी]

5323. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र, विशेष रूप से मालेगांव, नासिक के हथकरघा-विद्युतकरघा बुनकरों को बाजार से अधिक दामों पर धागा खरीदना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) क्या सरकार का बुनकरों के लाभ हेतु नासिक और मालेगांव में एक सरकारी डिपो खोलने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि देश में अन्य भागों की भांति ही महाराष्ट्र में कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ख) अखिल महाराष्ट्र विद्युतकरघा बुनकर कार्य समिति, नागपुर और नासिक जिला विद्युतकरघा सहकारी समितियों सहकारी परिसंघ लि०, मालेगांव से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (च) यार्न कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है :—

(1) हथकरघा क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखने के बाद कच्ची रुई और सूती यार्न के निर्यात की सतर्क नीति को अपनना।

(2) मिल-गेट कीमतों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के जरिए बीस यार्न डिपो की स्थापना। ऐसा ही एक डिपो नागपुर में स्थापित किया गया है।

(3) वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में हैंक यार्न कीमत मानीटरी समिति की स्थापना करना; और

(4) उचित दरों पर सहकारी राज्य क्षेत्र की मिलों की हैंक यार्न की कीमतें निर्धारित करने के उद्देश्य से यार्न कीमत निर्धारण समिति स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को राजी करना।

पिछले छः महीनों के दौरान कोन और हैंक यार्न दोनों में स्थिर होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। फिर भी सरकार विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों में प्रयुक्त यार्न की कीमत स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। सरकार यार्न की कीमतों में वृद्धि होने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन देने वालों की चिन्ता समझती है। एन० एच० डी० सी० नागपुर में हथकरघा बाहुल्य क्षेत्र में पहले से ही यार्न डिपो चला रहा है। सरकार की मालेगांव और नासिक जैसे विद्युतकरघा बुनकरों के क्षेत्रों में यार्न डिपो स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकरण

[अनुवाद]

5324. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में किन-किन मुद्दों को उठाया गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध है, ने सूचित किया है कि कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें, बिना उचित प्रक्रिया को अपनाए वक्फ भूमि को पट्टे पर देने, बोर्ड द्वारा शुरू किए गए विकासात्मक कार्य में निधियों के दुरुपयोग, नियुक्ति के समय पक्षपात, सरकारी वाहनों के दुरुपयोग तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गुप्त बैंक खाता चलाने सम्बन्धित आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली प्रशासन को इसकी जांच पड़ताल करने को कहा गया है।

राज्यों में जनजातीय विकास के लिए धनराशि का नियतन

5325. **कुमारी कमलाजी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार, जनजातीय विकास के लिए धनराशि का नियतन किया गया;

(ख) जनजातीय विकास के लिए आरम्भ की गई परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) आदिवासी विकास के लिए आवंटित निधियों के राज्यवार तथा वर्षवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) निधियां अनुसूचित जनजाति परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं के लिए आवंटित की जाती हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान 16,80,861 अनुसूचित जनजाति परिवारों को निर्धारित लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 1990 के अन्त तक 19,21,987 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई थी।

(ग) और (घ) आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताएं बहुत बड़ी है इसलिए इस समय हम जो सहायता उन्हें प्रदान कर रहे हैं, इससे अधिक निवेश की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति विकास तथा कल्याण पर कार्यदल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सिफारिश की थी कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत निर्धारित निधियों की मात्रा तथा अनुपात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और प्रतिपूरक प्रतिशत जो कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्यय के 3% से कम होना चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इन मानदण्डों को अपनाने की सलाह दी जा रही है।

विवरण

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिवासी उपयोजना परिव्यय		विस्तृत की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1.	आंध्र प्रदेश	68.22	69.06	11.66	13.47
2.	असम	62.61	63.74	7.86	8.86
3.	बिहार	390.00	444.18	24.72	27.32
4.	गुजरात	146.91	157.72	13.31	16.12
5.	हिमाचल प्रदेश	25.73	27.13	2.87	3.76
6.	कर्नाटक	16.09	14.74	1.35	1.54
7.	केरल	9.23	10.13	1.16	1.26
8.	मध्य प्रदेश	312.56	358.47	49.34	55.83
9.	महाराष्ट्र	177.05	208.16	12.66	14.87
10.	मणिपुर	26.96	44.37	2.83	3.20
11.	उड़ीसा	212.31	221.84	23.89	27.56
12.	राजस्थान	79.93	79.89	12.34	14.30
13.	सिक्किम	11.31	10.92	0.49	0.60
14.	तमिलनाडु	21.00	27.13	1.95	2.30
15.	त्रिपुरा	60.46	93.90	3.06	3.37
16.	उत्तर प्रदेश	1.55	1.54	1.05	0.47
17.	पश्चिम बंगाल	33.84	37.85	8.76	10.17
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10.15	14.50	0.60	0.41
19.	दमन एवं दीव	0.58	0.92	0.10	0.09

गंगा नदी के जल को सोन नदी में प्रवाहित करना

[हिन्दी]

5326. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गंगा नदी के जल को सोन नदी में प्रवाहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का कार्य कब से शुरू हो जायेगा और इस जल को किस स्थान से सोन नदी में प्रवाहित किया जायेगा; और

(ग) सोन नदी में अतिरिक्त जल के कारण कितने एकड़ क्षेत्र में अधिक फलों की खेती की जा सकेगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कपड़ा मजदूरों की मांगों के लिए पंच नियुक्त शीर्षक से समाचार

5327. **श्री शिवचरण वर्मा :**

डा० बंगाली सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 199.) को 'जनसत्ता' में कपड़ा "मजदूरों की मांगों के लिए पंच नियुक्त" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कपड़ा मिलों के कामगारों तथा प्रबन्धकों के बीच विवाद को निपटाने के लिए विवाचक/समझौताकार की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसमें कामगारों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेपाल से जुड़े क्षेत्रों के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनायें

[अनुवाद]

5328. **श्री एम० जे० अकबर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से जुड़े किशनगंज और पूर्णिया जिलों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को अभी भी कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ से उत्पन्न होने वाली गम्भीर समस्या की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो फसलों को बाढ़ से नष्ट होने से बचाने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) वर्ष में बाढ़ों से प्रभावित औसतन लगभग 3.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 1.28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है। व्यापक योजना में नेपाल में पश्चिमी कनकई नदी पर अतिरिक्त 550 कि० मीटर तटबन्ध तथा जलाशय की परिकल्पना है ।

भारत-अमरीका परियोजना

5329. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारत-अमरीका परियोजना की स्थापना की जा रही है और अमरीका द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कुछ धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारत-अमरीका द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा क्या है और अमरीका से कितनी धनराशि प्राप्त की गई तथा इस परियोजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 'मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रयोग से तंत्रिका पद्धति का विकास और विशिष्टीकरण, शीर्ष से करार सं० एन-411-605 के तहत इन्डो-यू० एस० परियोजना स्थापित की गई। पांच वर्षों के लिए इस परियोजना का कुल बजट 63.4 लाख रु० का है। 26-3-90 को दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूत के जरिए निदेशक, अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को 31.08 लाख रु० की पहली किस्त रिलीज की गई। यह धनराशि यू० एस० इंडिया रुपी फण्ड द्वारा दी गई है।

विश्व रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम की उपलब्धि

5330. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विश्व रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान फरवरी, 1990 तक की उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन की दो खुराकें और कम से कम 85 प्रतिशत शिशुओं को ओरल पोलियो वैक्सीन, डी० पी० टी० की तीन तीन खुराकें तथा बी० सी० जी० और खसरा वैक्सीन की एक-एक खुराक प्रदान करने का प्रस्ताव है। संख्या के हिसाब से अनुमानित लक्ष्य 261.8 लाख गर्भवती महिलाएं और लगभग 190.31 लाख शिशु होंगे।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए कुल 60 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।

विवरण

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां 1989-90
(फरवरी, 1990 तक) 23 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार

राज्य	लक्ष्य 89-90—उपलब्धियां—		वार्षिक लक्ष्यों के प्रतिशत के रूप में उपलब्धियां			
	शिशु	गर्भवती महिलाएं	डी०पी०टी०	ओ०पी०वी०	बी०सी०जी०	खसरा
1	2	3	4	5	6	7
बड़े राज्य						
आंध्र प्रदेश	1343500	1743300	75.95	75.83	94.67	65.67
असम	626100	830800	38.15	37.54	46.11	23.95
बिहार	2305800	3040000	73.68	72.30	84.81	53.88
गुजरात	848300	1115800	97.90	102.64	100.11	89.86
हरियाणा	370000	483500	101.98	101.91	123.42	85.34
कर्नाटक	935900	1207800	87.60	87.21	104.91	70.05
केरल	515000	621000	106.36	114.12	112.36	96.83
मध्य प्रदेश	1626800	2175100	89.89	88.76	100.87	78.33
महाराष्ट्र	1442500	1851600	99.11	99.32	120.17	86.72
उड़ीसा	671000	902800	90.23	89.14	100.51	97.10
पंजाब	370700	477100	114.20	114.89	135.06	103.51
राजस्थान	1243000	1647500	67.26	66.72	68.28	65.91
तमिलनाडु	1021300	1323400	94.48	95.38	104.06	93.39

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	3710140	4993947	97.03	92.18	91.86	75.31
पश्चिम बंगाल	1361800	1763100	67.70	66.56	77.87	42.38
छोटे राज्य						
हिमाचल प्रदेश	109100	142000	88.21	87.37	100.31	79.50
जम्मू और कश्मीर*	177600	231500	58.74	59.40	72.70	41.89
मणिपुर*	35500	41000	83.30	80.66	95.35	66.75
मेघालय	46800	61400	65.93	72.20	80.13	16.88
नागालैंड*	19700	13200	32.03	28.74	24.31	14.81
सिक्किम	10200	13300	66.61	62.74	72.14	46.60
त्रिपुरा**	49500	63900	36.28	35.66	57.62	23.88
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5700	4000	103.83	104.37	107.09	88.16
अरुणाचल प्रदेश	19600	25800	50.33	50.86	77.89	39.17
चण्डीगढ़	13100	16300	75.95	75.73	100.24	47.80
दादरा और नगर हवेली	3400	4:00	87.12	87.12	123.47	91.41
दिल्ली*	209400	268400	66.52	67.50	106.63	54.70
गोवा	17300	21900	86.46	88.75	104.65	66.73

1	2	3	4	5	6	7
दमन और दीव	1400	1600	129.86	122.57	114.87	79.00
लक्षद्वीप	1200	1600	106.75	100.25	84.42	121.17
मिजोरम*	17600	20600	70.52	74.13	82.54	52.48
पांडिचेरी	12100	15100	127.27	127.69	202.48	109.09
योग	19141040	25124147	85.17	84.17	94 61	69.51

नोट :—1. *जनवरी 1990 तक के आंकड़े

2. **जनवरी 1990 तक के आंकड़े (उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा और पश्चिमी त्रिपुरा)

टी०टी० (गर्भवती महिलाएं)	डी०पी०टी	डी०पी०वी० (तीसरी खुराक)	बी०सी०जी० (तीसरी खुराक)	खसरा	कुल संख्या टी०टी० (गर्भवती महिलाएं) (दूसरी खुराक)
8	9	10	11	12	13
66.41	1020433	1018759	1271926	882260	11557752
22.63	238644	235027	288692	149973	187997
41.42	1698817	1667157	1955462	1242357	1259094
81.31	830500	870700	917100	775500	907300
71.70	377344	377074	456662	315767	346787
78.05	819844	816219	981836	655581	942698
92.70	547765	587717	632748	498672	575672
54.47	1462371	1444006	1641018	1257930	1185587
75.03	1429671	1432657	1733407	1250972	1389235
66.52	605434	598155	674432	383144	600501
83.46	423346	422948	500676	383701	398174
52.41	826073	829327	843698	819288	863399
76.48	964936	974097	1062754	953755	1012184

8	9	10	11	12	13
66.41	360000	3420000	3408000	2794000	3320000
49.77	921875	906451	1061381	517099	877542
56.18	96232	95319	109440	86730	79781
169.53	104314	105487	129122	74405	401922
66.44	29573	28633	33848	23896	27239
45.56	30855	33829	37499	7899	27974
29.52	6310	5661	4789	[2918	3896
32.60	6794	6399	7358	4753	4336
19.21	17958	17650	28522	11819	12273
102.00	5918	5949	6104	5025	4080
30.41	9865	9968	[15267	7678	7847
75.52	9950	9921	14441	[6262	12309
55.49	2962	2962	4198	3108	2497
47.35	139392	141343	223273	114562	127095
43.78	14958	15354	18104	11544	9588]

8	9	10	11	12	13
52.31	1818	1716	1608	1106	837
70.81	1281	1203	1013	1454	1133
51.09	12412	13057	14527	9236	10524
91.39	15400	15450	24500	132000	13800
63.01	18283155	16110;85	18108805	13305376	153 30953

मुद्रणालयों के संचालन का दायित्व अन्य मंत्रालयों को सौंपना

[हिन्दी]

5331. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार कुछ मुद्रणालयों के संचालन का दायित्व दूसरे मंत्रालयों को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) मुद्रणालयों के कार्यकरण पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किये गये अध्ययन में सिफारिश की गयी है कि उन सरकारी मुद्रणालयों, जो किसी विभाग की आवश्यकताओं से अधिकांशत: सम्बन्धित है, को उस विभाग की आवश्यकताओं की भलीभांति पूर्ति करने तथा क्षमता के उचित उपयोग का उन्नयन करने हेतु सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। तदनुसार सरकार ने कुछ मुद्रणालयों को सम्बन्धित विभागों को अन्तरित करने का निर्णय लिया है।

मुद्रण निदेशालय द्वारा कागज की खरीद

[अनुवाद]

5333. श्री ओराव्वर राम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रण निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष खरीदे गए कागज के मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक सरकारी मुद्रणालय में विभिन्न प्रकार के कागज के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है; और प्रत्येक मुद्रणालय की वार्षिक खपत कितनी-कितनी है;

(ग) क्या कागज का वर्तमान स्टाक आगामी दो से तीन वर्षों के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो मुद्रण निदेशालय द्वारा कागज का और स्टाक खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) :

(क)	1987-88	11.50 करोड़ रुपये
	1988-89	16.56 करोड़ रुपये
	1989-90	31.46 करोड़ रुपये

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-I

1-3-1990 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालयों में कागज की किस्मवार स्टॉक स्थिति (मैट्रिक टन में)

क्र० सं०	भारत सरकार मुद्रणालय का नाम	बल्क मुद्रण कागज	रंगीन कागज	ऐजुयलेड	कार्टिज पेपर	ब्लाफसैट सनलाईट	मेप लिथो	ब्राउन रैपिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मिन्टो रोड	222.076	34.121	32.355	57.926	44.353	205.805	1.630
2.	रिंग रोड	45.478	4.300	27.689	13.393	0.050	135.960	75.260
3.	फरीदाबाद	120.600	—	5.242	81.670	1.000	84.547	0.467
4.	पी० एस० फरीदाबाद	353.000	—	7.800	45.000	0.500	150.000	—
5.	शिमला	149.500	—	40.000	61.320	—	—	—
6.	कोरट्टी	1074.000	93.998	59.500	328.000	—	—	—
7.	अलीगढ़	1260.000	—	409.406	284.000	—	—	11.300
8.	नीलोखेड़ी	1191.300	—	37.300	188.000	—	—	12.441
9.	कोयम्बटूर	152.216	6.347	7.634	59.257	—	0.064	0.419
10.	गंगटोग	0.003	0.096	—	—	—	—	3.854

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	चण्डीगढ़	1037.000	—	—	27.000	—	—	—
12.	मैसूर	220.782	0.109	—	42.522	—	—	0.012
13.	नासिक	836.700	6.400	56.000	98.900	—	150.900	0.700
14.	सन्तरागाछी (एफ०यू०)	591.598	91.400	62.237	317.000	—	—	37.107
15.	सन्तरागाछी (पी०यू०)	131.100	—	16.040	—	—	—	64.220
16.	भुवनेश्वर	630.000	—	—	18.175	—	—	—
17.	सी०पी० स्टोर कलकत्ता	84.750	7.750	213.070	2.210	—	—	44.47
18.	पी०पी० मुद्रणालय बम्बई	7.800	—	—	—	—	—	—
19.	टेम्पल स्ट्रीट कलकत्ता	332.330	—	—	—	—	—	—

10	11	12	13	14	15	16	[17
1. 29.134	—	21.420	1.212	4.180	22.258	868.093	1542.32
2. 17.701	—	2.024	—	—	—	105.034	356.88
3. —	—	—	—	—	8.487	236.100	538.01
4. —	—	—	1.100	—	9.800	155.000	722.00
5. 1.170	—	15.000	—	—	—	—	266.99
6. —	113.760	—	—	—	—	—	1619.25
7. —	14.200	—	—	—	—	—	1978.90
8. —	—	—	4.860	—	—	—	1433.90
9. —	—	1.743	—	0.006	—	17.934	245.86
10. —	0.950	0.008	—	—	—	—	4.90
11. —	3.500	—	—	—	—	—	1067.50
12. —	0.115	—	—	—	—	—	263.540
13. 17.600	9.900	67.100	69.5	5.6	—	—	1318.800
14. —	120.280	—	2.424	—	—	—	1022.160
15. —	—	—	—	—	—	—	211.360
16. 3.000	—	—	—	—	—	—	651.170
17. —	17.170	—	—	—	—	—	369.420
18. —	—	—	—	—	—	—	7.800
19. 87.178	—	—	—	—	—	—	419.500

विवरण-2

मुद्रण निदेशालय

कागज की मुद्रणालय-वार वार्षिक खपत (सभी किस्मों की)(मीट्रिक टन में)

क्र०सं०	मुद्रणालय का नाम	प्रत्येक मुद्रणालय की क्षमता उपयोगिता के अनुसार खपत
1.	मिन्टो रोड	828
2.	रिंग रोड	552
3.	फरीदाबाद (एम० पी० यू०)	640
4.	फरीदाबाद (पी० एम० यू०)	855
5.	शिमला	248
6.	कोरापुट	813
7.	अलीगढ़	1275
8.	नीलाखेड़ी	916
9.	कोयम्बतूर	530
10.	गंगतोक	91
11.	चण्डीगढ़	1051
12.	मैसूर	638
13.	नासिक	2039
14.	संतरागाछी (एफ० यू०)	696
15.	संतरागाछी (पी० यू०)	266
16.	भुवनेश्वर	274
17.	सी० पी० स्टोर, कलकत्ता	—
18.	पी० पी० प्रेस, बम्बई	47

राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

[हिन्दी]

5334. श्री राम कृष्ण यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का उत्तर प्रदेश की राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के बारे में एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया था तथा पिछली सरकार के मंत्रिमंडल को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल की 26-12-88 को हुई बैठक में मामले को आस्थगित रखा गया। वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी प्रस्तावों सिफारिशों, सुझावों आदि की नए सिरे से जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में किसी प्रकार का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा किया जाना है।

लद्दाख (जम्मू कश्मीर) की अनुसूचित जनजातियां

[अनुवाद]

5335. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की 8 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किये जाने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है और राज्य और केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में प्रवेश और रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील लद्दाख के जरूरतमंद छात्रों और बेरोजगार युवाओं को अब तक अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 दिनांक 7-10-1989 के अनुसार, निम्नलिखित 8 समुदायों को जम्मू और कश्मीर में उसी तारीख से भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है :—

1. बालटी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. बरोकपा, ब्रोकपा, ब्रोक; शीन
5. चागपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरीगया

(ख) और (ग) उपरोक्त राष्ट्रपति आदेश के जारी होने के पश्चात राज्य सरकार को सूचित किया गया था और राष्ट्रपति आदेश की प्रतियों की अपेक्षित संख्या अनुपालन के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को भेजी गयी थी। इस मंत्रालय के ध्यान में आया है कि पात्र व्यक्तियों को सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं जो कि अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं। उपरोक्त 8 समुदायों से सम्बन्धित सभी व्यक्ति, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य/केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण जैसे उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

जांबिया के राजनयिक के शव का संलेपन

5336. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० आई० वी० पोजिटिव वाले जांबिया के राजनयिक जिनकी मृत्यु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हुई थी, के शव का संलेपन लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके शव को संलेपन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से हटा कर लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज ले जाने के क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शव को संलेपन के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में नहीं भेजा था। मृतक के सम्बन्धियों द्वारा शव को संलेपन के लिए लेडी हार्डिंग कालेज ले जाया गया था।

ग्रेटर गंगाऊ बांध की ऊंचाई बढ़ाना

5337. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने प्रस्ताव ग्रेटर गंगाऊ बांध की ऊंचाई को 20 मीटर और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण से कितना कृषि भूमि क्षेत्र और कितनी वन क्षेत्र डूब जाने की सम्भावना है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांध की सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी नहीं। कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पटसन उद्योग के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क ऋण योजना लागू करना

5338. **श्री चित्त बसु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के लिए उत्पादन शुल्क ऋण योजना लागू की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के आधुनिकीकरण में यह किस प्रकार सहायक होगी; और

(घ) इस योजना का लाभ कितनी मिलों को मिल रहा है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। सरकार ने 17 अक्तूबर, 1989 से कमजोर औद्योगिक इकाईयों को उत्पाद शुल्क में राहत देने के लिए एक योजना घोषित की है। पटसन उद्योग में पात्र कमजोर इकाईयां भी इसके अन्तर्गत आती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में पटसन मिलें कमजोर/रुग्ण है और ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध मे आधुनिकीकरण की योजनाएं इस प्रकार बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे उचित पुनर्स्थापना पैकेज के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके क्योंकि कई पटसन मिलों की सर्विसिंग इंट्रेस्ट-बियरिंग दायित्वों की सीमाएं हैं। ब्याज मुक्त आधार पर उत्पाद शुल्क ऋण योजना ऐसी इकाईयों को लम्बे समय तक अर्थक्षम बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी।

(घ) इस समय उन पटसन मिलों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है जो आवेदन करेगी और योजना का लाभ प्राप्त करेगी। तथापि, वित्तीय संस्थाओं को उन सभी मामलों पर विचार करने के लिए कहा गया है जो उत्पाद शुल्क ऋण योजना के अन्तर्गत लाभ के उद्देश्य से लम्बे समय के लिए अर्थक्षम है।

विवरण

यह योजना ऐसी किसी भी औद्योगिक कम्पनी पर लागू है जिसकी वित्तीय वर्ष के अन्त में संचित हानियां तुरन्त पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों के दौरान इसकी अधिकतम निवल राशि के 50 प्रतिशत या अधिक हैं। भारत सरकार ने अपर सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की है जो निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों (डी० एफ० आई०) अर्थात आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० आर० बी० आई० और ऐसे अन्य वित्तीय संस्थान जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने इसकी ओर से निर्दिष्ट किया हो, द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापना पैकेजों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार करेगी। पात्र इकाइयों को उत्पाद शुल्क ऋण मंजूर किया जाएगा जो उत्पाद शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और शक्ति प्राप्त समिति द्वारा पुनर्स्थापना पैकेज के अनुमोदन की तारीख से अगले 3 वर्षों के लिए वास्तविक रूप से अदा किए गए उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में होगा। ऐसे उत्पाद शुल्क ऋण द्वारा मंजूर कुल राशि पुनर्स्थापना पैकेज की कुल लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उत्पाद शुल्क ऋण ब्याज मुक्त होगा और 7 वर्षों के भीतर किस्तों में इसकी अदायगी की जाएगी और इनका निर्धारण 3 वर्षों के ऋण स्थगन के बाद किया जाएगा और यह उत्पाद शुल्क के आखिरी संवितरण की तारीख से लागू होगा। यह योजना सभी पुनर्स्थापना पैकेजों पर लागू होगी जो निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा 17 अक्तूबर, 1989 से तैयार/अनुमोदित हैं। कमजोर औद्योगिक कम्पनियों के सम्बन्ध में जो पुनर्स्थापना पैकेज अधिसूचित तारीख से पहले तैयार किए गए हैं और जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है या जिनके संशोधन की आवश्यकता है, वे भी उत्पाद शुल्क ऋण के पात्र होंगे, बशर्ते उन्हें डी० एफ० आई०/शक्ति प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त हो।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार

5339. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर अत्याचार होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अत्याचारों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, गैर अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए गए अपराधों के मामलों की संख्या 1987 की तुलना में 1988 में वृद्धि दर्शाती है। 1989 के सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
1987	13,529
1988	15,207
1989	13,878*

* राज्यों से पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) अत्याचारों पर रोक लगाने हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षात्मक, संरक्षणात्मक, दण्डात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश पहले ही विद्यमान हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया है। यह 30-1-1990 से लागू हो गया है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को निर्धारित करता है, ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रभावशाली तंत्र जैसे विशेष अदालतें तथा विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था करता है तथा अत्याचार करने वाले व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों का भी जो अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करते हैं, कठोर दण्ड की व्यवस्था करता है। अधिकांश राज्य सरकारों ने विशेष अदालतें गठित की हैं तथा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए हैं। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे केवल ऐसे अपराधों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को सुनिश्चित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, विशेष अदालतें प्रदान करें।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भविष्य निधि जमा न कराया जाना

5340. **श्री एल० वी० सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिलरथ बेगूसराय में भारतीय खाद्य निगम के ठेका मजदूर कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अपना भविष्य निधि अंशदान दे रहे हैं लेकिन भारतीय खाद्य निगम इसे क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पास जमा नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) तिलरथ बेगूसराय में भारतीय खाद्य निगम के ठेका श्रमिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन भविष्य निधि में किए गए अंशदान की राशि कोड संख्या अलाट हो जाने के बाद अब भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षेत्रीय-भविष्य निधि आयुक्त के पास नियमित रूप से जमा करवाई जा रही है। भारतीय खाद्य निगम को कोड नम्बर अलाट करने में भविष्य निधि आयुक्त ने कुछ समय ले लिया था।

गवर्नमेंट लेप्रासी हास्पिटल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चेंगलपट्टु से प्राप्त अभ्यावेदन

5341. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "गवर्नमेंट लेप्रासी हास्पिटल को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, चेवयार केरल" से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) इस मंत्रालय में सरकारी कुष्ठ रोग अस्पताल, चेवयार, केरल कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गहरे नलकूप लगाने के लिए आयातित मशीनें

[हिन्दी]

5342. श्री पुरुषोत्तम कौशिक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पेयजल की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का गहरे नलकूप लगाने के लिए विदेशी संस्थाओं से शक्तिशाली बोरिंग मशीनें खरीदने का विचार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसे कितनी बोरिंग मशीनों तथा कितनी धनराशि का आबंटन किया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक क्षमता की ड्रिलिंग रिगें प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ भागों में पेयजल की कमी के सम्बन्ध में सूचित किया है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 34 करोड़ रुपये के राज्य सेक्टर प्रावधान के अतिरिक्त त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को 25.47 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान

[अनुवाद]

5343. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में हसन में मानसिक और तंत्रिका रोगों के उपचार हेतु कोई संस्थान उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का हसन में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की एक शाखा स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलूर बेंगलूर में कार्य कर रहा है। धारवाड़ स्थित एक मानसिक अस्पताल तथा मेडिकल कालेजों में स्थित मनश्चिकित्सा यूनिटो को छोड़कर, जहां मानसिक रूप से बीमार रोगियों की परिचर्या प्रदान की जाती है, कर्नाटक में कोई अन्य संस्थान नहीं है ·

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम

5344. **श्री मानिकराव होडल्या गावीत :**

श्री एस० कृष्ण कुमार :

श्री आर० एम० राजेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में राज्यवार कितने कुष्ठ रोगी हैं;

(ग) कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) वर्ष 1990-91 के राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

प्रस्तावित बजट अनुमान 1990-91

बजट अनुमान 1990-91 में केन्द्रीय सहायता का राज्यवार, क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/क्षेत्र	टी० एस० प्लान		एम० सी० प्लान				टी० एस०/एस० सी० प्लान के अलावा			कुल बजट अनुमान 1990-91		
		नकद	सामग्री के रूप में	कुल	नकद	सामग्री के रूप में	कुल	नकद	सामग्री के रूप में	कुल	नकद	सामग्री के रूप में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	47.00	12.00	59.00	—	—	—	153.00	78.00	231.00	200.00	90.00	290.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	0.10	3.90	—	—	—	4.70	0.40	5.10	8.50	0.50	9.00
3.	असम	2.70	1.30	4.00	—	—	—	15.30	3.70	19.00	18.00	5.00	23.00
4.	बिहार	28.00	4.50	32.50	—	—	—	67.00	33.50	100.50	95.00	38.00	133.00
5.	गोवा	0.05	0-05	0.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
6.	गुजरात	3.20	5.00	8.20	—	—	—	28.80	20.00	48.00	32.00	25.00	57.00
7.	हरियाणा	0.30	0.10	0.40	—	—	—	7.70	0.90	8.60	8.00	1.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हिमाचल प्रदेश	0.70	0.10	0.80	—	—	—	6.30	0.90	7.20	7.00	1.00	8.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.15	0.05	0.20	—	—	—	4.35	0.45	4.80	4.50	0.50	5.00
10.	कर्नाटक	24.00	5.00	29.00	—	—	—	76.00	35.00	111.00	100.00	40.00	140.00
11.	केरल	15.00	1.00	16.00	—	—	—	60.00	29.00	89.00	75.00	30.00	105.00
12.	मध्य प्रदेश	27.50	1.00	28.50	—	—	—	77.50	9.00	86.50	105.00	10.00	115.00
13.	महाराष्ट्र	5.00	7.00	12.00	—	—	—	30.00	48.00	78.00	35.00	55.00	90.00
14.	मणिपुर	0.15	0.05	0.20	—	—	—	1.35	0.45	1.80	1.50	0.50	2.00
15.	मेघालय	0.03	0.01	0.04	—	—	—	4.97	0.99	5.96	5.00	1.00	6.00
16.	मिजोरम	0.03	0.01	0.04	—	—	—	4.97	0.99	5.96	5.00	1.00	6.00
17.	नागालैंड	0.07	0.01	0.08	—	—	—	2.93	0.99	3.92	3.00	1.00	4.00
18.	उड़ीसा	20.00	5.00	25.00	—	—	—	85.00	30.00	115.00	105.00	35.00	140.00
19.	पंजाब	2.45	0.05	2.50	—	—	—	5.55	0.45	6.00	8.00	0.50	8.50
20.	राजस्थान	4.50	0.50	5.00	—	—	—	25.50	4.50	30.00	30.00	5.00	35.00
21.	सिक्किम	1.60	0.10	1.70	—	—	—	10.40	0.90	11.30	12.00	1.00	13.00
22.	तमिलनाडु	15.50	5.00	20.50	—	—	—	93.50	68.00	162.50	110.00	73.00	183.00
23.	त्रिपुरा	0.60	0.10	0.70	—	—	—	7.40	0.90	8.30	8.00	1.00	9.00
24.	उत्तर प्रदेश	34.00	4.00	38.00	—	—	—	126.00	36.00	162.00	160.00	40.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	8.00	7.00	15.00	—	—	—	72.00	23.00	95.00	80.00	30.00	110.00
		244.33	59.00	303.36	—	—	—	971.67	425.97	1397.64	1216.00	485.00	1701.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ख) विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र													
26. पांडिचेरी		0.10	0.80	0.90	—	—	—	0.90	6.70	7.60	1.00	7.50	8.50
कुल		0.10	0.80	0.90	—	—	—	0.90	6.70	7.60	1.00	7.50	8.50
(ग) बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र													
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		2.55	0.05	2.60	—	—	—	4.95	0.45	5.40	7.50	0.50	8.00
28. चण्डीगढ़		0.05	0.05	0.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
29. दादरा और नागर हवेली		0.05	0.05	0.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
30. दिल्ली		0.05	0.05	0.10	—	—	—	0.45	0.45	0.90	0.50	0.50	1.00
31. लक्षद्वीप		0.10	0.30	0.40	—	—	—	0.40	0.70	1.60	1.00	1.00	2.00
32. दमन और द्वीव		0.10	0.10	0.20	—	—	—	0.90	0.40	1.30	1.00	0.50	1.50
योग		2.90	0.60	3.50	—	—	—	8.10	2.90	11.00	11.00	3.50	14.50
कुल योग (क+ख+ग)		247.33	60.43	307.76	—	—	—	980.67	435.57	1416.24	1228.00	496.00	1724.00
(घ) केन्द्रीय क्षेत्र		—	—	—	—	—	—	550.00	—	550.00	—	550.00	550.00
बहुश्रोच्च कुष्ठ रोग जिला सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केन्द्रीय क्षेत्र:													
(ङ)2. केन्द्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण स्कीम								25.00	—	25.00	25.00	—	25.00
3. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान								1.00	—	1.00	1.00	—	1.00
						कुल		576·00	...	576.00	576.00	—	576.00
						कुल योग		1526.67	435.57	1992.24	1804.00	496.00	2300.00

II. मदवार विवरण

1. डी 2	(4)	(4)	(1) राज्य को नकद अनुदान	1216.00 रुपये
2. ई 2	(1)	(3)	—विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1.00
3. सी 4	(3)	(6)	(3)—बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	11.00
4. डी 2	(4)	(4)	(2)—सामग्री अनुदान	496.00
5. सी 1	(3)	(6)	(3)—बहु औषध कुष्ठ रोग जिला सोसाइटियों को सहायता अनुदान,	550.00
6. सी 4	(2)	(6)	केन्द्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण स्कीम	25.00
7. सी 4	(2)	(7)	क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	1.00
				2300.00 रुपये

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ

[हिन्दी]

5345. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों, वर्क चार्ज मैकेनिकों और टेकनीशियनों को सेवा निवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों को कब से पेंशन का लाभ दिया जायेगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नैमित्तिक मजदूरों को पेंशन लाभ प्रदान करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसियन्स अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति पहले से ही पेंशन सम्बन्धी लाभ के हकदार हैं।

विदेशों में रोजगार क्षमता

[अनुवाद]

5346. श्री वामनराव महाडीक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार विदेश रोजगार कार्यालय/संगठन के माध्यम से विदेशों में कितने भारतीय लोगों को रोजगार मिला तथा उनकी राज्यवार संख्या कितनी है; उनका व्यवसाय क्या है और वे किन-किन देशों में कार्यरत हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : वर्ष 1988 और 1989 के लिए उत्प्रवासी संरक्षी द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। प्रदान की गई उत्प्रवास अनुमति की राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

श्रेणी/वर्ग	बहरीन	इराक	कुवैत	लीबिया	ओमान	कतार	साऊदी अरब	यू०ए०ई०	पी०डी० आर०वाई०	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बढ़ई	369	387	368	56	1175	196	2580	2257	7	203	7625
रसोइया	326	62	287	6	1149	71	1167	305	2	175	3550
ड्राईवर	216	94	803	17	547	116	3774	921	0	84	6562
इलेक्ट्रीशियन	145	87	292	14	484	154	1525	697	2	84	3494
इंजीनियर	27	21	26	5	67	12	122	43	0	21	354
स्टीम फिटर/ फिटर/मैकेनीकेटर	138	388	493	29	608	614	1227	1212	21	175	4904
फोरमैन	17	52	98	2	158	61	342	163	8	26	927
परा-चिकित्सी स्टाफ	35	55	72	0	199	22	489	254	183	40	1548
मजदूर/हेल्पर	3670	1468	4207	286	2701	1664	57328	18617	41	1301	91196
राजमिस्त्री	406	319	594	51	1861	232	2759	2120	13	95	8550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मैकेनिक/ए०सी०सी०	148	99	339	12	597	98	1399	736	13	122	3562
कार्यालय स्टाफ	247	31	182	6	1519	80	808	915	24	74	3916
आपरेटर	34	79	46	12	218	14	679	98	6	123	1309
पेन्टर	126	65	101	4	535	62	965	374	7	34	2273
प्लम्बर	81	59	103	5	260	53	1144	254	0	14	1971
दर्जी	648	1	65	0	1243	39	1812	1265	1	43	5115
तकनीशियन	125	318	394	37	343	104	1656	320	30	202	3539
वैल्डर	90	102	125	8	281	70	449	253	3	116	1497
पर्यवेक्षक	18	42	76	6	108	37	539	78	5	112	1021
सर्वेक्षक	14	10	47	0	69	59	161	60	15	26	461
सेल्समैन	70	3	29	0	652	21	529	237	1	39	1580
घरेलू नौकरानी/घरेलू नौकर	84	0	29	0	340	11	22	335	2	68	891
अन्य	1158	543	879	37	3572	864	3806	2515	123	787	18284
कुल	8219	4284	9653	593	18696	4654	85289	34029	507	3964	169888

वर्ष 1989 के दौरान सभी उत्प्रवासी संरक्षियों द्वारा दी गई श्रेणीवार और देशवार उत्प्रवास अनुमति को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	श्रेणी/ देश	बहरीन	इराक	कुवैत	लीबिया	ओमन	कतार	सऊदी अरब	वाई०ए० आर०/ पी०डी० आर०वाई०	यू०ए०ई०	जोर्डन	यू० एस० ए० एस० आर०	सुडान	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	बढ़ई	508	526	123	33	1031	5474	2223	36	2796	1	—	—	149	12900
2.	रसोइया	296	74	88	1	839	48	1087	6	472	2	—	—	137	3051
3.	ड्राईवर	87	290	560	13	251	135	4436	—	535	34	—	—	43	6384
4.	इलेक्ट्री-सियन	316	248	256	3	569	83	1645	4	457	6	1	14	87	3689
5.	इंजीनियर	21	25	15	2	36	02	103	—	36	—	—	03	25	268
6.	फिक्सर/ फेबरीकेटर	152	311	32	2	253	61	605	1	482	4	—	29	76	2008
7.	फोरमैन	30	73	50	3	134	8	295	—	279	1	—	—	33	906
8.	परा-चिकित्सा स्टाफ	20	24	8	—	20	15	550	24	67	1	—	—	7	783
9.	मजदूर/ हैल्पर	2981	1417	1996	214	1288	707	22003	5	8944	65	47	—	1137	40657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	राजगिर	498	276	139	61	1556	63	3050	38	2933	—	10	—	107	8731
11.	मैकेनिक/ ए०सी० मैकेनिक भी	173	222	789	5	737	49	1348	—	1062	19	3	—	69	4476
12.	कार्यालय स्टाफ	160	157	97	50	497	90	663	2	462	...	2	—	31	2211
13.	आपरेटर	65	293	119	—	390	22	683	1	191	18	2	—	71	1855
14.	पेन्टर	160	48	76	77	505	18	146	—	407	1	—	—	3	2501
15.	प्लम्बर	45	47	40	69	193	13	1012	10	189	1	1	—	4	1624
16.	दर्जी	691	13	98	—	1512	137	1406	—	829	1	—	—	34	4361
17.	तकनीशियन	88	180	187	84	301	102	265	7	182	4	—	—	106	1450
18.	वैल्डर	85	212	60	8	169	66	343	—	172	4	4	—	103	1223
19.	पर्यवेक्षक	30	128	13	—	67	8	423	4	67	1	5	9	62	813
20.	सर्वेक्षक	14	19	4	—	51	—	121	—	26	1	—	—	28	264
2 .	सेल्समैन	371	—	124	—	2042	42	875	—	715	2	—	—	27	4199
22.	घरेलू नौकरानी/ घरेलू नौकर	382	—	135	—	730	120	71	—	1314	—	—	—	213	2965
23.	फिटर	98	92	138	5	231	231	356	10	500	—	—	—	29	1690
24.	अन्य	1349	410	632	2	3176	497	5260	33	3072	4	43	1	3299	17778
	कुल	8520	5085	5679	632	16574	7991	49710	181	26189	171	118	56	5880	125786

भूमि आबंटन के सम्बन्ध में बेनामी विलेख समाप्त करना

5347. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 को लागू करने के लिए भूमि आबंटन संबंधी बेनामी विलेख समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए अस्पताल खोलना

5348. श्री प्रताप राव जी० भोंसले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए अलग-अलग अस्पताल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जमरानी बांध परियोजना

5349. श्री एम० एस० पाल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-प्रदेश की जमरानी बांध परियोजना में केन्द्रीय सरकार और उत्तर-प्रदेश सरकार का कितना-कितना हिस्सा है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक पूरे हुए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) परियोजना की पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ख) हरीपुर और पाहा पोषक नहरों के साथ परियोजना की इमारतें, काठगोदाम में बराज, गोला पूरक नहर से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं।

(ग) इस परियोजना को नौवीं योजना में आगे लाने का कार्यक्रम है।

भारतीय खाद्य निगम के नए गोदाम

5350. श्री रमेश चेन्नी थाला : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार देश में और अधिक गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण हेतु किन राज्यों और स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) स्थानों का चयन किस आधार पर किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2.03 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण 1990-91 के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम भण्डारण क्षमता का निर्माण कुछेक केन्द्रक स्थानों पर करता है। इन केन्द्रक स्थानों का चयन वसूली/भण्डारण/वितरण और परिचालन संबंधी कार्यों के लिए निगम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1990-91 के दौरान क्षमता प्राप्ति के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों के केन्द्रवार/क्षेत्रवार ब्यौरे

क्रम सं०	केन्द्र/क्षेत्र का नाम	क्षमता (हजार मीटरी टन में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	गुडीवाला	30.00
	दिल्ली	
1.	भेवड़ा	5.00
	राजस्थान	
1.	बारान	2.50
2.	बाड़मेर	5.00
3.	चन्देरिया	5.00
4.	हनुमानगढ़	5.00
5.	केशोरायपाटन	6.67
6.	श्री विजय नगर	3.74
	जोड़	27.91

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	बुलन्दशहर	0.84
2.	कोसीकलां	4.83
3.	मथुरा	2.24
4.	मुरादाबाद	5.00
5.	भरतपुर	19.58
6.	वाराणसी	1.82
7.	रोजा	10.00
8.	पिथोरागढ़	2.50
	जोड़	46·81
	अरुणाचल प्रदेश	
1.	पासीघाट	2.50
	मिजोरम	
1.	लांगलतलाई	3.34
	नागालैंड	
1.	मोन	2.22
	जम्मू और कश्मीर	
1.	लेह	2.50
2.	कारगिल	2.50
3.	कठुआ	5.00
4.	पूंछ	2.50
5.	राजौरी	2.50
	जोड़	15.00

1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
1.	बनकुनी	5.00
	अण्डमान और निकोबार	
1.	पोर्ट ब्लेयर	5.00
	महाराष्ट्र	
1.	वर्धा	30.00
	हिमाचल प्रदेश	
1.	नूरपुर	5.00
	केरल	
1.	कन्नानापल्ली	10.00
2.	चिकोडी	5.00
3.	मवेलीकारा	5.00
	जोड़	20.00
	सिक्किम	
1.	रंगपू	1.67
	त्रिपुरा	
1.	कुमारघाट	4.45
	कुल जोड़	203.90

मद्य निषेध

[अनुवाद]

5351. **श्री एस० डी० पाटिल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मद्य उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाने के लिये केन्द्रीय कानून बनाने और निर्धनों के कल्याण की दृष्टि से देश में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने का है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : जी, हां।

सरकारी कार्यालयों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण

5352. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के बारे में 3 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) 47 मंत्रालय/विभागों से सूचना प्राप्त हो चुकी है और अन्य से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही हैं। प्राप्त सूचना से पता चलता है कि केवल 6 मंत्रालय अपने अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानन्तिरित करने के प्रस्तावों पर सोच-विचार कर रहे हैं। इससे सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये है।

विवरण

क्र० सं०	मंत्रालय का नाम	
1.	आपूर्ति विभाग	निर्णय लिया गया कि निरीक्षण निदेशालय, एम० आई० सर्कल, कार्यालय को गाजियाबाद स्थान्तरित किया जाय। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने गाजियाबाद में भवन का कब्जा ले लिया है और कार्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
2.	शहरी विकास मंत्रालय	प्रकाशन विभाग-1985 में फरीदाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, प्रशिक्षण संस्थान-1984 में गाजियाबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था जहां संस्थान के भवन तथा आवासीय क्वार्टरों का विभिन्न स्तरों पर निर्माण हो रहा है।
3.	रक्षा मन्त्रालय कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर	पर्याप्त संरचना तथा अन्य सुविधाओं के विनिर्माण के पूरा होने पर गाजियाबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय 1981 में लिया गया था ।
4.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	प्रकाशन प्रभाग, फिल्म प्रभाग, गीत तथा नाटक प्रभाग और क्षेत्र प्रचार निदेशालय-1987 में उन्हें गाजियाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय ने इन कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित न करने के बारे में प्रस्ताव मन्त्रिमण्डल आवास समिति को एक टिप्पणी भेजी थी जो कि विचाराधीन है।
5.	संचार मंत्रालय: पोस्टल स्टाफ कालेज तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	गाजियाबाद स्थानांतरित किया जाना है भवन निर्माणधीन है तथा जैसे ही भवन तैयार हो जाता है वह स्थानांतरित हो जायेगा।

1	2	3
6.	जल संसाधन मन्त्रालय	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अधीनस्थ कार्यालय 1967 में फरीदाबाद स्थानांतरित हुआ था। एक कर्मचारी दल को मंत्रालय के साथ सम्पर्क के लिए नई दिल्ली में रखने की अनुमति दी गयी थी।

राजस्थान के गए श्रमिकों को बगदाद में मजदूरी का भुगतान न किया जाना

[हिन्दी]

5353. श्री करोड़ी लाल मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० एन० आई० सी० ई० कनस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी भारतीय श्रमिकों को बगदाद भेजती है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के ऐसे श्रमिकों की स्थानवार संख्या कितनी है जिन्होंने गत एक वर्ष के दौरान बगदाद में काम किया था; और

(ग) क्या इन श्रमिकों को उनकी मजदूरी अब तक अदा नहीं की गई है और यदि हां, तो उन्हें मजदूरी का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) इस सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) ए०एन०आई०सी०ई० कन्सट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लि० कम्पनी द्वारा बगदाद में नियोजित किए गए कुछ कर्मकारों ने अपनी मजदूरी की बकाया राशि की अदायगी न करने के बारे में शिकायत की है। सम्बन्धित अर्ती एजेंसी को श्रम मंत्रालय में बुलाया गया था तथा उन्हें उन श्रमिकों को मजदूरी की सारी बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया था। उसने इसका यथाशीघ्र भुगतान करने का वचन दिया है।

बिहार में सिंचाई क्षमता

5354. श्री राज मंगल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार ने राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का बिहार दाहा नदी पर एक तटबंध के निर्माण के लिए कोई योजना प्रारम्भ करने का है;

(ग) क्या यह योजना मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका शीघ्र कार्यान्वयन करने का है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) सातवीं योजना के

दौरान बिहार में शुरू की गई स्कीमों से 1.42 मिलियन हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ जाने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

बन्धुआ मजदूर सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

5355. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास तथा इनकी समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग का गठन कब तक किया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क समाप्त करना

5356. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में रोगियों से लिए जाने वाले पंजीकरण और प्रवेश प्रभार को समाप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नोलमणि राजलराव) : (क) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में पंजीकरण और दाखिले के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

पटसन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

5357. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट, पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के कार्यान्वयन के बाद पटसन के बोरों और पटसन के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इनमें पृथकत: कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इस अधिनियम को लागू करने के क्या उद्देश्य थे और ये उद्देश्य किस हद तक प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) क्या इस अधिनियम से पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में संलग्न अन्य औद्योगिक एकक भी प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये किस प्रकार प्रभावित हुए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) कुछ समय से पटसन बोरों की कीमतों में वृद्धि हुई है जिसके अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित कच्चे पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत में वार्षिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार की वृद्धि से पटसन पैकेजिंग अधिनियम, 1987 के क्रियान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, देश के विभिन्न भागों में सिंथेटिक उपभोक्ताओं तथा पटसन माल के उत्पादन में लगे लाखों औद्योगिक श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। इस अधिनियम से पटसन और सिंथेटिक दोनों क्षेत्रों के हितों की सुव्यवस्था सुनिश्चित की जाती है जिससे दोनों क्षेत्रों को ऐसे अवसर मिलते हैं ताकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की पैकेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी वैधानिक भूमिका निभा सकें। यदि यह कानून समय पर न बनता तो परम्परागत पटसन अर्थव्यवस्था को बड़ी मात्रा में आयात-अभिमुख सस्ते सिंथेटिक प्रतिस्थापनों की प्रतिकूल स्पर्धा के कारण अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस कानून की संविधानात्मक वैधता को कुछ गैर सरकारी क्षेत्र के सिंथेटिक पैकेजिंग एककों और गैर सरकारी सीमेंट कम्पनियों ने चुनौती दी है। चूंकि यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधीन है इस लिए ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस अधिनियम के कितने लक्ष्यों की उपलब्धि हुई है।

(ग) इस अधिनियम से विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ता क्षेत्रों की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पटसन के अतिरिक्त अन्य पैकेजिंग सामग्री के लिए बाजार में काफी गुंजाइश छोड़ दी गई है। अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य आदेशों द्वारा कवर न किए जाने वाले क्षेत्रों और प्रतिशत स्तर, अन्य पैकेजिंग सामग्री के लिए उपलब्ध है जो कि वस्तुओं की समग्र योजना में अपनी कानूनी भूमिका अदा कर सकते हैं।

दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर से सम्बन्धित मामले

[अनुवाद]

5358. **श्री हेमराज सिंह बनेरा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के कोष में कुछ वित्तीय अनियमितताएं बरती गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कोष में धन अल्पसंख्यकों का है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) दरगाह धर्मार्थ अजमेर के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध की शक्तियां, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित दरगाह समिति में निहित है। अध्यक्ष, दरगाह समिति ने बताया है कि दरगाह निधियों के उपयोग में कोई वित्तीय अनियमताएं नहीं हैं।

तथापि, केन्द्रीय सरकार को दरगाह निधियों के दुरुपयोग के आरोप सम्बन्धी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी सच्चाई का पता लगाने हेतु जांच की जांच की जा रही है।

भिक्षावृत्ति

[हिन्दी]

5359. **श्री गंगाचरण लोची** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में भिखारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने हेतु कोई कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) पन्द्रह राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपने स्वयं के भिक्षावृत्ति विरोधी कानून बनाए हैं क्योंकि भिक्षावृत्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित किसी भी सूची में नहीं आता और यह या तो सूची-III में आने वाली मद संख्या-15 के रूप में "स्वेच्छाचारिता"—संविधान की समवर्ती सूची से अथवा सूची-II में आने वाली मद सं० 9 के रूप में "विकलांगों तथा अनियोजनीय को राहत"—संविधान की राज्य सूची से सम्बन्धित है, अत: सरकार इस विषय पर केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं करती।

रुई का निर्यात

[अनुवाद]

5360. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी रुई का निर्यात किया गया और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) मुख्य निर्यात कर्ताओं के नाम क्या हैं और पिछले वर्षों के दौरान इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) उन कपास उत्पादक देशों के नाम क्या हैं; जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे मुख्य प्रतिबंदी हैं; और

(घ) रुई उद्योग में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव): (क) वर्ष 1986-87 के मौसम में 246.61 करोड़ रु० मूल्य की रुई की 13.67 लाख गांठों का निर्यात किया गया। वर्ष 1987-88 के मौसम के दौरान 21.73 करोड़ रु० मूल्य की रुई की 0.44 लाख गांठों का निर्यात किया गया। वर्ष 1988-89 के रुई मौसम के दौरान 71.54 करोड़ रु० मूल्य की रुई की 0.77 लाख गांठों का निर्यात किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील और तुर्की हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं।

(घ) भारतीय रुई की कीमतें सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से कम होती हैं। आधुनिकीकरण बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि रुई उत्पादों की उत्पादकता, क्षमता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके जिससे कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के स्तर का बनाया जा सके।

विवरण

भारत से प्रमुख हई आयातों के नाम तथा वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान भारत में उनके द्वारा आयातित हई की मात्रा/मूल्य

(मात्रा लाख गांठ में)
मूल्य करोड़ रु० में

देश का नाम	1986-87		1987-88		1988 89	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	1.95	41.53	0.44	19.84	0.56	49.87
दक्षिण कोरिया	0.79	12.71	—	—	0.0004	1.46
सिंगापुर	0.14	2.87	—	—	0.003	2.17
चीन	3.14	51.81	—	—	—	—
चैकोस्लोवाकिया	0.59	11.23	—	—	—	—

सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं

5361. श्री परसराम भारद्वाज : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जिनके पास सरकारी आवास है, विशेषकर जो अब तक सेवा-निवृत्त हो चुके हैं लेकिन विभिन्न कारणों से अपने मकानों में जाने में असमर्थ है; कुछ सुविधाएं/रियायतें देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रति रोग और यौन सम्पर्क रोग का उपचार

5362. श्री मुत्तापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रति रोगों और यौन सम्पर्क रोगों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) वर्ष 1989 के दौरान प्रत्येक राज्य में उक्त, दोनों रोगों के कितने-कितने मामले सामने आये हैं; और

(ग) सरकार की इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न यौन संचारित रोग क्लिनिकों में

देखे गए और उपचार किए गए यौन संचारित रोगों के रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

आरम्भ में पांच प्रमुख रोगों अर्थात सिफिलिस, सुजाक, मृदुव्रण, एल० जी० वी० और जी० आई० का रतिज रोगों के रूप में वर्गीकरण किया गया। बाद में, यौन क्रिया से संचारित कई अन्य रोगों के शामिल किए जाने से रोगों का नाम बदलकर यौन संचारित रोग कर दिया गया है।

(ग) कार्यरत चिकित्सीय और अर्ध चिकित्सीय कार्मिकों को शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, मद्रास और कलकत्ता में पांच क्षेत्रीय यौन संचारित रोग केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, देश में 300 सी से अधिक यौन संचारित रोग क्लिनिक कार्य कर रहे हैं और ये सभी क्लिनिक यौन संचारित रोगों के रोगियों को चिकित्सीय सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य और सामुदायिक शिक्षा सामग्री भी विकसित की गई है और राज्य सरकारों को सप्लाई की गई है।

विवरण

वर्ष 1986 से 1988 के दौरान यौन संचारित रोग क्लिनिकों में देखे गये और उपचार किए गए रोगियों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1986	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	75548	77328	79038	83121
2.	अरुणाचल प्रदेश	+	+	+	—
3.	असम	1036	1215	2149	2327
4.	बिहार	34587	35867	36341	36793
5.	गोवा और दमन दीव	1884	2013	2217	2419
6.	गुजरात	124813	125521	125832	127344
7.	हरियाणा	807	1021	2441	2973
8.	हिमाचल प्रदेश	2530	2743	3230	3460
9.	जम्मू और कश्मीर	34854	35112	26021	36422
10.	कर्नाटक	72285	74493	75572	79631
11.	केरल	19483	20517	21347	24278
12.	मध्य प्रदेश	18541	19221	21124	29387
13.	महाराष्ट्र	423794	425387	425631	426107
14.	मणिपुर	1181	1832	2243	2607
15.	मेघालय	3094	3987	4224	4313
16.	मिजोरम	3932	2457	2762	2792

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	506	861	1012	2118
18.	उड़ीसा	94439	96343	96844	98567
19.	पंजाब	2743	3418	4213	6517
20.	राजस्थान	14914	16521	17126	21219
21.	सिक्किम	+	+	+	—
22.	तमिलनाडु	223746	226820	227328	229473
23.	त्रिपुरा	3173	3211	3707	3812
24.	उत्तर प्रदेश	26705	28753	29229	31503
25.	पश्चिम बंगाल	26773	31324	32421	34127
26.	भारत का सामाजिक स्वास्थ्य संगठन	23781	23983	24857	25746
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	+	+	+	—
2.	चण्डीगढ़	246	312	418	397
3.	दादरा और नागर हवेली	+	+	+	—
4.	दिल्ली	31647	33216	34414	36972
5.	लक्षद्वीप	+	+	+	—
6.	पांडिचेरी	8780	9143	9342	9413
	योग	1275822	1302619	1321083	13,63841

झींगा मछली के स्रोतों को संरक्षण देने के उपाय

5363. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी हस्त उद्योग को फिर से लाभप्रद बनाने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया गया है;

(ख) सम्पूर्ण देश में झींगा मत्स्य नौकाओं और यन्त्र चालित नौकाओं की संख्या में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार झींगा मछली स्रोतों को और अधिक ह्रास से बचाने के लिए छोटी आकार की मत्स्य नौकाओं और जलयानों के आगे ब्रिल पोषण करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशा निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी (एस० एफ० डी० सी०) से सहायता प्राप्त गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियां जब भी पुनर्वास सहायता के लिए सरकार से मांग करती हैं तब ऋणों को पुनर्नियोजित करने और ब्याज को व्यवस्थित करने हेतु उनके मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। ब्रिल्पिंग के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोत खरीदने हेतु सरकार मन्जूरी नहीं देती है। बल्कि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले वर्तमान जलयानों को भी ब्रिल्प से भिन्न स्थानों में खोज के लिए मार्ग परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

बिहार में जिलावार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[हिन्दी]

5364. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इन जिलों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है;

(ग) क्या ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार 31-12-1989 को बिहार में 2001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिलावार पूरा ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया है। योजना आयोग में वार्षिक योजना के बारे में विचार विमर्श के

दौरान बिहार राज्य सरकार को 1990-91 के दौरान 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य दिया गया है।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण की राज्य सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। जब कभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकारण के कमियों के बारे में रिपोर्ट में आती है तो इनके लिए राज्य सरकार से मिलकर कार्यवाही की जाती है क्योंकि केन्द्र सरकार का इस सम्बन्ध में कोई सीधी भूमिका नहीं है।

बिहार में बन्धुआ मजदूर

5365. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में जिलावार कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त किया गया;

(ख) इनके पुनर्वास के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कुछ पुनर्वासित मजदूर पुनः बन्धुआ मजदूर हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना बिहार सरकार से मांगी जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेलों का मूल्य

5366. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयातित खाद्य तेलों का पोत पर्यंत तक विमुक्त मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई रियायती दरों पर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान को कितनी मात्रा में खाद्य तेल उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) आयातित खाद्य तेल लागत बीमा भाड़ा आधार पर खरीदा जाता है। 1989-90 के दौरान आयातित खाद्य तेल (क्रूड पी० पी० पामोलीन) के लिए दिया गया औसत लागत बीमा भाड़ा मूल्य 321 अमरीकी डालर प्रति मी० टन था।

(ख) सरकार द्वारा समय समय पर नियत की गई कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेलों के वितरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) राजस्थान को आवंटित की जाने वाली खाद्य तेल की मात्रा मुख्यतय सरकार के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलों के भंडार, उसकी मांग और राज्य द्वारा इसे उठाए जाने की गति पर निर्भर करेगी।

लोहिया ग्रुप द्वारा कपड़ा क्षेत्र में पूंजी-निवेश

[अनुवाद]

5367. श्री माधव राव सिंधिया : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया ग्रुप ने भारत में कपड़ा क्षेत्र में कम से कम चार सौ करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कई प्रस्ताव रखे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत लोहिया ग्रुप द्वारा कौन-कौन सी परियोजनायें शुरू की जायेंगी; और

(घ) इस ग्रुप द्वारा कर्नाटक राज्य में कुल कितनी परियोजनायें स्थापित की जायेंगी;

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों में रिंग रोड़ का निर्माण

5368. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या शहरी विकास मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन शहरों और कस्बों में रिंग रोड बनाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है जहां भीड़ भरे यातायात की समस्या विद्यमान है;

(ख) इन रिंग रोडों के निर्माण के लिए सरकार राज्यों को इनकी लागत की कितनी प्रतिशत प्रदान करेगी; और

(ग) उन शहरों और कस्बों के नाम क्या-क्या है जिन्हें रिंग रोडों के निर्माण हेतु चुना गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मांग, आवश्यकता, प्राथमिकता तथा उपलब्ध संसाधनों आदि पर निर्भर करते हुये, सम्बन्धित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण योजना बनाती है तथा सड़कों का निर्माण करती है, जिसका रिंग रोड भी एक भाग है।

(ख) शहरों तथा कस्बों में रिंग रोडों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता देने हेतु फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों का आयात

5369. श्री रामदास सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस वर्ष के दौरान खाद्यान्न आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार ने 1980 के खाद्य ऋण के प्रति लगभग 44,930 मीटरी टन चावल वापस कर देने विषयक वियतनाम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और आशा है कि यह मात्रा 1990-91 के दौरान प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा, कहीं से भी गेहूं और चावल का आयात करने के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है।

टोंक जिला (राजस्थान) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों बीड़ी मजदूर

[हिन्दी]

5370. श्री गोपाल पचेरवाल :

श्री चान सिंह जाटव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में टोंक जिले में बीड़ी मजदूरों में से अधिकतर अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं;

(ख) क्या उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है;

(ग) क्या उन्हें आवास और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है; और

(घ) क्या बीड़ी की बनावट का वर्गीकरण और उसके पत्तों को तरासने के बहाने इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और यदि हां तो इन मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। टोंक जिले में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या 30,000 है।

(ख) राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार टोंक जिले में बीड़ी कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) बीड़ी कर्मकारों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा, आवास, शैक्षिक, मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधायें देने के लिए, टोंक जिले में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत भी अनेक कल्याण निधि के अन्तर्गत भी अनेक कल्याण योजनायें लागू की जा रही हैं। उदाहरण के लिए, जिले में एक स्थायी औषधालय स्थापित किया गया है। इस औषधालय में वर्ष 1989-90 के दौरान कुल उपस्थिति 34,30 थी। वर्ष 1989-90 के दौरान, 719 पुरस्कार पाने वालों को 2,28,480/- रु० की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई, स्कूल वर्दी की खरीद के लिए बीड़ी कर्मकारों के 40० बालकों को 20,300/- रु० की वित्तीय सहायता दी गई तथा 76 महिला बीड़ी कर्मकारों को 250/- रु० की दर से प्रसूति प्रसुविधा दी गई।

(घ) राजस्थान सरकार के अनुसार, इस सम्बन्ध में किसी भी यूनियन से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

निरोध का उत्पादन

[अनुवाद]

5371. श्री चौकीति दास नरसिंहराज वाडियर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश के बाजारों में बड़ी मात्रा में आयातित कण्डोम बिक रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का निरोधों का उत्पादन बढ़ाने तथा आयातित कण्डोमों की बिक्री रोकने का प्रस्ताव है; और

(ग) वे सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां कौन-सी हैं जो इस समय निरोध बना रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार आयातित कण्डोमों की बिक्री देश में कण्डोमों की कुल बिक्री का 7 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) जी, हां । सरकार का कन्डोमों के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है । बहरहाल इस समय आयातित कण्डोमों की बिक्री, जो खुले सामान्य लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत आती है और देश में कण्डोमों की कुल बिक्री का 7 प्रतिशत बैठती है, पर नियन्त्रण लगाने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) स्थापित क्षमता सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में कण्डोमों का निर्माण करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा इस प्रकार है—

	संस्थापित क्षमता (दस लाख नगों में)
(i) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	608
(ii) लोकेमि (प्रोटेक्टिव्स लिमिटेड, औरंगाबाद (एच० आर० सी० और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उपक्रम)	200
(iii) सन्धन रबड़ कम्पनी, मद्रास (टी० डी० के ग्रुप की एक कम्पनी)	375

उपरोक्त के अतिरिक्त, दो अन्य कम्पनियां नामत. मैसर्स पोलर लेटेक्स लिमिटेड और जे० के० केमिकल्स 20-20 अरब नगों की संस्थापित क्षमता वाले नई यूनिटें स्थापित करने के प्रक्रिया चल रही है ।

तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में कताई मिलें

5372. श्री आर० ओवरलम् : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में कताई मिलें स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) कताई मिल की स्थापना के बारे में तमिलनाडु सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर वस्त्र मंत्रालय में विचार नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सिर पर मल ढोने की प्रथा को समाप्त करना

[हिन्दी]

5373. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "भंगी कष्ट मुक्ति योजना" के अन्तर्गत सिर पर मल ढोने की प्रथा समाप्त करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस श्रेणी के लोगों के लिये विशेष रोजगार अभियान भी शुरू किया जायेगा ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार ने "सफाई कर्मचारियों की मुक्ति" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है जिसके दो उद्देश्य है (I) चुने हुए छोटे तथा मध्यम कस्बो में सम्पूर्ण कस्बा दृष्टिकोण के आधार पर विद्यमान सभी घरेलू समुदाय शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करना तथा (II) साथ ही साथ बेरोजगार सफाई कर्मचारियों का वैकल्पिक रोजगार तथा व्यवसायों में पुनर्वास करना।

1988-89 तक 226 कस्बो को योजना में शामिल किया गया था। 1989-90 की कार्य योजना के अन्तर्गत, 264 नए छोटे तथा मध्यम कस्बो को लिया गया है तथा 1990-91 के दौरान 500 नए शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

खरीदे गए धान में से राजस्थान को धान का आवंटन

5374. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष धान की खरीद लक्ष्य से अधिक हुई है और यदि हां तो कुल कितना धान खरीदा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस खरीदे हुए धान में से राजस्थान को खरीद मूल्य पर ही धान का आवंटन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) धान की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। क्योंकि सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा की गई स्वैच्छिक पेशकशों के प्रति धान की वसूली की जाती है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम

1989-90 के दौरान 12-4-90 तक 30.35 लाख मी० टन गन्ना की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 10.99 लाख मीटरी टन गन्ना की वसूली की गई थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में सिंचाई क्षमता

[अनुवाद]

5375. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कुल कितनी हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा में सिंचाई की प्रचुर क्षमता विद्यमान है;

(ग) क्या इस राज्य में भी सिंचित क्षेत्र में वृद्धि अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) 5900 हजार हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले सातवीं योजना के अन्त तक राज्य में 2969·06 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की प्रत्याशा है।

(ग) जी हां।

(घ) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

परिवार नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति

5376. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान, राज्यवार परिवार नियोजन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) इस योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों के कितने व्यक्तियों ने नसबंदी जैसे परिवार नियोजन आपरेशन कराये थे;

(ग) क्या सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए आठवीं योजना के दौरान नये-नये प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित परिवार नियोजन लक्ष्यों के राज्यवार, तरीकेवार और वर्षवार पांच ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किए गए नसबन्दी आपरेशनों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों और विकल्पों की जांच की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90 के परिवार कल्याण लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	नसबन्दी	आई०यू०डी	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोगकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	637,000	421,000	1,014,000	194,000
2.	असम	200,000	30,000	60,000	15,000
3.	बिहार	513,000	400,000	202,000	20,700
4.	गुजरात	293,000	317,000	650,000	78,000
5.	हरियाणा	100,000	164,000	550,000	40,000
6.	कर्नाटक	311,000	223,000	246,000	49,800
7.	केरल	180,000	115,000	271,000	24,500
8.	मध्य प्रदेश	350,000	300,000	1,150,000	200,000
9.	महाराष्ट्र	525,000	500,000	850,000	350,000
10.	उड़ीसा	209,000	168,000	306,000	42,100
11.	पंजाब	120,000	275,000	429,000	50,000
12.	राजस्थान	225,000	250,000	400,000	50,000
13.	तमिलनाडु	425,000	415,000	280,000	150,000
14.	उत्तर प्रदेश	700,000	1,250,000	1,300,000	180,000
15.	पश्चिम बंगाल	450,000	175,000	425,000	100,000
16.	हिमालय प्रदेश	30,000	43,000	69,000	9,500
17.	जम्मू व कश्मीर	36,600	25,700	21,200	3,200
18.	मणिपुर	7,800	8,200	4,600	220
19.	मेघालय	700	2,000	3,000	2,000
20.	नागालैंड	1,500	2,500	700	1,000

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	1,100	1,700	600	2,200
22.	त्रिपुरा	9,000	4,500	4,000	2,900
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2,100	1,500	1,400	320
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,400	2,000	600	1,000
25.	चण्डीगढ़	3,500	10,000	10,000	500
26.	दादरा और नागर हवेली	800	210	700	100
27.	दिल्ली	36,000	90,000	360,000	4,500
28.	गोवा	4,500	3,500	12,000	2,000
29.	दमण व द्वीव	350	330	750	120
30.	लक्षद्वीप	60	100	1,000	250
31.	मिजोरम	3,000	2,700	2,200	920
32.	पांडिचेरी	5,100	3,200	8,300	960
33.	रक्षा मन्त्रालय	28,900	20,000	90,800	4,200
34.	रेल मन्त्रालय	38,600	28,700	442,000	4,100
35.	वाणिज्यिक वितरण			4,850,000	500,000
	अखिल भारत	5,449,010	5,252,840	14,015,850	2,094,090

वर्ष 1988-89 के परिवार कल्याण लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	नसबन्दी	आई०यू०डी०	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियो के उपयोगकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	600,000	321,000	773,000	151,000
2.	असम	149,000	68,400	119,000	12,900
3.	बिहार	513,000	355,000	202,000	20,700

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	293,000	317,000	650,000	78,000
5.	हरियाणा	100,000	187,000	628,000	25,000
6.	कर्नाटक	325,000	210,000	222,000	65,000
7.	केरल	200,000	115,000	271,000	34,500
8.	मध्य प्रदेश	400,000	251,000	961,000	132,000
9.	महाराष्ट्र	500,000	475,000	849,000	181,000
10.	उड़ीसा	200,000	148,000	268,000	37,700
11.	पंजाब	120,000	270,000	462,000	31,000
12.	राजस्थान	225,000	210,000	527,990	45,990
13.	तमिलनाडु	450,000	453,000	320,000	82,100
14.	उत्तर प्रदेश	650,000	1,151,000	1,183,000	112,000
15.	पश्चिम बंगाल	437,000	168,000	412,000	44,700
16.	हिमाचल प्रदेश	30,000	43,200	69,300	9,500
17.	जम्मू व कश्मीर	36,600	25,700	21,200	2,600
18.	मणिपुर	7,000	7,000	3,900	190
19.	मेघालय	1,000	5,300	13,600	2,500
20.	नागालैंड	1,000	4,100	640	980
21.	सिक्किम	1,000	1,700	600	2,100
22.	त्रिपुरा	10,000	4,000	8,100	2,900
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2,000	1,700	1,300	280
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,800	4,200	1,700	1,600
25.	चण्डीगढ़	3,500	10,000	14,200	420
26.	दादरा व नगर हवेली	1,100	180	600	40
27.	दिल्ली	36,000	110,000	345,000	2,000

1	2	3	4	5	6
28.	गोवा	4,500	3050	17,700	1,950
29.	दमण व द्वीव	450	250	1,400	150
30.	लक्षद्वीप	60	100	790	50
31.	मिजोरम	3,000	2,700	2,200	920
32.	पांडिचेरी	5,300	3,300	8,400	690
33.	रक्षा मन्त्रालय	28,800	18,200	82,700	3,700
34.	रेल मन्त्रालय	38,400	26,100	402,000	3,700
35.	वाणिज्यिक वितरण			4,200,000	1,050,000
	अखिल भारत	5,374,000	4,970,000	13,643,320	2,140,260

वर्ष 1987-88 के परिवार कल्याण लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	नसबन्दी	आई०यू०डी०	प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोगकर्ता
1	2	3	4	5	6
प्रमुख राज्य (एक करोड़ से अधिक आबादी वाले)					
1.	आंध्र प्रदेश	600,000	250,000	540,000	70,000
2.	असम	205,000	35,000	46,300	10,000
3.	बिहार	600,000	272,000	150,000	20,000
4.	गुजरात	300,000	313,000	508,000	100,000
5.	हरियाणा	105,000	167,000	470,000	25,000
6.	कर्नाटक	350,000	198,000	220,000	63,000
7.	केरल	215,000	121,000	150,000	40,000
8.	मध्य प्रदेश	450,000	265,000	747,000	110,000

1	2	3	4	5	6
9.	महाराष्ट्र	570,000	525,000	850,000	217,000
10.	उड़ीसा	225,000	122,000	192,000	36,000
11.	पंजाब	125,000	250,000	380,000	28,000
12.	राजस्थान	300,000	120,000	220,00	20,000
13.	तमिलनाडु	560,000	288,000	293,000	76,000
14.	उत्तर प्रदेश	650,000	982,000	1,000,000	117,000
15.	पश्चिम बंगाल	500,000	115,000	250,000	37,000
छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1.	हिमाचल प्रदेश	35,000	32,000	42,000	6,000
2.	जम्मू और कश्मीर	60,000	17,000	15,000	4,000
3.	मणिपुर	7,000	7,000	6,600	900
4.	मेघालय	700	1,500	6,000	1,000
5.	नागालैंड	1,000	1,500	600	500
6.	सिक्किम	1,000	1,700	400	2,000
7.	त्रिपुरा	10,000	4,400	4,000	2,500
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	1,500	1,500	900	200
9.	अरुणाचल प्रदेश	500	2,000	700	700
10.	चण्डीगढ़	3,500	10,000	9,000	500
11.	दादरा और नगर हवेली	1,000	200	700	100
12.	दिल्ली	40,000	100,000	248,000	1,500
13.	गोवा और दमन दीव	4,740	3,000	10,000	1,200
14.	लक्षद्वीप	60	100	500	100
15.	मिजोरम	3,000	2,500	2,300	700
16.	पांडिचेरी	6,000	3,600	6,000	1,700

1	2	3	4	5	6
अन्य एजेंसियां					
1.	रक्षा मन्त्रालय	30,000	16,000	65,000	3,700
2.	रेल विभाग	40,000	23,000	316,000	3,600
3.	वाणिज्यक वितरण			4,000,000	1,000,000
	अखिल भारत	6,000,000	4,250,000	10,750,000	2,000,000

वर्ष 1986-87 के परिवार कल्याण लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेन्सी	नसबन्दी	आई०यू०डी०	प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोगकर्ता
1	2	3	3	4	6
प्रमुख राज्य (करोड़ से अधिक आबादी)					
1.	आंध्र प्रदेश	600,000	160,000	350,000	80,000
2.	असम	205,000	30,000	37,000	10,000
3.	बिहार	600,000	272,000	110,000	20,000
4.	गुजरात	300,000	300,000	450,000	100,000
5.	हरियाणा	105,000	150,000	470,000	27,000
6.	कर्नाटक	350,000	180 000	140,000	63,000
7.	केरल	215,000	70.000	150,000	40,000
8.	मध्य प्रदेश	450,000	220,000	580,000	100,000
9.	महाराष्ट्र	570,000	650,000	700,000	203,000
10.	उड़ीसा	225,000	100,000	150,000	36,000
11.	पंजाब	125,000	250,000	380,000	28,000
12.	राजस्थान	300,000	120.000	140,000	20,000
13.	तमिलनाडु	560,000	200,000	130,000	76,000
14.	उत्तर प्रदेश	650,000	750,000	880,000	120,000
15.	पश्चिम बंगाल	550,000	115,000	200,000	46,500

1	2	3	4	5	6
II.	छोटे राज्य (1 करोड़ से कम आबादी वाले) तथा संघ राज्य क्षेत्र				
1.	हिमाचल प्रदेश	35,000	30,000	35,000	5,400
2.	जम्मू और कश्मीर	60,000	17,000	15,000	4,000
3.	मणिपुर	7,000	6,000	6,600	900
4.	मेघालय	700	1,400	6,000	900
5.	नागालैंड	1,000	1,400	500	1,000
6.	सिक्किम	1,000	1,400	500	2,000
7.	त्रिपुरा	10,000	4,000	3,000	2,500
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1,500	1,000	500	200
9.	अरुणाचल प्रदेश	600	1,500	600	1,000
10.	चण्डीगढ़	3,500	6,000	8,000	1,000
11.	दादरा और नगर हवेली	1,000	50	500	100
12.	दिल्ली	40,000	72,000	190,000	1,450
13.	गोवा, दमण और द्वीप	4,740	1,500	8,000	1,100
14.	लक्षद्वीप	60	100	500	50
15.	मिजोरम	3,000	1,950	2,300	700
16.	पांडिचेरी	6,000	3,600	6,000	1,200
III.	अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मन्त्रालय	30,000	14,000	60,000	3,700
2.	रेल विभाग	40,000	20,000	290,000	3,600
	कुल निःशुल्क वितरण	—	—	5,500,000	—
	वाणिज्यिक वितरण	—	—	5,000,000	—
	अखिल भारत	6,000,000	3,750,000	10,500,000	1,000,000

वर्ष 1985-86 के परिवार कल्याण लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी क्षेत्र	नसबन्दी	आई०यू०डी०	प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोगकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	530,000	140,000	300,000	80,000
2.	असम	180,000	24,000	40,000	10,000
3.	बिहार	571,000	174,000	150,000	50,000
4.	गुजरात	300,000	250,000	472,000	74,000
5.	हरियाणा	100,000	145,000	350,000	25,000
6.	हिमाचल प्रदेश	38,000	21,000	23,000	9,000
7.	जम्मू और कश्मीर	40,000	17,000	15,000	4,000
8.	कर्नाटक	236,000	160,000	200,000	63,000
9.	केरल	215,000	55,000	75,000	35,000
10.	मध्य प्रदेश	425,000	200,000	500,000	100,000
11.	महाराष्ट्र	565,000	600,000	600,000	148,000
12.	उड़ीसा	210,000	100,000	157,000	36,000
13.	पंजाब	120,000	207,000	260,000	28,000
14.	राजस्थान	285,000	85,000	160,000	31,000
15.	तमिलनाडु	475,000	168,000	200,000	76,000
16.	उत्तर प्रदेश	600,000	665,300	690,000	900,000
17.	पश्चिम बंगाल	450,000	108,000	260,000	82,000
18.	मणिपुर	6,000	6,200	6,600	900
19.	मेघालय	600	500	2,200	500
20.	नागालैंड	400	200	1,000	600
21.	सिक्किम	700	1,000	400	1,400
22.	त्रिपुरा	10,000	4,000	3,000	2,000

1	2	3	4	5	6
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	1,400	800	500	200
24.	अरुणाचल प्रदेश	400	1,400	500	600
25.	चण्डीगढ़	3,300	10,000	10,000	800
26.	दादरा और नगर हवेली	1,000	150	550	100
27.	दिल्ली	30,000	64,000	174,000	2,200
28.	गोवा, दमण और दीव	5,000	1,500	8,300	1,600
29.	लक्षद्वीप	100	200	200	50
30.	मिजोरम	3,000	2,000	3,500	700
31.	पांडिचेरी	7,000	3,600	4,900	1,600
32.	रक्षा मंत्रालय	23,000	12,000	59,000	3,600
33.	रेल मंत्रालय	28,000	16,800	288,000	2,400
34.	वाणिज्यिक वितरक			4,500,000	
	अखिल भारत	5,560,300	3,243,650	9,514,650	960,450

विवरण-2

मतदेयी आपरेशनों का राज्यवार विवरण

[वर्ष 1989-90, 1988-89, 1987-88, 1986-87 और 1985-86]

1989-90

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	(अप्रैल 89 से फरवरी 90)*	1988-89*	1987-88	1986-87	1985-86
1	2	3	4	5	6	7
I. प्रमुख राज्य (एक करोड़ या इससे अधिक आबादी)						
	1. आंध्र प्रदेश	386144	477106	457489	456138	434714
	2. असम	45769	58119	78274	93471	122690
	3. बिहार	267601	514498	510085	362715	361706
	4. गुजरात	195989	24.079	277062	260101	333423
	5. हरियाणा	76671	81426	77603	76364	115222
	6. कर्नाटक	261809	301147	319763	334060	342234
	7. केरल	170317	207457	195298	204615	204572
	8. मध्य प्रदेश	209043	273584	318311	452723	359246

1 2	3	4	5	6	7
9. महाराष्ट्र	444712	510191	460612	555353	556090
10. उड़ीसा	133130	161547	146982	149805	166481
11. पंजाब	108894	96594	149030	144106	120552
12. राजस्थान	103269	107372	194479	224880	267865
13. तमिलनाडु	342561	407530	511744	498890	513990
14. उत्तर प्रदेश	390407	729075	751670	743226	540191
15. पश्चिम बंगाल	272497	335873	324575	301171	288840
II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1. हिमाचल प्रदेश	27670	35164	31376	33038	32291
2. जम्मू और कश्मीर*	10009	26146	25669	35130	31813
3. मणिपुर	3689	5740	4711	5328	7774
4. मेघालय	494	470	558	457	534
5. नागालैंड	939	715	548	679	615
6. सिक्किम	441	973	861	1057	838
7. त्रिपुरा	6000	6915	6764	10786	8917
8. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1725	2061	1522	1533	1496
9. अरुणाचल प्रदेश	1076	1560	944	1039	832

1	2	3	4	5	6	7
10.	चण्डीगढ़	1876	2925	3708	3653	3577
11.	दादरा और नगर हवेली	1773	1163	1505	1722	1363
12.	दिल्ली	28250	31456	28971	26901	27846
13.	गोवा	4266	4368	4457	4578£	4784
14.	दमण और दीव	305	367	417	**	**
15.	लक्षद्वीप	22	40	25	34	39
16.	मिजोरम	3029	3154	3565	2709	2899
17.	पांडिचेरी	6766	6074	5727	5747	5973
III.	अन्य एजेंसियां					
1.	रक्षा मंत्रालय	16576	19746	22192	20913	1933
2.	रेलवे मंत्रालय	24487	26519	22659	20250	22865
	अखिल भारतीय	3547206	4678155	4939756	5043185	4901609

* आंकड़े अन्तिम

** जनवरी 1990 तक के आंकड़े

£ गोवा, दमण और दीव के संयुक्त आंकड़े

££ गोवा में शामिल

कर्नाटक में कपड़ा एककों को राहत देने का अनुरोध

5377. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (के०एस०टी०एन०ए०) ने कर्नाटक राज्य में कपड़ा एककों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में कुल कितने कपड़ा एकक रुग्ण एककों की सूची में हैं, और इनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) 31-12-87 की स्थिति अनुसार आर० बी० आई० द्वारा कर्नाटक में 10 गैर एस० एम० आई० टैक्सटाइल एककों को रुग्ण की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने रुग्ण वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में इसके द्वारा अर्थक्षम पाई जाने वाली मिलों को विकसित करने और पुनर्स्थापना सम्बन्धी पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित की है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने और उन्हें लागू करने के लिए एक बी० आई० एफ० आर० की स्थापना की गयी है।

छोटे नगरों का विकास

5379. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** :

श्री जी० एस० बासवराज : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने समूचे देश में छोटे नगरों का विकास करने तथा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ पक्की सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) छोटे कस्बों के विकास के लिए योजना आयोग ने 10 करोड़ रुपये उद्दिष्ट किये हैं। जबकि छोटे नगरों को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है फिर भी योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थ चालू वर्ष के योजना परिव्यय के भाग को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने का सुझाव दिया है ।

दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 में संशोधन

5380. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** :

श्री जी० एस० बासवराज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कर्मकारों को कितना लाभ होगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) दिल्ली दुकान और

स्थापना अधिनियम, 1954 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुआ है तथा इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

राशन कार्ड प्राप्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण

[हिन्दी]

5381. **श्री राम प्रसाद चौधरी :**

श्री जनार्दन तिवारी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में राशन कार्ड प्राप्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि राशन कार्ड जारी करने के लिए पहले से ही एक सरल और युक्तिसंगत प्रक्रिया प्रचलित है। अत: प्रक्रिया में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

सिंथेटिक/सिंथेटिक ब्लेंडिड फेब्रिक्स के अधिक मूल्य

[अनुवाद]

5382. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उपभोक्ताओं द्वारा कपड़े की खरीद के बारे में वस्त्र समिति की बाजार अनुसंधान शाखा (मार्मिट रिसर्च विंग) द्वारा दिए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, सिंथेटिक/सिंथेटिक ब्लेंडिड फेब्रिक्स का खुरदरा मूल्य कपड़े पर उत्पादन शुल्क सहित एक्स-मिल फेब्रिक्स प्राइस की तुलना में 76% से 200% अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को सिंथेटिक/सिंथेटिक ब्लेंडिड फेब्रिक्स उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कपड़े के व्यापार से अधिक लाभ होने से देश में कपड़े की तस्करी में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) तस्करी रोकने के उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे ऐसा पता

चलता हो कि सिंथेटिक/सिंथेटिक ब्लेंडिड फेब्रिक की फुटकर कीमतें, एक्स मिल कीमतों से 70 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक अधिक रही है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ सेम्पल किस्मों की फुटकर (शो रूम) कीमतें, जिसमें फेब्रिक का उत्पादन शुल्क शामिल है, मार्च, 1988 में 32.3 प्रतिशत से 68.1 प्रतिशत तक अधिक थीं, मार्च, 1989 में 34.9 से 55 प्रतिशत के बीच थी तथा फरवरी, 1990 में 39.2 प्रतिशत 55.1 प्रतिशत के बीच थी।

(ङ) वस्त्र नीति के अनुरूप सरकार ने मानव निर्मित फाईबर/यार्न पर अनेक उत्पाद शुल्क के लाभ, सिंथेटिक और ब्लेंडिड फेब्रिक की कम कीमतों के रूप में उपभोक्ता को दिए जा सकें। इसके अतिरिक्त उचित कीमतों पर मानव निर्मित फाइबरों/यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के फाइबरों/यार्न को, जिसमें पालिएस्टर स्टेपल फाइबर शामिल नहीं हैं, ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा गया है और साथ ही समय-समय पर आयात शुल्क की भी समीक्षा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः संरचना की जाती है। इसके अलावा जनता को उचित कीमतों पर सिंथेटिक/ब्लेंडिड फेब्रिक उपलब्ध करने के लिए सरकार ने "सुलभ", "सुवमान", "सौभाग्य" आदि योजनाएं शुरू की हैं जिनके अन्तर्गत एन० टी० सी० और हथकरघा क्षेत्र के जरिए सस्ते फेब्रिक का उत्पादन करने के लिए शुल्क मुक्त/रियायती शुल्क दर पर फाइबर/यार्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

(च) और (छ) सिंथेटिक और ब्लेंडिड फेब्रिक की घरेलू कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित उनकी कीमतों से अधिक है है। यह अन्तर तस्करों को तस्करी के लिए प्रेरित कर सकता है। तथापि सरकारी तंत्र ऐसी किसी भी तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सतर्क और तैयार है।

इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के पास पड़ा सरकारी धन

5383. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के पास कितना सरकार धन पड़ा है;

(ख) फेडररेशन के पास यह धन किस प्रयोजन के लिए पड़ा है;

(ग) इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पर सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है; और

(घ) क्या इस धनराशि को उससे वसूल करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, वस्त्र निर्यात संवर्धन योजनाओं और नियंत्रित कपड़े को आर्थिक सहायता देने के लिए क्रमशः निर्यात संवर्धन निधि और उपभोक्ता उपदान निधि का संचालन कर रहा था। सरकार और काटन मिलों द्वारा स्वेच्छापूर्वक आर्थिक अंशदान करके निधियां सृजित की गयी थीं। इन दोनों निधियों के संचालन कार्य की देखभाल वस्त्र आयुक्त द्वारा की जा रही थी। इस प्रक्रिया में, ऐसा प्रतीत होता है कि आई० सी० एम० एफ० को अधिक भुगतान हो गया है और सही राशि निर्धारित नहीं की गयी है। यदि आखिर में ऐसा पता चलता है कि कोई अधिक भुगतान हो गया है, इसे आई० सी० एम० एफ० से वसूल कर लिया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में दवाओं का उपलब्ध होना

5384. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अन्तरंग रोगियों से उनके इलाज के लिए दवाईयां आदि खरीदने को कहा जा रहा है; और

(ख) अस्पतालों में दवाईयों के उपलब्ध न होने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) अस्पताल में दाखिल मरीजों के उपचार के लिए सभी औषधें उपलब्ध करने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं और महत्वपूर्ण/आवश्यक औषधों में से अधिकतर औषधें उपलब्ध हैं। तथापि, कई बार अधिक खपत और/अथवा बाजार में औषधों के उपलब्ध होने के कारण दवाइयों की कमी महसूस की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का रख-रखाव

5385. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनके रख-रखाव के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन औषधालयों के रख-रखाव में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को तुरन्त दूर किया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे अनुरक्षण में कोई कमी सूचित नहीं की गई हैं, फिर भी उसे सुधारने तथा सी० जी० एफ० एस० प्राधिकारियों की सन्तुष्टि तक अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किये जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का बारी से पहले आवंटन

5386. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने, फ्लैटों का, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन द्वारा बारी से पहले आवंटन किया गया तथा ऐसे फ्लैटों का श्रेणी-वार विवरण क्या है;

(ख) फ्लैटों को बारी से पहले आवंटित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये थे;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए बारी से पहले आवंटित करने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) बारी से पहले जिन व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किये गये हैं, उनका ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) नीचे दिये गये श्रेणीवार ब्यौरों के अनुसार 684 :—

वर्ष	श्रेणी				
	स्वचित्त पोषित योजना	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
87-88	34	71	44	32	181
88-89	75	48	58	18	199
89-90	81	81	110	32	304
				कुल योग	684

(ख) दिल्ली के उप राज्यपाल तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अत्यधिक अनुकम्पा तथा कठिनाई के मामलों में तथा विधवाओं और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों तथा ऐसे ही अन्य विशेष मामलों में जो उनके विचार में विशेष ध्यान दिये जाने योग्य हैं, जैसे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्र का मान बढ़ाया हो और जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हो, वे सैनिक, कार्मिक जिन्हें मातृ भूमि की रक्षार्थ वीरता दिखाई हो और राष्ट्रीय के अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय सेवा के मामले में एक वर्ष के दौरान आवंटित किये गये फ्लैटों की कुल संख्या का 2½% बिना बारी के आधार पर आवंटन करने के लिए सक्षम हैं।

(ग) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) बिना बारी आधार पर आवंटित किये गये कुल 684 फ्लैटों में से 290 फ्लैट विधवाओं को' 227 फ्लैट शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को और शेष 167 फ्लैट अत्यधिक अनुकम्पा/कठिनाई के मामलों में आवंटित किये गये थे।

दिल्ली के नर्सिंग होमों में हुई मौतें

538. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नर्सिंग होम कितने हैं और उनमें से कितने अवैध ढंग से चलाये जा रहे हैं;

(ख) वह सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है कि वे नर्सिंग होम समुचित रूप से कार्य करें;

(ग) दिल्ली में नर्सिंग होमों में पिछले 12 महीनों के दौरान कितनी मौतें हुई;

(घ) क्या इनमें हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) दिल्ली में 128 पंजीकृत नर्सिंग होम और 77 अपंजीकृत नर्सिंग होम कार्य कर रहे हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने अपंजीकृत नर्सिंग होमों सहित सभी नर्सिंग होमों का निरीक्षण करने का निर्णय किया है। अपंजीकृत नर्सिंग होमों को निदेश दिया गया है कि वे दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उपनियमों में निर्दिष्ट औपचारिकताओं/मानदण्डों को पूरा करने पर अपने को पंजीकृत कराएं।

(ग) पिछले 12 महीनों के दौरान पंजीकृत नर्सिंग होमों/प्राइवेट अस्पतालों में 3549 मौतें हुई।

(घ) और (ङ) चूंकि ये सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं, इसलिए कोई छानबीन आवश्यक नहीं समझी गई। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने मृत्यु के एक मामले में जांच का आदेश दिया।

ग्रेटर गंगऊ परियोजना, रैसिन बांध परियोजना और सरस्वती नहर परियोजना

[हिन्दी]

5388. **श्री राम सजीवन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को प्रस्तुत वर्ष 1990-91 की अपनी वार्षिक योजना में सूखा प्रवण क्षेत्र बुंदेलखण्ड के बांदा जिले की ग्रेटर गंगऊ परियोजना, रैसिन बांध परियोजना तथा सरस्वती नहर परियोजना को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो उपेक्षित क्षेत्रों में इन सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं का कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच जल विवाद को निपटाने के लिए केन्द्रीय मण्डलीय परिषद की बैठक आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों में केवल रैसिन बांध परियोजना शामिल की है।

(ख) राज्य सरकार को मार्च, 1990 में अपने जलग्रहण क्षेत्र से जल प्राप्ति के उपयोग के लिए मध्य प्रदेश की सहमति प्राप्त करने के बाद रैसिन बांध परियोजना के विषय में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(ग) ग्रेटर गंगऊ परियोजना के लिए जल उपलब्धता स्थापित नहीं की गई है। सरस्वती नहर (पैसूनी) परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश का जल का हिस्सा भी निश्चित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जोनल परिषद में विचार-विमर्श करने के बाद पहले केन (ग्रेटर गंगऊ परियोजना) के जल विज्ञान की स्थापना हेतु यह मामला केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है।

गन्दी बस्ती के निवासियों के लिए नमूना मकानों का निर्माण

[अनुवाद]

5389. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण कालकाजी विस्तार कालोनी में हरी पट्टी के लिए निर्धारित भूमि पर गन्दी बस्ती के निवासियों के लिए नमूना मकानों का निर्माण कर रहा है;

(ख) क्या कोणार्क अपार्टमेंट्स के निवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध उसके द्वारा स्थानीय पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के बारे में कोई रिट याचिका दायर की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) मलिन बस्ती निवासियों के लिए विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं के लिए, जिन्हें उपयोग में लाया जाना है, उन प्रदर्शन माडल रिहायशी एककों का कालकाजी एक्सटेंशन में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले जे० जे० कालोनियों में खुले स्थान के साथ-साथ भूमि के छोटे टुकड़े पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा निर्माण किया गया है। उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका की 30 मार्च, 1990 को सुनवाई हुई तथा उसे रद्द करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। तथापि, इसी प्रकार की रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है। सरकार, मलिन बस्ती निवासियों और शहर में अन्य आवास क्षेत्रों के जीवन स्तर और पर्यावरण को सुधारने के लिए वचनबद्ध है।

आयोडीन युक्त नमक के हानिकारक प्रभाव

5390. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री गंगाचरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और न्यूजीलैंड में हाल ही में किए गए अध्ययनों से यह पता चला था कि सामान्य व्यक्तियों द्वारा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से उनके स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं;

(ख) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयोडीन युक्त नमक के कथित हानिकारक प्रभाव से लोगों को बचाने और नमक का अनिवार्य आयोडानकरण बन्द करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों द्वारा जमा कराई जाने वाली धनराशि

[हिन्दी]

5391. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों को अपने आपरेशन के लिए 30,000 रुपयों से लेकर 40,000 रुपयों तक की राशि जमा करवानी पड़ती है;

(ख) क्या गरीब रोगी यह निर्धारित राशि जमा न करवा पाने के कारण इलाज से वंचित रह जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि हृदय रोगियों को प्रयोज्य मदों की लागत को जमा कराने की आवश्यकता होती है जिसकी लागत लगभग 1000/- रुपये से 30,000/- रुपये के बीच बैठती है ।

(ख) और (ग) हृदय शल्य चिकित्सा के जरूरतमंद गरीब रोगियों को प्रमाण-पत्र जारी करके उनकी सहायता करने के लिए हर प्रयास किया जाता है ताकि वे प्रधान मंत्री कोष अथवा स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान अथवा मानव कल्याण संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय वक्ष और तंत्रिका विज्ञान विज्ञान केन्द्र के संसाधनों से बहुत ही गरीब रोगियों को प्रयोज्य मदें प्रदान करने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए वित्तीय कठिनाइयों के कारण नियमित धनराशि प्रदान करना संभव नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध न होना

5392. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या इस संस्थान में प्रतिदिन भर्ती किए जाने वाले रोगियों की संख्या से कम है, जिसके कारण रोगियों को असुविधा होती है और उन्हें भर्ती के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अस्पताल में रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि संस्थान में पलंगों की संख्या संस्थान में रोजाना भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या से कम है। बहरहाल, यह सही है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिले की जरूरत वाले सभी रोगियों को भर्ती करने के लिए पलंग काफी नहीं हैं ।

(ख) स्थान, जनशक्ति और आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पलंगों की संख्या में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल, अनेक विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना से, जिन्हें आरम्भ किया जा चुका है, तथा एक बार इनके पूरी तरह आरम्भ हो जाने से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मुख्य अस्पतालों में पलंगों की उपलब्धता में सुधार होने की संभावना है। पलंगों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली के परिधीय क्षेत्रों में 100-100 पलंगों वाले और 500-500 पलंगों वाले कई अस्पताल खोले जा रहे हैं।

कृत्रिम मिठास

[अनुवाद]

5393. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृत्रिम मिठास को मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित अथवा उपयुक्त नहीं समझा गया है जैसा कि 28 फरवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) इस बात को सिद्ध करने का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि अनुज्ञेय सीमाओं के अन्दर मधुमेह के रोगियों द्वारा कृत्रिम मिठास का प्रयोग असुरक्षित अथवा असंगत है।

सुपर बाजार से औषधियों की बिक्री

5394. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार से औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स की बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी बिक्री हुई है और इस पर हुए लाभ और हानि का क्या ब्योरा है;

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने बिक्री केन्द्र हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे और बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सुपर बाजार, दिल्ली के दवाई विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान हुई कुल बिक्री इस प्रकार है :—

1987-88 (जुलाई, 1987 से जून, 1988 तक)—7.20 करोड़ रुपये

1988-89 (जुलाई, 88 से मार्च, 89 तक) (9 महीने) — 7.84 करोड़ रुपये

1989-90 (अप्रैल, 89 से मार्च, 90 तक) —11.79 करोड़ रुपये

सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा अपनाई जा रही लेखा प्रणाली में विभागवार लाभ व हानि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ग) सुपर बाजार, दिल्ली, दिल्ली में 18 औषध बिक्री केन्द्र चल रहा है, जिनमें से 6 बिक्री केन्द्र चौबीसों घंटे खुले रहते हैं।

(च) और (छ) सुपर बाजार, दिल्ली का निकट भविष्य में निम्नलिखित दो नए औषध बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :—

(1) स्वास्थ्य विहार; और

(2) आर० पी० पाकेट, प्रीतम पुरा, नई दिल्ली।

अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए कानून

5395. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अस्पतालों और अन्य संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक पृथक कानून पेश करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। सम्बन्धित कर्मकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं।

कर्नाटक को रेणुका सागर से पानी की आपूर्ति

5396. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुबली तथा धारवाड़ (कर्नाटक) को रेणुका सागर से पानी की आपूर्ति करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तुरन्त तैयार हो सकने वाली काफी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अन्तर्गत लाना

5397. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

श्री सी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तुरत तैयार हो सकने वाली (इन्सटान्ट) कॉफी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अन्तर्गत लाने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार तुरत तैयार हो सकने वाली (इन्सटान्ट) काफी को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में 27 (5) अन्य संसाधित खाद्य के तहत आने वाली मद माना जाता है ।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का बजट

[हिन्दी]

5398. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का वार्षिक बजट कितना है और गत तीन वर्षों का इसका शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत रखी गई राशि का तदनुसार उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) बजट की कुल कितनी राशि व्यपगत हुई;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संस्थान को इसकी स्थापना से लेकर अब तक कुल कितनी अनुदान राशि दी है; और

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने भी इस संस्थान को अनुदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राष्ट्रीय आयुर्वेदिके संस्थान, जयपुर का पिछले तीन वर्षों का वार्षिक बजट इस प्रकार है :—

1986-87	1987-88	1988-89
		(लाख रुपए)
196.65	161.00	202.00

शीर्ष वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस धनराशि का तदनुसार उपयोग किया गया था ।

(ग) बजट की कोई भी राशि व्यपगत नहीं होने दी गई थी।

(घ) केन्द्र सरकार ने 1976-77 से 1988-89 तक इस संस्थान को 906.90 लाख रुपये प्रदान किए ।

(ङ) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1976-77 से 1988-89 तक 208.40 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया ।

विवरण

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक बजट के शीर्षवार आंकड़े

(लाख रुपए)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	वेतन	75.00	79.02	93 33
2.	मजदूरी	0.01	—	0.28
3.	यात्रा भत्ता	0.30	0.35	0.90
4.	कार्यालय खर्च	6.00	6.50	8.50
5.	प्रकाशन	0.20	2.20	—
6.	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं की अदायगी	0.10	0-10	0.21
7.	किराया दर और कर	0.25	0.70	—
8.	मशीनरी और उपकरण	2.05	5.40	7.00
9.	सामग्री की आपूर्ति			
	(i) टाइपराइटर, वाटर कूलर, डेजर्ट कूलर, फर्नीचर आदि की खरीददारी	1.05	1.00	1.50
	(ii) अध्येतावृत्ति और वजीफा	8.50	11.00	12.00
	(iii) दूसरे खर्च	2.50	3.38	5.60
10.	समयोपरि भत्ता	—	—	0.05
11.	चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	1.25	1.25	3.30
12.	अवकाश यात्रा रियायत (एल० टी० सी०)	0.70	0.50	0.60
13.	संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रसार व्याख्यान	0.15	0.40	9.50

1	2	3	4	5
14.	छात्र कल्याण क्रियाकलाप	—	0.20	0.10
15.	आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को चिकित्सीय सहायता			
	(क) विशेष संघटक	1.25	1.50	1.75
	(ख) विशेष आदिवासी क्षेत्र	1.25	1.50	1.75
16.	पुस्तकालय-पुस्तकें	0.20	0.35	0.36
17.	शैक्षणिक दौरे	0.20	0.15	0.20
18.	कानूनी प्रभार	0.10	0.10	0.27
19.	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान	1.00	1.00	0.49
20.	अस्पताल आकस्मिकताएं	2.08	2.60	4,50
21.	कच्ची औषधें और दवाइयां	2.00	3.50	4.70
22.	उत्सव पेशगी	1.07	0.75	1.05
23.	सवारी और विविध पेशगी	4.00	4.00	1.49
24,	गृह निर्माण पेशगी	—	0.70	1.00
25.	अनुसंधान कार्य	0.05	0.20	0.50
26.	निर्माण कार्य (प्रमुख)	80.00	29.30	39.00
27.	पेंशन निधि और अंशदायी भविष्य निधि योगदान	4.25	5.00	8.57
28.	पी० ए० टी०	1.15	1·30	2,80
	कुल योग	196.65	161.95	202.00

आयुर्वेदिक औषधालय

5399. श्री डाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन-किन विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे तथा डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को भी आयुर्वेदिक औषधालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इन संगठनों के कर्मचारियों द्वारा खरीदी गई आयुर्वेदिक दवाओं के बिलों की प्रतिपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) आयुर्वेदिक औषधालय भारत सरकार के निम्नलिखित विभागों/मन्त्रालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं :—

(1) स्वास्थ्य विभाग

(2) रेल मन्त्रालय

(3) श्रम मंत्रालय

(ख) रेलवे में, आयुर्वेदिक औषधालय नियमित स्वास्थ्य योजना के अंग के रूप में कार्य नहीं करते हैं जैसाकि ऐलोपैथिक औषधालयों के मामले में है। उस मंत्रालय के कर्मचारियों के कल्याण के एक उपाय के रूप में कर्मचारी लाभांश निधि (एस० बी० एफ०) के तत्सम्बन्ध में केवल अंश-कालीन आयुर्वेदिक औषधालय कार्य कर रहे हैं।

डाक विभाग में कोई भी अलग आयुर्वेदिक औषधालय कार्य नहीं कर रहे हैं। तथापि, उस विभाग के चिकित्सा अधिकारी कुछ आयुर्वेदिक औषधों/शक्तिवर्द्धक/कफनिस्सारक इत्यादि नुस्खा लिखते हैं जिन्हें डाक और तार फार्मूलरी में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना रेल मंत्रालय/संचार मंत्रालय के चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लिखी गई आयुर्वेदिक औषधियां लाभार्थियों को इन औषधालयों से मुफ्त में सप्लाई की जाती हैं। इसलिए बिलों को प्रस्तुत करने और प्रतिपूर्ति लेने का प्रश्न नहीं उठता। इन स्थानों पर जहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है, केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के तहत स्वीकार्य स्वीकृत एजेंसियों से खरीदी गई आयुर्वेदिक औषधियों की कीमतों की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में शिक्षा सामग्री

[अनुवाद]

5400. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई शिक्षा सामग्री प्रकाशित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो दो मासिक पत्रिकाओं नामत: स्वस्थ हिन्द (अंग्रेजी) और अरोग्य संदेश (हिन्दी) प्रकाशन कर रहा है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में इन पत्रिकाओं के विशेष अंक प्रकाशित किए जाते हैं। स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों सहित इसके अतिरिक्त अपने नियमित अंकों में विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के बारे में समय-समय पर लेख

प्रकाशित किए जाते हैं। इस ब्यूरो ने योगिक चिकित्सा शीर्षक से अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में वेतन समझौता

5401. श्री के० प्रधानी :

डा० आर० रामदास : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की विवाद ग्रस्त समस्याओं तथा फेडरेशन आफ सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के साथ हुए दूसरे वेतन समझौते के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) दि फेडरेशन आफ सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन्स ने जून, 1989 में सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को दूसरे वेतन संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। प्रबन्ध ने फेडरेशन के साथ बात-चीत शुरू कर दी। जब बात-चीत अन्तिम चरण में थी तब विरोधी यूनियनों ने "आल इण्डिया सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग एम्पलाइज यूनियन्स फ्रण्ट" बना बना लिया। इस फ्रण्ट ने कर्मचारियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। इस फ्रण्ट ने दूसरे वेतन समझौते पर विचार-विमर्श में फेडरेशन के सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को भी चुनौती दी है। अतः वेतन समझौते के लिए आगे बातचीत केवल बहुमत के प्रतिनिधित्व के बारे में दोनों विरोधी संगठनों के दावों की जांच कर लेने के बाद ही संभव हो पाएगी। यह मामला मुख्य श्रम आयुक्त को भेजा गया है।

न्यायाधिकरण पंचाट

5402. श्री ए० के० राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृत कोयला उद्योग ने गत तीन वर्षों के दौरान न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये कितने पंचाटों को कार्यान्वित नहीं किया है और तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पंचाटों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध उक्त उद्योग के प्रबन्धक अपीली-न्यायालयों में गये थे और जिनके लिए उन्हें दंडित किया गया था ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख)-सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अगरोहा में मेडिकल कालेज

5403. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगरोहा (हरियाणा) में एक मेडिकल कालेज खोलने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और इसमें से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्य हेतु कितनी धन राशि व्यय की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा में अगरोहा में मेडिकल कालेज की स्थापना का अनुमोदन नहीं किया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने यह मेडिकल कालेज अपने बजट में से धनराशि देकर स्थापित किया है और भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय आवंटन और व्यय के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली के अस्पतालों में शव परीक्षा में विलम्ब

5404. **श्री राम सागर (सैंदपुर)** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में शव परीक्षण करने में बहुत विलम्ब होता है जिसके फलस्वरूप शोक संतप्त परिवारजनों और उनके सम्बन्धियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने मामलों में शव परीक्षण उसी दिन नहीं किया गया जिस दिन शव अस्पताल में लाया गया था और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार और छुट्टी वाले दिनों में भी उसी अस्पताल में शव परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) शव परीक्षा जांच कागजों के प्राप्त हो जाने के बाद उसी दिन की जाती है।

(ग) शव परीक्षाएं सभी दिवसों को की जाती हैं जिसमें रविवार और अवकाश वाले दिन भी शामिल हैं।

हथकरघा क्षेत्र में वाणिज्यिक और घरेलू करघे

5405. **श्री के० एस० राव** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा क्षेत्र में कितने वाणिज्यिक और घरेलू करघे हैं;

(ख) क्या हथकरघा क्षेत्र का देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार निर्यात किये गये हथकरघा उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को अधिक मात्रा में वार्षिक सहायता प्रदान करने का है ताकि बुनकरों को उचित दरों पर धागे की सप्लाई की व्यवस्था की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्रमंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा गणना (1987-88) के अनुसार देश में 22.11 लाख वाणिज्यिक और 16.80 लाख घरेलू हथकरघे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 और वर्ष 1989-90 के पहले 10 महीनों के दौरान हथकरघा माल के किस्म वार निर्यात के ब्यौरे दिये गए हैं :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	फैब्रिक	सूती मेडअप्स	परिधान	रेशमी मदें	अन्य गर सूती मदें	कुल
1986-87	119.03	78.86	52.17	194.74	5.59	447.39
1987-88	100.57	137.07	18.71	244.83	15.03	46.21
1988-89	114.51	168.86	19.01	319.85	8.56	630.79
1989-90 (अप्रैल-89-जनवरी-90)	92.31	182.53	21.91	315.35	42.58	654.69

(घ) और (ङ) सरकार सितम्बर, 1989 से मिल गेट कीमते पर हथकरघा बुनकरों को यार्न की सप्लाई करने के लिये राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के जरिये यार्न डिपो योजना चला रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष मे 80 करोड़ रु० की लागत की यार्न की एक लाख गांठें सप्लाई करने की आशा है। सरकार, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के प्रचालनों के लिए परिवहन की लागत के अंश के रूप में सप्लाई किए गए यार्न के 5 प्रतिशत मूल्य तक कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा अन्य ऊपरी खर्चों के लिए इमदाद देती है ताकि वह मिल गेट कीमतों पर बुनकरों को यार्न की बिक्री कर सके।

"एटोपोसाइड" औषधि का निर्माण

5406. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनुसंधानों के फलस्वरूप एक कैंसर-रोधी औषधि "एटोपोसाइड" सम्बन्धी तकनीक विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी प्रभावोत्पादकता की जांच की है; और

(ग) यदि हां तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री मोलमचि राजशेखरन) : (क) से (ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने कैंसर रोधी औषध एटोपोसाइड, जिसमें प्राकृतिक उत्पाद पोडोफाइल्लोटॉक्सिन का प्रयोग शामिल है, का उत्पादन करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है एटोपो-

साइड थीरेप्य, जो पश्चिमी देशों में पिछले दस वर्षों से उपलब्ध है, को कपोसी सारकोमा, हिस्टियोसाइटोसिस, टेस्टिस लिम्फोमा इत्यादि के कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी पाया गया है।

जोसफ रोग के निदान के लिए उठाये गए कदम

5407. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "जोसफ" नामक असाधारण रोग के होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान दल गठित करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस अनुसंधान दल ने अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और यदि हां तो उसका क्या निष्कर्ष है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले में किसी भी अनुसंधान दल से कोई सूचना नहीं मिली है क्योंकि ऐसे किसी दल की स्थापना नहीं हुई।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[हिन्दी]

5408. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और गाजीपुर जिलों के उन स्थानों की संख्या तथा नाम क्या है जहां दिसम्बर, 1989 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ख) इन जिलों के उन स्थानों की संख्या तथा नाम क्या है जहां 1990-91 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) 31-12-1989 तक उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 2979 है। उत्तर प्रदेश के बस्ती, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और गाजीपुर जिलों में स्थापित किए गये केन्द्रों की संख्या और उनके स्थानों के नाम भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में 169 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य को योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दे दिया गया है। 1990-91 के दौरान जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने हैं, उन स्थानों के नामों का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ नियन्त्रण योजना

5409. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोठाड़िया) : (क) और (ख) अब तक घग्घर तथा राप्ती नदी प्रणाली में 700 कि० मीटर से अधिक लम्बे तटबन्ध का निर्माण हो गया है। नेपाल में राप्ती, करनाली तथा शारदा पर 320 किलोमीटर से अधिक लम्बे अतिरिक्त तटबंधों तथा तीन बहुप्रयोजनी जलाशयों के लिए व्यापक योजना में व्यवस्था की गयी है।

जड़ी-बूटी से बनी औषधियों की मांग

[अनुवाद]

5410. **श्री बसन्त साठे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटी से बनी औषधियों की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में जड़ी-बूटी से बनी मुख्य औषधियों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ, उनकी देश में मांग कितनी रही और इनका कितना निर्यात किया गया;

(ग) जड़ी-बूटियों से बनी, औषधियों का निर्यात उनकी मांग के अनुरूप बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं/किए जायेंगे; और

(घ) जड़ी-बूटी से बनी औषधियों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जड़ी-बूटी भेषजीय उत्पादों के लिए आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। पिछले दो वर्षों के लिए बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोस्मेटिकस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, बम्बई द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं—

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1987-88	2.69
1988-89	2.67

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने 1-4-89 से आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध के तैयार शुद्ध औषध योगों के निर्यात पर जेब मूल्य के पांच प्रतिशत के हिसाब से नकद प्रतिपूरक सहायता मन्जूर की है। इन औषधों के निर्यात के मूल्य से सम्बन्धित आपूरण लाइसेंस भी स्वीकार्य हैं।

(घ) आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की भेषजीय समितियों, भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद के सहयोग से इन पद्धतियों के औषधों के भेषजीय मानक तैयार कर रही हैं।

उद्योगों के लिए वेतन बोर्डों का गठन

5411. श्री बसन्त साठे : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ उद्योगों के लिए जिनमें वेतन संशोधन तथा इससे सम्बद्ध अन्य मामलों में विलम्ब हो गया है, वेतन बोर्ड गठित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या ग्रामीण श्रमिक सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कुछ उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्डों के गठन के मामले में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ कर्मकारों ने सीमेंट उद्योग अल्यूमिनियम उद्योग के लिए मजदूरी बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया है।

(ख) इन उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्ड गठित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम

5412. श्री बसन्त साठे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार कितनी क्षमता उपलब्ध थी और खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए कितनी क्षमता बढ़ाई गई; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र की आवश्यकता के संदर्भ में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किये गये/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, नहीं। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की महाराष्ट्र में अपनी भंडारण क्षमता 31-3-1987 को स्थिति के अनुसार 2.56 लाख मीटरी टन से बढ़कर 28-2-1990 को 3.22 लाख मीटरी टन हो गयी। इसकी किराये की क्षमता भी उसी अवधि के दौरान 2.50 लाख मीटरी टन से बढ़कर 2.84 लाख मीटरी टन हो गयी।

(ख) महाराष्ट्र में किराये की क्षमता सहित सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास 28-2-1990 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध क्षमता 7.09 लाख मीटरी टन थी जिसमें से 89,188 मीटरी टन की क्षमता विदर्भ क्षेत्र में थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन द्वारा जोड़ी गयी क्षमता संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कारपोरेशन की महाराष्ट्र राज्य में 41,500 मीटरी टन भंडारण क्षमता का निर्माण करने की योजना है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	स्थान	क्षमता मीटरी टन में
1.	सी०एफ० एस० पुणे	10,000
2.	वाशी	20,000
3.	हिंगना (नागपुर)	5,000
4.	वालुज	5,000
5.	चिकल थाना	1,500
		41,500

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य और विदर्भ क्षेत्र के लिए भंडारण के लिए अलग-अलग उपलब्ध सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित क्षमता में वृद्धि

(आंकड़े मीटरी टन में)

वर्ष	जोड़ी गई क्षमता	
	महाराष्ट्र	विदर्भ क्षेत्र
1987-88	31,920	6,920
1988-89	5,000	
1989-90 (28-2-90 तक)	30,000	

पानी की असमान दरें

5413. श्री वसंत साठे : क्या अन्न संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न फसलों के लिए किसानों से वसूल की जाने वाली पानी की दरों में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सिंचाई कार्य के लिए अनुरक्षण प्रभार वसूल करने की दृष्टि से पानी की दरों को युक्ति-संगत बनाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार पानी की वर्तमान दरों की जांच करने और पानी की दरों को युक्तिसंगत बनाने हेतु सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने और इस संबंध में राज्य सरकारों के लिए

मार्ग निर्देश निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों की एक समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) और (ख) एक राज्य से दूसरे राज्य की पानी की दरों में अन्तर है और इस समय ऐसी दरों के लिए आधारों और मानदण्डों के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में एक ही मौसम में एक फसल की दरों से दूसरी फसल की दरों में भी अन्तर है, जबकि अन्य राज्यों में एक ही मौसम में सभी फसलों के लिए दरें समान हैं। उदाहरण के लिए बिहार में बारहमासी और गैर-बारहमासी नहरों के लिए दरें भिन्न है। केरल में कोई मौसम-वार दर निश्चित नहीं है और पूरे वर्ष के दौरान कुल सिंचित क्षेत्र के आधार पर वार्षिक रूप से सिंचाई उपकर वसूल किया जाता है। नहर प्रणालियों को चार विभिन्न सूचियों में वर्गीकृत किया गया है और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, असम और त्रिपुरा में कोई जल दर लागू नहीं है।

(ग) से (ङ) किसानों से ली जाने वाली जल दरें राज्य सरकारों द्वारा नियत की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय जल नीति में सतही और भूजल दोनों के लिए इन दरों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की गई है। तथापि, इस उद्देश्य के लिए किसी विशेष समिति की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बन्द कपड़ा मिलें

[हिन्दी]

5414. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े मिलों के बन्द होने के कारण कपड़े का उत्पादन घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की बन्द कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) कपड़ों की कीमतें कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) हालांकि यार्न के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है, कपड़े का मिल उत्पादन वर्ष 1984-85 में 3432 मिलियन मीटर से घटकर वर्ष 1988-89 में 2808 मिलियन मीटर रह गया।

(ग) सरकार ने बन्द पड़ी/रुग्ण वस्त्र मिलों, जो अर्थक्षम पाई गयीं, को पुनः चालू करने के लिये पैकेज बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को पुनः चालू करने के लिए निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने और उन्हें लागू करने के लिए बी० आई० एफ० आर० की भी स्थापना की है। बन्द पड़ी वस्त्र मिल का पुनः चालू होना नोडल एजेंसी बी० आई० एफ० आर० के समक्ष स्थापित इसकी अर्थक्षमता पर निर्भर करता है। फिर भी इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि गैर अर्थक्षम वस्त्र मिलों को बन्द करने की अनुमति प्रदान की जाए बशर्ते कि इनके कामगारों के हितों की रक्षा हो।

(च) कपड़े की कीमतें मांग और पूर्ति के बल द्वारा शासित की जाती हैं और मिल, विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्रों के बीच प्रतियोगिता द्वारा इन पर निगाह रखी जाती है।

उड़ीसा में कैंसर का पता लगाने संबंधी शिविरों की स्थापना

[अनुवाद]

5415. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा को कैंसर का पता लगाने संबंधी शिविरों की स्थापना के लिए कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) ऐसे शिविरों में कैंसर के कितने रोगियों का पता लगाकर उनका उपचार किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में कैंसर का पता लगाने वाले शिविर लगाने के लिए कोई विशिष्ट सहायता नहीं दी थी। तथापि, इस मंत्रालय ने क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र और उपचार सोसायटी, कटक को इसके विकास के लिए निम्नलिखित रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की :

वर्ष	जारी की गई धनराशि
1988-89	12.00 लाख रुपये
1989-90	18.00 लाख रुपये

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण

5417. **श्री पी० एम० सईद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दैनिक उपयोग की चीजों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं; और

(ग) बेईमान व्यापारियों से स्वयं को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) सरकार ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत परिकल्पित प्रतितोष तंत्रों ने कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम करना आरम्भ कर दिया है। इसके अलावा, कुछ कानूनों, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 आदि संशोधन किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं

तथा पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों को न्यायालय में शिकायतें दायर करने की शक्तियां दी जा सकें। इससे पहले ऐसी शक्ति केवल सरकारी अधिकारियों के पास थीं।

(ख) उपभोक्ताओं को गुणता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए आई० एस० आई० चिन्ह तथा एगमार्क योजनाएं पहले से ही मौजूद हैं। चावल, गेहूं, लेवी चीनी आदि जैसी कुछ आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर राशन कार्डधारियों को उचित दर की दुकानों के जरिये वितरित की जा रही हैं।

(ग) उपभोक्ताओं को शिक्षित करने तथा उनमें जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें संगोष्ठियां आयोजित करना, दृश्य प्रचार माध्यमों के जरिये प्रचार करना, उपभोक्ता संरक्षण पर विवरणिकाएं तथा साहित्य प्रकाशित करना; पुरस्कारों की शुरुआत करके शुरुआतों तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहन देना आदि शामिल है।

योग संस्थान को अनुदान सहायता

5418. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली/देश में अन्य स्थानों पर चलाये जा रहे योग संस्थानों में से प्रत्येक को, कितनी धनराशि अनुदान सहायता के रूप में दी गयी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : 1988-1989 और 1990 के दौरान देश में दिल्ली/नई दिल्ली/अन्य स्थानों में चलाए जा रहे योग केन्द्रों को सूगतान किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1988	1,18,494/- रुपये
1989	शून्य
1990	शून्य

जल संसाधन प्रबन्धन

5419. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों, विशेषकर महानगरों में जल संसाधन प्रबन्धन का सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई निकाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे निकायों का गठन करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी शीतल पेय निर्माता

5420. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी बाजार में विदेशी शीतल पेय निर्माताओं के प्रवेश से स्थानीय शीतल पेय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा; और

(ख) शीतल पेय के इन विदेशी निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में निर्माण सम्बन्धी लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) 1977 में मै० कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के चले जाने के बाद, भारत में संगठित क्षेत्र में शीतल पेय का विनिर्माण करने के लिए किसी विदेशी कम्पनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्यात किए गए कपड़े को स्वीकार न किया जाना

[हिन्दी]

5421. श्री राजवीर सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्माताओं द्वारा घटिया किस्म के कपड़े का निर्यात करने के कारण अनेक देशों ने भारत से सूती कपड़ा खरीदने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या घटिया किस्म के कपड़े के निर्यात के बारे में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

5422. श्री राजवीर सिंह :

श्री रामदास सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ है;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन घाटों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम

को अपने विभिन्न परिचालनों में मुख्यतया मार्गस्थ और भण्डारण हानियों के रूप में कुछेक हानियां होती हैं। मार्गस्थ और भण्डारण हानियां मौसम की अनिश्चितता, भण्डारण के दौरान गुणवत्ता में विकार, नमी सम्बन्धी हानि, बहु-हैंडलिंग और संचलन आदि के कारण हानि अथवा चोरी और उठाई-गीरी के कारण हानि होने जैसे कई कारणों से होती हैं। भारतीय खाद्य निगम को 1986-87 से 1988-89 के दौरान हुई खाद्यान्नों की मार्गस्थ तथा भण्डारण हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	खरीद + बिक्री		हानियां		खरीद + बिक्री की तुलना में मात्र के हिसाब से हानि की प्रतिशतता
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1986-87	398.96	8949.10	6.51	151.60	1.63
1987-88	407.00	9113.17	7.01	169.89	1.72
1988-89	338.25	8447.69	4.23	114.07	1.25

(अनन्तिम)

(ख) भण्डारण और मार्गस्थ हानियों के कारण हो रही हानियो को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने कई कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में किए गए कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) खाद्यान्नों की वसूली के दौरान नमी से संबंधित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों को सख्ती के साथ लागू करना;

(2) प्रत्येक बोरी में भरे गए खाद्यान्नों की मात्रा में कमी करना;

(3) 5,000 मीटरी टन अथवा उससे अधिक क्षमता वाले डिपुओं में तोल-सेतु लगाना;

(4) खुले वैगनों के इस्तेमाल को कम करना;

(5) डिपुओं पर सुरक्षा को कड़ा करने, अचानक निरीक्षणों को तेज करने, स्टाक की नियमित जांच सुनिश्चित करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना;

(6) ढकी हुई भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना;

(7) बोरियों की मशीनों से सिलाई करवाना।

अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों को ऋण

[अनुवाद]

5423. **श्री डी० अमात** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी श्रमिकों के लिए तैयार की गयी सामूहिक आवास योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों को राज्य-वार कितनी राशि के ऋण और राज सहायता दी गयी है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राज्य-वार अब तक कितने मकान स्वीकृत और निर्मित किये गये हैं और वे कहां-कहां निर्मित किये गये हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अधीन बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत सहकारी ग्रुप आवास समिति, जिसके कम से कम 50 बीड़ी कर्मकार सदस्य हैं, सुविधाओं के लिए पात्र हैं। निधि से ऋण तथा इमदाद निम्नलिखित दरों पर दी जाती है :—

(i) ऋण — प्रति मकान 6000/- रु० की दर से

(ii) इमदाद — प्रति मकान 1000/- रु० की दर से

सोसाइटी को किसी वित्तीय संस्थान या किसी व्यक्ति के पक्ष में मकान को दूसरी बार रेहन (कल्याण निधि को रखी गयी रेहन के अलावा) रखने की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान "अपना मकान स्वयं बनाओ योजना" के अधीन बीड़ी कर्मकारों को दिए गए ऋण तथा इमदाद की राशि तथा स्वीकृत और निर्मित मकानों की संख्या

क्रमांक	राज्य	1987-88		1988-89		1989-90		मकानों की संख्या		जगह/स्थान के ब्यौरे
		ऋण	इमदाद	ऋण	इमदाद	ऋण	इमदाद	स्वीकृत	निर्मित	
		(राशि रुपयों में)		(राशि रुपयों में)		(राशि रुपयों में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कर्नाटक	26,000	6000	4000	1000	3000	शून्य	2	शून्य	चित्रदुर्ग मंगलौर
2.	केरल	58,000	21,000	1,94,000	31,500	10,92,200	50,000	470	86	कासरगाड कन्नानौर
3.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,56,000	शून्य	52	शून्य	मिदनापुर मुर्शिदाबाद 24 परगना (उ०) 24 परगना (द०)
4.	असम	शून्य	शून्य	2,70,000	शून्य	2,73,000	90,000	91	90	धुबरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	उड़ीसा	11,600	4,000	8,000	3000	4,58,200	10,000	141	6	बालीझारी, कुरानजा, श्यामसुन्दरपुर, बहमबारडा, काकूर्डीकुडा, साहापाडा, रातापत, कुसुम्बी, भिरबापुर, भद्रक
6.	महाराष्ट्र	1,73,800	45000	10,200	1,000	45,000	1,000	66	52	पांगरी, तालेगांव, काकावाडी, धुनेवाडी, संगमनेर, खानवोरथी, काम्पटी, गोंडिया, मेथाटोला बोते, बेनाती, कोयेल्लरी
7.	इलाहाबाद	15,600	6,500	6,000	2500	9000	शून्य	21	18	मारवाडी, अमरोहा
8.	मध्य प्रदेश	11,500	2,350	4,900	2000	28000	500	9	7	दुर्ग, रायपुर, जबलपुर, सागर, काटंगी, दामोह
9.	आंध्र प्रदेश	23,100	600	3,600	शून्य	20,600	3000	17	2	वरंगल, कोन्डापाका दुबाक, रामाकापेट, कुलाखपुर, विमापुर, कोचाकोटा।
10.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4600	500	2	शून्य	वेल्लोर, तचनालूर
11.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	24000	4000	4	4	खेड़ा जिला

चावल का आयात

5424. **श्री डी० अमात** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किस-किस देश से कितना-कितना चावल आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान भी चावल का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के दौरान जिन देशों से चावल का आयात किया गया था और उक्त वर्षों में आयात की गयी मात्राओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मात्रा लाख मीटरी टन में

वर्ष	मात्रा	देश
1987-88	—	—
1988-89	6.84	थाईलैंड
1989-90	1.04	थाईलैंड
	4.20	वियतनाम

(ख) और (ग) सरकार ने 1980 के खाद्य ऋण के प्रति लगभग 44,980 मीटरी टन चावल वापस कर देने विषयक वियतनाम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और आशा है यह मात्रा 1990-91 के दौरान प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा, कहीं से भी चावल का आयात करने के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है।

रांची में भूस्वामित्व हस्तानान्तरण

5425. **प्रो० यदुनाथ पांडेय** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में जर्मन इवानजेलीकल लूथरन चर्च के नियंत्रणाधीन 121 एकड़ भूमि का स्वामित्व शत्रु देश के साथ व्यापार अधिनियम, 1916 के अनुच्छेद 7 द्वारा केन्द्रीय सरकार के नाम पर हस्तांतरण कर दिया गया था लेकिन स्वामित्व (म्युनिसिपल खातियान) के रिकार्ड में यह भूमि अभी तक जर्मन इवानजेलिकल लूथरन मिशन के नाम पर ही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त खतियान के स्वामित्व शीर्ष के अन्तर्गत जर्मन इवन्जेलिकल लूथरन मिशन के स्थान पर केन्द्रीय सरकार का नाम दर्ज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

रक्त बैंकों के लिए अनिवार्य एड्स परीक्षण

5427. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी रक्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एड्स-इंफेक्शन के सम्बन्ध में रक्त का परीक्षण किया जाए;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्त बैंकों को जांच-किटे और इसके परीक्षण उपकरण नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) एच० आई० वी० संक्रमण के लिए रक्त की जांच क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लूर, मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में शुरू किया गया। इस समय सभी 42 निगरानी केन्द्रों और पांच रैफरल केन्द्रों को एच० आई० वी० के लिए रक्तदाताओं की जांच करने के लिए रक्त बैंकों से सम्बद्ध किया जा रहा है। चार महानगरों में 28 विशिष्ट क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए थे। देश में लगभग सभी राज्यों के सभी बड़े नगरों (1981 की जनगणना के अनुसार पांच लाख से अधिक संख्या वाले) में 37 और क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों को एच० आई० वी० की जांच के उद्देश्य से रक्त बैंकों से सम्बद्ध किया गया है/किया जायेगा।

केन्द्र सरकार सभी क्षेत्रीय स्क्रीनिंग केन्द्रों को पाठ्य-पुस्तकें और जांच किटें सप्लाई कर रही है।

आंध्र प्रदेश में पोलावरम में सिंचाई परियोजना

5428. **कुमारी कमलाजी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पोलावरम में सिंचाई परियोजना की कुछ वर्ष पहले आधारशिला रखी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा 19-5-1981 को।

(ख) और (ग) परियोजना को दिसम्बर, 1987 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया, क्योंकि मूल कमियों के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में सीवर व्यवस्था

[हिन्दी]

5429. **श्री शिव शरण वर्मा** :

श्री कृपाल सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों की संख्या कितनी है;

(ख) कितनी कालोनियों में सीवर व्यवस्था प्रदान की गयी है;

(ग) शेष कालोनियों में सीवर व्यवस्था कब तक प्रदान की जायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एलोपैथिक/होम्योपैथिक औषधियों का सम्मिश्रण

[अनुवाद]

5430. श्री भानेय गोवर्धन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एलोपैथिक और होम्योपैथिक मिश्रण से औषधियां बनायी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों को कानून के किस उपबंध के अंतर्गत विपणन करने की अनुमति दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को एलोपैथिक दवाओं के साथ होम्योपैथिक सम्मिश्रणों का विपणन किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। होम्योपैथिक दवाओं का विनिर्माण करने की अनुमति राज्यों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है ।

कम्प्यूटरीकृत रोजगार कार्यालय

5431. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, कम्प्यूटरीकृत किए गए रोजगार कार्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र स्थित रोजगार कार्यालयों सहित शेष रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कब तक किये जाने की संभावना है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) योजना के आरम्भ (1986-87) से आज तक जिन रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटर पद्धति स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गयी है, उनकी संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने अपने स्वयं के संसाधनों से कुछ रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण आरम्भ किया है ।

(ख) शेष रोजगार कार्यालयों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है । जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, ऐसे सभी रोजगार कार्यालयों, जिनके चालू रजिस्टरों पर एक लाख या अधिक आवेदक हैं, को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा शेष को बाद में कम्प्यूटरीकृत करने की आशा है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	रोजगार कार्यालयों की संख्या जिनके कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता दी गयी है ।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	असम	1

1	2	3
3.	बिहार	4
4.	दिल्ली	2
5.	गुजरात	5
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	कर्नाटक	2
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	8
10.	महाराष्ट्र	4
11.	मणिपुर	1
12.	उड़ीसा	3
13.	राजस्थान	1
14.	तमिलनाडु	4
15.	उत्तर प्रदेश	4
16.	पश्चिम बंगाल	1
	योग	57

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5432. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए शामिल की गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वस्तुओं की सूची में कोई संशोधन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सूची से कुछ वस्तुओं को निकालने, उसमें कुछ अन्य को शामिल करने का है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण करने के लिए शामिल वस्तुओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है ।

(ख) औद्योगिक कर्मकारों के लिए, आधार पर्व 1982 के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला को अक्तूबर, 1988 से शुरू किया गया था जिससे 1960 आधार वर्ष की पहले वाली

शृंखला को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची औद्योगिक कर्मकारों के लिए पहले वाली शृंखला (1960 आधार) में संशोधन से उत्पन्न हुई है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 1982 शृंखला के विभिन्न केंद्रों में आने वाले मदों के नाम

समूह/उप समूह	मद का नाम
1	2
1. क-खाद्य	
(क) अनाज और उत्पाद :	1. चावल
	2. धान
	3. गेहूं
	4. गेहूं का आटा
	5. ज्वार
	6. चना
	7. बाजरा
	8. जौ
	9. मक्का
	10. मक्की आटा
	11. रागी
	12. कसावा
	13. चावल उत्पाद
	14. सूजी
	15. चिरांमुरी
	16. मैदा
	17. सत्तू
	18. साबूदाना
	19. ब्रेड
	20. ग्राइंडिंग प्रभार

1	2
(ख) दालें तथा उत्पाद :	1. अरहर दाल 2. चना दाल 3. मूंग दाल 4. उड़द दाल 5. मसूर दाल 6. मटर चोक 7. मटर चोम 8. केसरी दाल 9. बेसन 10. चना चोक 11. उड़द चोक 12. मूंग चोक 13. राजमा 14. काबली चना 15. लोबिया 16. नूटरी-नगट्ट 17. दाल उत्पाद 18. ग्राइंडिंग प्रभार
(ग) तेल और वसा	1. मूंगफली का तेल 2. पाम आयल 3. गिंगल्ली आयल 4. करंडी आयल 5. नारियल तेल 6. वनस्पति तेल 7. सरसों का तेल 8. रेपसीड तेल 9. लिनसीड आयल 10. आयल सीडस (मूंगफली)
(घ) मीट/मछली/अंडे :	1. बकरे/मुर्गे की मीट 2. गोमांस 3. सूअर मीट 4. भैंस मीट 5. पोलटरी 6. मछली-ताजी 7. मछली शुष्क 8. मुर्गी अण्डा 9. बत्तख का अण्डा
(ङ) दुग्ध और उत्पाद :	1. दूध 2. डेयरी दूध-टोंड 3. डेयरी दूध-स्टैंडर्ड 4. पाउडर 5. दही 6. शुद्ध घी 7. मक्खन 8. पनीर 9. लस्सी।
(च) मिर्च/मसाले :	1. नमक 2. हल्दी 3. प्याज 4. मिर्च सूखी 5. हरी मिर्च 6. इमली 7. लहसुन 8. अदरक 9. धनिया 10. जीरा 11. काली मिर्च 12. मेथी 13. सरसों 14. सौंफ 15. बड़ी इलायची 16. सौंफ 17. हींग 18. मिश्रित मसाले

1	2
(छ) सब्जियां और फल :	1. कुल सब्जियां तथा फल
(ज) अन्य खाद्य	1. चीनी 2. गुड़ 3. चीनी देसी 4. चाय पत्ती 5. काफी (पाउडर) 6. अन्न 7. नमकीन बिस्कुट 8. गर्म चाय 9. मीठे बिस्कुट 10. गर्म काफी 11. कोल्ड ड्रिंक (वायु दितपा) 12. हरा नारियल 13. गन्ने का जूस 14. स्क्वैश 15. टाफी/चाकलेट 16. बिस्कुट 17. कोको उत्पाद 18. केक 19. जैम तथा जैली 20. मिश्री 21. मूंगफली 22. भुना हुआ चना
1. अन-पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य :	1. पान पत्ती 2. तैयार पान 3. सुपारी 4. कत्था 5. चूना 6. जर्दा/किमाम 7. स्नफ्फ 8. बीड़ी 9. सिगरेट 10. सिगार/चिरुट 11. पीने वाला तम्बाकू 12. चबाने वाला तम्बाकू 13. तम्बाकू पत्ती 14. हुक्का तम्बाकू 15. गांजा 16. देसी शराब 17. परिष्कृत शराब 18. बियर 19. टोड़ी, नीरा, हांडिया
2. ईंधन और प्रकाश	1. जलाने की लकड़ी 2. साफ्ट कोयला 3. काठ कोयला 4. हार्ड कोक 5. बुरादा 6. माचिस 7. मिट्टी का तेल 8. बिजली प्रभार 9. बिजली का बल्ब 10. मोमबत्ती 11. खाना बनाने की गैस
3. आवास समूह	कुल आवास समूह
4. वस्त्र, बिस्तर तथा फुटवियर समूह :	1. सूती धोती 2. टेरीकाट धोती 3. सूती साड़ी 4. रेशमी साड़ी 5. सिल्क साड़ी 6. सूती पैंट वस्त्र 7. पैंट वस्त्र— सिंथेटिक 8. पैंट—वस्त्र ऊनी 9. कमीज वस्त्र-सूती 10. कमीज वस्त्र सिंथेटिक 11. ब्लाउज कपड़ा

1	2
	12. ब्लाउज वस्त्र सिंथेटिक 13. छींट 14. लांग क्लाथ 15. मलमल 16. लेडीज सूटिंग सूती 17. लेडीज सूटिंग टेरीकाट 18. लूंगी 19. गमछा 20. फ्राक वस्त्र 21. तौलिया 22. दुपट्टा 23. शाल-ऊनी 24. पजामा वस्त्र 25. पेटीकाट 26. गंजी/बनियान 27. चद्दर 28. बैड-शीट 29. मच्छरदानी 30. कम्बल 31. ऊन 32. स्वैटर 33. गद्दे 34. जुराबें 35. दरी 36. ब्रेजियर 37. आंधिया 38. तकिया 39. जूते 40. चप्पल 41. चन्दन 42. स्लीप्पर 43. कोटिंग
5. विविध :	
(क) चिकित्सीय देखरेख :	1. डाक्टर की फीस 2. दवाई 3. फ० रा० बी० प्रीमियम।
(ख) शिक्षा, मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद :	1. स्कूल/कालिज फीस 2. स्कूल/कालिज पुस्तकें 3. स्टेशनरी 4. समाचार पत्र 5. पत्रिका/जर्नल 6. रेडियो 7. ट्रांजिस्टर 8. टेपरिकार्डर 9. टेलीविजन 10. रेडियो/टेलीविजन शुल्क 11. फोटोग्राफिक/व्यय 12. खिलौने 13. सिनेमा।
(ग) परिवहन और संचार	1. रेल किराया 2. बस किराया 3. तांगा किराया 4. जल परिवहन 5. साईकिल किराया 6. रिक्शा प्रभार 7. आटो-रिक्शा प्रभार 8. टैक्सी किराया 9. बाइसकिल 10. मरम्मत प्रभार 11. पेट्रोल 12. डाक
(घ) वैयक्तिक देख-रेख और प्रभाव :	1. आयल 2. हजामत खर्च 3. नहाने का साबुन 4. फेश पाउडर 5. टूथपेस्ट 6. दंतमंजन 7. दांत साफ करने का ब्रुश 8. ब्लेड 9. प्लास्टिक का सामान 10. कांच का सामान

1	2
	11. घड़ी 12. फाउंटेन पैन 13. फेस क्रीम 14. टेलकम पाउडर 15. सोप-नट 16. कंघी 17. नीम दातुन 18. छतरी 19. सुगंधित सेंट 20. फूल/माला 21. शीशा 22. बास्कट 23. लिपस्टिक 24. शैम्पू 25. लेडीज पर्स 26. शेविंग साबुन 27. हेयर लोशन 28. ब्रीसकेस/हैंडबैग
(ङ) अन्य :	1. चारपाई 2. तख्त 3. सोफा 4. स्टील की कुर्सी 5. स्टील की मेज 6. लड़की की कुर्सी 7. लड़की की अलमारी 8. स्टील की अलमारी 9. बाक्स/ट्रंक 10. सूटकेस 11. स्टील के बर्तन 12. अलमूनियम के बर्तन 13. पीतल के बर्तन 14. तांबे के बर्तन 15. मिट्टी के बर्तन 16. कांसे की धातु के बर्तन 17. चीनी के बर्तन 18. कांच के बर्तन 19. प्लास्टिक बर्तन 20. लोहे की बाल्टी 21. लैंटर्न 22. ब्रूम 23. लोहे के बर्तन 24. गद्दे (चटाई) 25. बूट पालिश 26. बिजली का पंखा 27. टाइमपीस/दीवार घड़ी 28. सिलाई मशीन 29. मिक्सर/ग्राइंडर 30. रिफ्रीजरेटर 31. प्लास्टिक की बाल्टी 32. रस्सी का फीता 33. कपड़े धोने का साबुन 34. धोने का सोड़ा 35. डिटर्जेंट पाउडर 36. नील/ब्लू 37. साबुन-टुकड़ा 38. विम 39. लांडरी प्रभार 40. धुलाई प्रभार 41. सिलाई प्रभार 42. ड्राई-क्लीनिंग प्रभार 43. प्रैसर कुकर 44. मिट्टी के तेल से जलने वाला स्टोव 45. गैस स्टोव 46. ताले ।

मेडिकल कालेज

5433. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार कुल कितने मेडिकल कालेज चल रहे हैं और उनके नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : देश में कार्य कर रहे 128 मेडिकल कालेजों के नामों का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत में मेडिकल कालेजों की राज्य और विश्वविद्यालय-वार सूची

क्रम सं०	विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज का नाम	आरम्भ का वर्ष	प्रबन्ध
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश			
(1)	**आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर**		
1.	आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखापट्टनम	1923	सरकारी
2.	रंगराय मेडिकल कालेज, काकीनाडा	1958	सरकारी
(2)	**नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुन्टूर**		
3.	गुन्टूर मेडिकल कालेज, गुन्टूर	1946	सरकारी
4.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा	1981	सरकारी
(3)	**उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद**		
5.	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद	1926	सरकारी
6.	गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद	1954	सरकारी
7.	डेक्कन आयुर्विज्ञान कालेज, हैदराबाद	1985	ट्रस्ट
(4)	**काकतिया विश्वविद्यालय, वारांगल**		
8.	काकतिया मेडिकल कालेज, वारांगल	1959	सरकारी
(5)	**एस० वी० विश्वविद्यालय, तिरुपति**		
9.	कुरनूल मेडिकल कालेज, कुरनूल	1957	सरकारी
10.	एस० वी० मेडिकल कालेज, तिरुपति	196[illegible]	सरकारी
2. असम			
(6)	**गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी**		
11.	गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी	196[illegible]	सरकारी
12.	सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर	1968	सरकारी

1	2	3	4
	(7) डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़		
	13. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़	1947	सरकारी
3.	बिहार		
	(8) एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा		
	14. दरभंगा मेडिकल कालेज, लहेरिया सराय	1946	सरकारी
	(9) बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर		
	15. श्री कृष्ण मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर	1970	सरकारी
	(10) पटना विश्वविद्यालय, पटना		
	16. पटना मेडिकल कालेज, पटना	1925	सरकारी
	(11) रांची विश्वविद्यालय, रांची		
	17. राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	1956	सरकारी
	18. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज जमशेदपुर	1961	सरकारी
	19. पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद	1979	सरकारी
	(12) भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर		
	20. मेडिकल कालेज, भागलपुर	1971	सरकारी
	(13) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया		
	21. मगध मेडिकल कालेज, गया	1970	सरकारी
	22. नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना	1970	सरकारी
4.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
	23. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1956	सरकारी
	(14) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली		
	24. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1916	सरकारी
	25. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1958	सरकारी
	26. यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली	1971	सरकारी

1	2	3	4
5.	**गोवा**		
	(15) **गोवा विश्वविद्यालय, गोवा**		
	27. गोवा मेडिकल कालेज, पणजी	1963	सरकारी
6.	**गुजरात**		
	(16) **गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद**		
	28. बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1946	सरकारी
	29. म्यूनिसिपिल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1963	सरकारी
	(17) **एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा, बड़ौदा**		
	30. मेडिकल कालेज, बड़ौदा	1949	सरकारी
	(18) **सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट**		
	31. एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर	1955	सरकारी
	(19) **दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत**		
	32. राजकीय मेडिकल कालेज, सूरत	1964	सरकारी
	(20) **सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर**		
	33. प्रमुख स्वामी मेडिकल कालेज, करमसद (गुजरात)	1987	सरकारी
7.	**हरियाणा**		
	(21) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक		
	34. राजकीय मेडिकल कालेज रोहतक	1960	सरकारी
8.	**हिमाचल प्रदेश**		
	(22) **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला**		
	35. इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला	1966	सरकारी
9.	**जम्मू और कश्मीर**		
	(23) कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर		
	36. राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	1959	सरकारी

1	2	3	4
	(24) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू		
	37. राजकीय मेडिकल कालेज, जम्मू	1972	सरकारी
10.	कर्नाटक		
	(25) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर		
	38. मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	1924	सरकारी
	39. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगीर	1966	न्यास
	40. जे० एस० एस० मेडिकल कालेज, मैसूर	1984	न्यास
	41. श्री आदिचुन्चनेगिरी मेडिकल कालेज, जावरनहाली, बेल्लूर	1985	
	(26) मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर		
	42. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल/मंगलौर	1953	न्यास
	(27) बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर		
	43. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर	1955	सरकारी
	44. सेन्ट जॉन मेडिकल कालेज, बंगलौर	1963	सोसाइटी
	45. एम० एस० रमैय्या मेडिकल कालेज, बंगलौर	1970	न्यास
	46. अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर	1980	न्यास
	47. काम्पेगोडा आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1980	सोसाइटी
	48. देवराज उर्स मेडिकल कालेज, तमका, कोलार	1986	
	49. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर	1988	
	(28) कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़		
	50. कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली	1957	सरकारी
	51. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव	1963	न्यास
	52. अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर	1984	न्यास
	53. बी० एल० डी० मेडिकल कालेज, बीजापुर	1986	न्यास
	(29) गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा		
	54. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	1963	न्यास
	55. मेडिकल कालेज, बल्लेरी	1961	सरकारी

1	2	3	4
11. केरल			
	(30) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम		
	56. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	1951	सरकारी
	57. टी० डी० मेडिकल कालेज, अलेप्पी	1973	सरकारी
	(31) गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टायाम		
	58. मेडिकल कालेज, कोट्टायाम	1960	सरकारी
	(32) कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट		
	59. मेडिकल कालेज, कालीकट	1957	सरकारी
	60. मेडिकल कालेज, त्रिचूर	1981	सरकारी
12. मध्य प्रदेश			
	(33) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर		
	61. मेडिकल कालेज, जबलपुर	1955	सरकारी
	(34) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर		
	62. जी० आर० मेडिकल कालेज, ग्वालियर	1946	सरकारी
	(35) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर		
	63. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, इन्दौर	1948	सरकारी
	(36) भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल		
	64. गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल	1955	सरकारी
	(37) ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा		
	65. एस० एस० मेडिकल कालेज, रीवा	1963	सरकारी
	(38) रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर		
	66. पंडित जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, रायपुर	1963	सरकारी
13. महाराष्ट्र			
	(39) बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई		
	67. ग्राण्ट मेडिकल कालेज, बम्बई	1945	सरकारी
	68. सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई	1925	ब्रिहन मुंबई महानगर पालिका
	69. टी० एन० मेडिकल कालेज, बम्बई	1964	ब्रिहन मुंबई महानगर पालिका

1	2	3	4
	70. एल० टी० एम० मेडिकल कालेज, बम्बई	1964	ब्रिहन मुंबई महानगर पालिका
	(40) पूना विश्वविद्यालय, पूना		
	71. बी० जे० मेडिकल कालेज, पूना	1964	सरकारी
	72. सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूना	1962	सरकारी (रक्षा मंत्रालय)
	73. रूरल मेडिकल कालेज, लोनी	1984	न्यास
	(41) शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर		
	74. मिराज मेडिकल कालेज, मिराज	1961	सरकारी
	75. डा० बी० एम० मेडिकल कालेज, शोलापुर	1963	सरकारी
	76. कृष्णा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कराड	1984	न्यास
	(42) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद		
	77 राजकीय मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1956	सरकारी
	78. एस० आर० टी० आर० मेडिकल कालेज, अम्बजोगई	1975	सरकारी
	(43) नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर		
	79. मेडिकल कालेज, नागपुर	1947	सरकारी
	80. इंदिरा गांधी कार्पोरेशन मेडिकल कालेज, नागपुर	1968	सरकारी
	81. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान कालेज, सेवाग्राम	1969	कस्तूरबा स्वास्थ्य
	(44) अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती		
	82. डा० पंजाबराव एलियास भौसाहब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कालेज, अमरावती	1984	न्यास
	*83. मेडिकल कालेज, नान्देड़ (महाराष्ट्र)	1988	न्यास
14. मणिपुर			
	(45) मणिपुर विश्वविद्यालय		
	84. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल	1972	सोसायटी

* टिप्पण : यह नहीं ज्ञात है कि किस विश्वविद्यालय से संबंधित है।

1	2	3	4
15. उड़ीसा			
	(46) उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर		
	85. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक	1944	सरकारी
	(47) सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर		
	86. बी० एस० एस० मेडिकल कालेज, बुर्ला	1954	सरकारी
	(48) बहरामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर		
	87. एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज, बरहामपुर	1961	सरकारी
16. पांडिचेरी			
	(49) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी		
	88. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	1956	सरकारी
17. पंजाब			
	(50) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला		
	89. राजकीय मेडिकल कालेज, पटियाला	1953	सरकारी
	90. गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट	1973	सरकारी
	(51) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़		
	91. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना	1963	ग्यास
	92. दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	1963	सोसायटी
	(52) गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर		
	93. मेडिकल कालेज, अमृतसर	1943	सरकारी
18. राजस्थान			
	(53) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर		
	94. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर	1947	सरकारी
	95. एस० पी० मेडिकल कालेज, बीकानेर	1956	सरकारी
	96. आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर	1961	सरकारी
	97. डा० एस० एन० मेडिकल कालेज, जोधपुर	1965	सरकारी
	98. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, अजमेर	1965	सरकारी

1	2	3	4
19. तमिलनाडु			
	(54) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास		
	99. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास	1935	सरकारी
	100. स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास	1938	सरकारी
	101. किलपोक मेडिकल कालेज, मद्रास	1960	सरकारी
	102. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर	1942	न्यास
	103. मेडिकल कालेज, चिंगलपट्ट	1965	सरकारी
	104. श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज और अनुसंधान संस्थान, पोल्लर, मद्रास	1985	सरकारी
	105. सलेम मेडिकल कालेज, सलेम	1985	सरकारी
	106. सड़क परिवहन संस्थान तारामणि, मद्रास	1987	सरकारी
	(55) भारतीय दासन विश्वविद्यालय, तंजावर		
	107. तंजावर मेडिकल कालेज, तंजावर	1959	सरकारी
	(56) भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर		
	108. मेडिकल कालेज, कोयम्बतूर	1967	सरकारी
	109. पी० एस० जी० आयुर्विज्ञान संस्थान, पीलामेडु, कोयम्बतूर	1985	न्यास
	(57) अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई		
	110. राजा मुठिया मेडिकल कालेज, अन्नामलाई नगर (तमिलनाडु)	1985	
	(58) मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई		
	111. मदुराई मेडिकल कालेज, मदुराई	1954	सरकारी
	112. तिरुनेलवेलि मेडिकल कालेज, तिरुनेलवेलि	1965	सरकारी
20. उत्तर प्रदेश			
	(59) आगरा विश्वविद्यालय, आगरा		
	113. एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा	1939	सरकारी
	(60) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद		
	114. एम० एल० एन० मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1961	सरकारी

1	2	3	4
	(61) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़		
	115. जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़	1961	सरकारी
	(62) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी		
	116. चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बी० एच० यू० वाराणसी	1960	विश्वविद्यालय
	(63) कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर		
	117. जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर	1955	सरकारी
	(64) बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी		
	118. एम० एल० बी० मेडिकल कालेज, झांसी	1968	सरकारी
	(65) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ		
	119. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	1911	सरकारी
	(66) मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ		
	120. एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ	1966	सरकारी
	(67) गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर		
	121. बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1972	सरकारी
21.	पश्चिमी बंगाल		
	(68) कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता		
	122. मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1836	सरकारी
	123. आर० जी० कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1916	सरकारी
	124. एन० आर० एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1948	सरकारी
	125. कलकत्ता राष्ट्रीय मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1948	सरकारी
	126. बी० एस० मेडिकल कालेज, बांकुरा	1956	सरकारी
	(69) उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, सुकृतनगर		
	127. उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी	1969	सरकारी
	(70) बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान		
	128. बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान	1970	सरकारी

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा के क्षेत्र में विस्तार

5434. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के दायरे के अन्तर्गत महिलाओं की और अधिक श्रेणियों को लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके तैयार की गई क० रा० बी० योजना के कार्यान्वयन के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, क० रा०बी० योजना को चालू वर्ष के दौरान उन कारखानों, जो बिजली का प्रयोग करते हैं तथा 10 से 19 व्यक्तियों को नियोजित करते है, बिजली का प्रयोग न करने वाले कारखानों, रेस्टारेंटों आदि जो 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और राज्य में 12 विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, पर लागू करने का प्रस्ताव है जहां इस योजना को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है ।

"सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" योजना का कार्यान्वयन

5435. **श्री एस० कृष्ण कुमार** :

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक प्राप्त हुई सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1990-91 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को कितनी सहायता दी गयी और 1990-91 के दौरान कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में 2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य का उद्देश्य निर्धारित किया गया था ।

(ख) राज्यों से अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) वर्ष 1990-91 के वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण, इस मन्त्रालय की अनुदान मांगें संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) वर्ष 1985-90 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत केरल को दी गयी सहायता का विवरण संलग्न है। 1990-91 के लिए केरल को इसी तरह की केन्द्रीय सहायता का आबंटन इस मन्त्रालय की अनुदान मांगें संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

विवरण

1985-89 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए केरल सरकार को रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता और 1989-90 के आवंटन

(लाख रुपये)

राज्य	स्वास्थ्य कार्यक्रम		परिवार कल्याण कार्यक्रम	
केरल	1985-89 के दौरान रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता	550.32	1985-90 के दौरान रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता	12953.81
	1989-90 के लिए आवंटन	140.77		

दिल्ली के प्रोपर्टी डीलर

5436. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में प्रोपर्टी डीलरों द्वारा ठगी के बारे में 26 जुलाई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रोपर्टी डीलरों/गैर-सरकारी भवन निर्माताओं के अनुचित व्यापारिक व्यवहार में शामिल होने के कारण एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 9 मामलों में जांच के जो आदेश दिये गये थे, वह जांच पूरी हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो एक उचित समय-सीमा के भीतर जांच कार्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या उपर्युक्त जांच के आधार पर उक्त भवन-निर्माताओं/प्रोपर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले विचाराधीन हैं; यदि हां, तो इन्हें किस प्रकार निपटाया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) एकाधिकार एवं प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार आयोग ने सूचित किया है कि जांचाधीन 9 मामलों में से, आयोग को मैसर्स राजिन्द्र प्रोपर्टीज और मैसर्स स्कीपर कन्सट्रक्शन कं० प्रा० लि० से सम्बन्धित दो मामलों में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसने अनुचित व्यापार पद्धति और प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार में शामिल होने के लिए क्रमशः 28 फरवरी, 1990 और 2 मार्च, 1990 को मैसर्स स्कीपर कन्सट्रक्शन कं० प्रा० लि० के मामले में जांच नोटिस जारी किया। मैसर्स राजिन्द्र प्रोपर्टीज के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट जांचाधीन है। अन्य सात मामलों में, यह आयोग जांच अधिकारियों को रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारण पत्र भेज रहा है।

(ग) उन मामलों में, जिनमें एकाधिकार एवं प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, उक्त निर्माताओं के विरुद्ध अपराधिक मामलों के अनिवार्य की कोई बात नहीं है। तथापि, मैसर्स एच० चौधरी एस्टेट प्रा० लि० के विरुद्ध जांच में आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, प्रोपर्टी डीलरों/बिल्डी निर्माताओं के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इन मामलों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 14-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला, पुलिस स्टेशन जनकपुरी नई दिल्ली	इस मामले में श्री टेक चन्द जैन और उनके पुत्र राकेश जैन निवासी ई/17, डिफेंस कालोनी गिरफ्तार किए गए थे। वे जमानत पर है। यह मामला अपराध शाखा के पास जांच-पड़ताल अधीन हैं।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 406/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 25-5-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला, पुलिस स्टेशन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।	इन दोनों मामलों में अभियुक्त श्री टेक चन्द जैन और उनके पुत्र श्री राकेश जैन गिरफ्तार किए गए थे। ये मामले क्रमशः 4-4-90 और 26-3-90 को चालान किए गए हैं।
3. भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 19-5-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला, पुलिस स्टेशन कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।	
4. भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 14-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला, पुलिस स्टेशन, दरियागंज।	दोनों मामले श्री टेक चन्द जैन और उनके पुत्र राकेश जैन के विरुद्ध रजिस्टर हैं। ये मामले अपराध शाखा के पास जांच-पड़ताल के अधीन हैं, जिनको शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।
5. भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 19-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला, पुलिस स्टेशन, दरियागंज।	
6. भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 3-7-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला 221, पुलिस स्टेशन, करोल बाग, नई दिल्ली।	इस मामले में श्री राजिन्द्र जैन सुपुत्र श्री टेक चन्द जैन को अभी गिरफ्तार किया जाना है चूंकि वे प्रत्याशित जमानत पर हैं। यह मामला अपराध शाखा के पास जांच-पड़ताल अधीन है, जिसे शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।
7. भारतीय दंड संहिता 420/220-बी के अन्तर्गत 3-7-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला सं० 430, पुलिस स्टेशन कनाट प्लेस, नई दिल्ली।	इस मामले में श्री राजिन्द्र जैन सुपुत्र श्री टेक चन्द जैन को गिरफ्तार किया गया है और मामला अपराध शाखा के पास जांच-पड़ताल अधीन है।

8. भारतीय दंड संहिता 420/120-बी के अंतर्गत दिनांक 2-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला सं० 93, पुलिस स्टेशन, रोशनआरा ।	
9. भारतीय दंड संहिता 420/120-बी के अंतर्गत दिनांक 2-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला सं० 94, पुलिस स्टेशन रोशनआरा ।	इन मामलों में श्री टेक चन्द जैन और उनके पुत्र राकेश जैन गिरफ्तार किए गए थे । ये मामले क्रमश: 29-3-90, 30-3-90, 29-3-90, 30-3-90 को चालान किए गए हैं ।
10. भारतीय दंड संहिता 420/120-बी के अंतर्गत दिनांक 2-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला सं० 95, पुलिस स्टेशन, रोशनआरा ।	
11. भारतीय दंड संहिता 420/120-बी के अंतर्गत दिनांक 2-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला सं० 96, पुलिस स्टेशन, रोशनआरा ।	
12. भारतीय दंड संहिता 420/220-बी के अन्तर्गत दिनांक 21-6-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला संख्या 270, पुलिस स्टेशन, दरियागंज, दिल्ली ।	यह मामला पता न लगने के कारण 11-10-89 को भेजा गया है ।
13. भारतीय दंड संहिता 420/406/120-बी के अन्तर्गत दिनांक 5-7-89 का प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मामला संख्या 433, पुलिस स्टेशन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।	इस मामले में सर्वश्री टेक चन्द जैन और उनके पुत्र राकेश जैन 5-4-90 को चार्ज-शीट किए गए हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक फ्लैटों का आवंटन

[हिन्दी]

5437. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वाणिज्यिक फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकरण प्रारम्भ किया है; और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या ऐसे फ्लैट आवंटन के लिए तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने फ्लैट हैं और उनका आवंटन कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, हाल ही में ऐसी कोई पंजीकरण योजना नहीं खोली गयी है । यद्यपि दो योजनाएं एक मार्च, 1984 में तथा दूसरी अगस्त, 1985 में आरम्भ की गयी थी ।

(ख) और (ग) भीकाजी कामाप्लेस डिस्ट्रिक केन्द्र में 66 फ्लैट तैयार हो चुके हैं, और उनके आवंटन के लिए 3 महीने की समय सीमा है।

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

5438. **श्री हरीश रावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक मजदूरों की भारी संख्या देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का औद्योगिक मजदूरों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय खोलने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) क० रा० बी० औषधालयों की कमी नहीं है। तथापि, दिल्ली में विद्यमान क० रा० बी० अस्पतालों में प्रदान किए गए बिस्तरों की संख्या, अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार, बिस्तरों की वास्तविक जरूरत से कम है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान बसाईदारापुर में विद्यमान क० रा० बी० अस्पतालों में 200 बिस्तरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, दो नए अस्पतालों, ओखला और रोहिणी में एक-एक, का निर्माण कार्य चल रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शिक्षण संस्थाओं को भूमि का आवंटन

5439. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी शिक्षण संस्थाओं और नर्सिंग होमों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने भूखण्ड आवंटित किये गए हैं;

(ग) क्या इन शिक्षण संस्थाओं और नर्सिंग होमों में गरीब लोगों को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों तथा शिक्षा संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाती है। उपर्युक्त के अलावा संस्थाओं को आवंटन के लिए ली गई दरें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांस्थानिक दरें हैं।

(ख) नर्सिंग होमों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रियायती दरों पर कोई भूमि आवंटित नहीं की है। विद्यालयों को रियायती दरों पर 11 स्थल आवंटित किये गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर आवंटन किया जाता है और जिन शिक्षा संस्थाओं को इस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जाता है, वे सहायता प्राप्त विद्यालयों को लागू साधारण शर्तों के अध्यधीन हैं।

केन्द्रीय पूल में राज्यों का अंशदान तथा राज्यों को दिया गया खाद्यान्न

[अनुवाद]

5440. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय पूल में चावल, गेहूं और पाम आयल की खरीद के लिए कितनी मात्रा दी गई और उनकी कितनी-कितनी मात्रा की वसूली की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष उक्त वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं जिनमें 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के वर्षों के लिए चावल और गेहूं की राज्यवार वसूली और केन्द्रीय पूल में किए गए अंशदान का ब्यौरा दिया गया है । ताड़ का तेल स्वदेशी उत्पाद नहीं है और केन्द्रीय पूल के लिए इसकी वसूली राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से नहीं की जाती है ।

(ख) चावल, गेहूं और ताड़ के तेल के बारे में विवरण 3 से 5 संलग्न हैं ।

विवरण-I

खरीफ विपणन वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्यवार चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली और केन्द्रीय पूल में दी गई मात्रा

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	1987-88*		1988-89*		1989-00*	
		चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली	केन्द्रीय पूल में चावल की दी गई मात्रा	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली	केन्द्रीय पूल में दी गई चावल की मात्रा	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली	केन्द्रीय पूल में चावल की दी गई मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	3361	3357	2857	2854	4828	4736
2.	हरियाणा	319	319	674	674	950	929
3.	उत्तर प्रदेश	607	602	1216	1204	1439	1277
4.	राजस्थान	20	20	21	21	31	31
5.	जम्मू तथा कश्मीर	7	—	6	—	—	—
6.	चण्डीगढ़ (सं०शा०प्र०)	6	6	12	12	26	26
7.	दिल्ली	—	—	3	3	4	4

1 2	3	4	5	6	7	8
8. आंध्र प्रदेश	1517	1517	1481	1481	1431	1431
9. कर्नाटक	66	66	123	123	126	126
10. तमिलनाडु	564	—	754	—	745	—
11. पांडिचेरी	9	5	10	7	3	2
12. मध्य प्रदेश	279	279	284	284	311	310
13. गुजरात	—	—	—	—	16	—
14. महाराष्ट्र	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
15. बिहार	—	—	15	4	—	—
16. असम	7	7	5	5	5	5
17. उड़ीसा	68	68	134	134	163	163
18. पश्चिम बंगाल	64	64	97	97	68	68
19. अरुणाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	—	—	—	—
जोड़	6894	6310	7692	6903	10151	9108

* = अनन्तिम

विवरण-2

1987-88, 1988-89 और 1989-90 के रबी विपणन वर्षों के दौरान गेहूं की राज्यवार वसूली और केन्द्रीय पूल में दी गई मात्रा

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

क्रम सं०	राज्य	1987-88**		1988-89**		1989-99**	
		वसूली	केन्द्रीय पूल में दी गई मात्रा	वसूली	केन्द्रीय पूल में दी गई मात्रा	वसूली	केन्द्रीय पूल में दी गई मात्रा
1.	पंजाब	4422	4308	4749	4717	5602	4393
2.	हरियाणा	2240	2080	1260	1247	1973	1632
3.	उत्तर प्रदेश	1152	1130	521	511	1323	1320
4.	राजस्थान	66	66	—	—	106	106
5.	दिल्ली	नग०	नग०	—	—	—	—
6.	मध्य प्रदेश	नग०	नग०	—	—	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	5	—	नग०	—
	जोड़	7880	7584	6535	6475	9004	7501

नग०=500 मीट्रिक टन से कम

**=अनन्तिम

विवरण-3

1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के लिए केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के लिए चावल के निर्गमों को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य	1987-88	1988-89	1989-90 (जनवरी तक)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	15.6	24.2	15.4
2.	हिमाचल प्रदेश	50 4	65.5	49.7
3.	जम्मू तथा कश्मीर	223.7	212.5	206.9
4.	पंजाब	5.0	5.0	1.8
5.	राजस्थान	25.0	12.3	7.0
6.	उत्तर प्रदेश	349.5	369.7	264.4
7.	दिल्ली	192.1	264.6	168.1
8.	चण्डीगढ़ (सं० शा० प्र०)	2.8	5.5	3.5
9.	असम	496.2	426.0	322.9
10.	बिहार	56.9	49.2	40.2
11.	एन० ई० एफ० क्षेत्र			
	(i) मणिपुर	49.9	47.0	45.3
	(ii) मेघालय	112.1	113.4	93.8
	(iii) नागालैंड	93.2	82.5	71.5
	(iv) त्रिपुरा	139.1	137.0	107.5
	(v) मिजोरम	81.5	84.0	77.5
	एन० ई० एफ० का जोड़	475.8	463.9	395.6

1 2	3	4	5
12. उड़ीसा	211.9	244.8	148.5
13. पश्चिम बंगाल	852.9	812.4	443.9
14. अरुणाचल प्रदेश	68.1	66.9	60.2
15. सिक्किम	32.1	40.6	18.0
16. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8.0	2.5	6.8
17. भूटान	13.5	12.9	4.9
18. गुजरात	352.8	343.0	200 4
19. मध्य प्रदेश	253.9	208.2	179.7
20. महाराष्ट्र	671.1	730.8	526.3
21. गोआ	50.4	46.2	37.6
22. दमन और दीव	1.7	1.9	0.8
23. दादर तथा नगर हवेली	0.7	3.6	1.4
24. आंध्र प्रदेश	1177.7	817.2	711.0
25. कर्नाटक	682.2	566.4	406.5
26. केरल	1696.6	1516.1	1030.7
27. तमिलनाडु	535.9	694.8	519.5
28. पांडिचेरी	3.9	4.1	3.5
29. लक्षद्वीप	5.5	4.1	2.7
30. रक्षा सेवा	156.0	154.9	111.6
31. के०रि०पु०ब०/सी०सु०ब०	9.9	12.5	9.6
जोड़	8677.8	8182.3	5899.1

विवरण-4

1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के लिए केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के लिए गेहूं के निर्गमों को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य	गेहूं		
		1987-88	1988-89	1989-90 (जनवरी तक)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	146.7	97.2	10.9
2.	हिमाचल प्रदेश	69.1	122.2	80.9
3.	जम्मू तथा कश्मीर	73.2	143.4	96.3
4.	पंजाब	2.2	10.6	4.5
5.	राजस्थान	832.4	782.4	490.5
6.	उत्तर प्रदेश	426.2	458.0	376.7
7.	दिल्ली	366.8	549.4	511.3
8.	चण्डीगढ़ (सं०शा०प्र०)	11.7	16.3	16.6
9.	असम	342.1	170.0	151.7
10.	बिहार	760.2	548.1	521.2
11.	एन०ई०एफ० क्षेत्र			
(i)	मणिपुर	13.5	5.4	16.6
(ii)	मेघालय	26.4	24.4	19.4
(iii)	नागालैंड	37.9	22.5	51.1
(iv)	त्रिपुरा	12.6	15.0	12.9
(v)	मिजोरम	1.3	10.4	10.5
	एन०ई०एफ० का जोड़	91.7	77.7	110.5

1	2	3	4	5
12.	उड़ीसा	123.9	215.1	204.5
13.	पश्चिम बंगाल	847.9	937.8	742.9
14.	अरुणाचल प्रदेश	5.4	5.1	6.1
15.	सिक्किम	3.0	2.7	1.9
16.	भूटान	6.6	15.3	14.4
17.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1.5	2.8	2.3
18.	गुजरात	614.0	695.5	377.5
19.	मध्य प्रदेश	265.8	274.9	231.2
20.	महाराष्ट्र	1067.8	1042.8	994.5
21.	गोवा	14.0	18.2	19.9
22.	दमन और दीव	0.2	0.7	0.5
23.	दादर तथा नगर हवेली	0.2	1.2	0.5
24.	आंध्र प्रदेश	85.5	114.0	93.0
25	कर्नाटक	175.0	170.3	196.7
26.	केरल	113.5	169.6	178.6
27.	तमिलनाडु	99.1	161.2	199.5
28.	पांडिचेरी	—	—	0.1
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	रक्षा सेवा	141.7	140.0	113.5
31.	के०रि०पु०ब०/सी०सु०ब०	12.4	16.6	13.8
	जोड़	6699.8	6959.1	5762.5

विवरण-5 (i)

तेल वर्ष 1987-88 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ताड़ के तेल का राज्यवार आवंटन

(मात्रा मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आर०बी०डी० पी०एल०	आर०बी०डी० पी०ओ०
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	116350	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	—	100
4.	बिहार	—	13500
5.	गोआ	7760	—
6.	गुजरात	152050	—
7.	हरियाणा	8800	8250
8.	हिमाचल प्रदेश	1250	10100
9.	जम्मू तथा कश्मीर	300	—
10.	कर्नाटक	67450	—
11.	केरल	76350	—
12.	मध्य प्रदेश	29500	—
13.	महाराष्ट्र	177650	—
14.	मणिपुर	—	1840
15.	मेघालय	—	1800
16.	मिजोरम	—	1400
17.	नागालैंड	—	360
18.	उड़ीसा	25300	—
19.	पंजाब	3900	15390
20.	राजस्थान	7600	17680
21.	सिक्किम	—	1075

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	102650	—
23.	त्रिपुरा	—	1090
24.	उत्तर प्रदेश	8900	42750
25.	पश्चिम बंगाल	17000	—
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1075	—
27.	चण्डीगढ़	1840	300
28.	दादर तथा नगर हवेली	975	—
29.	दिल्ली	26533	9967
30.	दमन	695	—
31.	दीव	425	—
32.	लक्षद्वीप	610	—
33.	पांडिचेरी	5350	—
	जोड़	840313	124602

आर०बी०डी०पी०एल=परिष्कृत विरंजित निर्गंधीकृत पामोलिन

आर०बी०डी०पी०ओ०=परिष्कृत विरंजित निर्गंधीकृत ताड़ का तेल

विवरण-5 (ii)

तेल वर्ष 1988-89 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित ताड़ के तेल के राज्यवार आवंटन

(मात्रा मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आर०बी०डी० पी०एस०	आर०बी०डी० पी०ओ०
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20700	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	—	100
4.	बिहार	900	2920
5.	गोआ	4450	—

1	2	3	4
6.	गुजरात	34100	—
7.	हरियाणा	2050	700
8.	हिमाचल प्रदेश	2250	1200
9.	जम्मू तथा कश्मीर	550	—
10.	कर्नाटक	20100	—
11.	केरल	33200	—
12.	मध्य प्रदेश	3000	—
13.	महाराष्ट्र	93700	—
14.	मणिपुर	—	100
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	6480	—
19.	पंजाब	2500	900
20.	राजस्थान	2150	1450
21.	सिक्किम	80	130
22.	तमिलनाडु	36400	—
23.	त्रिपुरा	80	130
24.	उत्तर प्रदेश	5100	2500
25.	पश्चिम बंगाल	—	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1342	—
27.	चण्डीगढ़	760	—
28.	दादर तथा नगर हवेली	504	—
29.	दिल्ली	15650	1050
30.	दमन	400	—
31.	दीव	340	—
32.	लक्षद्वीप	400	—
33.	पांडिचेरी	5140	—
	जोड़	292326	11180

आर०बी०डी०पी०एल=परिष्कृत विरंजित निर्मंधीकृत पामोलिन

आर०बी०डी०पी०ओ०=परिष्कृत विरंजित निर्मंधीकृत ताड़ का तेल

विवरण-5 (iii)

1989-90 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित ताड़ के तेल के राज्यवार आवंटन

(मात्रा मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	नवम्बर 89	दिसम्बर 89	जनवरी 90	फरवरी 90	मार्च 90
		पी	पी	पी	पी	पी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	950	950	1000	1000	1500
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	20	50
3.	असम	—	—	—	100	100
4.	बिहार	600	300	300	300	600
5.	गोआ	350	500	500	500	500
6.	गुजरात	3500	1500	1600	1600	2600
7.	हरियाणा	50	50	300	300	500
8.	हिमाचल प्रदेश	600	200	500	500	600
9.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	400	600
10.	कर्नाटक	3000	2500	2500	2500	3000
11.	केरल	2500	3000	2500	2500	3000
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	12000	6500	6500	8000	9000
14.	मणिपुर	—	—	—	100	100
15.	मेघालय	—	—	—	100	100
16.	मिजोरम	—	—	—	150	100
17.	नागालैंड	—	—	—	200	200
18.	उड़ीसा	800	600	600	600	650
19.	पंजाब	250	200	200	100	200

1 2	3	4	5	6	7
20. राजस्थान	400	100	200	100	200
21. सिक्किम	—	—	—	100	100
22. तमिलनाडु	1250	1250	1250	1500	2000
23. त्रिपुरा	—	—	—	50	100
24. उत्तर प्रदेश	1000	500	500	500	1000
25. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	3000
26. अ० तथा नि० द्वीप समूह	200	200	200	200	200
27. चण्डीगढ़	60	60	60	50	50
28. दादर तथा नगर हवेली	40	40	40	40	60
29. दिल्ली	2750	1000	1000	1000	1000
30. दमन	50	50	50	50	50
31. दीव	50	50	50	40	40
32. लक्षद्वीप	50	50	50	40	150
33. पांडिचेरी	550	400	450	450	550
जोड़	31,000	20,000	20,350	23,090	31,900

पी=पामोलीन

त्रिलोकपुरी, दिल्ली में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैट

5441. **श्री हुम्मान मोल्लाह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने त्रिलोकपुरी, दिल्ली में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के मूल्यों में शत-प्रतिशत मूल्य वृद्धि करके, अन्तिम मांग पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फ्लैटों के मूल्यों में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इन फ्लैटों का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ और आवंटितियों ने कितना भुगतान पहले ही कर दिया था ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पाकेट "बी" त्रिलोकपुरी में स्ववित्त पोषित फ्लैटों के सम्बन्ध में अन्तिम मांग-पत्र अब जारी कर दिये गये हैं । वास्तविक लागत में वृद्धि नियतन के समय बताई गई अस्थायी लागत पर 56.19 प्रतिशत से 83.81 प्रतिशत तक के अन्तर में है ।

(ख) 13 वर्ग मीटर से 19 वर्ग मीटर तक फ्लैटों के कुर्सी क्षेत्र में वृद्धि तथा सामग्री, मजदूरी आदि में वृद्धि के कारण इन फ्लैटों की कीमतों में वृद्धि हुई।

(ग) ये फ्लैट 1989 में पूर्ण हो गये थे तथा उस समय तक आवंटितियों द्वारा अस्थाई लागत का 90 प्रतिशत पहले ही जमा करा दिया था।

कर्नाटक में काबीनी परियोजना

5442. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की काबीनी परियोजना पर मूलत: कितनी लागत आने का अनुमान था;

(ख) क्या बांध एवं नहरों के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए बांध की लागत में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लागत में वृद्धि करने और परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) इस परियोजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) प्रति वर्ष 12000 हेक्टेयर को लाभ पहुंचाने के वास्ते अप्रैल, 1958 में 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से योजना आयोग ने परियोजना अनुमोदित की थी।

(ख) राज्य ने परियोजना के क्षेत्र में समुचित परिवर्तन के साथ इसे वर्ष 1973 में संशोधित कर दिया था। नवीनतम अनुमानित लागत 471 करोड़ रुपये बताई गई है।

(ग) और (घ) अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल न होने के कारण, इसके बढ़े हुए क्षेत्र सहित संशोधित परियोजना बिना अनुमोदन के राज्य सरकार को लौटा दी गयी थी।

जल संसाधन में स्रोतों का उपयोग

5443. **श्री रामेश्वर प्रसाद :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जल संसाधनों का भंडार कितना है जिसे उपयोग में लाया जा सकता है;

(ख) क्या ये संसाधन इस शताब्दी के अन्त तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) 111 मिलियन हेक्टेयर मीटर।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में हथकरघा उद्योग में सुधार

5444. **श्री टी० बशीर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में हथकरघा उद्योग में सुधार करने तथा हथकरघा बुनकरों को राहत देने सम्बन्धी कोई योजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गयी सहायता राशि सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान की स्थापना करना

5445. **श्री टी० बशीर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से भी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं :

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हृदय रोग के लिए आयुर्वेदिक औषधि

5446. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हृदय रोगों को रोकने के लिए विकसित की गयी आयुर्वेदिक औषधियों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन औषधियों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि गुग्गुल, जो एक आयुर्वेदिक औषध है, कार्डियो वास्कुलर रोगों के लिए प्रभावकारी पायी गयी है। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने भी अरक्तताजन्य हृदय रोगों और उच्च रक्तदाब में पुष्करमूल और गुग्गुल पर मैदानिक परीक्षण किए

हैं। इन अध्ययनों से सीरम कोलेस्टेरोल तथा ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में इन औषधों की काफी प्रभावकारिता का पता चला है। इन अध्ययनों के परिणाम प्रकाशित किए गए हैं और ये औषधें तैयार की गयी हैं और बेची जा रही हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के युवा वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

5448. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के युवा वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 22 जनवरी, 1990 अथवा इसके आसपास किसी तारीख को प्रधानमन्त्री से मिला था और उन्हें अपनी परिलब्धियों में संशोधन करने सहित अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के युवा वैज्ञानिकों ने दिनांक 22-1-1990 को प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया है। उनकी मुख्य मांग पी० एच० डी० छात्रों और वरिष्ठ प्रदर्शकों (गैर-चिकित्सीय) के परिलब्धियों में संशोधन से सम्बन्धित है।

(ग) अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में बन्द कपड़ा मिलें

5449. **श्री प्रकाश कोको झाझभट्ट** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बन्द कपड़ा मिलों के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वासन योजना में संशोधन की मांग की है ताकि इसे कामगारों के लिए अन्तिम लाभों के भुगतान आंशिक रूप से बन्द मिलों के मामले में इस योजना का विस्तार बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण मानदण्डों में छूट और यार्न/फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्क में 50% छूट/आस्थगन के लिए लागू किया जा सके।

(ग) यार्न/फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्क के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर हाल के बजट में विचार किया गया है। अन्य मामलों पर मुख्यमन्त्री, गुजरात से विचार-विमर्श किया गया है और सम्बन्धित संगठनों के साथ मामला उठाया गया है।

जनसंख्या पर "एशियाई महिला सम्मेलन"

5451. **श्री प्रकाश कोको बह्मभट्ट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जनसंख्या तथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में प्रथम "एशियाई महिला सम्मेलन" हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कांफ्रेंस में किए गए विचार विमर्शों का विस्तृत ब्योरा क्या है;

(ग) इस कांफ्रेंस में क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(घ) उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री गोलमणि राउतराय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सम्मेलन के आयोजक अर्थात् इंडियन एसोसिएशन आफ पार्लियामेंटेरियन आन पापुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ने सूचित किया है कि सम्मेलन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कुछ और समय लगाने की संभावना है। बहरहाल, उन्होंने इस मंत्रालय को जनसंख्या और महिलाओं के स्तर पर एशियाई महिला सांसदों के प्रथम सम्मेलन की घोषणा और कार्यवाही की योजना भी है जिसमें कामेन पार्लियामेंटेरियन आफ एशियन गवर्नमेंट्स, गैर सरकारी संगठनों, प्रेस और प्रचार, इंटरनेशनल कम्यूनिटी एण्ड एशियन फोरम आफ पार्लियामेंटेरियन आन पापुलेशन एण्ड डेवलपमेंट द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कारवाई करने का संकेत दिया है । इस दस्तावेज की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

(घ) इस सम्मेलन की सिफारिशों को सरकार की समग्र नीति और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ नोट कर लिया गया है ।

विवरण

जनसंख्या और महिलाओं के स्तर पर एशियाई महिला सांसदों के प्रथम सम्मेलन की घोषणा और कार्रवाई योजना

हम, जनसंख्या और महिलाओं के स्तर पर नई दिल्ली में 12 से 14 मार्च, 1990 को हुए एशियाई महिला सांसदों के प्रथम एशियाई सम्मेलन में भाग लेने वाले 25 देशों के सांसद जनसंख्या और महिलाओं के स्तर से सम्बन्धित मुद्दों पर निम्नलिखित सिद्धान्तों की घोषणा करते हैं :—

सिद्धान्तों की घोषणा

1. विश्व में आधी आबादी महिलाओं की है और इसलिए व्यक्तियों, व्यावसायिकों, माताओं और पत्नियों के रूप में राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है अतः उन्हें अपने देशों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के उनके बुनियादी अधिकार के लिए उनमें आत्म विश्वास और पूर्ण क्षमता विकसित करने हेतु उनकी सहायता की जानी चाहिए;

2. पुरुषों और महिलाओं में समानता का अर्थ उनके सम्मान मानवता तथा उत्तरदायी जनकता में निर्णय लेने की प्रक्रिया और निरन्तर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में समानता है;

3. निरन्तर विकास से मतलब जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण के बीच संतुलन तैयार करने से है ताकि भावी पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके;

4. "समानता, विकास और शान्ति" के उद्देश्य तथा "रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के उप उद्देश्य" से जुलाई, 1985 में नैरोबी, कीनिया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के बारे में समीक्षा और आकलन पर विश्व सम्मेलन में हुई सहमति द्वारा अपनाए गए 1986 से 2000 तक महिलाओं की प्रगति सम्बन्धी नैरोबी भविष्य कार्यनीति के प्रमुख दस्तावेज को महिलाओं की प्रगति के लिए अभी लागू किया जाना है;

5. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने पर सम्मेलन के निर्णयों की अभिपुष्टि की जानी चाहिए और एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा यदि उन्हें लागू नहीं किया गया हो तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए;

6. जनसंख्या और महिलाओं के स्तर के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध यदि सामाजिक-आर्थिक नीतियों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं तो इससे गरीबी दूर करने, सतत विकास प्राप्त करने और स्थिरता और शांति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी;

7. परिवार नियोजन सेवाएं स्वैच्छिक रूप से सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और भिन्नता-पूर्ण वातावरण में चिकित्सीय रूप से सुरक्षित और कानून समस्त तरीकों की व्यवस्था होनी चाहिए;

8. मेक्सिको सिटी में 1984 में हुए जनसंख्या पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की इस सिफारिश का अनुमोदन किया जाता है कि सांसदों, नीति निर्माताओं और सार्वजनिक जीवन में कार्यरत अन्य नेताओं को जनसंख्या और विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और इन दो विषयों के बीच अन्तर सम्बन्धों पर जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए;

9. महिलाओं के स्तर में विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करने तथा एशिया में महिलाओं की बदलती भूमिका के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और उसे अपनाने तथा सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के बारे में 1981 में बीजिंग में हुई जनसंख्या और विकास पर सांसदों के प्रथम एशियाई सम्मेलन तथा 1984 में नई दिल्ली में जनसंख्या और विकास पर सांसदों के एशियाई फोरम के प्रथम सम्मेलन की सिफारिशों की पुन: पुष्टि की जाती है;

10. महिलाओं की भूमिका और स्तर को सुदृढ़ करने के बारे में 1989 में एमस्टर्डम में हुई 21वीं सदी में जनसंख्या पर अन्तर्राष्ट्रीय मंच द्वारा तैयार किया गया विवरण एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर जनसंख्या लक्ष्यों और प्रयोजनों की प्राप्ति निर्भर है। इसे पुन: दोहराया जाता है;

11. यद्यपि इस क्षेत्र की बहुत सी सरकारों ने महिलाओं के स्तर और जनसंख्या पर नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए हैं फिर भी इन दो क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना है जैसे - विवाह की आयु में वृद्धि करना, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आदि;

12. महिलाओं के स्तर, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विशेष रूप से अनाथ महिलाओं, विवाह में भेदभाव तथा मातृ मृत्युदर में कमी लाने से सम्बन्धित कार्यों में समस्याओं का पता लगाने, विधायी कार्यसूची तैयार करने और जन समर्थन जुटाने में एशियाई महिला सांसदों का विशेष उत्तरदायित्व है;

13. अगली शताब्दी में विश्व के मामलों में एशियाई क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और एशियाई महिला सांसदों तथा आम महिलाओं को अच्छे भावी विकास जैसे वातावरण सम्बन्धी विकृति, कर्ज, शांति और सुरक्षा प्रबन्धों के लिए महत्वपूर्ण योगदान करना है।

कार्य योजना

1. एशियाई सरकारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण के क्षेत्र में महिलाओं के स्तर में सुधार करने के लिए एक समय सीमा के अन्दर विशिष्ट लक्ष्य अपनाने चाहिए;

2. सरकारों को परिवार नियोजन और उत्तरदायी जनकता को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें समग्र क्षेत्र के लिए सन् 2000 तक एक प्रतिशत की समग्र जनसंख्या वृद्धि दर का लक्ष्य शामिल हो। परिवार नियोजन सेवाएं और सम्बन्धित सूचना, शिक्षा और संचार सेवाएं सुदृढ़ की जानी चाहिए तथा इन कार्यक्रमों में हर स्तर पर लाभार्थियों और प्रदानकर्ताओं, दोनों में महिलाओं का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए;

3. दक्षिण एशियाई देशों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए अन्य देशों को एक वर्ष को "बालिका वर्ष" घोषित करना चाहिए जिससे बालिकाओं के लाभ के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें और लागू किए जा सकें;

4. महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि शिशु और मातृ रुग्णता और मृत्यु की उच्च दरों में कमी लायी जा सके और महिलाएं लम्बे समय तक घर और बाहर दोनों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें;

5. सरकार को पुरुषों के साथ महिलाओं को भी शिक्षा और प्रशिक्षण के समान अवसर प्रदान करने चाहिए तथा अशिक्षित महिलाओं की जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए;

6. जनगणना, कृषि गणना और राष्ट्रीय पूंजी सहित राष्ट्रीय आंकड़ा संचयन पद्धतियों में आंकड़े निर्धारित करते समय महिलाओं की भूमिका और अंशदान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए जिसमें उनका बिना मजदूरी का गृह कार्य भी शामिल हो जिसका इस समय ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया जाता और महिलाओं के कार्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है;

7. सरकार को पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के समान अवसर और समान वेतन प्रदान करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम कानून और मानक पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आधार पर तैयार किये जायें ताकि महिलाओं की आर्थिक भूमिका का स्तर बढ़ सके;

8. सरकारों की व्यापक, एकीकृत और कारगर कानून पारित करने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में महिलाओं के परस्पर आयामों को रेखांकित करने हेतु उनकी स्थिति और जनसंख्या लक्ष्यों के बीच ज्ञात सम्बन्धों का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के साथ-साथ विवाह, पारिवारिक जीवन तथा सम्पत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून के सुधार की प्रक्रिया व्यापक आधार पर होनी चाहिए;

9. निर्णय करने वाले पुरुषों और नेताओं के रुख और समाज में महिलाओं की भूमिका को नई अपेक्षाओं के प्रति और सकारात्मक बनाने के लिए परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है तथा ऐसी अभिवृत्तियों को महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव मिटाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए;

10. राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों को सुदृढ़ करने, सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय में सुधार करने और महिलाओं, जनसंख्या और पर्यावरण से सम्बन्धित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक नेटवर्क का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है;

11. उत्तरदायी जनकता में बराबर के सहभागी के रूप में पुरुषों की भूमिका का उनके परिवारों के आकार का निर्धारण करने, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करने तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों में सहयोग करने के कार्य में बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए;

12. एशिया के औद्योगिक देशों में जहां महिलाओं के कम बच्चे होते हैं और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाती है, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन अन्य क्षेत्रों में जिनकी स्थिति को अभी भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है;

13. एशिया के देशों में जहां प्रजनन-दर कम होकर निचले स्तर तक आ गयी है, परिवार के आकार को बढ़ाने के लिए महिलाओं को समर्थन देने और प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए; कुछ बड़ी आयु की महिलाओं जो अपने आयु-वर्ग में पुरुषों की संख्या से अधिक है, की स्थिति से निपटने के लिए कदम भी अवश्य उठाने जाने चाहिए;

14. उन देशों जिन्होंने अपनी प्रजनन-दरों को कम कर लिया है और जिनकी प्रजननता-दरें बहुत ऊंची हैं, के बीच सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि जनांकिकी तथ्यों और इसके निहितार्थों को और अच्छी तरह से समझा जा सके ?

कार्यवाही के लिए आह्वान

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित आह्वान करते हैं :

1. एशिया की महिला सांसदें

(i) अपने-अपने देशों में राजनीतिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को सुदृढ़ करें;

(ii) महिलाओं को अपने कोटे के अधिकार का इस्तेमाल करने और प्रत्येक स्तर पर पद प्राप्त करने में अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित और उनकी सहायता करें। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा न्यायसंगत चयन पद्धतियां शामिल हैं;

(iii) समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष के बराबर स्तर की गारन्टी देने के लिए कानून पारित करायें जिसमें कार्यवाही के इस घोषणा कार्यक्रम की सहायता में कानूनी उपाय शामिल हैं;

(iv) ऐसे कानूनों के कारगर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी कार्यवाही तेज करें;

(v) महिलाओं के स्तर, जनसंख्या, पर्यावरण और मानव उत्तरजीविता के बीच महत्वपूर्ण अन्तर-सम्बन्ध के बारे में सरकारों, सांसदों, धार्मिक नेताओं और जनता में जागरूकता बढ़ाने और ज्यादा समझने को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें;

(vi) लोगों की जरूरतों को स्पष्ट करने के लिए संचार के माध्यम के रूप में कार्य करते हुए सरकार और लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभायें।

(vii) सुदृढ़ महिलाओं के संघटक सहित जनसंख्या और विकास के बारे में संसदीय समितियां

स्थापित करना और सुदृढ़ करना तथा ऐसी समितियों में पुरुष सांसदों की सहभागिता को प्रोत्साहित करें;

(viii) एशिया की महिला सांसदों के बीच महिला और जनसंख्या के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दें और सहायता करें।

2. सरकारें

(i) महिलाओं और जनसंख्या के बारे में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संसाधनों के पर्याप्त भाग का आवंटन करना जिसमें कार्यवाही का मौजूदा कार्यक्रम शामिल हैं;

(ii) उन देशों में महिला मन्त्रालय स्थापित करना जिन्होंने ऐसा न किया हो;

(iii) विकास के सभी पहलुओं में पुरुषों की बराबरी के रूप में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न करना और उन्हें सुरक्षित करना;

(iv) महिलाओं के स्तर में सुधार लाने और जनसंख्या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक वर्गों के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना;

(v) बहुपक्षीय अभिकरणों जिसमे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि और गैर सरकारी संगठन शामिल है, के माध्यम से जनसंख्या सहायता बढ़ाना;

(vi) महिलाओं, बच्चों, जनसंख्या और पर्यावरण से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं और संधियों की अभिपुष्टि और कार्यान्वयन करना।

3. गैर सरकारी संगठन

(i) महिलाओं, जनसंख्या, पर्यावरण और मानव उत्तरजीविता के क्षेत्रों में राष्ट्रीय सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग को सुदृढ़ करना;

(ii) जीविका सम्बन्धी परियोजनाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में आत्म निर्भरता और उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करके उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए बुनियादी स्तर पर महिलाओं की स्वैच्छिक रूप से सहभागिता प्राप्त करना;

4. प्रेस और प्रचार साधन

(i) भूख, कुपोषण, माता की मृत्यु, सशस्त्र संघर्ष की शिकार महिलाएं, महिलाओं का अन्तर-राष्ट्रीय प्रवसन, बलात्कार आदि जैसी अज्ञात आपत्ति स्थितियां जो मानव के बहुत बड़े भाग को पीड़ित करती है, उनके बारे में प्रेस और प्रचार साधनों में सूझबूझ के साथ कवरेज प्रस्तुत करना।

(ii) विकास प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं के लिए संवेदनशील और जागरूक होना तथा नाटकीय और भावुक घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात को स्थान देना।

5. अन्तरराष्ट्रीय समुदाय

(i) महिलाओं, जनसंख्या और विकास से जुड़े मसलों और समस्याओं के बारे में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर सांसदों के वर्गों की सहायता और सलाह प्राप्त करने के कार्य को जारी रखना;

(ii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, जो सरकारों और एशिया के गैर सरकारी संगठनों के महिलाओं, जनसंख्या और सम्बन्धित कार्यक्रमों को धन देते हैं अथवा कार्यान्वित करते हैं, को वित्तीय सहायता बढ़ाना;

(iii) बृहत् और लघु दोनों स्तरों पर महिलाओं, जनसंख्या और विकास के बारे में अनुसंधान कार्य के लिए सहायता बढ़ाना;

(iv) संयुक्त राष्ट्र और इसके विशिष्ट अभिकरणों विशेष तौर से यू० एन० एफ० पी० ए० का महिलाओं, जनसंख्या, विकास और मानव उत्तरजीविता के बारे में कार्यक्रमों को सहायता देने के प्रयास तेज करना तथा इन प्रयासों के प्रणालीबद्ध व्यापक समन्वय को सुनिश्चित करना।

गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलें

5452. **श्री प्रकाश कोको शहाबद्दे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है जो रुग्ण एककों की सूची में हैं;

(ख) मिलों के रुग्ण होने के क्या कारण है; और

(ग) रुग्ण एककों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) संगठित वस्त्र उद्योग की रुग्णता के मुख्य कारण हैं :—आधुनिकीकरण की कमी की वजह से मशीन और श्रमिकों दोनों की उत्पादकता में कमी तथा अतिरिक्त श्रमिकों के कारण अन्तर्निविष्टियों की लागत में वृद्धि, वित्तीय कठिनाईयां, विद्युत करघा क्षेत्र से सस्ती प्रतियोगिता तथा अकुशलप्रबंधन आदि।

(ग) सरकार ने अर्थक्षम पाई गयीं रुग्ण/बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की पुनर्स्थापना के लिए पैकेज बनाने और उसका कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरूद्धार के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारी उपाय सुनिश्चित करने और उन्हें लागू करने के लिए एक बी० आई० एफ० आर० की भी स्थापना की है।

विवरण

गुजरात में आर० बी० आई० द्वारा 31-12-1987 की स्थिति के अनुसार रुग्ण वर्गीकृत एककों की सूची।

मिल का नाम	कार्य कर रहे/बन्द पड़े	स्थापित क्षमता तकुए	करघे	कार्य
1	2	3	4	5
1. अहमदाबाद मैन्यू० एंड कालीको प्रि० क० लि०	बन्द	57916	970	1801
2 अयोध्या सि० एण्ड वि० मिल्स लि०	वही	50048	980	1400
3. अयोध्या जी०एण्ड मैन्यू०मिल्स लि०	वही	43384	903	2858

1	2	3	4	5	6
4.	अहमदाबाद श्री राम कृष्ण मिल्स लि०	वही	31080	536	1605
5.	ब्रांच ट्वैक्स० मिल्स लि०	चालू	...	...	...
6.	भारत सूर्यपोध्या मिल्स लि०	बन्द	26568	540	2164
7.	कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स क० लि०	वही	30160	714	2184
8.	धनपाल सिल्क मिल्स प्रा० लि०	चालू	...	...	...
9.	गेकवार मिल्स लि०	बंद	38787	876	2118
10.	गीता फैंट्रिक प्रा० लि०	चालू	...	...	...
11.	महाराना मिल्स लि०	बंद	2 9700	328	2322
12.	मगदूत केयनिंग एण्ड प्रि० मिल्स लि०	चालू	...	...	...
13.	नवजीवन मिल्स लि०	बंद	27560	570	2098
14.	निरंजन मिल्स लि०	चालू	...	...	...
15.	नोमर लि०	वही	...	...	...
16.	पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स लि०	बंद	32732	648	1421
17.	प्रसाद मिल्स	चालू	25104	461	1548
18.	रोहित मिल्स लि०	चालू	...	...	...
19.	रुस्तम मिल्स इन्डस्ट्रीज लि०	वही	...	...	...
20.	राज प्रकाश सि० मिल्स लि०	वही	...	...	...
21.	श्री विवेकानन्द मिल्स लि०	बंद	31768	574	1297
22.	श्री बन्शीधर सि० एण्ड वि० मिल्स लि०	वही	40712	416	1501
23.	यमन मिल्स क० लि०	वही	38080	650	940
24.	स्टार आफ गुजरात टैक्स० मिल्स लि०	वही	19532	...	1280
25.	विजया मिल्स क० लि०	वही	50680	844	1920
26.	बालकृष्णा टैक्स० प्रा० लि०	चालू	...	...	...
27.	पदमनी टैक्स इन्डस्ट्री लि०	वही		...	...
28.	डाइमंड टैक्स० मिल्स लि०	वही	...	...	...
29.	मानसुकरमा टैक्स० प्रा० लि०	बंद	...	...	...

1	2	3	4	5	6
30.	नवज्योति मिल्स लि०	बंद	21820	447	987
31.	कालोल मिल्स लि०	वही	34372	496	1625
32.	अहमदाबाद जूबिल्स मिल्स	चालू	...	...	...
33.	माधू फैब्रिक लि०	वही	...	...	...
34.	ओमक्स इन्वसट्री लि०	बंद	51800	1139	2758
35.	रीता टैक्स० प्रा० लि०	चालू	...	...	...
36.	बोदा सि० एण्ड वि० मिल्स क० लि०	वही	...	...	...
37.	फूरफल एण्ड अलाइड प्रोडक्स प्रा० लि०	वही	...	...	...
38.	गुजरात सि० मिल्स लि०	बन्द	17512	...	409
39.	गुजरात डेयेइंग प्रि० मिक्स लि०	चालू	...	...	-
40.	हार्थसिंग मन्यू कं० लि०	वही	...	...	...
41.	हंसपा काइट (पी०) लि०	वही	...	...	
42.	ज० आर० विद्यारिया एण्ड सस प्रा० लि०	वही	...	...	...
43.	मोहन कारटस (आई०) लि०	वही	...	...	...
44.	न्यू गुजरात साइंटीक्स लि०				
	नं० 1	बन्द	42592	644	2686
	नं० 2	वही	39400	561	2099
45.	प्राइतवी कोटन मिल्स लि०	चालू	...	...	...
46.	राजकोट एण्ड वेविंग मिल्स प्रा० लि०	चालू	...		...
47.	श्री मनदवी सि० मिल्स लि०	बन्द	11232		310
48.	सूधा सूगर कोटल मिल्स लि०	चालू	...		...
49.	यूनिवरसल साइन्टीक्स	वही		...	...
50.	विवेक टैक्स० मिल्स प्रा० लि०	वही	...	...	...
51.	विनीसन्स	वही		...	...
52.	वेनिया सिल्क मिल्स प्रा० लि०	वही		...	...

मूंगफली के तेल का मूल्य

5453. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि के बारे में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुजरात राज्य को वर्ष 1989-90 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु कुल कितना आयातित खाद्य तेल आवंटित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में उप प्रधानमन्त्री एवं कृषि मंत्री द्वारा 7-4-1990 को गुजरात सरकार और अन्य संबंधितों के साथ एक बैठक की गई थी।

गुजरात सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए खाद्य तेलों का आवंटन, जो फरवरी, 1990 में 1600 मी० टन था, बढ़ाकर मार्च में 2600 मी० टन और अप्रैल, 1990 में 4600 मी० टन कर दिया गया है।

(ग) गुजरात सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के वास्ते आवंटित की गई खाद्य तेलों की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

तेल वर्ष 1988-89 (नवम्बर 88—अक्तूबर 89)	—	36,700 मी० टन
तेल वर्ष 1989-90 (नवम्बर 89—अप्रैल 90)	—	15,400 मी० टन

मानव त्वचा पर साबुन का प्रभाव

5454. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव त्वचा पर साबुन प्रयोग के प्रतिकूल या अन्य प्रकार के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन हाल ही के वर्षों में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने वर्ष 1981-84 में प्रक्षालकों के प्रभावों पर अध्ययन आयोजित किये थे। अध्ययन रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला गया कि कामगार त्वचीय जलन, अति संवेदनशीलता, प्रकाश विषाक्तता, प्रकाश एलर्जी, रंगमय और अन्य त्वचीय विकारों से प्रभावित हुए थे।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल

[हिन्दी]

5455. **श्री राजवीर सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए किन-किन स्थानों पर होस्टलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने होस्टलों के निर्माण का विचार किया गया है;

(ङ) ये कहां-कहां बनाये जायेंगे और प्रत्येक होस्टल पर कितना लागत आने का अनुमान है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) 1990-91 के लिए भी अब तक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उड़ीसा को सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता

5456. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि राज्य में निर्माणाधीन बड़ी और मध्यम स्तर की कुछ परियोजनाओं को पूरा करने हेतु, उसे सहायता दी जाए;

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी गयी है; और

(ग) इस बारे में अब तक की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोठाड़िया) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सिंचाई प्रगति कार्यक्रम के अन्तर्गत महानदी डेल्टा स्कीमों के चालू कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों के वास्ते सितम्बर, 1989 में अनुरोध किया था। राज्य सरकार को वर्ष 1989-90 के दौरान इन कार्यों तथा लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 290 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

दिल्ली में भिखारी सुधार गृह

[अनुवाद]

5457. श्री के० एस० राव : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कैपिटल हैज अबाउट 10,000 बैगर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई भिक्षा निरोधक अधिनियम, जिसे राजधानी शहर दिल्ली में भी लागू किया था, के अन्तर्गत भीख मांगने के लिए कितने व्यक्तियों पर गत तीन वर्षों के दौरान मुकदमा चलाया गया है;

(ग) उक्त अवधि में वर्ष-वार दिल्ली में भिखारी सुधार गृहों में रखे गये भिखारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) राजधानी में भीख मांगना पूरी तरह से समाप्त न कर पाने के क्या कारण है; और

(ङ) इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान 10,788 व्यक्तियों पर भिक्षावृत्ति के लिए अभियोग चलाया गया है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार पुलिस भिखारियों को नियमित रूप से पकड़ रही है परन्तु पड़ोसी राज्यों से भिखारियों के निरन्तर आते रहने से दिल्ली में उनकी संख्या बढ़ जाती है ।

(ङ) बम्बई भिक्षा निवारण अधिनियम, 1959, जिसका विस्तार केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में किया गया है और दिल्ली भिक्षा निवारण नियम, 1960 के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में कहीं भी भिक्षावृत्ति मांगते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है । समाज कल्याण निदेशालय ने इस अधिनियम तथा नियमों को सख्ती से लागू करने के दिल्ली पुलिस से समय-समय पर अनुरोध किया है ताकि भिक्षावृत्ति के अभिशाप को कम किया जा सके । समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और अधिनियम एवं नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कार्रवाई की जाती है ।

विवरण

क्रम सं०	संस्था का नाम	संवासियों की संख्या की स्थिति		
		31-3-88	31-3-89	31-3-90
1.	रिसेप्शन कम क्लासीफिकेशन सेन्टर, किंग्जवे कैंप, दिल्ली	20	116	3
2.	पुअर हाऊस, किंग्जवे कैंप, दिल्ली	116	211	157
3.	पुरुष भिखारी गृह (रोगी) किंग्जवे कैंप	54	57	60

1	2	3	4	5
4.	समर्थ तथा अपंग भिक्षुक गृह, लामपुर	119	116	98
5.	वृद्ध तथा दुर्बल भिक्षुकों के लिए गृह, लामपुर	123	95	64
6.	भिक्षुक गृह, I लामपुर	96	84	71
7.	भिक्षुक गृह, 2 लामपुर	129	134	113
8.	सेवा सदन, लामपुर	94	132	50
9.	कुष्ठरोग तथा क्षय रोग से प्रभावित भिक्षुकों के लिए गृह ताहिरपुर	163	178	170 (28-2-90 की स्थिति अनुसार)
10.	कुष्ठरोग से प्रभावित भिक्षुकों के लिए गृह, ताहिरपुर	200	184	170
11.	महिला सदन, तिहाड़	38	29	16
12.	महिला भिक्षु गृह, तिहाड़	28	22	13
13.	लड़कों के लिए बाल गृह (नरेला)	76	64	78
		1256	1422	1063

"ड्रग सीन आन कैम्पस-न्यू फंड रिप्लेसेज द ओल्ड" शीर्षक के समाचार

5458. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्रग सीन आन कैम्पस-न्यू फंड रिप्लेसेज द ओल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली के कालेजों तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को खतरनाक रासायनिक नशीली औषधियों की सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन शिकायतों पर की गई अथवा की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शिक्षा संस्थाओं में इन खतरवाक नशीली औषधियों की सप्लाई के कार्य में लिप्त असामाजिक तत्वों के गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए युद्ध स्तर पर सशक्त कार्यवाही

करने का विचार है ताकि छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके; यदि हां, तो इस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यह कार्यवाही कब तक आरम्भ की जाएगी; और

(घ) क्या इस कार्यवाही में शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध मण्डल भी सक्रिय सहयोग दे रहे हैं; यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"पान मसाला इन्ड्यूसेज जेनिटिक प्रोब्लेम्स" शीर्षक से समाचार

5460. **श्री के० एस० राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पान मसाला इन्ड्यूसेज जेनिटिक प्रोब्लेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं पर पान मसाला के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) पान मसाला के हानिकारक प्रभाव के बारे में उपभोक्ताओं को सजग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) पान मसाले से शायद इसके संघटकों सुपारी और कत्थे के कारण कैंसर हो सकता है । वैसे अध्ययनों से यह पता नहीं चलता कि पान मसाले के उपयोग से पान चबाने की अपेक्षा कैंसर की घटनाएं अधिक होती है ।

(घ) भारत सरकार लोगों में पहले ही अपने जन-प्रचार माध्यमों के जरिए तम्बाकू आधारित उत्पादों, जिनमें पान मसाला शामिल है, के हानिकारक प्रभावों का प्रचार करके जागरूकता पैदा कर रही है तथा उन्हें इसका उपयोग न करने की सलाह दे रही है । खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का संशोधन करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है जिसमें पान मसाले के प्रत्येक पैकेट पर इस आशय की चेतावनी देना अपेक्षित है कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है ।

कोट्टायम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की स्थापना

5461. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम, केरल में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों की जनसंख्या

[हिन्दी]

5462. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है और मध्य प्रदेश में कितने गांवों में उत्तर प्रदेश के आदिवासी रहते हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को आदिवासियों का दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या सरकारी सेवाओं में आदिवासियों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे और अन्य सरकारी सेवाओं में रोजगार पर लगाए गए आदिवासियों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आदिवासियों को दिये गए सभी ऋण माफ करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपाय किये गए हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की राज्यवार जनसंख्या के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

मध्य प्रदेश में गांवों की संख्या जिसमें उत्तर प्रदेश से आए अनुसूचित जनजातियां बसे हैं, के संबंध में सूचना राज्य सरकार एकत्र की जा रही है, और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने वाले राष्ट्रपति आदेशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों को जनजाति के रूप में विशिष्ट किया गया है :—

(1) भोटिया (2) बुनका (3) जौनसरी (4) राजी (5) थारू

(ग) जी, हां।

रेलवे में नौकरियां दिये जा रहे अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर 30-3-90 को हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में दिये गये अन्य सुझावों में से एक सुझाव यह था कि आदिवासियों को दिये गए ऋणों को किसानों को दिये गए ऋणों के समान, माफ कर दिया जाए। तथापि, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3176001
2.	अरुणाचल प्रदेश	441167
3.	असम	218600*
4.	बिहार	5810867
5.	गोवा, दमन और द्वीव	10721
6.	गुजरात	4848586
7.	हरियाणा	उल्लेख नहीं किया गया
8.	हिमाचल प्रदेश	197263
9.	जम्मू और कश्मीर	183963**
10.	कर्नाटक	1825203
11.	केरल	261475
12.	मध्य प्रदेश	11987031
13.	महाराष्ट्र	5772038
14.	मणिपुर	387977
15.	मेघालय	1076345
16.	मिजोरम	461907
17.	नागालैंड	650885
18.	उड़ीसा	5915067
19.	पंजाब	उल्लेख नहीं किया गया
20.	राजस्थान	4183124
21.	सिक्किम	73623
22.	तमिलनाडु	520226
23.	त्रिपुरा	583920
24.	उत्तर प्रदेश	232705
25.	पश्चिम बंगाल	3070672

1	2	3
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	22361
27.	चण्डीगढ़	उल्लेख नहीं किया गया
28.	दादर और नगर हवेली	81714
29.	दिल्ली	उल्लेख नहीं किया गया
30.	लक्षद्वीप	37760
31.	पांडिचेरी	उल्लेख नहीं किया गया
	कुल	52031201

*परिवेक्ष आंकड़े

**अनुमानित आंकड़े

[अनुवाद]

जोखिम भत्ते का भुगतान

5463. श्री नाथू सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का पता लगा लिया है जिन्हें चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोखिम भत्ता दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह जोखिम भत्ता इन कर्मचारियों कब से दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) . (क) से (ग) डा० (श्रीमती) कस्तूरी अग्रवाल, प्रिंसिपल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज की एक सदस्यीय समिति जोखिम भत्ते के प्रयोजन के लिए अपेक्षाकृत खतरनाक क्षेत्रों का पता लगाने से संबंधित प्रश्न की जांच कर रही है।

भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों की मांगें

5464. श्री नाथू सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौतिक चिकित्सकों (फिजिओथेरेपिस्ट्स) और व्यावसायिक चिकित्सकों (ओकुपेशनल-थैरेपिस्ट्स) आदि की मांगें लम्बे समय से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(ग) इन श्रेणियों द्वारा की गई प्रत्येक मांग कब तक पूरी की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) भौतिक चिकित्सकों के लिए उच्चतर ग्रेड (श्रेणी-I कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर) पदों का सृजन करने के

लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के चिकित्सा व्यावसायिक चिकित्सक संघ से सितम्बर, 1989 में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

भौतिक चिकित्सक और व्यावसायिक चिकित्सक परिषद की स्थापना करने के लिए भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ और अखिल भारतीय व्यावसायिक चिकित्सक संघ से एक अन्य मांग भी प्राप्त हुई है। इन मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

गैर-केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी एसोसिएशन की मांगें

5465. श्री नाथू सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं के गैर-केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी एसोसिएशन ने हाल ही में एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में उल्लिखित मांगों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने 15 नवम्बर, 1989 के निर्णय में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थाओं के गैर-सरकारी स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के ग्रुप "क" के अधिकारियों की इन मांगों को पूरा करने का आदेश दिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रुप "ख" के अधिकारियों की मांगों को भी पूरा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ये मांगें कब तक स्वीकार की जायेंगी और कार्यान्वित की जायेंगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संस्थानों के अधीन कार्यरत गैर-चिकित्सीय (ग्रेड-क) विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय कार्रवाई समिति की अध्यक्ष डा० (श्रीमती) क्यू० जेड हुसैन ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15-11-89 के अपने फैसले में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं :—

(1) भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय चार महीने के अन्दर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के गैर-चिकित्सीय विंग में ग्रुप "क" वैज्ञानिकों को उपयुक्त प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उपयुक्त नियमों का एक सेट तैयार करेगा।

(2) ये ग्रुप "क" वैज्ञानिक 1-4-89 से उसी दर पर जो निदेशालय में चिकित्सा विंग के डाक्टरों के लिए ग्राह्य है, पुस्तक भत्ते, उच्च डिग्री भत्ते, जोखिम भत्ते और वाहन भत्ते के हकदार होंगे।

(3) सरकार चार महीने के भीतर इस श्रेणी के अधिकारियों के लिए उच्चतम वेतनमान के दावे की यौक्तिकता की जांच करेगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले ही निर्णय के निर्देश संख्या 2 का अनुपालन किया है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विभिन्न भत्ते प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए

है। जहां तक निर्देश संख्या 1 और 3 का संबंध है, अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से आवश्यक प्रोन्नति स्कीम पर कार्रवाई की जा रही है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्य कर रहे केवल ग्रुप "क" गैर-चिकित्सीय वैज्ञानिकों पर लागू है। ग्रुप "ख" अधिकारियों की मांगों पर अलग से विचार किया जाना है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ग्रुप "ख" के कर्मचारियों की पदोन्नति

5466. श्री नाथू सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में राजपत्रित और गैर-राजपत्रित दोनों ही काडर में ग्रुप "ख" पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत है;

(ख) क्या वे लम्बे समय से अपने-अपने पदों पर कार्यरत हैं और यदि हां, तो उन्हें पदोन्नत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) "सेवाकाल के दौरान कम से कम तीन पदोन्नतियों" की सरकारी नीति के अनुसार सरकार का उन्हें पदोन्नति देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

5467. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के आरम्भ किए जाने के समय से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने कुष्ठ रोगी रोग मुक्त किए गए और उनका पुनर्वास किया गया; और

(ग) देश में कुल कितने कुष्ठ रोग केन्द्र हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में शुरू किया गया और इसे 1982-83 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में पुन: शुरू किया गया। इसे छठी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजना बना दिया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके आरम्भ से खर्च की धनराशियों का ब्योरा विवरण-1 और 2 के रूप में संलग्न है।

(ख) इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से 43,54,082 कुष्ठ रोगियों को इस रोग के ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 26,794 रोगियों का चिकित्सीय रूप से पुनर्वास किया गया है और 12,983 रोगियों का व्यावसायिक रूप से पुनर्वास किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कार्यरत कुष्ठ केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

(1) कुष्ठ नियंत्रण एकक	728
(2) शहरी कुष्ठ केन्द्र	895
(3) सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र	6102
(4) जिला कुष्ठ कार्यालय	244
(5) अस्थायी हॉस्पिटेलाइजेशन वार्ड	294
(6) नमूना और सर्वेक्षण मूल्यांकन एकक	35
(7) स्वैच्छिक संगठन	283

विवरण-I

निम्नलिखित वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर किया गया व्यय

योजना अवधि	व्यय (लाख रुपये में)
1955-56	35.00
1956-61	529.00
1961-66	425.00
1966-69	63.00
1969-74	286.00
1974-79	2023.00
1979-80	232.00
1980-85	4120.00

विवरण-2

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

नीचे दिए गए आंकड़ों में राज्यों में भौतिक यूनिटें तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए दी गई नकद अनुदान राशि, प्रशिक्षणार्थियों को दी गई वजीफा राशि, स्वयंसेवी क्षेत्र में प्रतिकुष्ठ पलंग के लिए 60/- रुपये की दर से मैचिंग अनुदान राशि स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां और प्लान योजना के अधीन बहुऔषध उपचार जिलों में अनुरक्षण गतिविधियां शामिल है—

(लाख रुपये में)

निम्नलिखित वर्षों में अनुदान स्वरूप जारी की गई केन्द्रीय सहायता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1985-86			1986-87			1987-88		
		नकद	सामग्रीगत	योग	नकद	सामग्रीगत	योग	नकद	सामग्रीगत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	180.44	80.00	260.44	211.00	80.00	291.00	220.00	70.00	290.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	0.40	2.90	4.00	0.50	4,50	7.50	0.50	8.00
3.	असम	19.00	5.00	24.00	18.00	5.00	23.00	20.00	5.00	25.00
4.	बिहार	17.00	38.00	55.00	30.00	38.00	68.00	60.00	30.00	90.00
5.	गोवा	0.76	0.32	1.00	0.87	0.50	1.37	1.00	0.50	1.50
6.	गुजरात	30.00	21.31	59.31	35.00	25.00	60.00	30.00	20.00	58.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. हरियाणा	2.00	0.30	2.30	1.50	1.00	2.50	1.00	1.00	2.00
8. हिमाचल प्रदेश	3.50	0.75	4.25	4.00	1.00	5.00	6.50	1.00	7.50
9. जम्मू और कश्मीर	2.00	1.00	3.00	1.20	0.50	1.70	1.13	0.50	1.63
10. कर्नाटक	40.00	30.00	70.00	70.00	30.00	100.00	70.00	25.00	95.00
11. केरल	17.25	8.00	25.25	20.00	10.00	30.00	45.00	10.00	55.00
12. मध्य प्रदेश	79.72	18.00	97.72	40.00	10.00	50.00	68.00	10.00	78.64
13. महाराष्ट्र	82.00	45.00	127.00	50.00	50 00	100.00	35.00	30.00	65.00
14. मणिपुर	10.09	0.50	10.59	2.50	0.50	3.00	7.38	0.50	7.88
15. मेघालय	1.50	0.50	2.00	1.26	1.00	2.26	3.00	1.00	4.00
16. मिजोरम	0.44	0.45	0.89	2.00	1.00	3.00	5.00	1.00	6.00
17. नागालैंड	4.26	1.00	5.26	8.00	1.00	9.00	5.00	1.00	6.00
18. उड़ीसा	47.00	35.00	82.00	30.00	25.00	55.00	82.50	20.00	102.50
19. पंजाब	2.50	0.30	3.30	4.00	0.50	4.50	10.00	0.50	10.50
20. राजस्थान	27.00	6.00	33.00	18.00	5.00	83.00	25.00	5.00	30.00
21. सिक्किम	9.10	0.20	9.36	16.63	0.50	17.13	16.00	1.00	17.00
22. तमिलनाडु	58.00	70.00	128.00	86.00	85.00	151.00	97.00	60.00	157.50
23. त्रिपुरा	11.00	1.50	12.50	9.00	1.00	10.00	7.05	1.00	8.05
24. उत्तर प्रदेश	68.00	55.00	123.00	67.50	40.00	107.50	139.55	42.50	182.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	पश्चिम बंगाल	30.00	45.00	75.00	40.00	30.00	70.00	65.00	25.00	90.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7.90	0.32	8.22	1.00	0.50	1.50	8.00	0.50	8.50
27.	चण्डीगढ़	शून्य	0.15	0.15	0.83	0.50	1.33	—	0.50	0.50
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	0.01	0.01	शून्य	0.50	0.50	—	0.50	0.50
29.	दिल्ली	2.73	0.45	3.18	0.50	0.50	1.00	—	0.50	0.50
30.	लक्षद्वीप	0.13	0.12	0.25	0.15	3.00	3.15	—	3.00	3.00
31.	पांडिचेरी	0.26	2.50	2.76	0.24	8.24	8.24	0.25	8.00	8.25
	योग	764.14	467.58	1231.72	773.18	435.00	1208.18	1045.00	375.00	1420.00
	केन्द्रीय सेक्टर			158.28			319.82			342.00
	कुल योग			1390.00			1528.00			1762.00

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का भुगतान

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89 के दौरान किया गया भुगतान			1989-90 के दौरान किया गया भुगतान		
		नकद	सामग्रीगत	योग	नकद	सामग्रीगत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	80.00	260.00	175.00	138.92	313.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.24	0.50	5.74	5.10	—	5.10
3.	असम	18.00	5.00	23.00	29.00	—	29.00
4.	बिहार	60.00	38.00	98.00	52.50	47.33	99.84
5.	गोवा	0.12	0.50	0.62	—	—	—
6.	गुजरात	30.00	25 00	55.00	32.50	34.63	67.13
7.	हरियाणा	2.00	1.00	3.00	2.40	0.54	2.94
8.	हिमाचल प्रदेश	10.50	1.00	11.50	7.00	0.45	7.45
9.	जम्मू व कश्मीर	8.63	0.50	9.13	2.50	1.09	3 59
10.	कर्नाटक	80.00	30.00	110.00	125.00	21.28	146.28
11.	केरल	55.00	10.00	65.00	70 00	2.87	72.87
12.	मध्य प्रदेश	100.00	10.00	110.00	123.00	0.55	123.55
13.	महाराष्ट्र	35.00	50.00	85.00	30.00	35.63	65.63
14.	मणिपुर	2.00	0.50	2.50	6.60	—	6.60
15.	मेघालय	4.00	1.00	5.00	3.50	—	3.50
16.	मिजोरम	5.00	1.00	6.00	3.50	—	3.50
17.	नागालैंड	6.00	1.00	7.00	7.00	—	7.00
18.	उड़ीसा	100 00	25.00	125.00	80.00	16.10	96.10
19.	पंजाब	8.00	0.50	8.50	8.00	1.19	9.19
20.	राजस्थान	35.00	5.00	40.00	23.00	4.68	27.68
21.	सिक्किम	16.37	0.50	16.87	12.00	0.20	12.20

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	105.00	65.00	170.00	113.85	15.90	129.75
23.	त्रिपुरा	14.69	1.00	15.69	26.00	1.53	27.53
24.	उत्तर प्रदेश	145.00	40.00	185.00	120.00	66.98	186.98
25.	पश्चिम बंगाल	55.00	30.00	85.00	90.00	41.30	131.30
26.	अण्डमान व निकोबार	7.50	0.50	8.00	7.00	—	7.00
27.	चण्डीगढ़	0.50	0.50	1.00	0.50	—	0.50
28.	दादर व नगर हवेली	0.50	0.50	1.00	1.00	—	1.00
29.	दमन व दीव	—	0.50	0.50	1.00	—	1.00
30.	दिल्ली	0.50	0.50	1.00	0.50	—	0.50
31.	लक्षद्वीप	1.00	1.00	2.00	1.00	—	1.00
32.	पांडिचेरी	0.12	7.50	7.62	—	—	—
	योग	1090.67	433.00	1523.67	1158.45	431.18	1589.63
	केन्द्रीय सैक्टर		376.33				412.55
	कुल योग		1900.00				2002.18

क्षयरोग और एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति

[हिन्दी]

5468. श्री नन्दलाल मीणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में काफी संख्या में लोग क्षयरोग और एड्स रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रोगों की रोकथाम हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) यह अनुमान है कि राजस्थान राज्य मे पांच लाख से अधिक लोग क्षयरोग से पीड़ित है।

राजस्थान से एड्स का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) राजस्थान में धौलपुर को छोड़कर सभी जिलों में जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 0-1 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को क्षयरोग से प्रतिरक्षित करने के लिए निवारक उपाय के रूप में बी० सी० जी० के टीके लगाए जा रहे हैं।

राजस्थान में नसबन्दी कार्यक्रम

5469. श्री नन्दलाल मीणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई;

(ख) ऐसे कौन-कौन से जिले है जिनमें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया; और

(ग) क्या इसके लिए कोई प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया या कितने व्यक्तियों ने प्रोत्साहन नहीं लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक राजस्थान में नसबन्दी किए गए व्यक्तियों की संख्या 10,3,269 है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना राजस्थान राज्य से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को मकानों का आवंटन

5470. श्री दलई चौधरी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकानों की संख्या कितनी है; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आबंटित ऐसे मकानों की प्रतिशतता कितनी है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 71986.

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल आबंटित मकानों की संख्या का 7.3% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 5235 मकान आबंटित किए गए थे।

राजस्थान में कुओं के जल स्तर में कमी

5471. **श्री थानसिंह जाटव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों के कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर पेय जल का भारी संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या चम्बल नदी से पेय जल प्राप्त करके और इसे लोगों को सप्लाई करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है और इस पर कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) धौलपुर और भरतपुर जिलों में कुओं का जल स्तर नीचे जाने से कुछ गांवों में पेयजल की समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में जल स्तर में कमी आना

[अनुवाद]

5472. **श्री बागा रेड्डी** :

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर सिंचाई कुओं के क्षेत्र में जल स्तर घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा जल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जब कि देश में भूजल सारणी में कोई गिरावट नहीं पाई गई है फिर भी भिन्न-भिन्न स्थानीय कोशिकाओं (पाकेटों) में भूजल स्तरों में गिरावट तथा बढ़ोत्तरी अंकित की गई है।

(ख) भूजल का स्तर गिर जाता है जब पुनर्भरण से निस्सर्पण बढ़ जाता है। यह वर्षापात में कमी अथवा वार्षिक पुनर्भरण स्रोत के निष्कर्षण के उच्च स्तर के कारण हो सकता है।

(ग) गिरावट के लिए रोकथाम संबंधी निवारक तथा उपचारी उपायों में, भूजल के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए उपयुक्त भूमि एवं जल प्रबंध, कृत्रिम पुनर्भरण, विकास के उच्च स्तर सहित ब्लाकों में संस्थागत वित्त पर रोक, और भूजल विकास का नियंत्रण तथा विनियमन शामिल है।

(घ) भूजल विकास स्कीमों की आयोजना एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथापि, वर्ष 1987-88 से वर्ष 1989-90 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को जल-उत्पादन संबंधी संरचनाओं के निर्माण हेतु स्कीमों के वास्ते 109 लाख रुपए की सहायता दी गई थी।

दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियर

5473. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान ने सरकारी निदेशों/नियमों का उल्लंघन करके वर्ष 1979 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के कनिष्ठ इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कनिष्ठ इंजीनियरों (ई० एण्ड एम०) के कितने पद आरक्षित किए गए और वस्तुतः कितने रिक्त पद भरे गए, कितनों के सम्बन्ध में आरक्षण समाप्त किया और कितने व्यपगत हो गए तथा 1 जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार कितने रिक्त पद भरने के लिए बकाया पड़े हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सहायक इंजीनियरों (ई० एण्ड एम०) के पद पर पदोन्नत किये गए व्यक्तियों में सामान्य श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियरों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया;

(ङ) वर्ष 1979 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अस्थायी कनिष्ठ इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) स्थायी किए गए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में और तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले वर्क मिस्त्रियों को वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियरों से ऊपर रखा गया था; और

(छ) क्या इन कथित अनियमितताओं के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर वर्ष 1979-80 के दौरान सामान्य श्रेणी

से तदर्थ आधार पर कुछ नियुक्तियां की गई थीं। तथापि, इस कमी को अनुवर्ती वर्षों के दौरान पूरा कर लिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 50 रिक्तियों में से, 12 रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं और इन्हें भर लिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को न तो अनारक्षित किया गया और न ही इन्हें समाप्त किया गया। अनुसूचित जनजाति के पदों में 1-1-1990 को 5 पदों का शेष बकाया है परन्तु अनुसूचित जाति में कोई बकाया नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य श्रेणी के केवल दो उम्मीदवारों को तदर्थ पदोन्नति दी गई है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को पदोन्नति नहीं गई क्योंकि विचारणीय सीमा के बाद भी कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था।

(ङ) 1977-79 के दौरान नियुक्त किये गए कुछ कनिष्ठ इंजीनियरों ने कनिष्ठ इन्जीनियरों की सूची को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और इसलिए कनिष्ठ इंजीनियरों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है।

(च) जी, हां। इसे श्री जे० पी० गुप्ता तथा अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम के मामले में सिविल अपील संख्या 527/528/1986 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए किया गया है।

(छ) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से उनकी वरिष्ठता/पदोन्नति को निर्धारित करने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और एक मामले में वरिष्ठता सूची में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

इन्दिरा सागर बांध

[हिन्दी]

5474. **श्री डा० बंगाली सिंह :**

श्री शिवशरण वर्मा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1990 के "जनसत्ता" में "इन्दिरा सागर बांध का काम रोकने की सिफारिश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने पर कितने वृक्ष काटे जा चुके होंगे; और

(घ) इस परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) सरकार को इस समाचार-मद का पता है। तथापि, इन्दिरा सागर परियोजना पर कार्य बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) काटे गये पेड़ों की गिनती अभी नहीं की गई है।

(घ) राज्य सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सोपान-1 के

लिए पंच सोपान वाली पुनर्वास योजना तैयार की गई है। गांवों की पुनःस्थापना के लिए भूमि का पता लगाया जा रहा है।

कताई मिलें

5475. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक कताई मिल की आधारशिला रखी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 31-7-1989 को उ० प्र० सहकारी कताई मिल्स लि० की आधारशिला रखी गई थी।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार मिल के 31-3-1991 तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि इसके लिए निधि उपलब्ध करा दी जाए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,470 लाख रुपये है।

कर्पूरी तम्बाकू के इस्तेमाल से कैंसर

5476. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कर्पूरी तम्बाकू का उत्पादन होता है और इसके इस्तेमाल से गला, पेट का कैंसर और फेफड़ों से सम्बन्धित कई बीमारियां होती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस तम्बाकू का रासायनिक विश्लेषण करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इसका इस्तेमाल रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) [सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू का उपयोग बन्द करना

[अनुवाद]

5477. श्री पी० आर० एस० वेंकटेसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में हुक्का तथा इडिगों की भांति तम्बाकू का उपयोग बन्द करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथा भारतीय परिधान मेला

5478. श्री के० एस० राव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित चौथा भारतीय परिधान मेला (गर्म ठंडे वस्त्र 90-91) का नई दिल्ली में जनवरी, 1990 में आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन देशों और संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस मेले में भाग लिया था;

(ग) इस मेले के आयोजन के उद्देश्य क्या थे; और

(घ) क्या ये उद्देश्य प्राप्त हो गये हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) मेला केवल भारतीय निर्यातकों के लिए था।

(ग) मेला आयोजित करने का उद्देश्य विदेशी क्रेताओं को हमारे उत्पादों के प्रदर्शन से भारत से परिधानों के निर्यात को बढ़ाना था।

(घ) जी हां। भारतीय निर्यातकों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ी संख्या में विदेशी क्रेता और क्रेता एजेन्ट मेले में आये।

मध्य प्रदेश में भू-जल स्तर का कम होना

5479. श्री लोकेन्द्र सिंह :

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जल का स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमिगत जल-स्तर को शीघ्र ऊपर लाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का, इस प्रयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जबकि भूजल तालिका में कोई सामान्य गिरावट नहीं दर्शायी गयी है फिर भी मध्य प्रदेश सहित देश में भिन्न-भिन्न स्थानीय कोशिकाओं (पाकेटों) में भूजल स्तरों में गिरावट तथा बढ़ोतरी अंकित की गयी है।

(ख) भूजल की आयोजना, विकास तथा प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भूजल

पुनर्भरण के उपायों में भूजल का अनुरक्षण तथा वृद्धि करने के लिए उपयुक्त भूमि तथा जल प्रबन्ध पद्धतियां और कृत्रिम पुनर्भरण शामिल है।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

5480. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत लाई गयी कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी कपड़ा मिलें लाभ अर्जित कर रही है;

(ग) क्या सरकार का और कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 109 राष्ट्रीयकृत और 15 प्रबंधित वस्त्र मिल हैं।

(ख) अप्रैल, 1989-जनवरी, 1990 की अवधि के दौरान एन० टी० सी० की 25 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों ने अनन्तिम निबल मुनाफा कमाया।

(ग) इस समय अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के भाण्डागार प्रबन्धन सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला

5481. **श्री जी० एस० वासवराज :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के भाण्डागार प्रबन्धन के सम्बन्ध में मार्च-अप्रैल, 1990 में नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला के आयोजक कौन थे;

(ग) इस कार्यशाला में किन-किन देशों ने भाग लिया;

(घ) कार्यशाला में किन-किन विषयों/मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ङ) कार्यशाला में क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(च) इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री रामू राम मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) आयोजक थे : खाद्य विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन रीजनल आफिस फार एशिया एण्ड पैसीफिक, बैंकाक।

(ग) इसमें जिन देशों ने भाग लिया था उनके नाम है :

बंगलादेश, भूटान, म्यानमार, नेपाल, फिलिपाइन्स, श्रीलंका, विअतनाम और भारत।

(घ) इसमें भाण्डागार प्रबन्ध और भण्डारित खाद्यान्नों के परिरक्षण के विभिन्न पहलुओं से विषय/प्रकरणों के बारे में विचार-विमर्श किया गया ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है ।

(च) खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निष्पादित और यू० एन० डी० पी० द्वारा वित्तपोषित खाद्यान्नों की कटाई-उपरान्त प्रौद्योगिकी और उनके गुण नियन्त्रण के अन्तरदेशीय सहयोग के क्षेत्र में नेटवर्क देशों की सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा ।

विवरण

"भण्डारित खाद्यान्नों के भाण्डागार प्रबन्ध" पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला (19 मार्च-6 अप्रैल, 1990) की सिफारिशें ।

1. यू० एन० डी० पी० द्वारा वित्तपोषित और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निष्पादित खाद्यान्नों की कटाई-उपरान्त प्रौद्योगिकी और उनके गुण नियंत्रण में अन्तर-देशीय सहयोग पर क्षेत्रीय नेटवर्क के दूसरे चरण को फिलहाल 30 सितम्बर, 1990 तक स्वीकृति प्रदान की गई । सभी सहभागियों ने सर्वसम्मति से यह इच्छा अभिव्यक्त की कि विकासशील देशों में परस्पर तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव को क्षेत्र के अन्दर लागू करने से पूर्व, नेटवर्क की अवधि को 1994 तक और चार वर्षों तक बढ़ाने के लिए यू० एन० डी० पी० से अनुरोध करने की आवश्यकता है । तीसरे चरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से लक्षित तारीख तक विकासशील देशों में परस्पर तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव के परिवर्धन पर बल दिया जाना चाहिए ।

2. क्षेत्रीय समन्वयक, आर० एन० पी० ए०, खाद्य और कृषि संगठन, बैंकाक से अनुरोध किया जाए कि वे न केवल क्षेत्रीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बल्कि राष्ट्रीय सदस्य देशों और संस्थानों की अलग-अलग आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए दाता एजेन्सियों के साथ यह मामला उठाएं ।

3. अधिक नमी वाले अनाज का शुष्कन करने के लिए उपयुक्त ड्रायरों/नीतियों का विकास करने हेतु दाता एजेन्सियों द्वारा अनुसंधान गतिविधियों को प्रायोजित कर संकेन्द्रित ध्यान देने की आवश्यकता है ।

4. नेटवर्क सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों को हैंडलिंग, भण्डारण, मार्गस्थ आदि के कारण होने वाली हानियों के मूल्यांकन की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए ।

5. वसूली, भण्डारण और वितरण के समय गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए नेटवर्क सदस्य देशों द्वारा ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है ।

6. विभिन्न कीटनाशक दवाइयों के प्रति कथित प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न हो जाने की वजह से वैकल्पिक रोग निरोधक रसायनों का मूल्यांकन करने और इनकी बिक्री शुरू करने की आवश्यकता है । इसी प्रकार, विभिन्न धूमकों का और कृषि मौसमी परिस्थितियों, अन्तर्ग्रस्त जिन्सों और कीटों के अनुसार मानकीकरण करने की आवश्यकता है ।

7. नियंत्रित वातावरण, म्यून और उच्च तापमान, जबरदस्ती वातन आदि, के इस्तेमाल जैसी गैर-रासायनिक विधियों का क्षेत्र में इस्तेमाल करने हेतु मूल्यांकन करना अपेक्षित है। भाण्डागार की स्वच्छता के लिए प्रक्रिया संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए।

8. सदस्य देशों द्वारा कटाई-उपरान्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पादन उपरान्त से लेकर वितरण तक समन्वित प्रस्ताव को अपनाना चाहिए जिसमें उनमें आने वाले विभिन्न पहलुओं और सभी गतिविधियों को कवर किया जाना चाहिए ताकि खाद्यान्नों से संबंधित कटाई-उपरांत समस्त परिचालनों में "सुव्यवस्थित पहुंच" को अपनाया जा सके। राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे उपयुक्त रूप से सशक्त किया जाना चाहिए।

9. बेहतर तकनीक को शुरू करने के लिए वैकल्पिक पैकिंग सामग्री, निभार सामग्री और और प्रधूमन चादरों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। परिवहन की विधियों में सुधार लाकर खेत स्तर से लेकर वितरण तक खाद्यान्नों को बल्क हैंडलिंग करने के बारे में पता लगाया जाना चाहिए।

कर्नाटक में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के "शोरूम"

5482. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुल कितने "शोरूम" हैं;

(ख) हसन जिले में कितने और कहां-कहां शोरूम हैं; और

(ग) वर्ष 1991 के दौरान कर्नाटक के हसन जिले में कितने शोरूम खोलने का क्या प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय कर्नाटक में 24 एन० टी० सी० शोरूम स्थापित हैं।

(ख) कर्नाटक के हसन जिले में बस स्टैण्ड के सामने परिवित्र उद्योग काम्प्लेक्स में एक शोरूम स्थित है।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान कर्नाटक के हसन जिले में कोई शोरूम खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र

5483. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास केन्द्रों की, राज्य वार संख्या क्या है; और

(ख) क्या ये केन्द्र कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के पुनर्वास में सक्षम हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कल्याण मंत्रालय की कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत अनेक केन्द्रों

को वित्त पोषित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त पोषित किये गये ऐसे संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ख) जी, हां।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों के नाम

1. जर्मन लैप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन,
रिहैबिलिटेशन फण्ड, लाजपैथी स्ट्रीट,
शिनायनगर, मद्रास-600003

2. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ,
भुवनेश्वर, उड़ीसा

3. सोसायटी आफ सेक्रेड हार्ट लैप्रोसी सेंटर,
साक्काटोई-612401, कुम्बाकोनम,
(तमिलनाडु)

4. संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल
बैद्यनाथ, देओघर (बिहार)

5. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ,
पश्चिम बंगिया शाखा,
94, चितरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता

6. हिन्द कुष्ठ निवारण,
शिमला

7. माननीय सचिव,
शिवानन्द पुनर्वास गृह,
कुकाईपाली,
हैदराबाद-872

राजस्थान में जल भंडारण योजना

[हिन्दी]

5284. श्री नन्दलाल मीणा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान के उन क्षेत्रों के लिए, जहां जल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है, जल संरक्षण और जल भंडारण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : राजस्थान में जल के उपयोग की स्कीमों में यथासम्भव जल के संरक्षण और भंडारण की भी परिकल्पना है। इसके अलावा, सतही जल नहरों की स्कीमों में सतही जल और भूजल दोनों के संयुक्त उपयोग की परिकल्पना है।

ग्लेशियर के बारे में जांच करना

5485. डा० बंगारी सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1990 के "जनसत्ता" में सावधान ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कुछ ग्लेशियरों पर प्रणालीबद्ध हिमनद विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन 1973 से किए गए हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ये ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं। ग्लेशियरों की समाप्ति अथवा उन्नयन सामान्य जलवायु सम्बन्धी उतार-चढ़ाव द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान विश्व-व्यापी जलवायु सामान्यतः गर्म हो रही है जिससे ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात सम्बन्धी भीड़भाड़

[अनुवाद]

5486. श्री कल्पनाथ राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात सम्बन्धी भीड़भाड़ को कम करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) दीर्घावधि योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) दिल्ली-गाजियाबाद, मेरठ, पानीपत-सोनीपत और गाजियाबाद-फरीदाबाद-पलवल मार्गों पर द्रुतगामी मार्ग (एक्सप्रेस-वे)

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 6, 8, 10 और 24 को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना।

(iii) बाह्य रिंग मार्ग का सुदृढ़ीकरण (पलवल-सोहना-रिवाड़ी-झज्जर-रोहतक-गोहाना-पानीपत-मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुर्जा-पलवल-खुर्जा से दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमायें मेरठ से उत्तर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमायें, तथा भिवाड़ी-झज्जर-किशनगढ़ तथा अलवर) और आंतरिक रिंग (रोहतक-सोनीपत-बागपत-मेरठ तथा फरीदाबाद-गुड़गांव-झज्जर-रोहतक), दिल्ली शहरी क्षेत्र में समकेंद्रिक रिंग रोड का विकास, एकीकृत क्षेत्रीय और अन्तः शहरी मार्ग नेटवर्क तथा प्रस्तावित 4 महानगर डारेक्शनल टर्मिनलों को सुगमता प्रदान करना।

(iv) पलवल-फरीदाबाद-दिल्ली, दिल्ली-रिवाड़ी-अलवर, मुरादनगर-मेरठ और दिल्ली-गाजियाबाद-खुर्जा खण्डों पर रेलवे द्वारा रेल सुविधाओं में वृद्धि करना, खुर्जा-पलवल-भिवाड़ी-धारूहेड़ा-रिवाड़ी-झज्जर और रोहतक को मिलाते हुए क्षेत्रीय रेल बाईपास द्वारा प्राथमिकता कस्बों के मध्य यात्रियों के आवागमन के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना/मुहैया करना, 4 स्थानों पर टर्मिनल सुविधाओं का विकास, सम्पूर्ण परिवहन पद्धति का सम्पूर्ण और एकीकृत दृष्यावली के लिए समन्वय अभिकरण के गठन पर भी विचार किया गया है।

12.22 म० प०

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, आपको क्या हो गया ? आप बैठ जाइए। नहीं आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मैं एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूँ जो उप-प्रधानमंत्री श्री देवी लाल ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र में कोई 20 दिन पहले 1 अप्रैल, 1990 को उठाया था। मैं आशा करता हूं कि यह अप्रैल फूल वाला मामला नहीं है। इस पत्र के साथ उन्होंने कई दस्तावेज संलग्न किए हैं। (व्यवधान) माननीय उप-प्रधानमंत्री ने प्रधान मंत्री का ध्यान कुछ मामलों की ओर आकर्षित किया है और उनके बारे में उन्होंने कहा "मुझे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, एफ० एस० आई०, शहरी भूमि सीमा अधिनियम, आयकर अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध श्री गोयनका द्वारा किए गए अपराधों का और अधिक ब्यौरा मिला है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : हमने नोटिस दिया है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नोटिस देखने दें।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। प्रश्न यह है कि हम जानना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सदन भी यह जानने का इच्छुक है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय

प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है जिसके बारे में उन्होंने स्वयं कहा है कि यह "राष्ट्रीय महत्व का विषय है ?" उन्होंने यह कह कर अपनी बात समाप्त की है कि "आप तत्काल इसकी जांच करेंगे" यह अस्थिरता है। उन्होंने कहा "मुझे विश्वास है कि आप संलग्न कागजात को देखेंगे और स्पष्ट निर्देश देंगे।"

यह किसी समाचार पत्र से नहीं है यह वह दस्तावेज है जो उन्होंने लिखा है। जब तक माननीय प्रधानमंत्री यह नहीं बताते कि वह इस मामले में क्या कर रहे हैं, जिसे उप-प्रधानमंत्री ने स्वयं राष्ट्रीय महत्व का बताया है, यदि वह इसे दबा देते हैं या प्रधानमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र और संसद इससे क्या निष्कर्ष निकालेगी। यह हमारी चिंता का विषय है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इस विषय पर सदन में बहस की जानी चाहिए··· (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, उप-प्रधानमंत्री महोदय ने इस सरकार के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि···

अध्यक्ष महोदय : आपको पत्र पढ़कर सुनाने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। आप पत्र से पढ़कर नहीं सुनाएं। यही मामला श्री साठे द्वारा उठाया गया है। आप किस नियम के तहत इसे उठा रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : उप प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने पूछताछ की है और उनकी पूछताछ से पता चला है कि ··

अध्यक्ष महोदय : आप एक नोटिस दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने साठे जी से भी पहले सूचना दे दी है। मैंने आज भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जाएगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा अनुरोध है कि यह एक षडयंत्र है···

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : इंडियन एक्सप्रेस समूह सहित यह पूंजीपतियों का षडयंत्र है और उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन किया है। न केवल यही। मंत्रिमंडल में और प्रशासन पर भी 'इंडियन एक्सप्रेस का प्रभाव है। यह एक गम्भीर आरोप है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। उप प्रधान-मंत्री गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

या तो उप-प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : आज समाचार पत्रों में अमरीका रक्षा उद्योग स्रोतों के हवाले से छपा है कि चीन पाकिस्तान को अपना पहला बड़ा बैलिस्टिक मिसाईल बेचने जा रहा है। यह बताया गया है कि यह 800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला नया मध्यम दूरी मिसाईल है, जो भारत के भीतर फैंका जा सकता है और भारत को युद्ध में धकेल सकता है। इसलिए, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है और मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह मामला तुरन्त चीनी दूतावास को भेजा जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस मामले की पूरी छानबीन के बाद विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्री साठे ने जो कुछ कहा मैं वह समझने का प्रयत्न कर रहा था किन्तु वास्तविकता यह है कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस सदन की यह परम्परा रही है कि सदन की जानकारी के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी विषय पर बोलना आरम्भ नहीं कर देना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, मैं यही समझ पाया हूं कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा किसी ऐसे पत्र का जिक्र किया जा रहा था जो उप-प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया। अब हर कोई जानता है कि···(व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। (व्यवधान) मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं यह कहूंगा कि यह फैसला करना माननीय अध्यक्ष या सभापति का काम है कि क्या कोई पत्र विशेष सभा पटल पर रखा गया है या सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, और यदि सदन में उस प्रपत्र के बारे में कोई जिक्र किया जा सकता है तो वह सदन को विश्वास में लेने के पश्चात ही किया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें, इसे सभा पटल रखने की अनुमति नहीं दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा अनुरोध यह है कि इस प्रकार के मामले में किसी भी सदस्य को तब तक उस पत्र का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी जब तक आप उस पत्र को उप-प्रधानमंत्री से पूछताछ करके पढ़ न लेते···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, मैं श्री साठे को कह रहा था···

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सदन को याद दिला दूं कि सरकार के एक सदस्य के रूप में मैंने श्री मोरारजी देसाई से अनुरोध किया था कि सदन में श्री चरण सिंह और श्री मोरारजी देसाई के बीच पत्रों के आदान-प्रदान पर बहस बन्द नहीं होनी चाहिए। इसलिए, मैं इस पक्ष में हूं कि सदन को इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, किन्तु मैं इस बात का विरोध करता हूं कि सदन को अचानक चौंका दिया जाए जिस तरीके से श्री साठे ने किया (व्यवधान) नहीं महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि कोई सदस्य इस प्रकार के दस्तावेज, जो अन्तरमंत्रालयी पत्र व्यवहार है, को सदन को विश्वास में लिए बिना उद्घाटित करे। महोदय, इस दस्तावेज की जांच करना आपका काम है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे को उस दस्तावेज के अंश उद्धृत नहीं करने चाहिए थे···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपको अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे सदन के लिए पूर्व दृष्टांत न बनने दें इसलिए माननीय सदस्य से आपको यह दस्तावेज देने को कहूंगा और तत्पश्चात तदनुसार आप निर्णय करें···(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मुझे भी नियमों की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर चर्चा करवाने का हक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, पहले सुन लीजिए, फिर रूलिंग दीजिए।

[अनुवाद]

मैं श्री आडवाणी की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में चर्चा की जानी चाहिए। मैं यह बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं—मेरा आग्रह दो मंत्रियों के बीच हुए निजी पत्राचार पर है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चाहे जो भी दस्तावेज हो।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यह एक ऐसा मामला है जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। पूर्ण देश इस बारे में जानता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

श्री वसंत साठे : मुझे नहीं मालूम था कि यह मामला आपकी जानकारी में नहीं लाया गया था। यह पत्र अखबारों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात है।

श्री वसंत साठे : मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं; मैं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह पत्र सदन के समक्ष नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पत्र सदन के समक्ष नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : वह मेरा पत्र नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं; मेरा सवाल है : क्या ऐसा कोई पत्र है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने यह उठाया है। मेरे सम्मुख कोई पत्र नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई पत्र नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आडवाणी जी को इस पर कोई आपत्ति है ? मैं यह सवाल कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने साठे जी को अनुमति दी है।

अन्य लोग कृपया बैठ जायें।

श्री वसंत साठे : जब मैं यह प्रश्न कर रहा हूं कि क्या ऐसा कोई पत्र है, तो क्या यह नियमों के विरुद्ध है ? सदन के समक्ष कोई प्रश्न प्रस्तुत नहीं है। (व्यवधान) मैं इसे उठा रहा हूं; मैं लोक-महत्व का एक महत्वपूर्ण मसला उठा रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। इसके लिए भी, आपको नोटिस देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : कृपया देखें, महोदय; हमने नोटिस दे दिए हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। मैं उस पर विचार करूंगा। किन्तु इस नोटिस के साथ कोई पत्र संलग्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं पत्र कैसे संलग्न कर सकता हूं ? (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा उप-प्रधानमंत्री को ऐसा कोई पत्र लिखा गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें विधि मंत्री की बात सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कौनसी प्रक्रिया अपनायी जा रही है ? जिसे सामान्यतया शून्य काल के नाम से जाना जाता है, क्या उस दौरान कोई भी अथवा प्रत्येक विषय उठाया जा सकता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, कृपया बैठ जायें। श्री सोमनाथ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय सदस्य श्री वसन्त साठे ने एक दस्तावेज का उल्लेख किया है, जिस पर उनके अनुसार, पहली अप्रैल की तारीख पड़ी है। अचानक, शून्य काल के दौरान एक मामला उपयुक्त नोटिस दिये बिना ही उठाया जा रहा है। (व्यवधान) कोई अविलम्बनीयता नहीं है। आज 18 अप्रैल हो गई है और पहली अप्रैल का एक पत्र शून्य काल के दौरान उठाया जा रहा है। क्या इस समय का इसी काम के लिए उपयोग करना है ? क्या इस तरह की किसी बात पर हम विचार कर सकते है ? क्या आप हमें श्री कमलापति त्रिपाठी की कही बात पर बहस करने की अनुमति देंगे ? यह अखबार में छपी है। क्या शून्य काल में किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है ? इस तरह सदन के समय का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : विधि-मंत्री जी।

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : श्री साठे सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इस सदन में पालन की जाने वाली परम्पराओं तथा प्रक्रिया से वह परिचित हैं। नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस देने का पूर्ण अधिकार है; और इस नोटिस की ग्राह्यता के सम्बन्ध में निर्णय लेना आपका काम है। यदि यह मान भी लिया जाये कि ऐसे कुछ पत्र हैं, तो भी हमें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रक्रिया यह है कि पहले आप उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर विचार करें; और यदि आप समझें कि नोटिस उपयुक्त व सही है, तब यह सामान्य प्रक्रिया व परम्परा अपनायी जाती रही है कि सम्बद्ध व्यक्ति से उसके द्वारा दिये गये नोटिस का खुलासा करने को कहा जाता है। ऐसा करने से पूर्व मैं कहूंगा कि इस मामले को इससे पहले कभी भी सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं दी गई है। श्री साठे को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इस सदन में एक के बाद एक लगातार विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी नोटिस देते थे। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : बोफोर्स सम्बन्धी सारा मसला यहीं पर उठाया गया था। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : नोटिस देने मात्र से ही किसी सदस्य को इस सदन में कोई विषय उठाने का अधिकार हासिल नहीं हो जाता। क्योंकि यदि ऐसा हो तो अध्यक्ष की आवश्यकता ही न रहे।

(व्यवधान) यदि मैं आपको नोटिस देता हूं, तो नोटिस पर विचार करना आप पर निर्भर करता है; और यदि नोटिस दिये जाने के बाद आपको लगे कि आपको अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो आप वह कदम उठा सकते हैं। किन्तु जब तक आप किसी सदस्य के नोटिस की ग्राह्यता पर विचार नहीं करते, तब तक उस सदस्य को वह मामला उठाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि वैसा होता है तो अध्यक्ष के प्राधिकार का क्षरण होता है। यह आप पर निर्भर है। हम किसी विषय पर चर्चा को रोकना नहीं चाहेंगे। यदि नोटिस पर विचार करने के बाद आप महसूस करें कि किसी न किसी रूप में कोई चर्चा अवश्य होनी चाहिए तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस पर निर्णय लेना आपका काम है। उसके पूर्व किसी सदस्य को उसे यहां उठाने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं काफी समय से व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : प्रधानमंत्री व उप-प्रधानमंत्री के बीच यह पत्र-व्यवहार उनका व्यक्तिगत मामला है। यह पत्र एक तथाकथित प्रकाशन में—पहली अप्रैल को प्रकाशित हुआ है। श्री साठे द्वारा इसे सदन में उठाये जाने से पूर्व क्या यह आपकी जानकारी में लाया गया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में अब किसी और को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इस मामले पर अब आगे विचार नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कहना है ? आप पहिले ही अपनी बात कह चुके हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : दूसरी तरफ बैठे माननीय सदस्यों ने कहा है कि···

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है। (व्यवधान) यह राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्धित एक गम्भीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कैसी सुरक्षा ? मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : यह उप-प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया एक पत्र है। आप सरकार से उसे सभा-पटल पर रखने को कहिये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्र-हित में मैं ऐसा करूंगा। (व्यवधान) मैं राष्ट्र-हित में ऐसा करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी और को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो रहा है, पुजारी जी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अब आगे और चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। श्री साठे कोई प्रश्न पूछना चाहते थे। उन्हें प्रश्न का नोटिस देना चाहिए था और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। यदि वह किसी दस्तावेज से उद्धृत करना चाहते थे तो उन्हें उस दस्तावेज की एक प्रतिलिपि संलग्न करके मुझे अग्रिम रूप से लिखकर भेजना चाहिए था। मामला यहीं समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री आचार्य ? इस विषय पर कृपया नहीं कहें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस कन्वेंशन की बात की है, आपने जो रूलिंग दी है, मेरा कहना है कि जितना भी मिस्टर साठे साहब ने कहा है, उसको प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आपने अपना विनिर्णय दे दिया है तो क्या मामले पर विचार करना समाप्त कर दिया गया है? (व्यवधान)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : पत्र के विषय में श्री बसन्त साठे ने जो कुछ भी कहा है, उसे सदन के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मामले को फिर से न उठाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उपयुक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद ही इस विषय पर निर्णय दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने उप-प्रधान मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखे गये पत्र के विषय में जो कुछ कहा है, वह सदन के कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रूपचन्द पाल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रूपचन्द पाल का नाम पुकारा है।

श्री रूपचन्दपाल (हुगली) : इस देश के श्रमिक तथा कर्मचारी सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मई दिवस को वेतन सहित अवकाश दिवस घोषित करने के निर्णय की उत्सुकतापूर्वक आशा कर रहे हैं। सारा देश इसकी अपेक्षा कर रहा है। अनेक राज्य सरकारें इसे पहले ही अवकाश दिवस घोषित कर चुकी हैं। केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को यह विशेषाधिकार मिलना चाहिए ··(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सभा इस मुद्दे पर एकमत है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह सरकार द्वारा किया जाना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री छेदी पासवान।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष जी, आप इस सदन के संरक्षक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पुराने सदस्य माननीय साठे जी किस नियम के तहत···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिये।

श्री छेदी पासवान : हम उसी पर आ रहे हैं। यह शून्यकाल चल रहा है। यह दूसरे सदस्यों के अधिकार का हनन करता है। (व्यवधान)

हॉकी खेल, राष्ट्रीय खेल के रूप में भारत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बनाये हुए है। पिछले विश्व कप में विफलता के बावजूद भी लखनऊ में खेले गये इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय गोल्ड कप टूर्नामेंट में सराहनीय प्रदर्शन किया। हॉलैंड में बी० एम० डब्ल्यू ट्रॉफी तथा पेइचिंग में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए ओपेन ट्रायल भारतीय हॉकी फेडरेशन की ओर से दिनांक 17-4-90 से आरम्भ हुआ, किन्तु अफसोस इस बात का है कि इतने कम समय में खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त समय नहीं रह गया है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप मत पढ़िये। इसको पढ़ने की मैं आपको इजाजत नहीं देता। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की प्रधान मन्त्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की जनता कोकिस तरह से उकसा कर बता रही हैं। इसका मैंने एक वीडियो आपको भेजा है। इसमें देखिये वे यह कहती हैं :—

"हम आज ऐलान करते हैं कि अगर यूरोप के दूसरे मुल्कों में आजादी आएगी तो मुसलमानी मुल्कों में भी आजादी आयेगी। जम्मू कश्मीर में आजादी आयेगी—गोली चलाओ, गोली चलाओ, नारा बुलन्द होगा। एक ही नारा होगा—आजाद, आजादी।"

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसको सुनें। इसे मैंने आपकी सेवा में भेज दिया है। मैं प्रधान मन्त्री जी से भी कहता हूं कि वे भी इसको देखें। वे यह बताएं कि इसके बारे में वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं और इसके बारे में क्या नीति बनायी गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री आर० प्रभु (नीलगिरी) : आपने अभी-अभी साठे जी को कहा है कि वह आरोप लगाए

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जायें तो उचित प्रक्रिया ही अपनाई जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह 12 तारीख को एक माननीय सदस्य श्री राजवीर सिंह ने मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए थे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है···

श्री आर० प्रभु : आपने मुझे अनुमति नहीं दी है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। यदि आप मुझे लिखें···(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है। मैं आपका ध्यान नियम 352 और 353 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 352 और 353 में यह अत्यन्त स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक आरोप लगाने का इच्छुक कोई व्यक्ति उस व्यक्ति तथा सरकार को पहले से नोटिस दिए बिना ऐसा नहीं कर सकता। यहां इस सभा में एक सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछते समय एक अन्य सदस्य श्री प्रभु के खिलाफ प्रत्यक्ष आरोप लगाते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि वह कुछ मामलों में लिप्त थे। आपने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। आपने यह भी कहा था कि यह आरोप कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। फिर भी यह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित है; इसका भाग बन गया है और प्रेस में भी छपा है। माननीय सदस्य की मानहानि हो चुकी है। उनके विशेषाधिकार की रक्षा कैसे की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी गई थी।

श्री वसन्त साठे : यदि आरोप कार्यवाही-वृत्तान्त में मौजूद रहता है तो सदस्य का स्पष्टीकरण उनकी छवि को साफ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि यह मामला एक माननीय सदस्य के विशेषाधिकार के गम्भीर महत्व वाला जिसकी आपको रक्षा करनी है। यह केवल इसी प्रकार किया जा सकता है कि या तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए, जहां इसकी जांच हो और वह सदस्य इस आरोप से बरी हो अथवा आरोप लगाने वाला सदस्य इस आरोप को वापस ले ले और यदि उनमें क्षमा मांगने की गरिमा है तो क्षमा मांगे अथवा कम से कम इसे वापस तो ले ही लें। केवल इसी प्रकार इससे निपटा जा सकता है। इस सभा के नियमों के तहत यही करने की आवश्यकता है···(व्यवधान)

श्री आर० प्रभु : अब आपने विनिणय दिया है कि नोटिस अवश्य ही दिया जाना चाहिए। यहां यह सिर्फ मेरे विशेषाधिकार का मामला ही नहीं है बल्कि इस सभा सदस्यों के मान, अधिकार और विशेषाधिकार का मामला है। यदि इसे अनुमति दी जाती है तो कल कोई भी सदस्य कोई भी आरोप लगा सकता है। तब प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का अनुपालन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें नियम-पुस्तिका फैंक देनी चाहिए। हम क्यों कोई नियम रखें ? अभी-अभी आपने एक विनिणय दिया है कि शून्य काल के दौरान यह मामला उठाने के लिए साठे जी को नोटिस देना चाहिए था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कोई अन्य मामला उठाने की अनुमति नहीं दी है। आप केवल अपनी बात कीजिए।

श्री आर० प्रभु : आपने कहा है कि शून्यकाल के दौरान मामला उठाने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए लेकिन आपने सदस्य को मेरे खिलाफ आरोप लगाने वाला वक्तव्य देने की अनुमति दी

है। इससे सभा की गरिमा कम होती है। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित हुआ है और सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है या तो सदस्य अपनी टिप्पणियां वापस ले ले और बिना शर्त क्षमा मांगे या फिर सदस्य···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पुनः लिख सकते हैं और मैं पुनः आपको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब कोई आरोप कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित हों तो जिस मंत्री या सदस्य के खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं यदि वह अनुरोध करता है तो उसे उसी दिन या बाद में सभा में स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है और इसके बाद मामला समाप्त हो जाता···

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : महोदय, यह नियम तब लागू होता है जब मंत्री अथवा अन्य द्वारा गलती से वक्तव्य दे दिया जाता है और वह स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण होता है। यहां, सदस्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया जाए। इसलिए इस नियम को यहां पर लागू मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मुझे लिख कर देने दीजिए।

श्री आर० प्रभु : महोदय, मैंने इस बारे में एक नोटिस दिया है।

श्री बसन्त साठे : महोदय, उन्होंने नोटिस दिया है। कृपया इस पर विचार करें···(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : महोदय, मैंने आज सुबह आपको लिखा है। जब 12 अप्रैल को मैंने कहा था कि नियम 353 का उल्लंघन हुआ है, तो आपने कहा था कि यदि सदस्य श्री राजवीर सिंह ने यह आरोप लगाया है तो आप, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है और मैं इस पर विचार करूंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके नोटिस पर विचार करूंगा।

श्री बसन्त साठे : महोदय, उन्होंने यह नोटिस आपको दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, उड़ीसा के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कम सप्लाई के कारण अन्धेरा छा गया है। अप्रैल के महीने में दो हजार मैट्रिक टन मिट्टी के तेल की कमी है। राज्य सरकार ने तीन हजार मैट्रिक टन मिट्टी के तेल की सप्लाई की मांग की है किन्तु यह नहीं दिया गया है। मिट्टी के तेल के दाम 10 रु० प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। यह एक ऐसे समय हुआ है जब बिजली की कमी है। उड़ीसा राज्य को 1,200 मे० वा० बिजली चाहिए किन्तु राज्य बिजली बोर्ड केवल 450 मे० वा० दे सकती है। इससे संकट और भी गम्भीर हो गया है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार के लिए जो 3000 मीट्रिक टन मिट्टी के तेल की मांग की गई है उसे शीघ्र सप्लाई करें।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जहरीला भोजन खाने से एक दावत में कम से कम 200 लोगों की मृत्यु हो गई । मैं जिस मुख्य बात पर आना चाहता हूं वह यह है कि जो सूचना बाद में पता चली कि गेहूं में सलफास मिला हुआ था, जिसके प्रतिबन्ध पर कई बार कहा गया है । सलफास गेहूं में पिस जाने के कारण ऐसी दुर्घटना हुई है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : महोदय, अमेरिका में जो भारतीय धार्मिक स्थान हैं उनको अमेरिका सरकार ने नीलाम कर दिया है । भारतीय नागरिकों ने अमेरिका दूतावास के नजदीक प्रदर्शन किया और मैमोरेंडम देना चाहा । लेकिन वे मैमोरेंडम नहीं दे पाए । मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अमेरिका में भारतीय धार्मिक स्थानों पर जो आघात हो रहा है उससे भारतीय नागरिकों के सम्मान को ठेस पहुंची है । इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की व्यवस्था करे ।

———

12.58 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पटसन विनिर्मिति विकास परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला विवरण

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--पटसन विनिर्मिति विकास परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 674/90]

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, बम्बई राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक, के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (1) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(2) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 675/90]

(3) (एक) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, (सिकन्दराबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 676/90]

(5) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 677/90]

(7) (एक) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 678/90]

औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1989; केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा वार्षिक लेखे और समीक्षा सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला विवरण, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और समीक्षा आदि

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(1) *औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 11 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 691 (अ) में प्रकाशित हुए थे* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 679/90]

(2) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेनिक तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (क) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने तथा (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 680/90]

(4) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 681/90]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1990

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : मैं भाण्डागारण निगम अधिनियम 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1990 जो 5 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 435(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 682/90]

विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : मैं विधि

और न्याय मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 683/90]

जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1990 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : महोदय मैं श्री मनुभाई कोटाड़िया की ओर से जल संसाधन मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 684/90]

— — — —

12.59 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— — — —

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री मित्र सेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले के रायपुर गांव में उत्तर प्रदेश के अन्दर 300 आदमियों की विषाक्त भोजन खाने से मृत्यु हो गई है, आदमी नहीं मरे, बल्कि कुत्ते, बिल्लियां आदि जानवर भी उस विषाक्त भोजन खाने से मर गए हैं। इस विषाक्त भोजन में हमारी कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव है। हमारे देश की जो कीटनाशक एजेंसीज हैं और जो कारखाने हैं जहां ये दवाइयां बनती हैं उनकी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण गम्भीर घटना है यह इसलिए इसकी जांच जरूरी है और जो इन लोगों के मृतक लोगों के आश्रित परिवार हैं उनकी सरकार द्वारा मदद करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कुमारामंगलम।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, आज प्रात: हमने समाचार पत्र में पढ़ा था कि खालिस्तान लिटरेशन फ्रंट ने दिल्ली में हुए अग्निकाण्ड की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। कल, माननीय गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था और उसमें कहा था कि उनको मिली जानकारी के अनुसार यह तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं है। परन्तु पुलिस आयुक्त ने कहा है कि वह तोड़फोड़ की कार्यवाही से इन्कार नहीं कर सकते हैं। स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। मैंने निवेदन किया था कि आम की घटनाओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया जाए क्योंकि 'खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट' ने इसकी जिम्मेवारी ली है। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपको भीषण दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी उस पर कालिंग अटेंशन लगा हुआ है। नागदा में 23 फूड मेकप्लीन के टैंकर आग लग जाने के कारण जल गये और हजारों लोगों का जीवन क्षतिग्रस्त हुआ तथा करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई है। इससे प्रभावित लोगों को राहत देने तथा उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया। श्री देसई चौधरी।

श्री देसई चौधरी (बोसेड़ा) : 16 तारीख को हम लोग सुबह पटना से 401 से आ रहे थे, वह अक्सर खराब रहती है और चलने की स्थिति में नहीं है। मेरे साथ श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और शैलेन्द्र श्रीवास्तव भी थे। वह करीब 11 बजे लखनऊ आ कर खराब हो गई। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने उसके बारे में पदाधिकारी को सूचना दी और कहा कि हमें रात को 10 बजे तक क्यों रोका गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि 401 आई० सी० को बन्द करें, क्योंकि कभी भी इससे दुर्घटना हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दें। श्री नाइक।

श्री राम नाइक (मुम्बई उत्तर) : तारापुर एटोमिक एनर्जी का प्लांट मेरे क्षेत्र में है। वहां कुछ बम मिले हैं और उसके बगल में ही जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक बम विस्फोट से एक महिला मर गई। जो मलाड में हाल ही में बम विस्फोट हुआ था उसके बारे में स्टेटमेंट मैंने मांगा था। इसके साथ ही साथ एटोमिक एनर्जी प्लांट जो इसी घटना से जुड़ा लगता है इस पर भी आप सदन में सारी बात रखें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी हल्दी गये थे। जो उन्होंने सूचना दी है उसके अनुसार बस्ती में 200 के करीब लोग मारे गये हैं जहरीली पूड़ियां खाने से, बल्कि यह सन्देह भी व्यक्त किया जा रहा है कि या तो तेल में मिलावट थी।

अध्यक्ष महोदय : आप भी वही पाइंट कह रहे हैं।

श्री हरीश रावत : या खाने का जो आटा था उसमें पेस्टीसाइड्स मिला हुआ था। अब वहां सारा प्रशासन तंत्र और जिनके वहां से सामान खरीदा गया उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि जो प्रमाण हैं उनको नष्ट कर दिया जाये। वे लोगों को डरा-धमका कर प्रमाणों को नष्ट कर रहे हैं। यह एक गम्भीर घटना है और इस सदन में चर्चा होनी चाहिए, चाहे कालिंग अटेंशन के अन्तर्गत हो या अन्य माध्यम से हो।

अध्यक्ष महोदय : हो गया आप बैठें। कौन कहता है कि सामान्य घटना है।

श्री हरीश रावत : वहां पर मातम छाया हुआ है, हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं और नियमों के अन्तर्गत भी यह मामला आता है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (किलोन) : महोदय, सारे देश में आगजनी और अन्य प्रकार की गंभीर घटनाओं के बारे में गृह मंत्री जी ने कहा है कि तोड़-फोड़ की कार्यवाही होने का कोई प्रमाण नहीं मिला

है। पिछले शनिवार को अमरीका की 'केबल नेटवर्क न्यूज' ने कहा है कि 'जे० के० एल० एफ०' देश की राजधानी में तोड़फोड़ की कार्यवाही करेगा और कल ही 1200 झुग्गियां जल गई हैं और हमें पता चला है कि तारापुर परमाणु केन्द्र में विस्फोट अथवा अन्य कुछ घटना हुई है। यह कब एक षड्यंत्र का भाग है। यह खतरनाक स्थिति है। हम चाहते हैं कि सरकार शीघ्र कार्यवाही करें और लोगों को पुनः आश्वस्त करें।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हमारा पश्चिम बंगाल राज्य और पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक विकास से वंचित रखा है। अब क्या होगा कि कुछ वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई प्रक्रिया के समापन के रूप में 'सेन्ट्रल टेलीकॉम स्टोर्स' जोकि प्रत्येक वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये के क्रमोदेश देता है कलकत्ता से कार्य करता है और इससे पूर्वी क्षेत्र को अधिक लाभ होता है। अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है और अब उसे 17 मण्डलों (सर्किल्स) में विकेन्द्रीकृत किया जा रहा है और वहां थोड़ा ही भाग रह जायेगा। इसके परिणामस्वरूप 3000 लोगों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लगे हुए हैं अपनी जीविका खोने का भय बना हुआ है। यह कब इसलिए हो रहा है कि पिछली सरकार ने कार्य प्रारम्भ किया था। परन्तु यह सरकार भी ऐसा क्यों होने दे रही है ? मंत्री जी इस पर ध्यान दें और वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री जो यहां हैं वह स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर इस महत्वपूर्ण सवाल पर अपना बयान दे रहे हैं। आप सभी बैठ जायें। मैं और किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप बहुत पुराने विधायक हैं। यह कोई तरीका नहीं है। जोशी जी आप भी बैठ जायें। क्या आप मंत्री महोदय को नहीं सुनना चाहते हैं ?

———

1.08 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आनन्दमार्गियों की गतिविधियां

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय मैं, राजनैतिक उद्देश्य वाले, एक उग्रवादी छद्म धार्मिक संगठन—आनन्दमार्ग की गतिविधियों के बारे में, इस सम्मानीय सदन को सूचित करता हूं। आनन्दमार्ग की स्थापना प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनन्द मूर्ति द्वारा 1955 में जमालपुर (बिहार) में की गई थी। 1967-68 में आनन्दमार्ग के मुख्यालय को जमालपुर से पश्चिम-बंगाल के पुरुलिया जिले

के आनन्द नगर में स्थानान्तरित किया गया। पिछले वर्षों में संगठन की गतिविधियों में, देश में और देश के बाहर बढ़ोत्तरी हुई है। आनन्दमार्ग की हिंसा की प्रवृत्ति और आनन्दनगर के विकास और विस्तार में स्थानीय लोगों के विरुद्ध अत्यन्त मनमाने ढंग से कार्य करने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी है।

मार्च, 1989 में जिला पुलिया में बंगगढ़ में वनभूमि पर आनन्दमार्गियों द्वारा किये गए अवैध निर्माण को गिराते समय पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को आनन्दमार्गियों के छिपने के एक गुप्त स्थान का पता लगा, जहां अवैध अग्नेयास्त्र भी जमा किये गये थे। बड़ी मात्रा में शस्त्र बरामद किए गए और शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए। आनन्दनगर आश्रम परिसर में छापे मारे गए, जिससे बेतार सैट और डिटोनेटरों सहित उत्तेजनात्मक सामग्री बरामद हुई।

सरकार को इस आशय की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है कि आनन्दमार्गियों ने आनन्द नगर और इसके इर्द-गिर्द जबरन भूमि हड़प ली है। इस बारे में इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों में धीरे-धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। कुछ अवसरों पर झगड़े भी हुए। आनन्दमार्गियों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य तनाव भी बढ़ रहा है। इस वर्ष जनवरी में बदमाशों ने, जिनपर आनन्दमार्गी होने का संदेह है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो समर्थकों को मार डाला 2 अप्रैल को पुलिया जिले में चटक में 5 आनन्दमार्गियों की तथाकथित हत्या किए जाने से इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

1.09 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि आनन्दमार्ग के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता विदेशों में अपने समर्थकों को कुछ पड़ोसी राज्यों के माध्यम से भू-रास्तों से संगठन के लिए शस्त्र और गोला बारूद भेजने की सलाह दे रहे हैं। इस आशय की रिपोर्टें भी हैं कि आनन्दमार्ग के कार्यकर्ताओं ने कुछ व्यक्तियों के सर्वनाश के लिए एक हिट लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेता सम्मिलित हैं। बताया गया है कि एक विशेष कार्य दस्ता भी गठित किया गया है और उसे इस समय अग्नेयास्त्रों, बमों, इत्यादि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस सिलसिले में सीमा सुरक्षा बल के एक गश्ती दल ने अमृतसर जिले में भारत पाक सीमा के नजदीक 14 अप्रैल, 1990 को दो भारतीय राष्ट्रिकों को पकड़ा। उनमें से एक आनन्दमार्गी होना स्वीकार किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को आनन्द नगर में एक अनाथ के रूप में पाला-पोषा गया। उनसे अनेक स्वचालित हथियार, पिस्तौल मैगजीन्स और गोला बारूद बरामद किए गए। उनसे पूछ-ताछ करने पर पता लगा कि वे "मानव मुक्ति मंच", जो आनन्दमार्ग की एक शाखा है, द्वारा व्यवस्थित हथियारों इत्यादि को ले जा रहे थे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों से यह भी पता लगा कि यह शाखा अपने सदस्यों को प्रशिक्षण देने और हथियारों से लैस करने के कार्य में लगी हुई है। यह भी पता लगा कि "मानव मुक्ति मंच" द्वारा पाकिस्तान से लाये जा रहे हथियारों और गोला बारूद की यह पहली खेप है।

मैं इस सम्मानीय सदन को अश्वासन देता हूं कि सरकार आनन्दमार्गियों की विघटनकारी और अवैध गतिविधियों के बारे में पूर्ण रूप से अवगत है और उसकी अवैध गतिविधियों के बारे में पूर्ण रूप से अवगत है और उनकी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए कदम उठाती रहेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : और उनके विरुद्ध भी जो खुले-आम उनका समर्थन कर रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वे कांग्रेस (इ) से किस प्रकार सम्बद्ध हैं और उनके किस-किस से सम्बन्ध है—यह बात इस वक्तव्य में नहीं बताई गई है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम यह मांग करते हैं कि गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधान) आप हमारे आदमियों को मरवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : वे हमारे देश की राष्ट्र-विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : हमें यह चुनौती स्वीकार है, इस पर हम सदन में चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए नियम 193 के अधीन एक सूचना दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसे स्वीकार करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, श्री वसुदेव आचार्य, जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। एक दूसरे से बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, पहले बैठ जाइए।

श्री वसुदेव आचार्य : वह उनके मुकदमे उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बोल रहा हूं तो कृपया बैठ जायें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

एक दूसरे से बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको सरकार से बात करनी है अथवा सभा में अपने विचार व्यक्त करने हैं। एक दूसरे को देखने और एक दूसरे से कुछ कहने का कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया ऐसा न करें।

यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं—सम्भवतः श्री साठे भी वही बात कहना चाहते हैं और श्री सैफुद्दीन चौधरी भी वही बात कहना चाहते है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नियमों का पालन कीजिए और तदनुसार, यदि आप सूचना देंगे, तो उन सूचनाओं पर विचार किया जायेगा।

श्री वसन्त साठे : मेरे विचार से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर माननीय गृह मन्त्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है : इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों के लिए हम सभी चिन्तित हैं। मैं इस सुझाव पर न केवल चर्चा करने का ही समर्थन करता हूं बल्कि मुझे आशा है कि

सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया है। इस देश में ऐसी खुराफातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है, कि आनन्दमार्गियों की ओर से उनके सचिव द्वारा सार्वजनिक रूप से दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार ने भी ध्यान दिया होगा, जो समाचार-पत्रों में छपा है और सरकार इन सभी तथ्यों पर समुचित रूप से ध्यान देगी। चूंकि, इस वक्तव्य में आनन्दमर्गियों के पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए, इस चर्चा में, हम इन सब बातों पर विचार करेंगे और मुझे आशा है कि वह सभी तथ्य रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला मुद्दा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन पुजारी (सीवन) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या यह बात सही है कि आनन्दमार्गियों के पीछे सी० आई० ए० का हाथ है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला मद लेंगे। समितियों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलत न किया जाये।

1.17 अ०प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) कॉयर बोर्ड

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : मैं श्री अजित सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"क कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

1.18 म०प०

(दो) पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ग) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर इन्दिर गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3 (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.19 म० प०

(तीन) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.20 म० प०

(चार) राजघाट समाधि समिति

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : महोदय, मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से आरम्भ होने वाली अवधि तक राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से आरम्भ होने वाली अवधि तक राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.21 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

बोकारो इस्पात संयंत्र से भट्ठी तेल के भारी मात्रा में बह कर दामोदर नदी में चले जाने के कारण नदी का पानी प्रदूषित होना और उससे बिहार के धनबाद जिले के सम्पूर्ण औद्योगिक तथा कोयला खान क्षेत्र को पानी की आपूर्ति बन्द होना

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं माननीय इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हू कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :—

"बोकारो इस्पात संयंत्र से भट्ठी तेल के भारी मात्रा में बहकर दामोदर नदी में चले जाने के कारण नदी का पानी प्रदूषित होने, जिससे बिहार के धनबाद जिले के सम्पूर्ण औद्योगिक तथा कोयला खान क्षेत्र को पानी की सप्लाई बन्द होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही।"

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : महोदय, मैं बोकारो इस्पात कारखाने से दामोदर नदी में भारी मात्रा में फर्नेस आयल के बहाए जाने से नदी का पानी प्रदूषित होने, जिससे बिहार के धनबाद जिले के समूचे औद्योगिक और कोयला क्षेत्र को पानी की सप्लाई रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं।

फरवरी, 1990 से बोकारो इस्पात कारखाने के रिफ्रैक्ट्री मेटेरियल प्लांट के सात भट्ठों में से एक में अल्प सल्फर हैवी स्टॉक आयल जो महंगे तारकोल ईंधन के बदले प्रयोग किया जाता है, का ज्वालन प्रारम्भ किया गया। अन्य छः भट्ठियों में अभी भी तारकोल ईंधन का प्रयोग होता है।

इस प्रयोजन के लिए इस्पात कारखाने के परिक्षेत्र में रिफ्रैक्ट्रीज मेटेरियल प्लांट के नजदीक 1800-1800 घन मीटर क्षमता वाले दो टैंक पम्प सहित संस्थापित किए गए हैं।

अल्प सल्फर हैवी स्टॉक आयल को निकालने का काम 26 फरवरी, 1990 से आरम्भ किया गया था। चूंकि अल्प सल्फर हैवी स्टॉक उपलब्ध नहीं था, अतः आयल कम्पनी द्वारा प्रतिस्थापी के रूप में फर्नेस आयल को सप्लाई की गई थी और इसको निकालने का कार्य 31 मार्च, 1990 को आरम्भ किया गया था तथा यह कार्य 4 अप्रैल, 1990 को पूरा कर लिया गया। अल्प सल्फर हैवी स्टॉक की अधिकांश मात्रा का पहले ही उपयोग कर लिया गया था और टैंक में केवल थोड़ी सी ही मात्रा शेष थी।

बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बहिस्राव को छोड़ने के लिए उपकर वसूल किया था। निर्धारित सीमा से कम बहिस्राव होने के कारण कुछ छूट दी जाती है। फरवरी, 1990 के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने को इस रियायत के कारण काफी छूट मिली थी। बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा शुरू से ही विद्युत संयंत्र में फर्नेस आयल का प्रयोग किया जा रहा है और विगत वर्षों में तेल से प्रदूषण के बारे में कोई शिकायत नहीं रही है।

चन्द्रपुरा स्थित दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों ने 5 अप्रैल, 1990 को 1730 बजे बोकारो इस्पात कारखाने के ध्यान में यह बात लाई कि दामोदर नदी में दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गम क्षेत्र में तेल आ रहा है। बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा रिसाव के क्षेत्र का पता लगाने और उसे बन्द करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई। इसका स्रोत आर० एम० पी० के एस० एस० एच० एस० स्टेशन के टैंकों के दो ड्रेन वाल्व थे जो आंशिक रूप से खुले पाए गए। ये वाल्व सदा बन्द रखे जाते हैं। सिवाए इसके कि जब इन टैंकों को वार्षिक रूप से सफाई की जाती है। रिसाव को उसी दिन 2230 बजे बन्द कर दिया गया था।

अवैध रूप से वाल्व को खोलने की परिस्थितियों की जांच एक चार सदस्यीय आंतरिक समिति द्वारा जांच की जा रही है। इस समिति के अध्यक्ष श्री ए० के० पोद्दार, महा प्रबन्धक (मेटेरियल), बोकारो इस्पात कारखाना है, और इसमें अपर महा प्रबन्धक (अनुरक्षण एवं सेवा), उप महा प्रबन्धक (सुरक्षा) तथा सहायक महा प्रबन्धक (जल आपूर्ति) शामिल हैं। प्रारम्भिक रिपोर्टों से इसका उद्देश्य चोरी करना है। अतः 10 अप्रैल, 1990 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तथापि, शरारत किए जाने को भी इस चरण पर नकारा नहीं जा सकता।

लगभग 200 किलो मीटर फर्नेस आयल के दामोदर नदी में रिसाव होने का अनुमान लगाया गया है। शुष्क मौसम और पानी का कम स्तर होने के कारण यह तेल नदी के बहाव की दिशा में लगभग 40 किलो मीटर दूर जमादोबा में इकट्ठा हो गया, जहां से धनबाद शहर के लिए पीने का पानी पम्प किया जाता है। तेल होने के कारण धनबाद के लिए जमादोबा से पानी की पम्पिंग 6 अप्रैल, 1990 की शाम को बन्द कर दिया गया। इस प्रकार किसी प्रकार का कोई संदूषण नहीं हुआ।

कोयला खान विकास क्षेत्र प्राधिकरण बिहार सरकार से शिकायत मिलने के तुरन्त बाद बोकारो इस्पात कारखाने ने बिहार के धनबाद तथा कोयला खान विकास क्षेत्र प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों के आसपास पानी की सप्लाई में तेल के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए अधिकारियों तथा कार्यबल का एक दल को उपक्रमों सहित 6 अप्रैल, 1990 को भेजा। जहां कहीं संभव था तेल को हटाने तथा जमादोबा स्थित पम्प हाऊस के अन्तर्गम क्षेत्र में तेल की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबन्ध

[श्री दिनेश गोस्वामी]

किये गये। बोकारो प्रबन्धन द्वारा पीने के पानी की सप्लाई टैंकरों का प्रयोग करके पूरी की गई।

बोकारो के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो जिला प्राधिकारियों के साथ पम्पिंग स्टेशन गए थे, ने जमा हुए तेल को निकालने के लिए दिन-रात कार्य किया तथा पानी की सप्लाई 10 अप्रैल, 1990 को लगभग 11.00 बजे यह सुनिश्चित करने के पश्चात् पुनः आरम्भ की गई कि छने हुए पानी की क्वालिटी पूर्ण रूप से सामान्य है।

जिला प्राधिकारियों ने सावधानी के लिए बहाव वाले क्षेत्रों को भी सतर्क कर दिया था और उपलब्ध सूचना के अनुसार नदी के बहाव वाली दिशा में पचट डैम तक कोई भी असामान्य स्थिति नहीं देखी गई। नदी में तेल की सान्द्रणता को क्षीण करने के लिए तेनुघाट जलाशय से 2600 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा गया।

लगभग 6 लाख रुपये के तेल के नुकसान होने का अनुमान है। यह तेल स्वदेशी रूप से प्राप्त किया गया था और इसको प्राप्त करने के लिए बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा कोई विदेशी मुद्रा नहीं खर्च की गई थी।

कारखाने ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुचित रिसाव न हो। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) ड्रेनेज सिस्टम वाल्वों में स्टील प्लेटों की रोकथाम की गई है।

(2) सभी आयल पृथक्कीकरण चैम्बरों को साफ किया गया है।

(3) बहिर्स्राव के निरीक्षण और प्रबोधन की कालावधि बढ़ाकर दैनिक कर दी गई है।

(4) निकास नालियों पर जलरोधक बांध बनाया जा रहा है ताकि तेल का निस्तारण किया जा सके।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात परामर्शदाताओं की सहायता से प्रदूषण नियंत्रण की व्यापक पद्धति तैयार की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय के अपना प्रश्न करने से पूर्व, मैं सदस्यों की सहायता के लिए नियमावली से कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं, ताकि चर्चा को सुचारु ढंग से चलाया जा सके। नियम में कहा गया है कि वक्तव्य देते समय किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। विषय सूची में जिस सदस्य का नाम होगा, वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से विषय से सम्बन्धित विशिष्ट और संक्षिप्त, स्थिति स्पष्ट करने सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकता है। जिस सदस्य के नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वह दस मिनट और अन्य सदस्य पांच मिनट से अधिक नहीं बोल सकते। सभी सदस्यों द्वारा स्थिति स्पष्ट करने सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने के पश्चात्, मंत्री महोदय उत्तर देंगे। एक दिन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अधिकतम 45 मिनट का समय रखा जाता है।

श्री ए० के० राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि दामोदर नदी में भट्ठी तेल की मात्रा कम हुई है या नहीं। वक्तव्य में इस अपराध की गम्भीरता को कम दिखाने की कोशिश की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला भोपाल गैस त्रासदी जितना ही गम्भीर मामला है। उस समय जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। सौभाग्यवश इस समय जल सप्लाई स्टेशन में कार्यरत कर्मचारियों

ने इसका पता लगा लिया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लेकिन इसके बाद के प्रभाव अभी भी जारी है। इससे तीन मंत्रालय सम्बद्ध हैं। पहला इस्पात मंत्रालय है, जो कि तेल निकालने का कार्य करता है। दूसरा पर्यावरण और वन मंत्रालय है जो नदी जल में प्रदूषण की मात्रा का पता लगाता है। तीसरा स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो स्वास्थ्य पर इसके कुप्रभाव की जांच करता है। अतः यह एक गम्भीर मामला है। मैं यहां यह तथ्य रखना चाहता हूं। हालांकि हमारा ध्यान पश्चिमोत्तर या पूर्वोत्तर की ओर केन्द्रित है, हमारे देश का यह औद्योगिक क्षेत्र भी इस समस्या से अछूता नहीं है, यह इस दुर्घटना से सिद्ध हो गया है।

महोदय, समाचार पढ़ने के पश्चात् मैंने उस स्थान का दौरा किया था। मैंने बोकारो इस्पात संयंत्र का दौरा भी किया। मैंने 8 तारीख को उस स्थान का दौरा किया। अब मैंने पाया है कि सुधारात्मक कदम उठाने के लिए वे सब 10 तारीख को घटना स्थल पर गए। उनका यह अपराध पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे अपराध से कम नहीं है। यह कहा गया है कि इसमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई। मैं मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह भट्ठी तेल स्वदेशी उत्पाद नहीं है। भट्ठी तेल, खनिज तेल का एक भाग है और डीजल तेल से कुछ भारी होता है। इसका इस्तेमाल फर्नेस पावर-प्लांट में होता है। हमें अभी भी एक तिहाई खनिज तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है, तेल के नुकसान का अर्थ है विदेशी मुद्रा की हानि। मुझे हैरानी है कि ऐसा कहा गया है। आप मामले की गम्भीरता और प्रबन्धकों की ढिठाई को समझ सकते हैं। प्लांट में रिसाव कैसे हुआ? 2 अप्रैल को वाल्व खुला कैसे रह गया? तीन दिन तक, लगातार, सारा तेल नदी में बहता रहा। 5 अप्रैल को 40 किलोमीटर नीचे जमादोरा वाटर सप्लाई स्टेशन पर इसका पता चला कि सारे पानी में तेल की मोटी परत है। तब उच्च अधिकारियों की जानकारी में यह बात लाई गई और फिर उन्होंने खोज आरम्भ की तथा सोचा कि नजदीक के मुनीडीह कोयला धावनशाला से यह रिसाव हुआ है। जब मुनीडीह कोयला धावनशाला से पूछा गया तो भारत कुकिंग कोल ने सूचित किया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने दुग्धा धावनशाला से पता लगाने की सोची। उन्होंने भी सूचित किया कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने चन्द्रपुर बिजलीघर से सम्पर्क किया। चन्द्रपुर बिजलीघर ने भी इस बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। उन्होंने पानी के जो नमूने लिए थे, उनमें भी तेल का कुछ अंश था। तब बोकारो इस्पात संयंत्र से सुबह सम्पर्क किया गया था और आपको हैरानी होगी कि उन्होंने तेल रिसाव का पता लगाने में पूरे बारह घंटे का समय लिया। रात को उन्हें इसका पता चला और तब उन्होंने इस रिसाव को बन्द किया।

मैंने उस स्थान का दौरा किया है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि टैंक कैलसिनेशन प्लांट की भट्ठी में आग सुलगाने के लिए 'लो सल्फर हैवी स्टाक आयल' जमा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दो मार्ग थे। एक भट्ठी में इसे डालने के लिए। यह मार्ग कुछ ऊंचाई पर है, ताकि जब आप पम्प करें तो पानी भट्ठी में न चला जाए और तली में ही रहे। तली में, एक ड्रेनेज वाल्व है जो छह माह से एक वर्ष के अन्तराल में तब खोला जाता है जब पूरे टैंक की सफाई करनी होती है। सामान्यतः भट्ठी में पम्प करने के लिए ऊंचाई वाला वाल्व खोला जाता है, जबकि नीचे का वाल्व कभी भी नहीं खोला जाता क्योंकि जब छह माह से एक वर्ष के अन्तराल में जब पूरा टैंक खाली किया जाता है, तभी इसे खोला जाता है। अन्यथा नहीं। तीन वाल्व है। तीनों वाल्व ही खुले पाये गए हैं। इसके बाद तेल, तेल सेपरेटर से निकलता है। इसमें जो भी पानी शेष रह जाता है,

[श्री दिनेश गोस्वामी]

नीचे बैठ जाता है और जो तेल निकलने लगता है, उसे पुनः सर्कुलेट किया जाता है। तेल सेप्रेटर में क्षमता से अधिक तेल भर जाने से इसे बाहर निकाला जाता है। यह भी नदी की ओर नहीं बहाया जाता। पहले मैंने समझा था कि नदी की ओर किसी टैंक का रिसाव हो रहा है। लेकिन नदी की ओर के टैंक का रिसाव नहीं हो रहा था। टैंक रेलवे साइडिंग की ओर स्थित था, जो कि बोकारो इस्पात संयंत्र की विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ है कि बोकारो इस्पात संयंत्र से, एक से अधिक खान से होकर निकास मार्ग गुजरता है, और इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रबन्धकों की दक्षता क्या है ? तीन दिन—2 से 5 अप्रैल तक यह सब होता रहा। 40 किलोमीटर नीचे इसका पता चला, तब तक दामोदर नदी का सारा पानी प्रदूषित हो गया था। उसके भी 12 घंटे बाद आप पता लगा सके कि क्या हो रहा है। तीन दिन तक यह तेल बहता रहा। ऐसा नहीं कि आपके वहां आप्रेटर नहीं हैं। आपका चार्जमैन वहां था, उस खनिज पदार्थ का रखरखाव रखने वाला अधीक्षक वहां था, आपका महाप्रबन्धक वहां था। जब मैंने वहां का दौरा किया, महाप्रबन्धक मेरे साथ था। जब मैंने उनसे पूछा कि दामोदर नदी में कितना तेल बह गया है, तब उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि कितना भट्ठी तेल वहां प्राप्त हुआ था और कितना शेष है ? उन्हें इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि वहां 400 टन भट्ठी तेल मौजूद था और यह सारा 400 टन भट्ठी तेल नदी में बह गया था।

मैं कुछ शब्द प्रदूषण प्रभाव के बारे में भी कहना चाहता हूं। सामान्यतः तेल की मात्रा प्रति मिलियन (पी० पी० एम०) दस से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इसे 1 पी० पी० एम० से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेकिन यह भट्ठी तेल दामोदर नदी के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में फैल गया जहां से समूची औद्योगिक पट्टी की खपत हेतु पानी की सप्लाई होती है—2 अप्रैल को इसकी मात्रा 10 पार्टस प्रति मिलियन (पी० पी० एम०) थी। सामान्यतया इसे मिलिग्राम प्रति लीटर के रूप भी जाना जाता है। 3 तारीख को इसकी मात्रा 10 पार्टस प्रति मिलियन थी। 4 तारीख को भी यह 10 पार्टस प्रति मिलियन थी। 5 तारीख को यह 3000 पार्टस प्रति मिलियन हो गई। यह मात्रा 10 पार्टस प्रति मिलियन से बढ़कर सीधे 3000 पार्टस प्रति मिलियन पहुंच गई। 6 अप्रैल को यह मात्रा 2256 पार्टस प्रति मिलियन थी। 7 तारीख को यह 68 पार्टस प्रति मिलियन हो गयी और 8 तारीख को यह पुनः बढ़कर 160 पार्टस प्रति मिलियन हो गयी। 8 तारीख को यह मात्रा 18 पार्टस प्रति मिलियन हो गई। लेकिन अभी भी यह सुरक्षा सीमा से काफी अधिक है।

दुर्गापुर प्रयोगशाला में उन्होंने बताया कि इसका कुप्रभाव बिहार की सीमा को पार करके; पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। उन्होंने वहां उसका विश्लेषण किया और पाया कि उस पानी में कोई संख्या नहीं है। अन्यथा यह पानी और अधिक विषैला हो जाता। लेकिन उसमें 'फर्नेस आयल' के अन्य तत्व थे जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए उतने ही खतरनाक हैं। इसका विश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया तथा ये तत्व इस प्रकार थे : — फ्लूरान्थीन—1.00; पाइरीन—0.38; बेंज (क) अन्थ्रासीन—1.76; बेंजो (ख) फ्लूरान्थीन—0.47; बेंजा (ऊ) पाइरीन—0.38; बेंजो (क) पाइरीन—0.93 और बेंजो (गी) पेरीलीन—2.03। ये सभी पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्याधिक हानिकारक है।

आपने इसकी गम्भीरता देख ली है। 8 तारीख को बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार से टेलीफोन पर सम्पर्क किया। बिहार के मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से सम्पर्क कर पश्चिम बंगाल में अनुप्रवाह पर भी पानी की सप्लाई पर रोक लगाने को कहा। इसका आशय है कि रानीगंज और दुर्गापुर—अर्थात बंगाल के समूचे कोयला क्षेत्रों में— उन्होंने पानी की सप्लाई रोकने का आग्रह किया।

अब वे प्रदूषित जल के बहाव को रोकने में असफल है। कल के स्टेट्समेन में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पांच सदस्यों का एक विशेषज्ञ दल धनबाद, बिहार जाएगा जो यह पता लगाएगा कि दामोदर नदी में फैले फर्नेस आयल से पड़ोसी राज्यों में कितना पर्यावरणीय खतरा होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि दामोदर घाटी निगम के पंचेट जलाशय में, जहां से निकटतम बर्दवान के क्षेत्रों सहित दक्षिण बंगाल के जिलों को पानी की सप्लाई होती है, आयल के बहाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।

महोदय, केवल इतना ही नहीं है। इससे सारा जलचर जीवन प्रभावित हुआ है। दुर्गापुर से इसका संवाददाता लिखता है कि दामोदर नदी में फर्नेस आयल की मोटी परत के कारण जलचर जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। कई ग्राहकों ने दामोदर नदी से पकड़ी हुई मछलियां इस शिकायत के साथ खरीदने से मना कर दिया कि इन मछलियों को पकाने के बाद भी इनमें से मिट्टी के तेल की दुर्गन्ध आती रहती है। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, श्री सुमन्त गुहा ने बताया कि अधिकारी इस बात से चिन्तित हैं कि यदि इस नदी का जलचर जीवन वास्तव में प्रभावित हुआ है तो···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उस बात को उद्धृत मत कीजिए जो दूसरे कह चुके हैं।

श्री ए० के० राय : उन्होंने कहा कि यदि इस नदी में जलचर जीवन पर वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो उक्त प्रदूषण उससे काफी अधिक होगा जिसकी पहले आशंका की जा रही थी। इस बारे में अभी कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं आयी है। लेकिन अधिकारी इस बारे में काफी सतर्क हैं। यह ऐसी स्थिति है। महोदय, 'आयल' केवल बहा ही नहीं है बल्कि इससे दामोदर नदी का जल इस कदर प्रदूषित हो गया है कि इसका बिहार और बंगाल दोनों के औद्योगिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब इसे काफी हल्के रूप में किया जा रहा है। इसका उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यही कारण है कि मैं यह पूछ रहा हूं कि आप फैक्टरी का प्रबन्ध किस प्रकार चला रहे हैं? ये सब घटनाएं तीन दिन तक कैसे चलती रहीं? सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्था कैसी थी? जब मैंने उक्त स्थल का दौरा किया तो मैंने यही प्रश्न उठाया; कि यदि टैंक में कोई रिसाव हो जाए तो वहां सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। कोई सुरक्षा तत्व होना चाहिए ताकि आप 'नियन्त्रण पैनल' से उसकी निगरानी कर सकें। इससे आप यह जान सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैंने वहां का दौरा किया तो उन्होंने बताया कि वे बहाव को रोक रहे हैं। लेकिन मैंने पाया कि 8 तारीख को भी पानी में आयल की एक मोटी परत थी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस घटना को हल्के-फुल्के ढंग से न लें क्योंकि सारा आयल पानी में बह रहा है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। यह एक गम्भीर घटना है। यह देश के प्रति, प्रबन्ध व्यवस्था के प्रति तथा प्रत्येक के प्रति एक अपराध है। मैं इसे आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। महोदय अब हमें इस संयंत्र की चिन्ता है क्योंकि यह एक अति प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र अभी भी लाभ में चल रहा है और यही एक मात्र संयंत्र है जिसने 2.3 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया

[श्री दिनेश गोस्वामी]

है। इसका कार्य-निष्पादन अच्छा है। लेकिन हमेशा प्रबन्धकों और अन्य का ऐसा प्रयास रहा है कि संयंत्र की प्रगति का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति चौकन्ना रहता है। पहले हम इसे 10 मिलियन टन का संयंत्र बनाने की सोच रहे थे। लेकिन अब इसमें ऐसी बात हो गयी है। मैं आपकी जानकारी में यह प्रश्न लाना चाहता हूं जो मैंने इस सभा में इस विषय पर गत वर्ष उठाया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले 18 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री ए० के० राय : अब मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी कर दूंगा।

महोदय, उस समय उन्होंने मुझे एक जवाब भी दिया था। गत वर्ष सितम्बर में लोहे की कतरनों से भरा एक ट्रक बाहर आ रहा था। इस बीच कुछ लोग उसे रोक रहे थे और उसमें से लोहे की कतरन निकाल रहे थे। यह एक योजनाबद्ध घटना थी। हमें आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं।

हमने बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध मंडल का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि बोकारो से दुर्गापुर जा रहे इस्पात की कतरनों से भरे ट्रक को फैक्टरी से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर ही किस प्रकार रोक लिया गया और उसमें से किस प्रकार इस्पात की कतरनें निकाली गयीं तथा कैसे उसे बाजार में बेचा गया। अन्ततः, ग्रामवासियों, जिला प्रशासन की सहायता से यह पता चला कि बोकारो इस्पात संयंत्र से निकलने वाले प्रत्येक ट्रक में कागजों में दर्ज की गयी इस्पात की कतरनों की मात्रा से अधिक मात्रा लदी हुई होती है और दुर्गापुर में डिलीवरी के समय ट्रकों द्वारा केवल कागजों में दर्ज की गयी मात्रा की ही ढुलाई होती है, इस प्रकार इस्पात की अतिरिक्त मात्रा को उपर्युक्त तरीके से निकाल लिया जाता है। इसे बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध मंडल की जानकारी में भी लाया गया। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उन्होंने स्वीकार किया कि बोकारो इस्पात संयंत्र से एक लाख मीट्रिक टन से अधिक इस्पात की कतरन भेजी गयी और इस सम्बन्ध में मामले भी दर्ज किए गए। यह उत्तर 30 मार्च, 1990 को दिया गया। इस घटना से बड़ी विस्मयकारी स्थिति तथा राष्ट्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के प्रति इसकी कठोरता की बात सामने आती है। इससे एक प्रकार का षडयन्त्र तथा विनाशक स्थिति सामने आती है। किस प्रयोजन से ऐसा किया गया। निश्चित रूप से यह इतने बड़े संयंत्र की प्रबन्ध क्षमता पर एक कलंक है। इसकी एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच की जाएगी। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मामला है। मैं इस मामले की किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति से जांच करवाना चाहता हूं जिसमें जनता के प्रतिनिधियों या कुछ न्यायिक व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए ताकि वे मामले की गहराई से जांच कर सकें और ऐसा कुछ करें जिससे समूची प्रबन्धकीय खामियों को रोका जा सके, उन पर नियंत्रण किया जा सके। दूसरा, उन्हें सभा के समक्ष एक ऐसा आश्वासन देना चाहिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र से पानी अथवा आयल बिना 'सेपरेशन टैंक' से होते हुए दामोदर नदी में नहीं जाए ताकि समूचे पानी और आयल को पृथक तथा शुद्ध किया जा सके। तीसरे, पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में, जहां बहुत सारे सरकारी क्षेत्र के एकक चल रहे हैं और वे समस्त दामोदर नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिएं। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री से पुनः यह अनुरोध करता कि इस मामले को साधारण रूप से न लें। यह उतना ही गम्भीर अपराध है जितना कि पूर्वोत्तर अथवा उत्तर पश्चिम में आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला इसलिए नहीं है कि इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, बल्कि बहुत से लोग इसके शिकार हो गये। असल चीज यह है कि यह बहुत बड़ी साजिश है और यह साजिश समझ-बूझकर की गयी है। जैसे जो टैंक है, उसमें फर्नेस आयल भरी हुई थी। उसमें तीन वाल्व में से एक ही वाल्व खोल करके, मशीन वगैरह में जहां तेल देना होता है वहां दिया जाता है, लेकिन दो वाल्व तब खुलते हैं जब आग वगैरह लग जाती है। ये तीन वाल्व खुल जाना आश्चर्य की बात है और खास तौर से यह जो काम किया गया है, वह हमारे पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने चल रहे हैं उनको बर्बाद और बदनाम करने के लिए यह सारी कार्यवाही होती है। मुख्य चीज यह सोचने की है।

मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह वही पुराना घिसा-पिटा जवाब है, अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज की जानकारी कब मिली, मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं दी गयी। जब यह बात अखबारों में आयी, तब मंत्री जी को इस चीज की जानकारी मिली। हम इस बात को जानते हैं कि सरकार के अन्दर और बाहर कुछ ऐसे तत्व काम कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर को खत्म करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर को अलग-थलग करना चाहते हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि देश में पब्लिक सेक्टर कामयाब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जाना लोग पसन्द करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तेल के मामले में 6 लाख की गड़बड़ी की बात की गयी, बात 6 लाख की गड़बड़ी की नहीं है, बोकारो में तो रोज 10 लाख की चोरी होती है, इसमें 13 करोड़ की गड़बड़ी है, 13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस साजिश में बड़े-बड़े प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो सकते हैं, उनका भी इसमें हाथ हो सकता है और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, इन सब लोगों ने मिलकर यह साजिश की है जिसके तहत तेल का बहुत बड़ा बहाव कई दिनों तक चलता रहा। यह बात भी ठीक है कि वहां पर अधिशासी प्रबन्धक एस० पी० परोत्तमन बहुत अच्छे आफिसर हैं। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इस तरह से वाल्वों को कैसे खोला गया, यह बड़े ताज्जुब की बात है, यह कैसे हुआ ! क्या इसको देखरेख करने वाले लोग नहीं थे, इसको देखने वाले अधिकारी थे या नहीं थे, इसका कोई रजिस्टर मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है कि कितने बजे वाल्व खोलना है और कितने बजे बन्द करना है, कितना तेल निकला है, इन सारी चीजों की व्यवस्था थी, फिर भी इन तीनों वाल्वों के खुलने का क्या मतलब है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि यह भारी गलती है, लेकिन यह सिर्फ गलती नहीं है। अगर गलती हुई है तो इतने सारे लोग वहां पर क्या कर रहे थे। इसमें देखने वाली चीज यह है कि कुछ लोग पब्लिक सेक्टर की सरकार की नीति को बदनाम करना चाहते हैं, यही बात हमारी समझ में आती है।

दूसरी बात जो वहां पर प्रबन्ध निदेशक हैं, उन पर बहुत गम्भीर आरोप हैं, इन आरोपों के रहते हुए उनको वहां पर रखा गया है। इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये सब लोग कहते है कि हम देश को चलाने वाले हैं, तो देखिए कैसे देश चल रहा है, आप देख लीजिए। उन सारे आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जो गम्भीर आरोप लगाए गए हैं, उनको देखिए और उन आरोपों के रहते हुए प्रबन्ध निदेशक को वहां पर रखा गया है। कहा जाता है कि बड़े-बड़े लोगों से, टाटा से उनके सम्बन्ध हैं। इस तरह से पब्लिक सेक्टर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

दूसरी बात हमको यह कहनी है कि वहां गुप्तचर विभाग भी है। गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि कुछ बाहर के लोगों को वहां पर घूमते हुए देखा गया, इस चीज की रिपोर्ट होनी चाहिए थी कि बाहर के लोग घूम रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि अगर देश को मजबूत बनाना है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो एक कमेटी बनाइए, जिसमें तकनीकी लोगों को शामिल किया जाए, माननीय सदस्यों को भी उसमें शामिल किया जाए, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, सब लोग इसकी जांच करें, गम्भीर आरोपों की जांच करें। हमारी बात नहीं है, हम लोग तो रोज बिना तेल पिए भी मारे जा रहे हैं, यही बात नहीं है कि तेल पीने से डायरिया आदि रोग हुए, यहां तो देश का सवाल है, देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, उद्योगों का सवाल है, इस तरह के लोगों को हम कहां तक तरजीह देते रहेंगे। इसी तरह से इस बात को भी नहीं दोहराया जाना चाहिए कि फलां की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, अब कांग्रेस नहीं है, जनता ने आपको भेजा है, आप इस सब चीज को देखिए, वहां पर कौन लोग इस तरह से कर रहे हैं ? वहां पर कई गड़बड़ियां हैं। फैक्ट्री की अपनी वर्कशाप है, लेकिन वहां पर गाड़ियां न बनकर 3 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है और हरिनारायण एण्ड कम्पनी जो पी० एन० त्रिपाठी की है जो कांग्रेसी हैं, उनके यहां गाड़ियां बनती हैं। जब आपका अपना वर्कशाप है तो फिर प्राइवेट वर्कशाप में गाड़ी आदि की मरम्मत करवाना कहां तक उचित है। सैकड़ों आदमियों को तनख्वाह देने की क्या जरूरत है ? वर्कशाप में गाड़ियों की मरम्मत पर 3 करोड़ रुपया आपका खर्च आता है। यही कारण है कि प्राइवेट सैक्टर का कोई नौकर इस तरह का कार्य करेगा तो प्राइवेट सैक्टर का मालिक उसको तुरन्त सजा के साथ नौकरी से हटायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रैंजिडैंस मैनेजर, आर० एस० भाटिया पिछले 9 सालों से पड़ा हुआ है और उन्होंने नाजायज धन कमा कर तीन फ्लैट्स ले लिए हैं। सेल आफिस को भी उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। इन सारी चीजों को मैं बताना चाहता हूं। बोकारो की जहां तक स्थिति है, केवल तेल पर बात नहीं हो रही है, बोकारो में खास-खास लोग बैठे हुए हैं, जो इस तरह के षड़यंत्र करके बोकारो को बरबाद करना चाहते हैं। बोकारो आज हमारे देश की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। मेरा कहना यह है कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और वह कमेटी सही रिपोर्ट सदन में रखे। ताकि आगे चलकर ऐसे लोगों को अलग-थलग किया जा सके। ऐसा होने पर हमारा देश आर्थिक मामले में मजबूत बन सकेगा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : दामोदर नदी हमारे देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह बंगाल और बिहार से होकर बहती है। दामोदर नदी के किनारे बोकारो इस्पात संयंत्र, आई०एस० एस०सी०ओ०, डी०एम०पी०, ए०एम०पी०, डी०टी०पी०एम०, डी०पी० एल०, बी०सी० एम०, एफ० सी०आई०, रानीगंज पेपर मिल्स, अनेक कोयला खानें तथा अन्य सहायक उद्योग स्थापित हैं। ये औद्योगिक एकक दामोदर नदी का पानी उपयोग करते हैं। बंगाल और बिहार में रहने वाले लाखों व्यक्ति पीने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए दामोदर नदी के पानी का उपयोग करते हैं।

महोदय, तेल भट्ठियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र के निवासियों में दहशत फैली हुई है। मुझे यह बताया गया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र फैलने वाले प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र के निवासियों का

जीवन पहले ही खतरे में है। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता प्रदूषण के खतरों के बारे में विस्तारपूर्वक बता चुके हैं।

मैं माननीय मंत्री से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कुछ ऐसे कर्मचारियों की जान-बूझ की जा रही अन्तर्घातात्मक कार्यवाही तो नहीं है, जो सरकार की प्रतिष्ठा नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और सम्बन्धित कर्मचारियों को सजा दी जायेगी जो सार्वजनिक जीवन और सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रहे हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आरोप के बारे में एक उच्च शक्ति समिति से जांच करवाएगी कि अत्यधिक महंगे भट्टी के तेल को हमेशा जानबूझ कर बहाया जाता है और कर्मचारियों की सांठ-गांठ से बेईमान व्यापारी चोरी से ऊपरी तह से तेल एकत्र कर लेते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं।

2.00 म० प०

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मुझे यह सूचना मिली है कि कम्पनी का संचालन करने वाले प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य अधिकारी उतने अधिक सावधान नहीं हैं, जितना कि उन्हें होना चाहिए। यही कारण है कि कम्पनी विधि बोर्ड अथवा उस मामले के बारे में, कोई अन्य सरकारी तंत्र भी उनकी गतिविधियों को पकड़ नहीं सकता। इसलिए वे मनमानी कर रहे हैं।

वर्ष 1988 में कम्पनी विधि (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। उसमें एक नई धारा 621क पुरःस्थापित की गयी थी। इसके अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड और क्षेत्रीय निदेशकों को, किसी दण्डनीय अपराध में, मुकदमा चलाने के बजाय समझौता करने अर्थात जुर्माना करने का अधिकार दिया गया था। ऐसे मामलों में जिसमें जेल भेजने अथवा जुर्माना करने अथवा दोनों ही प्रकार के दण्ड देने से सम्बन्धित अपराधों में समझौता नहीं किया जा सकता है। अतः इस प्रकार, सरकार शक्ति हीन हो जाती है। इस अधिनियम में किसी कम्पनी के प्रबन्ध मण्डल के निदेशकों और प्रबन्धकों के विरुद्ध आगे कुछ नहीं कहा गया है।

हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय विधि मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि आवश्यकता पड़े, तो सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये और कम्पनी विधि (संशोधन) विधेयक में पुनः संशोधन किया जाये जिससे कि देश के किसी भी अन्य व्यक्ति के समान ही ऐसे व्यक्तियों को भी सजा दी जा सके और दण्ड भी दिया जा सके।

अब, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा जिनका उत्तर, माननीय मंत्री, उत्तर देते समय दे सकते हैं।

(1) क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कोयला खान विकास प्राधिकरण ने यह महसूस किया था कि यह बहाव असमता, जानकारी का अभाव, लापरवाही और पर्यावरण के बारे में कोई चिन्ता न करने के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस्पात प्राधिकरण को इस बात के लिए दोषी ठहराया है कि उन्होंने नव निर्मित भट्टी तेल टैंकों के निकास द्वारों और वाल्वों का संचालन

[श्री पीयूष तीरकी]

करने की पर्याप्त जानकारी नहीं हासिल की है। इस वर्ष 22 मार्च को 22 टैंक चालू किये गये हैं। जिनमें से 3 निकास द्वार 2 अप्रैल से आंशिक रूप से खुले पड़े हैं।

(2) क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक श्री एस० आर० रामाकृष्णन ने यह कहा था कि यह तोड़-फोड़ का और जान-बूझकर किए गए कृत्य का मामला है? उन्होंने इस आरोप से इनकार किया है कि श्रमिक किसी इस्पात संयंत्र में संचालन कार्य करना पसन्द करते हैं। इस संयंत्र के समग्र नेटवर्क में इसी प्रकार के 120 वाल्व हैं।

(3) क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को कोई ऐसी शक्ति प्रदान की गयी जिससे कि वह ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कठोर सजा दे सके जो इस निन्दनीय कृत्य अथवा जान-बूझ कर किए गए तोड़-फोड़ के कृत्य के लिए उत्तरदायी पाये जाते हैं। चाहे वे व्यक्ति राजनीति से सम्बद्ध व्यक्ति हों अथवा कोई अन्य हों।

(4) क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दामोदर नदी के जलचर प्राणी प्राय: समाप्त होने की स्थिति में हैं।

(5) क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दामोदर नदी की दैनिक शुद्धता की जांच करने का कार्य किसी गैर सरकारी कम्पनी को सौंप दिया गया है और उस कम्पनी का नाम क्या है?

[हिन्दी]

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, फर्निश तेल का बहाव दामोदर नदी में हुआ, यह ऐसी घटना है जो हमें यह बताती है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहीं जैसे भोपाल का गैस काण्ड हुआ था और वहां हजारों लोग मर गये उसी तरह से ऐसे काण्ड होते रहेंगे तब क्या होगा? लगता है इससे कोई सबक नहीं लिया गया। अगर हम सबक लेते तो भोपाल काण्ड जैसी फिर दामोदर नदी में फर्निश तेल को बहाने जैसी वारदात न होती। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि 3 दिन तक रिसाव होता रहा और फर्निश तेल नदी में छहलाता रहा और वह 40 किलो मीटर तक चला गया, यह समाचार अखबार में आया है।

छहलाते हुए तेल की तस्वीर रांची से प्रकाशित होने वाले अखबार "आज" में आयी है और वहां के मैनेजमेंट को पता भी नहीं चले? जब यह नदी में छहला गयी तो वहां की जनता ने देखी और ऐसा लगता है जब जनता की तरफ से गुहार होने लगा तो कान में कड़ुवा तेल देकर या कुम्भकरणी निद्रा में सोये हुए थे वहां के मैनेजमेंट को तब जाकर मालूम हुआ कि हम बच नहीं सकते हैं तो बंगाल की सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास उसकी सूचना दी गयी। हमें यह पता नहीं कि मंत्री महोदय घटना स्थल पर गये हैं या नहीं? हमने ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि जब रोम धू-धू जल रहा था तो वहां का बादशाह नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। हम पूछना चाहते हैं कि मंत्री महोदय उस समय कहां थे? इतनी सारी बातों के बाद जब हम यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये तब स्टेटमेंट के रूप में यह आज आया है। हमारे साथियों ने भी बताया है और उस पर हम भी कुछ कहना चाहेंगे। सवाल इस चीज का नहीं है कि क्षति कितने करोड़ रुपये की हुई, सवाल यह नहीं कि उससे कितने लोगों की जानें चली गयी होती सवाल यह नहीं कि उसमें कितने जीव-जन्तु मारे जाते या मर गये होते या कितनी मछलियां मर गयीं होती। सवाल यह है कि इसके पीछे कौन सी ऐसी गोपनीय बात है जो अभी तक उजागर नहीं हुई। यह इंडस्ट्रियल एरिया और विशेषकर धनबाद से दुर्गापुर तक पूरी तरह

प्रभावित होता है। इस सम्बन्ध में कहना है कि यद्यपि मैनेजमेंट के लोग बड़ी-बड़ी पोथियां पढ़कर परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन उन्हें नेशनल वैल्यू का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है जिसके कारण राष्ट्रीय क्षतियां होती रही हैं। अब तक इन असावधानियों के कारण ही ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। कभी गाड़ी में सिलेंडर फट गया, कहीं आग लग गयी और इस प्रकार सैकड़ों लोग मारे गये हैं। अब अखबार में इस घटना को कितना छोटा कर दिखाया गया है। दस अप्रैल को थाने में इन्होंने एक चोरी का केस किया। यही इसका जवाब है। इनका जवाब है कि चोरी करने के लिए उसको खोल दिया था। इस कारण यह घटना घटी। इस प्रकार मैनेजमेंट ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। अगर अपनी त्रुटि को स्वीकारते तो यह बात दूसरी होती और अब तो हमें लगता है कि सरकार इस मामले में बहुत उदासीन है। मंत्री महोदय हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनको इस प्रकार का उत्तर देना होगा कि आपके हाथों में राष्ट्रीय क्षति इतनी हो रही है, यह कब तक होता रहेगा ? पहले की सरकार चली गयी है। इतने सारे अग्नि कांड एक सप्ताह के दौरान हुए। रेल अग्नि कांड, अग्नि कांड और अब यह गैस कांड हुआ है तो क्या हम लोग यहां सिर्फ बहस-मुबाहिसा करने के लिए हैं कि इस पर सरकार की ओर से सावधानी बरतने की जरूरत है तो हम चाहेंगे कि इस पर कुछ पहल किया जाये और सही बातों को खोज निकाला जाये जिससे भविष्य में ऐसी क्षति राष्ट्र को न उठानी पड़े।

तभी हमारे देश में जिस तरह से भूकम्प और भूचाल आ रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। अन्यथा कश्मीर में, पंजाब में, बिहार में या देश के दूसरे भागों में जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित होती जा रही हैं, जो तसवीर बनती जा रही है, कहा नहीं जा सकता कि कब यहां ज्वालामुखी भयंकर रूप से फूट पड़ेगा, अगर हमने इससे कोई सबक नहीं लिया तो स्थिति में कैसा परिवर्तन आयेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें सारी परिस्थिति को ईमानदारी के साथ देखना होगा कि कहीं इसके पीछे षड्यंत्रकारियों का हाथ तो नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा कि ढक्कन खुल गया, तेल बह गया, तब सरकार का क्या दोष हो सकता है। यह खुदाई और कुदरत की बात नहीं है। इसलिए खुदाई पर कम भरोसा करके, जरा आप अपनी मेहनत पर, बलबूते पर, अपनी समझ-बूझ पर ज्यादा भरोसा रखिये, तभी कुछ हो सकता है। यह मानकर मत चलिये कि "वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है"। धन्यवाद।

1.12 म० प०

[श्री बलवन्त सिंह पीठासीन हुए]

श्री विनेश गोस्वामी : मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्री ए० के० राय का जिन्होंने चर्चा प्रारम्भ की, भी आभारी हूं कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये और बोकारो इस्पात संयंत्र का दौरा किया तथा घटना के तुरन्त पश्चात उन्होंने प्रबन्धकों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने शिकायत की है कि मैंने इस मामले की गम्भीरता को कम करने का प्रयास किया है। मैं उन्हें और सदन के अन्य सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि मामले की गम्भीरता को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तविक मामला यह नहीं है कि 6 लाख रुपये अथवा उससे अधिक की हानि हुई है। तथ्य यह है कि जन हानि हो सकती थी, यदि पानी का स्तर कम न होता तो लोगों की जान जा सकती थी। सौभाग्य से उस समय पानी का स्तर कम था; पानी में इतना अधिक प्रदूषण नहीं हुआ था अथवा उस पर नियंत्रण पा लिया गया था। मैंने उस समय केवल इसी तथ्य को व्यक्त किया था।

सभी सदस्यों ने कहा था कि तीन 'वाल्व' खोल दिए गए थे। यह 'वाल्व' नियमित रूप से नहीं खोले जाते हैं। यह 'वाल्व' वर्ष में एक बार जब वहां सफाई की जाती है तभी खोले जाते है। बोकारो कारखाना पिछले 20 वर्ष से कार्यरत है परन्तु अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इन 'वाल्व' का किसी दबाव से अपने-आप खुल जाना सम्भव नहीं है। उन्हें वहां नियुक्त कार्मिक स्वयं खोलते हैं और 'फर्नेश आयल' का रिसाव होने देते हैं। इस 'आयल' को बहाना प्रबन्धकों के हित में भी नहीं है क्योंकि उससे प्रबन्धकों को कोई लाभ नहीं है। अत:, मैं इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं मानता कि इन्हें खोलने में प्रबन्धकों का कोई हित है। इसकी केवल दो संभावनाएं हैं। (1) या तो यह चोरी करके धन कमाने के लिए किया गया हो सकता है अथवा किसी ने कोई शरारत की है। ऐसा भी नहीं लगता कि यह चोरी करके धन कमाने के लिए किया गया हो क्योंकि जैसाकि मैंने कहा 200 हजार लीटर 'फर्नेश आयल' का रिसाव हुआ है। इस 'फर्नेश आयल' को इकट्ठा करने के लिए किसी टैंकर अथवा अन्य किसी चीज से पानी के ऊपर को ले जाने के लिए काफी काम करना पड़ता। प्रत्यक्षत: ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। परन्तु मैं इससे बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूं। शायद किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं लोगों ने थोड़ी मात्रा में 'फर्नेश आयल' की चोरी करनी चाही हो और वह व्यक्ति अथवा उन लोगों को यह पता ही नहीं रहा होगा कि यदि इन 'वाल्व' को खुला रख दिया जायेगा तो 200 हजार लीटर 'फर्नेश आयल' बह जायेगा; यही एक संभावना मालूम पड़ती है। इसमें शरारत की संभावना भी काफी है।

सदस्यों द्वारा यह बातें भी कही गयी हैं कि यह बोकारो प्रबन्ध मंडल को बदनाम करने का प्रयास है। न केवल यही वरन सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास है। अत:, किसी ने जान-बूझकर इन 'वाल्व' को खोला है। सामान्यतया यह वाल्व खोले नहीं जाते हैं। अत: प्रबन्धकों को इसका पता ही नहीं चला। अब प्रबन्धकों के लिए यह कठिन हो गया है कि वह इस बात का पता लगा सकें कि ऐसा किसने किया था। यह पता चला है कि इस घटना से कुछ दिन पूर्व वहां कुछ अवांछित व्यक्ति घूम रहे थे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध मालूम पड़ रही थीं। हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। हमने पुलिस से यह भी कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच करायी जाये और उन व्यक्तियों का पता लगाया जाये जो 'वाल्व' खोलने के इस काम में शामिल हैं। सौभाग्य से इसमें मानव जीवन की कोई हानि नहीं हुई है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या आपको इस बारे में कुछ पता चला है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे नहीं मालूम। पुलिस इस बारे में पता लगायेगी (व्यवधान) मुझे नहीं मालूम। पुलिस इस बारे में पता लगायेगी। बोकारो के प्रबन्धकों ने इस बारे में शिकायत दर्ज करायी है।

अब यह कहा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक वहां 10-4-1990 को गए थे। यह सच नहीं है। 5 अप्रैल को लगभग 5.30 बजे सूचना प्राप्त होते ही बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने तुरन्त कार्यवाही की। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है वहां कई 'प्लग' थे—वास्तव में वहां सैकड़ों 'प्लग' और 'वाल्व' हैं और तुरन्त किसी उस 'प्लग' अथवा 'वाल्व' का पता लगाना संभव नहीं था परन्तु 5 घंटे के भीतर 2230 बजे रिसाव कहां से हो रहा है इसका पता लगा लिया गया और उसे बन्द कर दिया गया था।

अब यह कहा गया है कि पानी दूषित हो गया है। इस मामले पर मैं विशेष रूप से जिलाधिकारी

हुआ है। मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि वर्तमान स्थिति क्या थी और क्या पानी दूषित हुआ है या नहीं। मुझे आश्वस्त किया गया है कि अब वह स्थिति नहीं है। बोकारो संयंत्र के प्रबन्धकों ने पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगायी थी और उस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में इस समय प्रदूषण और अन्य बातें सामान्य हैं। उन्हें यह भी कहा गया है कि पानी की सामान्यता बताने वाला यंत्र पानी में घुल 'पी० पी० एम०' से कम पानी की मात्रा बताता रहा है जो कि 10-4-90 से अनुमान सीमा से कहीं कम है।

इसके अतिरिक्त, हमने दो विशेषज्ञों श्री ए० के पोद्दार और श्री जॉन राजू को दामोदर घाटी से पानी सप्लाई करने वाले पम्प के स्थान तक भेजा है, धनबाद के लिए पानी की सप्लाई सामान्य रूप से की जा रही है। जब हमें पता चला तो हमने सभी एहतियाती कदम उठाए। पानी को रोका, पानी की सप्लाई न होने की स्थिति में लोगों को होने वाली कठिनाइयों का भी हमने अच्छी तरह अहसास किया और हमने टैंकों की सहायता से यथासम्भव अधिक मात्रा के लिए अपने सीमित साधनों के भीतर पानी की सप्लाई की। मैं समझता हूं कि हमने जो टैंक उपलब्ध कराए थे उन्होंने पानी बांटने के लिए लंबकर लगाए। हमने पानी रोकने के लिए अपेक्षित सामग्री जैसे जस्ते की पालिश वाली चादरें, लकड़ी की बल्लियां, मनीला रस्सियां, पम्प, खाली ड्रम आदि वस्तुएं भी ट्रकों में भर कर सप्लाई कीं।

यह भी सच है कि रिफ्रेक्टरी संयंत्र की भट्टी सं० 7 पहली अप्रैल से काम नहीं कर रही थी और इसमें जरूर कोई खराबी पैदा हो गयी होगी। यह बताया गया है कि इसका पता दो दिन तक नहीं चल पाया। हुआ यह कि तेल अलग करने वाले संयंत्र की कार्य-प्रणाली पूर्णतः बन्द कर दी गयी थी और इसे देखकर यह कहना संभव नहीं है कि इससे तेल बहकर निकल गया। हर 15 दिन में इसकी जांच की जाती है। इस दुर्घटना के बाद मैं हर 15 दिन के बाद जांच करने की वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में कुछ और भी करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस मामले में और अधिक सावधानी करती जानी चाहिए थी। मैं अपने स्तर पर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रबन्धकों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि इस मामले में केवल विभागीय जांच ही क्यों करायी गयी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि विभागीय जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जिसके लिए मैंने उन्हें कहा है कि यह रिपोर्ट मुझे शीघ्रातिशीघ्र दी जाए, यदि मैं इसे जरूरी समझूंगा तो इस मामले में आगे जांच कराऊंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटना दुबारा न होने पाये।

श्री राय ने शिकायत की है कि इस घटना के बाद हम अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए विचार कर रहे हैं, सरकार ने कुछ विशिष्ट तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए पहले ही अनुरोध कर दिया था और प्रदूषण से बचने के लिए वेहावे की कम्प्यूटर द्वारा विश्लेषण करने का निर्णय किया गया है। उपकरण भी आ रहा है। अतः इस दिशा में सभी कदम काफी समय पहले उठा लिए गए थे। केवल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार एजेन्सी, जहां से हम सहायता प्राप्त कर रहे हैं, की सहायता अभी मिलनी है। जैसा कि मैंने कहा है अपेक्षित उपकरण आ रहा है और इसे प्राप्त करने में हमें कुछ समय लगेगा।

अन्य माननीय सदस्य ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और पूछा है कि क्या मैं घटना स्थल पर गया

था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं और स्वीकार करता हूं कि मैं वहां नहीं जा सका। उस दिन अर्थात् घटना के दिन मैं यहां नहीं था। उस दिन मैं भारत के राष्ट्रपति के साथ विदेश में था।

मेरे लिए यह जानना बिल्कुल भी संभव नहीं था कि इस तरह की घटना होने वाली है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि मैं इस घटना की जानकारी होते हुए भी विदेश में मौज मना रहा था। स्वदेश लौटने के बाद मेरे लिए जो भी कदम उठाने संभव थे, मैंने उठाए। सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इसकी सभी पेचीदगियों का अध्ययन करने और सभी उपचारात्मक उपाय करने हेतु निदेश देगी। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई कमी अवश्य है क्योंकि गत बीस सालों कुछ भी नहीं हुआ। कहीं कोई लापरवाही हो सकती है। हम इस प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में कमी का पता लगायेंगे और इस पर निरन्तर निगरानी रखेंगे। इसमें सुधार लाने हेतु जो भी कदम आवश्यक समझे जायेंगे, हम उन्हें उठायेंगे। मैं दोषरहित 'फूल-प्रूफ' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि हम जो भी करेंगे वह पूर्णतः दोषरहित नहीं हो सकता। किन्तु इस तरह की स्थिति से निबटने के लिए हमारी तरफ से जो भी सभव होगा, हम करेंगे।

मैं कह सकता हूं कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों को 12 अप्रैल, 1990 को निदेश दिए हैं कि सम्पूर्ण ब्यौरा प्राप्त होने तक रिफ्रेक्टरी संयंत्र को बन्द रखा जाए। हम पुलिस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी हैं। हम अन्तरिम जांच की रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं सभा को विश्वास में लेता हूं। इन रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने के बाद मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस दिशा में यथासम्भव आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। हम यह भी देखेंगे कि यदि बोकारो के प्रबन्धकों की गलती होगी तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अन्य कदम, जिनमें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के सभी सम्भव उपाय भी शामिल हैं, किए जायेंगे।

दुर्गापुर अथवा किसी अन्य शहर को जा रहे रद्दी माल से भरे हुए ट्रकों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, हमने मामला दर्ज किया है और अब यह मामला दर्ज है। हमने पुलिस केस दर्ज कराने के लिए कदम उठाए हैं। श्री राय मुस्करा रहे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। मैं माननीय सदस्यों की ओर से भी सहयोग चाहूंगा। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इस दिशा में सुधार लाने हेतु अथवा यहां तक कि बोकारो के सामान्य प्रशासन में सुधार लाने हेतु वे अन्य जो भी सुझाव लिखित में अथवा चर्चा के दौरान देंगे, उन सभी का स्वागत है।

बोकारो की सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। किन्तु चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय-क्षेत्र सीमित है इसलिए मैं उन पहलुओं को नहीं लूंगा। उन पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर हमें किसी अन्य मौके पर मिलेगा।

श्री पीयूष तीरकी : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक सवाल है, की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के बारे में आपके प्रश्न का सम्बन्ध है, कानून में कोई खामी नहीं है। बहुत से कानून हैं जिनके अन्तर्गत हम कार्यवाही कर सकते हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जैसे ही दोषी व्यक्तियों का पता चलेगा, उनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

श्री पीयूष तीरकी : दामोदर नदी में जल जन्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक जल जन्तुओं के जीवन का सम्बन्ध है, स्पष्ट है कि जब पानी प्रदूषित होता है तो जल जन्तुओं के जीवन पर इसका कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, किन्तु उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह मैं कभी बताने में असमर्थ हूं।

श्री ए० के० राय : मैं केवल एक मिनट चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : यह एक मिनट का सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। मैं प्रश्न और उत्तर के लिए अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए।

श्री ए० के० राय : मैं केवल एक मिनट लूंगा और फिर बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। आपको सम्पूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए पूरा अवसर दिया गया था।

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री राय, कृपया मुझे अपनी बात लिखकर भेज दीजिए। मैं इसकी जांच करके आपको उस बारे में लिखूंगा।

सभापति महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी के नाम से एक प्रस्ताव है।

2.24 म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 17 अप्रैल, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 17 अप्रैल, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) श्रीलंका में मारे गए भारतीय शांति सेना के कर्मियों के परिवारों को अधिक मुआवजा दिए जाने की मांग

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर (श्रीपेरम्बदूर) : हमारे देश को श्रीलंका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में सफलता प्राप्त करने के लिए भारतीय शांति सेना पर गर्व है। भारतीय शांति सेना के जवानों, अधिकारियों और अन्य रैंक के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति

किये गये बलिदान, अनुकरणीय साहस, धैर्य और निष्ठा सराहनीय है। भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों को सुरक्षा प्रदान की और श्रीलंका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय समस्या और गृह युद्ध समस्या समाप्त करने के लिए महान कार्य किया।

श्रीलंका में निर्दोष तमिलों की जानमाल की सुरक्षा करते हुए भारतीय सेना के लगभग 1155 जवानों ने बलिदान दिया।

भारतीय शांति सेना के लगभग 2500 सैनिकों की अन्तिम टुकड़ी, 25 मार्च, 1990 को भारत वापस लौटी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उस द्वीप से भारतीय शांति सेना के सारे जवानों को वापिस बुलाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया है। लेकिन भारतीय शांति सेना द्वारा की गयी सेवाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

अत: यह उचित होगा कि श्रीलंका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिन बहादुर सैनिकों ने लोगों की सुरक्षा के वास्ते अपना बलिदान दिया, राष्ट्र उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे। सरकार को मारे गये सैनिकों के शोक संतप्त परिवारों को, हाल ही में जिन परिवारों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है, के बराबर न्यूनतम राशि में वृद्धि करनी चाहिए।

(दो) कर्नाटक में टुमकुर और देवनगिरि के बीच सीधी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की मांग

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : टुमकुर और देवनगिरि के बीच बरास्ता अरासिकिरि, काडूर चिक्काजाजूरू एक चक्करदार लाइन है। टुमकुर और देवनगिरि के बीच बरास्ता सीरा, होरीयूर और चित्रदुर्ग, एक सीधी रेल लाइन के निर्माण करने का प्रस्ताव है। वास्तव में, कर्नाटक के रेल मानचित्र में यह रेल मार्ग नहीं है। इस सीधे रेल मार्ग के निर्माण से इन दोनों स्टेशनों के बीच की लगभग 100 कि०मी० की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा समय में भी लगभग चार घंटे की कमी होगी। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर भी भीड़भाड़ कम होगी, जहां पर प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती हैं और जानमाल की हानि होती है। बंगलौर और टुमकुर के बीच सीधी रेल लाइन पहले से ही विद्यमान है, इसलिए टुमकुर और देवनगिरि के बीच सीधी रेल लाइन के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सीधी रेल लाइन के निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।

(तीन) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कटला और पलाना नदियों पर बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बासवराज (टुमकुर) : उत्तर कन्नड़ जिले में कैसल रॉक के निकट पश्चिम घाटों से कटला और पलाना नाम की दो नदियां निकलती हैं। योजना में इन दोनों नदियों पर बांध बनाने, आन्तरिक सम्पर्क जल मार्ग का निर्माण करने और एक डाइवर्जन टनल बनाने का प्रस्ताव है। इससे इन दोनों नदियों का पानी समीप की काली नदी के बेसिन के पास सूपा जलाशय में भेजा जाएगा, ताकि वहां काली घाटी में विद्यमान और प्रस्तावित बिजली घरों में 100 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जा सके।

इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट परियोजना सी० ई० ए०/केन्द्रीय जल आयोग को जुलाई, 1985 में भेजी गयी थी और इस सम्बन्ध में विभिन्न निदेशालयों के मन्तव्य भी प्राप्त हुए हैं। चूंकि इसलिए

कूपा जलाशय की अतिरिक्त क्षमता है इसलिए यह योजना बहुत ही आकर्षक है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले।

(चार) कानपुर में पेयजल की समस्या दूर किए जाने हेतु वहां गंगा बांध का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री केसरी लाल (घाटमपुर) : सभापति महोदय, कानपुर जनपद की आबादी लगभग 40 लाख से भी अधिक है तथा यहां पर शहर और देहात दोनों ही जिलों में पानी की समस्या लगभग सदैव ही बनी रहती है। गर्मियों में यह समस्या अत्यन्त विकट हो जाती है तथा यहां पर जनसाधारण को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां तक शहर की समस्या का समाधान है इसका हल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कानपुर में गंगा बैराज का निर्माण नहीं हो जाता। इसमें जितना विलम्ब हो रहा है उतनी ही उसकी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां तक कानपुर देहात का प्रश्न है वहां भी समस्या अत्यन्त गम्भीर है। गर्मियों में कुएं एवं तालाब सूख जाते हैं तथा लोगों एवं मवेशियों को पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि कानपुर शहर में पानी की समस्या के स्थाई हल के लिए गंगा बैराज के निर्माण की योजना पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर इसको एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाये तथा देहात की जल समस्या के निदान हेतु वहां सूखा प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वेक्षण करा करके वहां पर ज्यादा गहरे तथा अनवरत जल प्रदान करने वाले नलकूपों की स्थापना की जाये।

(पांच) देश में 'ध्वनि प्रदूषण' को रोके जाने के लिए कानून बनाए जाने की मांग

श्री राजमंगल मिश्र (गोपालगंज) : सभापति महोदय, आज समूचे देश में ध्वनि प्रदूषण की समस्या विकराल एवम् भयावह बनी हुई है लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इसकी ओर नहीं गया है। शादी-ब्याह और अन्य अवसरों पर बिना वजह गैर-कानूनी रूप से लाउडस्पीकर बजाना आम जनता को परेशान करने जैसा है। इस स्थिति में विरोध प्रकट करने पर कहा जाता है कि दस दो-तीन दिन की ही बात है लेकिन ध्वनि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न नीतियां जो कि बहुत खुली हैं एवं इसका निरोधक कानूनी जो कि गैर प्रभावी है, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस विकलांग (बहरों) की संख्या में वृद्धि हो रही है एवं साधारण आदमियों की सुनने की शक्ति भी प्रभावित हो रही है। यदि पिछले दस साल का सर्वेक्षण किया जाय तो आपको इस मामले की गम्भीरता का साफ पता चल जायेगा। थाने अथवा डी० एम० के यहां से स्पीकर बजाने की अनुमति मिलती है वह भी थोड़े समय के लिए लेकिन लोग लाउडस्पीकर बजाते हैं तथा इसे अपनी शान में बढ़ोत्तरी मानते हैं।

अतः मैं पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ध्वनि प्रदूषण की विकराल समस्या एवं इसके प्रभावों को देखते हुए इसका एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए एवं इसे तुरन्त सख्ती से लागू किया जाए ताकि देश में ध्वनि प्रदूषण से और लोग प्रभावित न हों। इस कानून को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों समान रूप से लागू करें एवं सख्ती बरतें।

(छः) देश में हीरा उद्योग के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, लाखों लोगों को रोजी देने वाले हीरा उद्योग

से देश को वार्षिक 6000 करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मिलती है। आज देश का हीरा उद्योग सरकारी नीति की वजह से खत्म होने जा रहा है। जिस तरह से हीरा उद्योग पिछड़ रहा है कि 1990-91 में सरकार को केवल 3000 या 3500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ही मिलेगी। इतना ही नहीं, लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

हीरा उद्योग का सबसे भारी उत्पादन गुजरात में होता है। गुजरात के गांव-गांव में फैले इस उद्योग की सिकनेस की वजह से लाखों कामगार बेकार हैं। कई दिनों से यह हालात होने पर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया, यह गड़े दुःख की बात है।

सरकार की इस उद्योग की ओर उदासीनता की वजह से हीरा उद्योग चाइना, लंका वगैरह-देशों में जा रहा है। अतः लाखों लोगों को रोजगार के साथ अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा देने वाले उद्योग को बचाने के लिए सरकार से अनुरोध है कि इसकी ओर गम्भीरता से ध्यान दे। एक्सपोर्ट की आवश्यक सुविधायें दे, बिजली और पानी उपलब्ध कराये, पालिशिंग कास्ट कम करने के लिए सहायता करे और साथ-साथ सर्वग्राही समिति बनाकर इसके सुझावों का तुरन्त अमलीकरण। साथ में देश और गुजरात में हीरा उद्योग के कारीगरों और व्यापारियों को बुलाकर उनकी परेशानियां समझ कर दूर करने की कोशिश करें।

(सात) मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अधिक आर्थिक मदद दे। प्रदेश में गत वर्ष कम वर्षा होने तथा सितम्बर, 89 मानसून के अचानक कमजोर होने से मध्य प्रदेश के जिलों में खरीफ की फसलों को काफी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के 29 जिलों की 77 तहसीलों में सूखे की स्थिति विद्यमान है। वर्षा न होने के कारण प्रदेश के सभी जिलों में रबी की फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रदेश की दस लाख एकड़ से अधिक भूमि में रबी की बुवाई नहीं हो पाई है। प्रभावित क्षेत्रों में बोई गई फसल जमीन के पानी के अभाव मे नष्ट हो गई। खरीफ तथा रबी की फसलों को एक-जाई रूप से देखा जाए तो प्रदेश की 86 तहसीलो में सूखे की स्थिति व्याप्त है। खरीफ के नजरी अनुमान के आधार पर सूखा राहत तथा पेयजल संकट दूर करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा ठोस व कारगर कदम नहीं उठाए तो भविष्य में भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जल संकट को प्राथमिकता क्रम में पैसा लगाना चाहिए तथा आधुनिक तरीके अपनाकर भूमि के अन्दर के पानी के भण्डार को बढ़ाने तथा रिंग सिस्टम विकसित करने की तुरन्त कोशिश करनी चाहिए। जनता शासन की पूर्व योजना काम के बदले अनाज योजना तुरन्त प्रारम्भ किए जाए। पानी के अभाव में हजारों पशु मर रहे हैं, यदि तुरन्त प्रभावी कदम न उठाए गए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

सभापति महोदय : एम्बुलेन्स वर्जन ही रिकार्ड में जाएगा।

(आठ) जम्मू क्षेत्र में काम पर लगाए गए सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों को सेवाओं को नियमित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : महोदय, सीमा सड़क संगठन के जम्मू क्षेत्र में काफी

समय से एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। इस क्षेत्र में लगभग 12000 श्रमिक काम कर रहे हैं। उनमें से अनेक श्रमिक अभी तक अस्थायी हैं जबकि वे इस संगठन में 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को स्थायी न करने के लिए अधिकारियों ने यह तरीका अपनाया है कि प्रत्येक छः महीने के बाद इन श्रमिकों की सेवा में व्यवधान कर देते हैं। गत संसदीय चुनाव के दौरान अपना मतदान करने के लिए सायं 3 बजे काम से जल्दी चले जाने के कारण इन श्रमिकों का वेतन काट लिया गया था।

महोदय, यह बहुत ही अनुचित बात है कि इन श्रमिकों को जोकि सीमा सड़क संगठन में 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और बारहमासी स्वरूप का कार्य कर रहे है, अभी तक स्थायी नहीं किया गया है उन्हें एक कर्मचारी को मिलने वाले सभी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इससे इन लोगों के भविष्य के बारे में गम्भीर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। वे इस अन्याय के विरुद्ध काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं किन्तु उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन कर्तव्यनिष्ठ श्रमिकों को अविलम्ब न्याय प्रदान किया जाए।

— — — —

2.40 अ०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

मानव संसाधन विकास मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय: अब हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करते हैं। माननीय कुसुम कृष्ण मूर्ति बोलेंगे।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : धन्यवाद, सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मन्त्रालय है मानव संसाधन विकास की मूल धारणा यह थी कि इसके द्वारा वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किए जाएं और यह उद्देश्य शिक्षा, बाल विकास, महिला विकास तथा सम्पोषण जैसे विभिन्न विभागों, जोकि मानव घटक के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, के बीच समन्वय और एकरूपता लाना है मुझे यह जानकर बहुत ही संतोष हुआ है कि सरकार ने मानव घटक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है जो विशेषत: भारत जैसे विकासशील देश में राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्य-कलाप के लिए आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि सही आदमी सही कार्य करता है। अत:, किसी राष्ट्र में किसी भी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए मानव संसाधन ही वास्तविक संसाधन होता है। शायद यही कारण था कि जब यह मन्त्रालय बनाया गया था, तो इसका कार्यभार श्री पी० वी० नरसिंह राव, जो प्रगाढ़ अनुभव रखने वाले महान विद्वान हैं, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा गया। केवल इतना ही नहीं, उन्हें दो योग्य राज्य मन्त्रियों की सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी और जैसे ही यह मन्त्रालय बना, बजट आबंटन को बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया। इससे पता लगता है कि पिछली सरकार द्वारा इस मन्त्रालय को कितना अधिक महत्व दिया गया था। दुर्भाग्यवश, वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासनकाल में मानव घटक का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। सम्भवत: कुछ न करने की प्रक्रिया में वे पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों और इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय के मूल्य की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे है और अभी तक इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय का स्वतन्त्र प्रभार सम्भालने वाला कोई मन्त्री ही नियुक्त नहीं किया गया है। मैं

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

इस तथ्य का साक्षी हूं क्योंकि चालू सत्र में 19 मार्च, 1990 को इस में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा दसवीं कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों की सप्लाई किए जाने में विलम्ब होने के महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित जब मेरा एक तारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के लिए आया, तो वास्तव मे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी मन्त्री मौजूद नहीं था। महोदय, जैसाकि आपको पता है, सरकार से प्रश्न पूछना ससद सदस्य का एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है और तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से प्रश्न करने का हमें बड़ी मुश्किल से ही अवसर मिलता है। जब सरकार सही तरीके से उत्तर नही देती है, तो संसदीय लोकतंत्र एक बड़ा मजाक बनकर रह जाता है। उस दिन यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि प्रभारी मन्त्री प्रो० एम० जी० के० मेनन के स्थान पर उनकी ओर से एक अन्य प्रभारी मन्त्री उत्तर देने के लिए आया। प्रो० एम० जी० के० मेनन यहां हैं, जो कि एक विद्वान व्यक्ति है, मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हू, लेकिन वे मन्त्रालय के अकेले ही प्रभारी मंत्री है। उस दिन, माननीय मन्त्री, श्री कोटाडिया उत्तर देने के लिए आये और बड़े आश्चर्य की बात है कि वे न तो हमारे अनुपूरक प्रश्नों को समझ सके और न ही उनका उत्तर दे सके। प्रश्न राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के बारे मे था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद मे मेरी रुचि गत दिसम्बर, 1977 से बनी हुई है क्योंकि यह सबसे निचले स्तर पर शिक्षा की ओर ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण सस्था है। अतः, मेरी इसमें गहरी रुचि है। लेकिन हताश करने वाली बात यह है कि इसके कार्यकरण मे मुझे अधिक सुधार दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि जब मैंने वह प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर यदि गुमराह करने वाला नही, तो टालने वाला अवश्य दिया गया था। और जब मैंने पाठ्यपुस्तकों की समय पर सप्लाई किये जाने के बारे मे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई विलम्ब नहीं है। दरअसल में मैं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश की प्रबन्ध समिति का एक सदस्य हूं। विद्यालय के कर्मचारी तथा प्रधानाचार्य मुझसे अक्सर यह शिकायत करते हैं कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकें समय पर नहीं मिली। उन्होंने इसके लिए भारी संघर्ष किया और कष्ट झेले है। यह उनके कार्य करने का तरीका है। वे समय पर पाठ्यपुस्तके तैयार नहीं करते, और यहां तक कि जब वह पाठ्यपुस्तकें तैयार करते है तो उनमें अशुद्धियों की भरमार होती है। उन्होंने शुद्धि-पत्र पर शुद्धि-पत्र तैयार करने में चिरस्मरणीय रिकार्ड बनाया है। मैंने इस महीने की 16 तारीख को भी एक और तारांकित प्रश्न पूछा था। यह इस प्रकार था कि क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान तथा प्रशिक्षण परिषद से सम्बन्धित अपनी नवीनतम रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है तो इसका उत्तर बड़ा ही रोचक दिया गया। वस्तुतः नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को इंगित किया था। उन्होंने इसे बहुत ही सहजभाव से लिया और उनका उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बन्ध में था। एक मुद्दा लाभ और घाटे का लेखा-जोखा तैयार करने के बारे में है, दूसरा मुद्दा विज्ञान वर्कशाप विभाग की समीक्षा न किए जाने के बारे है और तीसरा स्टोरों की वास्तविक जांच के बारे में है। चौथा मुद्दा सामग्री को अन्तिम रूप देने से सम्बन्धित प्रगति पर निगरानी रखने के बारे में है और पांचवां मुद्दा यह है कि वर्कशाप विभाग लेखा नहीं रखता है। वस्तुतः नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह एकदम स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नए 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या की आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है। दूसरा मुद्दा यह है कि नामांकित शिक्षकों में से केवल 30 प्रतिशत शिक्षक ही पाठ्यक्रम पूरा कर सके है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में बताया गया है कि

2000 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए वर्ष 1976 से पांच वर्षीय कार्यक्रम भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसंधान करने वाले केवल 90 केन्द्र कार्य कर रहे थे जबकि ऐसे 432 केन्द्र खोले जाने का अनुमान था। इसके अतिरिक्त, 26 लाख रुपए मूल्य की सामान्य पुस्तकों की 2.80 लाख खंड प्रतियां पांच वर्षों से भी अधिक समय से अनाबिकी पड़ी हुई हैं। परिषद के पास 12 लाख रुपए मूल्य की 3.88 लाख पुरानी पुस्तकें भी स्टाक में पड़ी हुई हैं। दो से अठारह वर्षों के विलम्ब के बाद भी लगभग 93 अनुसंधान परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। मार्च, 1979 में स्वीकृत एक परियोजना अभी तक पूरी नहीं की गई और सम्बन्धित व्यक्ति 1984 में सेवानिवृत्त हो गए। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। लेकिन तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय, राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने हमेशा इस सभा को या तो उत्तर नहीं दिया है अथवा गुमराह किया है। अतः, माननीय प्रभारी मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करें। यह प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और शिक्षा में नवीनता लाने का कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है।

महोदय, हम बात करते हैं कि बच्चे इस राष्ट्र की सबसे बड़ी परिसम्पत्ति हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब उनके लिए पाठ्यचर्या निर्धारित किये जाते हैं, तो उनका उचित रूप से गम्भीरता से संचालन नहीं किया जाता है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने इसे उपहास का रूप दे दिया है। अतः, मैं मंत्री जी से जोर देकर अनुरोध करता हूं कि वे वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करें और इस बात की ओर ध्यान दें कि इसमें सुधार के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

महोदय, अब मैं शिक्षा के अन्तर्गत एक अन्य स्वायत्त निकाय अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बोलना चाहूंगी। उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित करने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान की गयीं और लगभग 35 वर्ष पूर्व उच्चतर शिक्षा-सम्बन्धी शक्तियां प्रदान करने के लिए संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम बनाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कृत्य समन्वय स्थापित करना तथा उच्चतर शिक्षा के लिए मानदण्ड निर्धारित करना है।

किन्तु, दुर्भाग्य से, यह ठीक से कार्य नहीं कर रहा। कल, मेरे मित्र श्री सोज बता रहे थे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निष्क्रिय-सा हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को केवल धन बांटने के कार्य में लगा हुआ है। अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राष्ट्र की आशाओं के अनुरूप बनाने के लिए मेरा सरकार से जोरदार आग्रह है कि त्रुटियों की जांच करने एवं इनमें शीघ्र सुधार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाये।

यह अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष है तथा 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' के अन्तर्गत हमने प्राथमिक शिक्षा को अपने सभी नागरिक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित देशों में माध्यमिक शिक्षा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, जबकि हमारा लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों तक पहुंचाना है और अभी इसे प्राप्त किया जाना है। हमारा देश पिछड़ा हुआ है। हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा निरक्षर देश है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारे ही देश में सबसे अधिक संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं तथा यह सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। अतः, हमारा लक्ष्य निरक्षरता और गरीबी को समाप्त करना और जनसंख्या

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

वृद्धि रोकना तथा अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करना होना चाहिए। आप कार्यक्रम और नीतियां तैयार करते हैं, तो लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप धन-राशि का वास्तविक आबंटन करेंगे। रक्षा मद की तुलना में शिक्षा मद में जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, मेरे अनुमान में हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 3 प्रतिशत नियत किया जाता है रक्षा के मामले में यह 40 प्रतिशत से भी अधिक है। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए खतरा बन गया है तथा यह परमाणु शस्त्रों से भी अधिक गम्भीर और खतरनाक है जब तक जनसंख्या वृद्धि पर कड़ाई से रोक लगाई जाएगी, तब तक हम चाहे कितनी ही प्रगति क्यों न कर लें, जनसंख्या-वृद्धि के कारण यह निरर्थक ही साबित होगी। अतः, रक्षा के बाद शिक्षा को ही दूसरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी हम प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

बाल विकास के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यहां 27 करोड़ से भी अधिक बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के है। हमने उन्हें पोषक आहार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं। किन्तु, कार्यक्रमों के अनुसार, समुचित धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है। महिला विकास सम्बन्ध में भी, हमें प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1981 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं में साक्षरता 17 प्रतिशत है जबकि पुरुषों में साक्षरता 47 प्रतिशत है। महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता में तेजी के सुधार किए जाने की आवश्यकता है और ऐसा तभी संभव है जब आप पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं पर भी समान रूप से ध्यान दें।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं देश के एक महत्वपूर्ण और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि दक्षिण के साथ पत्राचार केवल हिन्दी में किया जाना चाहिए। यह एक अति गंभीर मामला और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि इस प्रकार की अनुत्तरदायी पूर्ण बातों पर शीघ्र रोक न लगायी गयी, तो राष्ट्र को इसके लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। हम संस्कृत अथवा किसी अन्य भाषा को प्रोत्साहन दे सकते हैं। लेकिन हिन्दी पर अधिक जोर दिया जाना राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। मुझे पता है कि दक्षिण में भी हिन्दी के अच्छे और अनेक विद्वान् हैं और दक्षिण में हमारे लोग भली भाँति हिन्दी सीख रहे हैं। किन्तु, जब हिन्दी को लादने का प्रश्न आता है, तो यह मामला गम्भीर हो जाता है तथा राष्ट्र को इस पर अति गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अतः हिन्दी को इस प्रकार लादने के निश्चय पर तत्काल रोक लगायी जानी चाहिए।

अतः, मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि न केवल कार्यक्रम और नीतियां तैयार की जायें तथा धनराशि आबंटित की जाये, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाये कि इन कार्यक्रमों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पर सही ढंग से निगरानी भी रखी जानी चाहिए ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या इनके परिणाम उन व्यक्तियों तक पहुच रहे हैं जिनके लिए ये अभिप्रेत हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मानव संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है···

सभापति महोदय : मैं कहना चाहूंगा कि आप समय की पाबन्दी का ध्यान रखें। आपकी पार्टी

के चार सदस्य बोल चुके हैं और पांच और बोलना चाहते हैं, पार्टी के पास केवल 35 मिनट का समय बचा है, उसके मुताबिक बोलें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : ठीक है मैं केवल पाइंट रखना चाहूंगी, अगर समय नहीं है। मुझे इतना ही कहना है जब हम मानव संसाधन मंत्रालय की बात करते हैं, सम्पूर्ण मानव के विकास की बात हम इसके द्वारा करते हैं। एक इकाई के रूप में जिस प्रकार पण्डित दीन दयाल जी उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद की बात की है जब इस प्रकार की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात बार-बार की जाती है। लेकिन शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात करते समय कभी यह नहीं देखते हैं कि सम्पूर्ण मानव का विकास होगा या नहीं। जब मानव विकास की बात आती है तो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बातें सामने आती हैं। मानसिक विकास में मन, बुद्धि और वाणी ये तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसमें बुद्धि के साथ-साथ वाणी का भी अपना प्रभाव होता है। अगर वाणी शुद्ध हो तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है अपने तथा दूसरों के मन पर भी पड़ेगा। इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति में संस्कृत के अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया है। केवल वाणी शुद्ध होने की ही बात नहीं है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं और सम्पूर्ण विकास की बात करते हैं उसमें हमें अलग-अलग विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम संस्कृत का अध्ययन जारी रखें और उसको महत्व मिले तो सम्पूर्ण विकास में पूरे विश्व के दायरे में आगे आ सकते हैं, ऐसा मेरा कथन है। इसलिए पुष्टि के लिए मैं कहना चाहूंगी जैसे अलग-अलग विषय हैं भौतिक विज्ञान है, इसमें हम आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो ग्रन्थ वैशेषिक ग्रन्थ संस्कृत में लिखा गया है, आयुर्वेद में, चिकित्सा पद्धति में हम अगर आगे जाना चाहेंगे तो वह ग्रन्थ भी संस्कृत में है। नाट्य शास्त्र जो कि जीवन के विकास में सहयोग देता है उसमें भी हम देखेंगे कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ है, वह भी संस्कृत में है। राजनीति शास्त्र में हम आगे जाना चाहते हैं, जिसके बारे में हम यहां बैठकर पूरे देश की बात करते हैं और बार-बार चाणक्य का उदाहरण दिया जाता है तो यह चाणक्य नीति जिसके आधार पर हम देश की राजनीति तय करना चाहेंगे वह ग्रन्थ भी संस्कृत में है। अगर इस देश का भूगोल हम जानना चाहेंगे तो वाल्मिकि रामायण जैसा दूसरा ग्रन्थ नहीं मिलेगा जिसके आधार पर पूरे भारत के भूगोल को जाना जा सके। वैदिक गणित अमरीका और दूसरे देशों में इस पर बहुत हो रही है और प्रचार किया जा रहा है जिसका प्रवाह वास्तव में हमारे देश में प्रस्फुटित हुआ था, उसको हम भूलते जा रहे हैं। मनुष्य का दिमाग अपने आप में एक कम्प्यूटर है। अगर वैदिक गणित बच्चों को पढ़ाया जाये तो बिना कैलक्यूलेटर के कम्प्यूटर से भी तेज मनुष्य का दिमाग इस विषय में कार्य करेगा। माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि एक भाषा जो कम्प्यूटर में बोली जाती है जहां तक मेरा अपना ज्ञान है एक वैज्ञानिक ने यह कहा है कि कुछ सालों बाद यह हो सकता है कि कम्प्यूटर केवल संस्कृत भाषा में ही बोलेगा या संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो कम्प्यूटर की पूर्ण भाषा हो सकती है। मैं चाहूंगी ऐसे में जो हमारी शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति पर पूरे भारतीय दर्शन को ध्यान में रखते हुए हम इस पर विचार करें। मानव संसाधन में पुस्तक संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने देखा है कि इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। एन० सी० ई० आर० टी० जिन किताबों को छपवाती है स्कूलों के लिए, कई बार ऐसा लगता है कि भारत के बच्चों के लिए किताबें नहीं छपवाई गई हैं। बचपन में जैक एण्ड जिल के गाने बच्चों से गवाए जाते हैं बजाय उसके भारतीय जमीन से जुड़े गीत या संस्कृत श्लोक पठन में आये, तो वाणी के साथ-साथ मन भी संस्कारित होगा।

3.00 म० प०

एन० सी० ई० आर० टी० किताबें देखकर यह प्रश्न मन में उठता है, क्या यह कोई विदेशी

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

बच्चों के लिए छपवायी गयी हैं ? स्कूली बच्चों के लिए जो किताबें छपवायी जाती हैं, उनमें अपने भारतीय लोगों के कई बार नाम तक या उनके नाम पर आधारित विषय तक नहीं रहते हैं । मैंने देखा है कि पं० मदनमोहन मालवीय, जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वीर सावरकर या अनेक कवि साहित्यकार का भारतीय स्कूली शिक्षा की किताबों में कहीं भी उल्लेख नहीं है । इसका क्या कारण है ? मैं नहीं समझती हूं । लेकिन स्कूलों के लिए जो किताबें छापी जाती है, इनमें कहीं भी भारतीय दृष्टिकोण अपनाया हुआ नजर नहीं आता है । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी ।

दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि स्कूली किताबों के अलावा जो अन्य किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है, इनमें भी भारतीय दर्शन को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए और भारतीय लेखकों को महत्व मिलना चाहिए, उनके इतिहास को महत्व मिलना चाहिए । इन सारी बातों को देखते हुए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब तक ज्यादा मात्रा में किताबें नहीं छापी जायेंगी । भारतीय इतिहास को ज्यादा उजागर नहीं करेंगी, तब तक आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ नहीं

3.02 म० प०

[श्री निर्मल कांति चटर्जी पीठासीन हुए]

सीख पायेंगी और नहीं तो एक समय ऐसा आयेगा कि भारत का इतिहास, भारत की राजनीति और जो कुछ भी भारत का है, वह केवल डिस्कवरी आफ इंडिया तक ही सीमित रहेगा, मानो यही सब कुछ है या जैसा अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो इतिहास बदलने की एक प्रकार की बात थी—मुहम्मद बिन कासिम, जिसने सिन्ध पर हमला किया था और दाहिर राजा की कन्या को आत्मसमर्पण करना पड़ा या जान देनी पड़ी जो उस मुहम्मद बिन कासिम के लिए कहा गया वह हमारे मित्र के रूप में आया था । इसी प्रकार से बात होती है तो अगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे और जो किताबें छपाई जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए और अगर यह नहीं करेंगे तो इस प्रकार का केवल इतिहास बाकी रहेगा जो पूरे भारत के लिए हानिकारक रहेगा, ऐसा मेरा मत है ।

एक बात और मैं कहना चाहूंगी और मैं ही नहीं सभी का यह मत है कि यह शिक्षा केवल बाबू निर्माण करने वाली शिक्षा है । यह बात केवल बोलते जाते हैं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति दी, उसी को हम आगे चला रहे हैं । तो यह जो शिक्षा है, व्यवसाय उन्मुख बन जाए ताकि शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाये और जो डिग्री का महत्व है, उसे कम करने के लिए उस दृष्टिकोण से कुछ उपाय सोचें, ऐसा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं । महिलाओं की जब बात होती है, उनके आगे बढ़ने की बात होती है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों की बात होती है लेकिन अगर स्कूलों की दृष्टि से देखें तो लड़कियों का ड्राप आउट सबसे ज्यादा है । टैक्नीकल एजुकेशन में भी अगर देखेंगे तो स्त्रियां उसमें आगे हैं । हर क्षेत्र में वे आगे आना चाहती हैं, आगे आ भी सकती हैं लेकिन हिन्दुस्तान की पालीटैक्नीक संस्थाओं को अगर हम देखेंगे तो मेरे खयाल से मुझे जितना ज्ञान है, देश में ऐसी संस्थाओं की संख्या केवल 42 है । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी और यह चाहूंगी कि यह केवल एक स्कूली शिक्षा महिला पोलिटैक्नीक खोलने की दृष्टि से प्रयास हो या केवल कुछ किताबें उपलब्ध कराने की बात नहीं है तो सम्पूर्ण मानव की निर्मिती के दृष्टिकोण से इस विषय पर

सोच रहे हैं। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से मानव का पूरा विकास मन शरीर और बुद्धि — इन तीनों तरह से हो जाये, ऐसा दृष्टिकोण और ऐसा विषय हमें सोचना चाहिए। मैंने देखा है कि शिक्षा पर जितना बजट में प्रावधान होना चाहिए, उतना नहीं है और जितना खर्चा होना चाहिए वह भी नहीं होता है। या सही रूप से नहीं होता है। मैं इन सब बातों को मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहती हूं।

श्री चित महाता (पुरुलिया) : सभापति जी, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के संदर्भ में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इन मांगों के समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसमें शिक्षा, संस्कृति, कला, महिला तथा बाल विकास के साथ-साथ युवा कार्य और खेलकूद भी शामिल हैं।

यह सर्व विदित है कि भारत शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ देश है। बड़े दुख की बात है कि आजादी के 42 वर्ष बाद भी आज हमारे देश में शिक्षा की अवस्था और व्यवस्था बड़ी दयनीय है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोटल प्लान आउटले का 7.6 प्रतिशत शिक्षा के लिए रखा गया था जो कालान्तर में घटते-घटते सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3.6 प्रतिशत मात्र रह गया। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में टोटल प्लान आउटले का 6 प्रतिशत भाग शिक्षा के विकास के लिए प्रावधान करने की रिकमैंडेशन की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि पिछली सरकार ने शिक्षा को उतनी प्रियोरिटी नहीं दी, जितनी दी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारी मौजूदा सरकार, नेशनल फ्रन्ट की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देगी क्योंकि इनके इलेक्शन मैनीफैस्टो में भी कहा गया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में टोटल प्लान आउटले का 6 प्रतिशत भाग आवंटित करेंगे।

अब मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आजादी के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक नेसेसिटी या बेसिक अमैनिटीज तक नहीं हैं, जैसे पक्का भवन, पीने के पानी की व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों का न होना। पांचवें आल इंडिया एजूकेशन सर्वे में कहा गया है कि दो लाख प्राथमिक विद्यालयों में पक्के भवन नहीं है, 71 हजार प्राथमिक विद्यालय आज भी पेड़ों के नीचे या टैंटों झोंपड़ियों में या कच्चे घरों में चलते हैं। देश भर में केवल 46,410 प्राथमिक विद्यालयों में पक्के भवन हैं जबकि 40 हजार विद्यालयों के भवन नहीं हैं। 50 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और केवल 15 प्रतिशत स्कूलों में यूरिनल की व्यवस्था है। 41.5 प्रतिशत विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड नहीं हैं और 71.6 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय की कोई व्यवस्था नहीं है। पच्चीस प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक है, जिसे एक साथ चार-चार कक्षाओं को पढ़ना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि वह कितना मुश्किल काम है। मेरा मत है कि एक शिक्षक चार कक्षाओं को पढ़ा ही नहीं सकता। यदि किसी कारण शिक्षक अनुपस्थित हो जाता है तो उस विद्यालय को बन्द करना पड़ता है। इसलिए देश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सर्वप्रथम इन समस्याओं को हल करना होगा।

विगत तीन सालों से सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत कहीं एक शिक्षक, कहीं दो शिक्षक, स्कूल का पक्का भवन होना अनिवार्य है, जिसमें दो बड़े कमरे और एक बरामदा हो। इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिस धीमी गति से इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को चलाया जा रहा है, वह बहुत असन्तोषप्रद है और इसे पूरी तरह लागू करने में वर्षों लग जायेंगे, इसलिए बधाई देने से पहले

[श्री चित महाता]

थोड़ा हिचकता हूं। मेरा सुझाव है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को तेजी से चलाया जाये ताकि हमारा लक्ष्य 1995 तक पूरा हो सके।

हमारा लक्ष्य 1995 तक पूरा होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में वातावरण ठीक न होने के कारण स्कूल में भर्ती होने के कुछ दिन बाद ही लड़के स्कूल छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 100 बच्चे यदि स्कूल में भर्ती होते हैं, तो 45 बच्चे पांचवीं कक्षा तक, 35 बच्चे छठी कक्षा तक पहुंचते हैं और ऊंची क्लास की तो बात ही नहीं है। यह ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और गरीब वर्ग के बच्चों के कारण होता है। अनुसूचित जाति के 15.92 और अनुसूचित जनजाति के 7.4 परसेंट बच्चों की ड्राप-आउट रेट है। ज्यादातर ऐसा पिछड़े वर्ग, निर्धन परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लड़कों के बारे में होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गरीब और अशिक्षित परिवारों के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके माता-पिता यह समझते हैं कि बच्चों को लिखाना-पढ़ाना बेकार है और घरेलू कामों में उनको लगा देते हैं और इस प्रकार से बच्चे पढ़ने की बजाय उनको काम में मदद देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से ड्राप-आउट रेट को कम करने के लिए और बिल्कुल खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिएं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निर्धन और एस० सी० एस० टी० तथा छोटे-छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए ताकि ये लोग अपने बच्चों को घर के कामों में न लगाकर, पढ़ाएं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि लैण्ड रिफार्म एक्ट सख्ती से लागू करना चाहिए क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और लैण्ड रिफार्म लागू करने से भारत के गरीब और छोटे किसान तथा खेतीहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायेगी, नहीं तो प्लानिंग करना बेकार है।

महोदय, हमारे पश्चिमी बंगाल में स्कूल में बच्चों को ड्रेस और पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। इसलिए ड्राप-आउट की संख्या घट रही है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। केरल में ड्राप-आउट की संख्या बहुत कम है।

अन्त में, मैं नई शिक्षा नीति के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। पिछली सरकार ने नई शिक्षा नीति अपनाई थी, इसको सुधारना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक-एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की शुरुआत हुई है। सरकार का कहना है कि इसमें प्रतिभावान लड़के अच्छी शिक्षा पायेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े-बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर आफीसर बन जायेंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही इसका विरोध किया है। पश्चिमी बंगाल, तामिलनाडु और असम राज्यों में नवोदय विद्यालयों का विरोध हुआ है। इनमें किस जगह के लड़के आते हैं, किस परिवार के लड़के आते हैं, यह 1987-88 के टैस्ट एडमिशन से पता चल जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस घराने के लड़के इनमें सफल हो रहे हैं। देखने में आया है कि 47.6 प्रतिशत लड़कों के माता-पिता शिक्षित और सरकारी सर्विस वाले हैं, 10 प्रतिशत बिजनेसमैन कम्युनिटी के हैं और 25 प्रतिशत बड़े-बड़े किसानों के लड़के हैं। केवल 18 प्रतिशत मजदूर वर्ग के हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि नवोदय विद्यालय केवल गांवों में शिक्षित और अमीर किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाये जा रहे हैं। आज के नवोदय विद्यालय भविष्य के ग्रामीण पब्लिक स्कूलों में रूपान्तरित हो जायेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमको क्वालिटी नहीं चाहिए। हमको क्वालिटी के साथ-साथ क्वांटिटी भी चाहिए। इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि

नई शिक्षा नीति को रैक्टीफाई, रिवाइज और रिव्यू करना चाहिए। सभी वर्ग के बच्चों के लिए एक ही स्टेन्डर्ड और टाइप के स्कूल होने चाहिए।

मेरा एक सुझाव है कि पिछड़े क्षेत्रों में प्राइमरी रैजीडैन्शल स्कीम के अन्तर्गत विद्यालय खोले जायें ताकि उसमें गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के बच्चे ही प्रवेश पा सकें और मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। संविधान में प्रावधान है कि चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन किया जाए। इसलिए प्रारम्भिक शिक्षा को फ्री करना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार इसको फ्री और कम्पलसरी नहीं कर पायी है। मैं कहना चाहता हूं कि एक जैसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए और पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा को हटा देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं इस अवसर के लिए आपका आभारी हूं। वास्तव में, पहले मेरे पास इसी मन्त्रालय का कार्यभार था।

महोदय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का कार्यभार नियमित रूप से एक मंत्री के पास न होने के बारे में कुछ आलोचना सुनने में आई है। यह चर्चा यहां भी हुई है तथा सदन के बाहर भी हुई है। मेरा थोड़ा अलग सा दृष्टिकोण है। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री महोदय ही मानव ससाधन विकास के प्रभारी हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि वे आगे भी इसका कार्यभार सभाले रहेंगे। इसी विश्वास पर मेरा तर्क आधारित है और मैं इस व्यवस्था में कोई दोष नहीं निकालना चाहता, जब तक वे ऐसा चलाते रहें चलायें, यह अच्छी बात है। दूसरी ओर प्रो० मेनन नाम मात्र के प्रभारी है और नाम मात्र का यह प्रभारी उतना असुरक्षित नहीं है जितना कि किसी को आशंका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के प्रभारी बने रहें। मैं जानता हूं कि जब राज्य स्तर पर किसी विषय का कार्यभार मुख्यमंत्री के अधीन होता है तो उक्त विभाग की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती है। यही कारण है कि मैं प्रधानमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वे इस मन्त्रालय के प्रभारी बने रहें। वास्तव में मुझे बड़ी निराशा होगी। यदि आगामी 24 अथवा 48 घंटों में हम किसी ऐसे व्यक्ति के नियन्त्रण में इस मंत्रालय को पाते है जो शिक्षा और मानव संसाधन विकास के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हो। हम सभी अज्ञानता के वश मे है। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है और इससे भी बदतर स्थिति तो यह है कि, 'इस बात को कौन नहीं जानता कि वह अमुक विषय से अनभिज्ञ है" मैं यही उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय इस पहलू पर गौर करेंगे क्योंकि निष्पक्ष दृष्टिकोण से, मंत्रालय के दृष्टिकोण से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रभारी कौन होगा। इसलिए उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वे इस मंत्रालय को अपने नियंत्रण मे रखें और उनका अगला कदम वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति की तलाश करना हो जिसे शिक्षा के प्रति कुछ सहानुभूति हो, जिसकी कुछ शैक्षिक पृष्ठभूमि हो तथा प्रभारी व्यक्ति के रूप में मैं प्रो० मेनन का स्वागत करता हूं क्योंकि उन्हें नई शिक्षा नीति के सृजन में अपना योगदान देना है। कोई उन्हें इसकी प्रारम्भिक अवस्था के बारे में नहीं बताएगा। वे इसमें एक भागीदार बन गए है, उन्हें इसके लिए जनराशि प्राप्त करने मे, उक्त नीति को भली-भांति विचार-विमर्श करके तैयार करने में तथा इस पर पूरी तरह से विचारों का आदान-प्रदान होने के बाद ही इसे प्रस्तुत करने मे सम्बन्धत काम करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि निसन्देह मैं प्रधानमंत्री महोदय का कोई सलाहकार नहीं हूं— लेकिन मेरी अभिलाषा है और मैं समझता हूं कि मुझे अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है कि यह

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाये जिसकी सुगठित विचारधारा ही न हो बल्कि जो इस बालक को जो अभी अपनी शैशवास्था में ही है पोषित करने में भी गतिशील हो।

महोदय मैं नई शिक्षा नीति के कार्यकरण के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का तात्पर्य शिक्षा के स्तर पर मानव विकास मंत्रालय का पूर्ण तरह सक्रिय हो जाना है और निसन्देह अन्य सभी समेकित कार्यक्रमों का लागू किया जाना है जिनका सुझाव नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत दिया गया है। मैं प्रो० मेनन से यही आश्वासन चाहता हू कि मानव संसाधन विकास की संकल्पना ऐसी नहीं हो कि पहली दृष्टि में ही पुराने शासन में किए गए कार्यों को अस्वीकार करने लगे। मुझे प्रो० मेनन को इसकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार करते समय वे स्वयं उपस्थित थे। लेकिन मुझे अन्य माननीय सदस्यों को इसकी याद दिलानी है। मुझे वे परिस्थितियां स्पष्ट रूप से याद हैं। हमने कई महीनों तक समूचे देश में इस विषय पर विचार-विमर्श किया था। इस नीति को तैयार करने में हमें एक वर्ष से अधिक समय लगा और इस नीति को समूचे याद की अनुमति प्राप्त है। इसलिए मैं सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि मानव समाधन विकास की मूल अवधारणा में, जिस पर वास्तव में गम्भीरता से विचार किया गया और जिसे वर्ष 1985-86 में एक संगठित और व्यवस्थाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया, कोई हेर-फेर नहीं किया जाएगा, इसे तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाएगा।

सरकार इस अवधारणा में विश्वास करती है कि बच्चे को विकास की पावन शिक्षा प्रदान की जाएगी ; बच्चे को केवल एक छात्र के रूप में ही नहीं किया जाना चाहिए कि उसे अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। उसके साथ एक मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए जिसे विभिन्न प्रकार की सक्षमताओं और लक्ष्यों को लेकर एक पूर्ण नागरिक के रूप में उभरना है। इस शिक्षा नीति ने इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के चित्रण से किस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित किया जाएगा। हम सभी ने कहा कि— जब मैं 'हम' शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका तात्पर्य एक पार्टी से नहीं है बल्कि समूचे राष्ट्र से है —समूचे राष्ट्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी सहमति दी है। इस नीति का सूत्र-पात पहली शिक्षा नीति के 18 वर्ष बाद हुआ।

हमारी पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में बनी थी। दूसरी नीति इसके 18 वर्ष बाद बनायी गयी। कभी-कभी मुझे लगता है कि हमें तीसरी नीति बनानी पड़ेगी। यदि इसकी पुनरीक्षा करनी पड़ी तो पुनरीक्षा का प्रावधान नीति में ही दिया गया है। इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस नीति में, यदि आप चाहें, तो मध्यवर्ती मूल्यांकन हो सकता है लेकिन हमें शिक्षा नीति के मौलिक सिद्धान्तों में हेर-फेर नहीं करना चाहिए। यदि प्रो० मेनन ऐसा आश्वासन की अति प्रशंसा करूंगा। इस नीति में भावी सरकारों और इस नीति को कार्यान्वित करने वाली सरकार के लिए कतिपय कठोर अभिदेश निहित हैं। हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति सातवीं योजना के मध्य में आयी। हमारे लिए, संसद के लिए सरकार के लिए और किसी के लिए भी वर्ष 1968 में निर्धारित परिव्यय तक पहुंचने के बारे में सोचना सम्भव नहीं था। उनके परिव्यय का बार-बार उल्लंघन किया गया, उसमें बार-बार कटौतियां की गयी और वर्ष 1985 में हमने पाया कि हम राष्ट्रीय आय के तीन प्रतिशत तक भी मुश्किल से पहुंच सकते हैं। योजना के मध्य में इसे छः प्रतिशत तक बढ़ाना सम्भव नहीं था। इस विषय पर काफी वाद-विवाद हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इस विषय पर चर्चा करने में काफी समय लगाया। एक निराशा और संशय का वातावरण था। इस सभा में, दूसरी सभा में प्रत्येक जगह तथा

सभी मंचों पर प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, केवल यही शब्द, पावन शब्द और पावन इरादे हैं कि ठोस रूप में कुछ होने वाला नहीं है। तत्पश्चात वर्ष 1986-87 में शिक्षा सम्बन्धी परिव्यय 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 825 करोड़ रुपया हो गया जो कि किसी भी विषय पर, रक्षा सहित किसी भी कार्यक्रम पर अप्रत्याशित बढ़ोतरी है।

यहां तक रक्षा परिव्यय में भी इतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए कम से कम तत्कालीन सरकार ने इसमें अपनी उत्सुकता दिखाई कि उन्हें केवल शब्दों का हेर-फेर ही नहीं करना है, ये केवल पावन इरादे ही नहीं जिन्हें इस नई नीति में अन्तर्निहित करना है। आयोजकों को जनता का विश्वास दिलाना पड़ा, सरकार को जनता को विश्वास दिलाना पड़ा कि कुछ ठोस, गम्भीर और महत्वपूर्ण नीति बनायी जा रही है और इस प्रकार हमने पिछले तीन वर्षों में उक्त नीति सम्बन्धी कार्य किया। मुझे विश्वास है कि प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये से अधिक अर्थात योजना के दौरान शिक्षा पर औसतन 1200 करोड़ रुपये 1300 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई। यह एक शुभ संकेत है लेकिन यह मांग के अनुकूल नहीं है। हमने योजना आयोग से एक मांग की। क्योंकि शिक्षा विशेषकर विषय इसे स्थिर नहीं होना चाहिए। यदि आप इस वर्ष 800 करोड़ रुपये देते हैं तो अगले वर्ष आप 900 अथवा 950 करोड़ रुपये देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और इस प्रकार यह राशि बढ़ती ही जानी चाहिए और यदि यह वर्धक प्रवृत्ति रुक जाती है, इसकी अनदेखी कर दी जाती है तो शिक्षा स्थिर हो जाती है और यह स्थिति पहले अवसर पर न देने से भी बदतर हो जाती है।

तथापि मुझे यह जानकर सुख होता है कि न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि पिछले दो-तीन वर्षों के बजट में भी एक प्रकार की स्थिरता रही है और मुझे उम्मीद है कि प्रो० मेनन निरन्तर वृद्धि कर पाने में सफल रहेंगे, जिसकी हर वर्ष सतत शैक्षिक विकास के लिए आवश्यकता होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इसमें वांछित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है और हम पुनः पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहे हैं। इसी बात के लिए मैं उनसे अनुरोध करना हूं। विशेष रूप से यह नीति एकदम स्पष्ट है। "जिस समय निगरानी और पुनरीक्षा के आधार पर समय-समय पर वास्तविक मांग का आकलन किया जाएगा, उस समय सातवीं योजना में नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता - आधार शिक्षा का परिव्यय का निर्धारण किया जाएगा तथा आठवीं योजना और उसके आगे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें समान रूप से राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत वृद्धि हो। यही बात इस नीति में अन्तर्निहित है और प्रो० मेनन से मैं इसी स्थिति के लिए स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

हम जानते हैं कि सातवीं योजना में जो सम्भव था वह किया गया। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा कि कुछ और करने की गुंजाइश थी लेकिन विभिन्न कारणों से वह नहीं किया जा सका? लेकिन फिर भी जब हम सातवीं योजना की बात कर रहे थे, हम 825 करोड़ रुपये की बात कर रहे थे तो हमने यह स्पष्ट किया था कि यह बिल्कुल भी आवश्यकता के अनुकूल नहीं है और जो भी आवश्यकता होगी यह आठवीं योजना पूरी की जाएगी? नीति के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय विकास परिषद में ऐसी बात स्पष्ट रूप से कही है। सामान्यतया नीतियों में ये बातें अन्तर्निहित नहीं होती लेकिन 1968 की नीति में यह बात निहित थी लेकिन हमें केवल उल्लंघन ही समझा गया। लेकिन विगत समय की सारी असफलताओं को देखते हुए दूसरी बार नीति में ही यह आश्वासन दिया गया था कि 8वीं योजना से आगे यह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसमें 7 या 8 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है लेकिन यह 5.9 प्रतिशत नहीं होगा।

मेरा यही आशय है और मैं प्रो० मेनन से यह चाहता हूं कि वे मुझे, सारे देश को यह आश्वासन

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

हैं कि इस प्रतिबद्धता को गिरने नहीं दिया जायेगा क्योंकि यह वह समय है जब आठवीं योजना समाप्त हो रही है और यही वह समय है जब सरकार को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ दबाव डालना चाहिए ।

प्रत्येक पांच वर्ष में नीति की पुनरीक्षा की जाती है, यदि आवश्यकता हुई तो यह इस अवधि से पहले भी की जा सकती है । मैं समझता हूं कि पुनरीक्षा की जा रही है अथवा की जाने वाली है। मुझे इस बात की अति प्रसन्नता है । एक नीति बनाई गई है । इसके गुण व अवगुणों पर निगरानी रखनी चाहिए । प्रत्येक तीन, चार या पांच वर्ष में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए । लेकिन समीक्षा का यह आशय नहीं होना चाहिए कि हमेशा इसमें त्रुटियां ही निकाली जायें। आपका कोई कार्यक्रम होना चाहिए । आपके पास एक निश्चित समय में कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। समय की अवधि कार्यक्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है । कुछ कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जिनके परिणाम दो वर्ष में प्राप्त हो और कुछ कार्यक्रमों के परिणामों पांच वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकते । और यदि आप दो वर्ष में ही उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने लगे और कहने लगे कि अभी तक इनसे कोई उपलब्धि नहीं हुई है तो इसका कोई औचित्य नहीं है । इसलिए किसी मध्यवर्ती मूल्यांकन अथवा पांच वर्षीय मूल्यांकन को कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से तथा कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दों से जोड़ा जाना चाहिए । प्रत्येक कार्यक्रम को परिपक्वता का निश्चित समय, विकसित होने का समय, उपलब्धियां दिखाने का समय दिया जाना चाहिए जिसकी कि इसे आवश्यकता है और ऐसा बड़ी समझदारी के साथ किया जाना चाहिए । मैं उम्मीद करता हूं कि प्रो० मेनन के नेतृत्व में, इस नीति के कार्यान्वयन के स्तर पर, सरकार द्वारा किये जाने वाले इसके किसी मूल्यांकन में इन पहलुओं को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाएगा ।

शिक्षा जैसा ही एक महत्वपूर्ण पहलू का भी इस नीति में उल्लेख किया गया है । इसमें शैक्षिक 'पिरैमिड' की बात कही गई है । इसमें कहा गया है कि बुनियाद को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए । बुनियाद के बिना कोई शिखर नहीं हो सकता । बुनियाद पर बल दिया गया है और इसके साथ-साथ आप हमेशा बुनियाद पर ही नहीं रह सकते । आपने बुलंदियों को छूना है । उच्चतम स्तर पर ही शिखर है और उक्त शिखर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहीं पर पहुंचकर आप विश्व के राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा करते हैं । अन्ततः आज का भारत कहां है इसका निर्धारण इससे किया जाना है कि भारतीय तकनीकी विद, भारतीय टेक्नीशियन, भारतीय अध्येता, भारतीय कवि तथा भारतीय दार्शनिक विश्व में अपने प्रतिपक्षि व्यक्तियों की तुलना में कहां हैं । राष्ट्रों की सदभावना से ही भारत का स्थान निश्चित किया जाना है । इसलिए सबसे पहले बुनियाद से लेकर नीति सरकार से क्या करवाती है ।

हमारे यहां हजारों, वास्तव में लाखों प्राइमरी स्कूल हैं और 'आपरेशन ब्लेकबोर्ड' नामक कार्यक्रम इन्हीं स्कूलों को ध्यान में रखकर चलाया गया था । पुनः मैं प्रो० मेनन से अनुरोध करूंगा कि वे स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के प्रयोजन से लिए गए फण्डों पर भी कुछ प्रकाश डालें । 'आपरेशन ब्लेकबोर्ड' कार्यक्रम को खण्ड-वार किस प्रकार लागू किया गया, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को छिटपुट स्कूलों में लागू नहीं कर सकते । इस कार्यक्रम को 4035 खण्डों में तथा 2.99 लाख स्कूलों में लागू किया गया बताया गया है । तीन वर्ष के लिए, वास्तव में तीन वर्ष से भी कम अवधि के लिए, यह एक अच्छी प्रगति है । लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई है । मैं उसके बारे में

प्रो० मेनन को बताना चाहूंगा। यदि कोई कमी नहीं हुई तो मुझे प्रसन्नता होगी। यदि कोई कमी हुई तो हम सब मिलकर उस कमी को दूर करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने स्कूल भवन बनाने का आश्वासन दिया है। यह बात कहीं पर रिपोर्ट में कही गई है और इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक कमी है। यदि आपरेशन ब्लेक बोर्ड के पास भवन निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य और इस कार्य की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर डाली जा रही है तो मैं नहीं जानता कि आपरेशन ब्लेक बोर्ड को कार्यान्वित किया जा सकेगा या नहीं अथवा इसे आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना की भावना और कथ्य के अनुरूप कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं ? मैं इसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय से चाहूंगा मुझे प्रसन्नता होगी यदि राज्य सरकारें भी इस अवसर पर आगे आयें और केन्द्रीय सरकार द्वारा आपरेशन ब्लेकबोर्ड के अंतर्गत लिए गए सभी ब्लाकों में स्कूल भवनों का निर्माण पूरा करें। यही बात मैं जानना चाहता हूं। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं किन्तु मैं इस विषय का पूर्वाकलन नहीं करूंगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसके बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। मैं ब्लॉकों के नाम भी जानना चाहता हूं। 4000 ब्लॉक बहुत बड़ी संख्या है, एक अच्छी उपलब्धि है और किसी को भी इस पर प्रसन्नता होगी। लेकिन सवाल यह है कि यदि इन चार हजार ब्लाकों के नाम संसद सदस्यों को बता दिए जायें तो प्रत्येक सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र में जा सकता है और यह पता लगा सकता है कि उक्त ब्लाक में कोई गांव छूट तो नहीं गया है जिसका स्कूल आपरेशन ब्लेक बोर्ड के मानदण्डों के अनुरूप न चल रहा हो। इसी तथ्य की बार-बार जांच करने की आवश्यकता है तथा इसी बात का मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

तत्पश्चात् स्थानीय रोजगार के अवसरों से सम्बद्ध 8000 व्यवसायिक पाठ्यक्रम 2700 स्कूलों के छात्रों के लाभार्थ मंजूर किए गए। ये स्कूल माध्यमिक स्तर के वे जिन्हें विशेषकर व्यवसायीकरण के संदर्भ में चुना गया। 8000 व्यवसायिक पाठ्यक्रम बताना यह बहुत ही भ्रामक वक्तव्य है।

क्या ये 8000 पाठ्य क्रम 2700 स्कूलों के पाठ्यक्रमों का योग है अथवा ये 8000 पाठ्यक्रम अलग हैं ? यह संख्या सहज रूप से पचती नहीं है। यहां तक कि अमरीका और पश्चिम के किसी भी देश में, जिन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किये हैं, वहां भी इतनी अधिक संख्या में पाठ्यक्रम नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रो० मेनन इस बारे में स्पष्टीकरण देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। क्योंकि अगर यह संख्या 8000 है तो मेरे लिए इसपर विश्वास करना बहुत कठिन होगा।

महोदय, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें मैं उच्च शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के नाम दर्ज करने के बारे में कहना चाहूंगा, जहां से मैंने अपनी बात प्रारम्भ की थी। वर्ष 1985 में 2.2 करोड़ थी नाम दर्ज किए गए थे। सम्भवत: उस समय हमने कहा था कि लगभग 9 करोड़ विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं में हैं और नाम दर्ज करने का वार्षिक औसत लगभग दो करोड़ है, अगर आप 14 वर्षों की आयु तक के बच्चों को भी शामिल करें, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक की आयु को एक स्पेक्ट्रम के रूप में लें तो समस्या और अधिक गम्भीर दिखाई देती है। लेकिन मैं कुछ सीमा तक यह मानने के लिए तैयार हूं कि संख्या की समस्या को अगर अब तक सुलझाया नहीं जा सका है तो भी वह सुलझने वाली ही होगी। निश्चय ही यह इस बात पर निर्भर करता है। कि हम परिवार कल्याण के क्षेत्र में कितना काम करते हैं, जन्म दर को हम कैसे नियन्त्रित करेंगे आदि। कुल मिलाकर संख्या वाले पहलू को तो नियंत्रित किया जा सकता है, लगभग

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

40-50 लाख अध्यापकों के द्वारा संख्या वाले पहलू को अर्थात प्राइमरी स्तर पर नाम दर्ज करने संबंधी संस्था की समस्या को सुलझाना तो आसान है। लेकिन गुणवत्ता का क्या करेंगे ? इसमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, हमारे लिए यह कहना कठिन है कि निकट भविष्य में हम अपने स्कूलों में जो गुणवत्ता देखना चाहते हैं, वो गुणवत्ता उनमें आ पाएगी इसीलिए गुणवत्ता के पहलू पर अधिक जोर देना आवश्यक है यही समय है जब हमें गुणवत्ता के बारे में सोचना चाहिए। चालीस वर्षों से हम केवल संख्या के बारे में सोच रहे। वास्तव में हम बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ दौड़ लगाते रहे हैं। हमने जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण पाया है और आशा है कि हम इसका समाधान करने में कामयाब होंगे। लेकिन गुणवत्ता के मामले में हम बहुत पीछे हैं और हमें इसे प्राप्त करना है।

मैं प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक ऐसा ठोस सुझाव देना चाहता हूं, जो पहले भी कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है, इस पर कई राज्यों में प्रयोग किए गए हैं जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। सुझाव यह है कि राज्यों के शिक्षा निदेशालयों का एक स्वतन्त्र और स्वायत्त भाग, स्थानांतरण, वेतन बिलों पर हस्ताक्षर करने तथ अनुशासनिक कार्रवाई करते जैसी अपनी प्रशासनिक कार्यों से हटकर केवल शिक्षा के गुणवत्ता पहलू पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए होना चाहिए। मेरा कहना है कि इस सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए। पहले कई राज्यों में इस पर प्रयोग किए गए हैं। मैं इस बारे में आश्वस्त हूं, मैं एक बार फिर यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसे सभी राज्यों में कम से कम पांच वर्षों के लिए आजमाया जाना चाहिए। देखें, यह कितना सफल रहता है। ऐसा कोई तन्त्र होना चाहिए, जो हर समय गुणवत्ता पर नजर रखे। जो ये पता लगाए कि किसी स्कूल विशेष में क्या परिणाम रहा है और अगर परिणाम शून्य प्रतिशत रहा है तो इसके क्या कारण हैं हमारे देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां मैट्रिक का परिणाम शून्य प्रतिशत रहता है, मैं नहीं जानता कि ऐसे स्कूलों का क्या किया जाए, लेकिन मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूं, अगर आप इस बात की गहराई में जाएं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप पाएंगे कि इतिहास का अध्यापक गणित पढ़ा रहा है और गणित का अध्यापक छह महीनों से अनुपस्थित है तथा अपने स्थानांतरण के चक्कर में है और राज्य मुख्यालय के चक्कर लगा रहा है। ऐसी बहुत सी अन्य बातें हैं जो आप हम सभी संसद सदस्य जानते हैं। ब्लाक स्तर से ऊपर तक के स्तरों पर गुणवत्ता का ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। तब आप पाएंगे कि इस पर कम किया गया धन व्यर्थ नहीं गया, बल्कि इससे गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे भारत के भावी नागरिकों की क्षमताओं में वृद्धि होगी।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण संस्था होगी। आजकल हजारों की संख्या में हर कहीं संस्थाएं खुल रही है। प्रत्येक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ किसी भी दल के विधायक और संसद सदस्य, ऐसी किसी एक न एक संस्था को संरक्षण देते हैं, ये सभी संस्थाये धनोपार्जन के अड्डे बन गई हैं। हमने इस बारे में अध्ययन किया था और बताया था कि यह सब बन्द करना पड़ेगा। 1500 अथवा 1400 को बढ़ाय हमने प्रत्येक जिले के लिए केवल एक संस्था का सुझाव दिया। प्रत्येक जिले में इसकी उचित तरह से देखभाल की जानी चाहिए। इसलिए पहली बात तो यह हुई कि कटौती की जाए न कि संस्थाओं को और बढ़ाया जाए। इसलिए, पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि हम ऐसी अन्य घटिया संस्थाओं का गैर वांछनीय संस्थाओं को तथा ऐसे कार्यों में लिप्त अन्य संस्थाओं को बंद करने में किस हद तक सफल हुए हैं मैं तत्सम्बन्धी स्थिति जानना चाहूंगा, मैंने रिपोर्ट से यह पता लगाने की कोशिश की थी लेकिन मैं उस खास पहलू को पकड़ नहीं पाया। यह भी संभव है। कि रिपोर्ट में इस पहलू के बारे में कुछ लिखा ही न गया हो। मैं इस विषय के बारे में जानना चाहता हूं।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसे नीति में पहली बार प्रस्तुत किया गया है, वह है राष्ट्रीय परीक्षण सेवा। एक निकाय की स्थापना के लिए कुछ ठोस कार्य किया गया था, जो राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की देख-रेख करेगी। क्योंकि नीति में यह बात अत्यन्त स्पष्ट रूप से कही गई है कि राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना की जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना के मामले में क्या प्रगति की गई है। इस बारे में स्पष्ट रूप से वादा किया गया था। मैं चाहता हूं कि इस बारे में प्रकाश डाला जाए।

मैंने देखा कि इस वाद-विवाद में जनजाति क्षेत्रों से सम्बन्धित कई सदस्यों ने कहा कि जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले बच्चे की समझ और उसे दी जाने वाली शिक्षा में, भाषा की कठिनाई के कारण तालमेल नहीं था।

चाहे यह हिन्दी हो या स्थानीय भाषा हो अथवा तेलुगु या अन्य कोई भाषा, वह उसे समझ पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह उस भाषा को नहीं जानता चूंकि वह उसकी मातृभाषा नहीं है। इस पहलू को नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है —

> "अनुसूचित जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कई मामलों में उनकी अपनी बोल चाल की भाषा सहित विशिष्ट विशेषतायें हैं इस कारण क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाने की व्यवस्था सहित प्रारम्भिक चरण में पाठ्यक्रम को तथा निर्देश सामग्री को जनजातीय भाषाओं में तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए।

यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है, इसे कहना आसान है पर करना मुश्किल है। लेकिन मैं जानता हूं कि बिहार तथा कुछ अन्य स्थानों में इस कार्यक्रम के लिए कुछ जनजातिय भाषाओं का चुनाव किया गया है और पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं जानना चाहूंगा कि पहले दो अथवा तीन वर्षों के लिए ये पुस्तकें कितनी सफल रही हैं। इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या यह उपयोगी पाई गई है? क्या इस असन्तुलन को किसी तरह कम किया जा रहा है? मुझे विश्वास है कि अगर अब तक यह नहीं किया गया है तो इसे दुगुनी ताकत से, दुगुने उत्साह से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जनजातियों की जनसंख्या शिक्षा के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएगी।

यदि आरम्भ में शिक्षा उनकी मातृ-भाषा में नहीं दी जाती। इसका उन्हें अधिकार है जैसे हमें भी इसका अधिकार है। यदि हम उन्हें उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा नहीं देते हैं, तो हम उन्हें उनके उचित अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लगभग 102 या 103 कालेजों को स्वायत्त कालेज बनाने के लिए चुना जा रहा है। यह एक बहुत ही विवादास्पद मामला है। इस देश के अनेक शिक्षाविदों ने कहा है कि यह सफल नहीं होगा। और यह कि यह योजना असफल रहेगी। इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों में अनुभव इतना बुरा नहीं रहा है; उनको इस बारे में सफलता मिली है। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु में स्वायत्त कालेजों का कार्य अच्छा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अब हमने 103 स्वायत्त कालेज बनाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? क्या आज ऐसे कालेजों की संख्या बढ़ाना चाहेंगे? मेरे विचार से उनकी संख्या में वृद्धि करनी होगी। आप उन्हें जितनी अधिक स्वायत्तता प्रदान करेंगे, वे उतना ही अधिक उत्तरदायित्व निभा सकेंगे और उनकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी, यद्यपि कुछ विश्वविद्यालय इस नीति के विरुद्ध हैं क्योंकि उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ है। मैं "निहित स्वार्थ" शब्दों का इस्तेमाल वास्तव में किसी दुर्भावना से नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वे इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि उस काम को कोई करे जिसे वे अब तक करते

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

आ रहे थे। यह बड़ी सीधी-सी बात है। इसलिये, इस कार्य का पता लगाना होगा। यह बड़ा ही कठिन कार्य है और इस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। इस कार्य को किये बिना, मुझे भय है, कि उच्च शिक्षा असंतुलित रहेगी और इसमें वे सभी बुराइयां यथावत बनी रहेंगी, जो पहले से चली आ रही है और आज भी चल रही है।

भाषाओं के विकास से सम्बन्धित नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है और सावधानी बरती गई है। कार्यवाही कार्यक्रम से सम्बद्ध अनेक कार्यक्रम है और इस प्रश्न से जुड़े अनेक मत हैं इससे न केवल गैर हिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों को सहायता मिल रही है अपितु इससे उत्तरी क्षेत्र अर्थात हिन्दी क्षेत्र में अन्य भाषाओं, विशेषकर दक्षिण भारत की भाषाओं के शिक्षकों को सहायता प्राप्त हो रही है। यह स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से लाई गई है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी भी नहीं थी। जब कभी भी सरकार के सामने ऐसी मांग रखी जाती थी, तब सरकार यही कहती थी जी नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, यह राज्य सरकार का कार्य है, यह हमारा कार्य नहीं है। "इस बार, प्रथम बार इसे कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है और मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके अनुपालन में क्या कोई कार्यवाही की गई है।" गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना की भांति ही, आधुनिक भारतीय भाषा-शिक्षकों विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिये जैसाकि त्रिभाषा सूत्र में व्यवस्था है।

त्रि-भाषा सूत्री कार्यक्रम के निष्ठापूर्वक और पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में अब पहली बार ठोस कदम उठाया गया है त्रि-भाषा सूत्र के बारे में हम 40 वर्षों से कहते आ रहे है किन्तु कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी कार्यवाही कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसे मैं उद्धृत करता हूं—

> "राज्यों में हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने के अलावा वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में भाषायी शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाने और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।"

इसलिये यह एक पूर्ण और सुनियोजित योजना है जिससे भाषा शिक्षकों और भाषा सिखाने में सहायता मिलेगी। अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों के लम्बे अर्से के दौरान क्या किया गया है। यदि इस बात से मुझे, इस सभा को और जनता को संतुष्टि हो जाये कि इन तीन वर्षों में इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता था, तो हमें प्रसन्नता होगी। किन्तु इन तीन वर्षों के दौरान कुछ नहीं किया गया है तो तीस वर्ष में भी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि 40 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है।

इसलिए, यह एक पक्ष है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि प्रो० मेनन इस पर कुछ प्रकाश डालें। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाये। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो त्रि-भाषा सूत्र अपनी उपयोगिता और अपना महत्व खो देगा।

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : राष्ट्रीय एकता।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : और, अन्त में मैं नवोदय विद्यालय योजना के महत्वपूर्ण प्रश्न

पर प्रकाश डालना चाहूंगा इसके बारे में बहुत अधिक विवाद, विचारों में भिन्नता आदि रही है। किंतु अन्त में 261 स्कूल खोले गये हैं। मैं चाहता हूं कि प्रो० मेनन अथवा कोई भी व्यक्ति जिसे इसके बारे में सन्देह है। इनमें से कुछ स्कूलों का निरीक्षण करें और इन संस्थाओं की गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करे। मैंने ऐसा किया है। मैंने अनेक स्कूलों का निरीक्षण किया है। हम इनसे आशा कर सकते हैं। इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चों में हमें आशा की किरण झलकती है। इनमें से 42% छात्र गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। किन्तु इन स्कूलों के सम्बन्ध में, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनमें पढ़ने वाले बच्चों में से अधिकांश बच्चे अपने गांवों में या तो भैंस चराते हैं अथवा अपने माता-पिता की सहायता करते हैं चाहें वे किसी व्यवसाय में क्यों न हों। इन स्कूलों की हेय दृष्टि से देखने का कोई प्रश्न नहीं उठता और जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि ये स्कूल लाभदायक नहीं हैं। तब तक इन स्कूलों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

पिछले दिन एक प्रश्न का उत्तर देते समय प्रो० मेनन ने कहा था कि वे इस बारे में दुबारा जांच कर रहे हैं और इसके बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रिपोर्ट गुणवत्तता पूर्ण ही होगी और एक बार गुणवत्तता सिद्ध हो जाये तो कोई संदेह नहीं रह जायगा

महोदय, मैं उन लोगों को इन स्कूलों का उद्देश्य बताना चाहूंगा जो इन स्कूलों के बारे में संदेह कर रहे हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य :

> "नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्टता के साथ समन्वता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा का पूर्ण विकास कर उन्हें अवसर प्रदान करना और स्कूल सुधार की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करना है।"

इन सभी बातों को एक ही वाक्य में कह दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन-कौन से ऐसे प्रतिष्ठा सम्पन्न स्कूल हैं, जिनका उल्लेख हम हर समय इन स्कूलों की तुलना में कर सकते हैं जो इन सभी उद्देश्यों को पूरा का करने का दम्भ कर सकते हैं ? इनमें से ऐसे कौन-कौन से प्रतिष्ठा सम्पन्न स्कूल हैं जो यह कह सकते हैं कि वे छात्रों को केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही प्रवेश देते हैं न कि उस मोटी फीस के आधार पर जो उनके माता-पिता को अदा करनी पड़ती है ? कोई भी स्कूल ऐसा नहीं कह सकता है। अत: स्कूलों का यही ढांचा रहा है। यदि नवोदय विद्यालय इस ढांचे का 'पैटर्न' नहीं, तो और क्या हो सकता है ? या तो आप यह कहें कि इस 'पैटर्न' की आवश्यकता नहीं है — इन उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं है अन्यथा आप यह कहें कि हम ऐसे स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलायें जहां अन्य बातों के अतिरिक्त माता-पिता की धनराशि अदा करने की क्षमता अधिक है अथवा आप यह कहें कि आप ऐसे स्कूल को प्राथमिकता देते हैं जो केवल योग्यता के आधार पर बच्चों को प्रवेश देते हैं चाहे माता-पिता की क्षमता धन देने की है अथवा नहीं। मैं उन्हें सरकारी खर्चे पर शिक्षा दिलाना पसन्द करूंगा।

पांच सौ करोड़ रुपयों से बहुत कुछ होता है। वो पांच सौ करोड़ रुपये कहां गये। प्रो० मेनन मुझे बतायें। मैं एक गणित का विद्यार्थी हूं। मैंने अनेक बार हिसाब लगाया है। यह संख्या 130 आयी है।

अब 500 करोड़ रुपये कहां हैं ? कहां हैं 130 करोड़ रुपये ? यह बिल्कुल अपर्याप्त है। अब तक कितना व्यय किया गया है। मैं प्रो० मेनन पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं क्योंकि चार महीनों में वह कुछ भी किसी प्रकार नहीं कर सकते थे। अत: हमने जो कार्य प्रारम्भ किया था वह पूरा न हो

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

पाया। अब इन विद्यालयों को खोलने की बात छोड़ दी गई है। मैं जानता हूं कि प्रो० मैनन ने यह नहीं किया है। उनके आने से पूर्व ही यह योजना त्याग दी गई थी। परन्तु कृपया इस पर ध्यान दीजिये। इन विद्यालयों की पैरवी में बहुत कुछ कहा जा सकता इस योजना के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। जिन लोगों ने इन विद्यालयों का दौरा किया है, वे वहां से पूर्णतया संतुष्ट लौटे थे। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को किया जाये।

इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इन 261 विद्यालयों में से 81 विद्यालयों में विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़कर अन्यत्र जाने की योजना कार्यान्वित हो रही है। विद्यार्थी तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में गये हैं, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के एक चौथाई विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान जा चुके हैं। योजना में यह बात थी। अत: आप पायेंगे कि आगामी दो या तीन वर्षों की समाप्ति पर, यदि योजना सही तरीके से कार्यान्वित होती रही तो दो लाख पचास हजार विद्यार्थी मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे। शहरी क्षेत्रों से विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। तीन चौथाई विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। प्रत्येक विद्यार्थी उस गांव के घटिया किस्म के विद्यालय में कम से कम तीन वर्ष की शिक्षा पूरी करे। हम जानते हैं कि वह विद्यालय कैसे हैं। हो सकता है कि वे 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' के बाद अच्छे हो जायें। इस समय वह कैसे हैं, यह हम जानते हैं। जब तक वह यह कहने योग्य नहीं हो जायें कि उसने उस विद्यालय में तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है उसे नवोदय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे 2 लाख 50 हजार मेधावी विद्यार्थी सरकारी व्यय पर राष्ट्रीय एकता के जीवंत उदाहरण होंगे। 500 करोड़ रुपये किस प्रयोजन के लिए है। इसमें से अधिकतर छात्र भवन निर्माण कार्यों पर लगता है और भवन भी अच्छे होने चाहिये। भवनों के अतिरिक्त व्यय किस मद पर होता है? व्यय इतना अधिक नहीं है। यह 500 करोड़ रुपये का एक चौथाई होगा। एक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए 200 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट क्या मायने रखता है? क्या हानि बड़ी राशि तो नहीं है कि आप इसे वहन नहीं कर सकें और वह भी तब जब आप इससे सहमत हों कि यह एक अच्छी योजना है?

मैं चाहता हूं कि सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करे। मैं उन्हें न तो कोई कार्य करने से रोक रहा हूं और न ही उन्हें कोई कार्य विशेष करने के लिए कुछ कह रहा हूं परन्तु उन्हे एक वास्तविक और उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा और इस योजना से होने वाले लाभ पर ध्यान देना होगा। मुझे यकीन है कि यदि एक बार उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह योजना अच्छी है तो वे इसका विभिन्न दिशाओं में विस्तार करेंगे। मैं नीति की उस बात की सराहना करता हूं जिसमें कहा गया है कि इस देश में सभी विद्यार्थियों, देश के सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे और समता के सिद्धांत पर आधारित योजनाओं में से यह एक ऐसी योजना है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि दो या तीन राज्यों ने इस प्रकार के विद्यालयों को स्वीकार नहीं किया है। किन्तु वे इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम के बारे में उनकी कुछ शंकायें हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम केन्द्रीय विद्यालय की ही तरह है। केन्द्रीय विद्यालय में भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है और यह हिन्दी और अंग्रेजी में प्रदान की जाती है। यदि हमें केन्द्रीय विद्यालय में अपनाये जा रहे शिक्षा के माध्यम पर आपत्ति नहीं है तो हम इस विद्यालय द्वारा वही पद्धति अपनाये जाने पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं। यह अपनी किस्म का ऐसा पहला विद्यालय है जिसमें दोनों भाषाओं को माध्यम बनाया गया है। पुराने उस्मानिया विश्वविद्यालय में

दो माध्यम होते थे और दोनों में शिक्षा साथ-साथ दी जाती थी। यदि हम मेडिकल कालेज को देखें तो उसमें दोनों में ही शिक्षा दी जाती थी। उर्दू और अंग्रेजी। उस्मानिया विश्वविद्यालय के स्नातक उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। अतः दो भाषाओं को शिक्षा का माध्यम साथ-साथ बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। भाषा सीखने में भी हम देखते हैं कि एक बच्चा एक भाषा में बात कर रहा है तो दूसरा बच्चा चाहे उस भाषा में बोल न पा रहा हो परन्तु उसे समझ अवश्य रहा है और अपनी मातृभाषा में उसका उत्तर दे रहा है। ऐसा प्रत्येक द्विभाषी अथवा बहुभाषी समाज में होता है। भारत एक बहुभाषी समाज है। हमें ऐसे प्रयोग करने चाहिए और विद्यालयों को, युवा बालकों अथवा बालिकाओं की भाषा सीखने, उसे समझने की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए।

4.00 म० प०

मैं उन विद्यालयों को चालू रखने की अपील करता हूं। आप उनमें सभी प्रकार के सुधार कर सकते हैं जो भी योजना पहली बार बनाई जाती है, वह अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। आपकी पुनर्समीक्षा में जो त्रुटियां पाई जायें वे दूर की जा सकेंगी। परन्तु इस योजना को शुरू किए बिना ही समाप्त न कर दीजिए। प्रो० मेनन इस योजना की अच्छाइयों पर ध्यान दें और उसे लागू करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : जिस तरह प्रातःकालीन प्रकाश से दिन का आभास होता है उसी प्रकार किसी मंत्रालय की प्राथमिकताओं का उसके योजना परिव्यय से पता चलता है। जब हम इस दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि बजट में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन किए गए हैं और पिछली सरकार की नीति में विद्यमान असंगत त्रुटियों को दूर करने के लिए वास्तविक प्रयास किए गए हैं। परन्तु कोई पूर्ण विकल्प नहीं खोजा गया है। इसलिए माननीय नरसिंह राव जी अपना भाषण देते समय यह बिल्कुल भूल गए हैं कि नई सरकार ने यह वायदा किया है कि वह नई शिक्षा नीति की पुनरीक्षा करेगी। उन्होंने अपना भाषण यह मानकर दिया है कि नई शिक्षा नीति बिना पुनरीक्षा को जारी रखी जायेगी। मैं माननीय नरसिंह राव जैसे वरिष्ठ सदस्य की बातों का खंडन नहीं करना चाहती। उन्होंने यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति सम्पूर्ण राष्ट्र की सहमति से तैयार की गई थी। इस कथन पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि इस देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की सबसे बड़ी हड़ताल इसी मुद्दे को लेकर हुई थी।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, शिक्षा विभाग के लिए कुल योजना परिव्यय में किये गए वायदे के अनुसार वृद्धि हुई है हालांकि यह जोर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नहीं।

प्रारम्भिक शिक्षा हेतु परिव्यय में भारी बढ़ोत्तरी की गई है और इससे साक्षरता फैलाने के प्रति सरकार की चिन्ता का पता चलता है। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगी कि अनौपचारिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का जिस प्रकार आवश्यक अंग बनाने का प्रावधान किया गया है उससे नई शिक्षा नीति की कुपरेखा का पता चलता है, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह शिशुओं और प्रौढ़ों के लिए तो ठीक है पर स्कूली बच्चों के लिए ठीक नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा प्रणाली जितनी बेहतर नहीं है, और अगर इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाये जिसमें बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो यह बाल श्रमिक को कानूनी रूप से मान्यता देने वाली बात होगी बहरहाल यहां तो बाल श्रमिक प्रथा को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना होगा, पर यह अनुचित है। इस स्थिति को बदलना चाहिए।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

अतः हमें इस स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहिए । हमें यह नहीं कहना चाहिए कि कुछ बच्चे अनिवार्य रूप से अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करें जबकि अन्य बच्चे स्कूल जायें । इतना पर्याप्त नहीं है । हमें बच्चों को दासता से मुक्त कराने के उपाय खोजने हैं और सरकार तो दोपहर में उपलब्ध कराने और मुफ्त वर्दी और किताबें प्रदान करने की योजनाएं, जो राज्यों में पहले से ही चल रही है, वे माध्यम से छोटी-सी शुरूआत ही कर सकती है । बालिकाओं को मुक्त कराने का दायित्व आंशिक रूप से 'डे केयर सेंटर' बाल-गृहों को मजबूत बनाने से पूरा किया जा सकता है । देश भर में छोटे बालक-बालिकाओं के लिए 'डे केयर सेंटर' खोले जाएं क्योंकि कई मामलों में हमें यह पता चला है कि लड़कियां अपने छोटे भाई-बहन की देखभाल के लिए घर पर ही रहती हैं । परन्तु, जहां तक महिला और बाल विकास विभाग के बजट का संबंध है, तो दुर्भाग्यवश हमें पता चलता है कि इस वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत योजना परिव्यय का प्रावधान ही नहीं किया गया है । केवल कुछ गैर-योजना परिव्यय के लिए प्रावधान किया गया है । मेरा अनुरोध है कि इसका हमारे साक्षरता कार्यक्रम पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यदि बालिकाओं को स्कूल जाना सुनिश्चित करना है तो 'डे केयर सेंटर' जहां माताएं अपने छोटे बच्चों को भेज सकें, स्थापित किये जाने चाहिए ।

माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना परिव्यय में वास्तव में कटौती की गई है । मैं इस सम्बन्ध में समयाभाव के कारण आंकड़ों का जिक्र नहीं कर रही हूं ।

हम बड़े अरसे से व्यावसायिक शिक्षा की बातें करते आ रहे हैं और हमें यह पता चला है कि कई राज्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसा केवल इसलिए ही नहीं कि वहां रोजगार के अवसर नहीं हैं बल्कि इसलिए भी कि उनके पास उपकरणों और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है । परिव्यय में कटौती का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा । हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु बहु-आभागी माध्यमों का जिक्र किया है और इसके साथ ही योजना परिव्यय में कटौती की गई है । पता नहीं ऐसा किस प्रकार सम्भव है ।

इसके अतिरिक्त महोदय, वार्षिक वर्ष में, सरकार का प्रस्ताव आठवीं योजना के दौरान बालिकाओं के लिए कक्षा नौ से कक्षा बारह तक निःशुल्क शिक्षा के कार्यक्रम को समाप्त करने का है । ऐसा कैसे है ? क्या भारतीय बालिकाओं को निःशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जरूरत नहीं है अथवा यह निर्णय उन सख्त निर्णयों में से एक है जिनके बारे में हम नई शिक्षा नीति के निर्धारण के समय से ही सुनते आ रहे हैं ? मैं यह निवेदन करती हूं कि यदि कोई सख्त निर्णय लेने ही है तो ये 'नवोदय विद्यालय' जैसे शिक्षा के विशेष क्षत्रों के सम्बन्ध में किये जाने चाहिए, न कि बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु, इसे जारी रखना चाहिए और इसमें आर्थिक दृष्टि से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । जहां नवोदय विद्यालयों का सम्बन्ध है, अपने दीर्घकालीन अध्यापन अनुभव के आधार पर, मैं यह दावे से कह सकती हूं कि कुछ ही साधारण औसत बच्चों में प्रतिभा का अभाव होता है, प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है । बच्चे असाधारण योग्यता लेकर पैदा नहीं होते हैं, असाधारण योग्यता सामाजिक रूप से प्राप्त करनी होती है, जब हम यह पाते है कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रति जिला एक नवोदय विद्यालय है तो हमारा यह कहना है कि प्रति-जिला एक नवोविद्यालय की सुविधा बहुत कम बच्चों को मिलती है ।

महोदय इसके अलावा राष्ट्रीय एकता का सवाल उठाया गया है । उत्तर प्रदेश के बच्चे तमिलनाडु

जाते हैं। तमिलनाडु के नवोदय विद्यालय के कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के नवोदय विद्यालय में चले जाते हैं। लेकिन इससे राष्ट्रीय एकता कायम करने में किस प्रकार विशेष सहायता मिलती है? यदि उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा तमिलनाडु जाता है, किसी साधारण स्कूल में तमिल सीखता है, वहां के लोगों से घुल-मिल जाता है तो मेरे विचार से इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। इसके अलावा जो बच्चा नवोदय विद्यालय के पृथक परिसर में रहकर हिन्दी और अंग्रेजी सीखता है तो इससे राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा मिल सकता है? मुझे इस बात में कोई दम नजर नहीं आता है। मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि 11-12 वर्ष के लड़कों और लड़कियों की प्रतिभा को निखारने के लिये अच्छे साधारण स्कूलों की जरूरत है पर ये स्कूल सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में खोले जाने चाहिए।

इसके अलावा, जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि योजना परिव्यय में कटौती की गई है। मुझे इसमें शंका है कि इससे नई शिक्षा नीति का मार्ग सुगम होता है, इससे उच्च शिक्षा के गैर-सरकारीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। वस्तुतः हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह निर्णय विश्व बैंक द्वारा इस वर्ष के आरम्भ में जोमतियन कांफ्रेंस में की गई सिफारिशों के अनुरूप है। मैं बराबर कोमेबल के भाषण का एक अंश उद्धृत कर रहा हूं:—

"अतिरिक्त संसाधन जुटाने का अभिप्राय विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा स्तरों पर वित्त पोषण के निजी संसाधनों पर अधिकाधिक निर्भर रहना है।"

इस भाषण में यह सुझाव भी दिया गया था कि दानदाता चाहे वे जो भी हों दाता होते हैं। लेकिन बड़े औद्योगिक घरानों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों की इसमें काफी बड़ी भूमिका होगी कि लागत की दृष्टि से क्या प्रभावी है, क्या कारगर है और यह उच्च शिक्षा में कितनी दाखिल है। अब, मैं केवल यही कह सकती हूं कि उच्चतर शिक्षा के सामाजिक लाभ, इसकी विपणन योग्यता के आधार पर नहीं आंके जाने चाहिए।

इसका लक्ष्य ज्ञानवर्धन और विवेचनात्मक और संप्रेषण योग्यता को पुष्ट करना है। और यह ऐसा अधिकार है जिससे उस छात्र को वंचित नहीं रखा जा सकता जिसने इसके लिए अर्हता प्राप्त की है। अतः जब शिक्षा विभाग "छात्रों के नियोजन के अवसर बढ़ाने" और उनकी 'उत्तम क्षमता' को बढ़ाने हेतु अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन का दायित्व सम्भालता है तो यह समझा जाता है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजनाओं को प्रारम्भिक स्तर पर दोहराये जाने वाली बात होगी। यह व्यावसायिक शिक्षा अर्थात उच्चतर शिक्षा का विकल्प होगी। इससे उन क्षेत्रों और विभागों का महत्व कम होगा जिनका बाजार में महत्व कम होता जा रहा है, परन्तु इसके द्वारा राष्ट्र के नैतिक और बौद्धिक स्तर में वृद्धि के लिए कम योगदान नहीं दिया जा रहा है और निजी वित्त-पोषण के कारण शुल्क में वृद्धिहोगी और उच्चतर शिक्षा साधारण लड़के और लड़कियों की पहुंच से बाहर हो जायेगी। जहां तक शिक्षा पर नियंत्रण का संबंध है मैं यह समझती हूं कि उच्च कोटि के शिक्षा केन्द्र उत्तम नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः यह विश्वविद्यालयों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में एक पुराना मर्ज बनता जा रहा है। माननीय सदस्य, प्रो० सैफुद्दीन सोज ने भी इसका जिक्र किया है और हम यह पाते हैं कि स्वायत्तता के नाम पर सत्ता उपकुलपति अथवा निदेशक, किसी स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्था के निदेशक में केन्द्रित हो रही है।

उदाहरण के तौर पर भारतीय मानव विज्ञानीय सर्वेक्षण विभाग है। वहां पर कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के आरोप उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे स्तर तक के कर्मचारियों पर लम्बे अर्से से लगाये जाते रहे हैं। समाचार-पत्रों में भी इनकी चर्चा हुई है। शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब मैं समझती हूं कि इसका हल केवल यही है कि खाली

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

निकायों में अध्यापकों, शोधकर्त्ताओं, छात्रों और अन्य लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो कि संस्थाओं के कार्यों से सीधे जुड़े होते हैं। उन्हें निकायों के शासन में जोड़ने से ही यह समस्या हल हो सकती है, क्योंकि वे अपने सारे जीवन भर इन कार्यों से जुड़े रहते हैं। महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि जबकि अनुसंधान संस्थाओं की स्वायत्तता की पुनः जांच इस बात को ध्यान में रखते हुए की जायेगी कि इन अनुसंधान संस्थाओं में कितना आंतरिक लोकतन्त्र मौजूद है, इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में आंतरिक लोकतन्त्र की बात भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है और मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करती हूं कि मेरा विचार है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से लागू विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियमों को हमारे विश्वविद्यालयों के आन्तरिक लोकतांत्रिक कार्यकरण के लिए प्राथमिक आदर्श के रूप में लागू किया जा सकता है।

अब मैं अपने भाषण को समाप्त करने वाली हूं। विकास के लिए संसाधनों का विकेन्द्रीकरण बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हम लम्बे समय से शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल कर राज्य सूची में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए हम सदन में पुनः अनुरोध करते हैं।

जहां तक भाषाओं के विकास का सम्बन्ध है, इसके लिए आवंटित राशि में वृद्धि करना निस्संदेह अभिनन्दनीय कदम है निस्संदेह राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए लेकिन क्या यह सही है कि इसके लिए 543 लाख रुपए आवंटित किए जाएं जबकि अन्य सभी आधुनिक भाषाओं के लिए मात्र 320 लाख रुपए का ही प्रावधान किया जाए? उदाहरणार्थ नेपाली भाषा जैसी काफी समय से उपेक्षित भाषाओं के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? महोदय, महाभारत में एक पात्र हैं वरीकोदर, वह पूरे परिवार के सदस्यों के खाने से भी अधिक खाना खाता था। अब हमारा वरीकोदर शेष परिवार के सदस्यों के खाने से अधिक खाना खा रहा है। अर्थात हिन्दी भाषा को अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक धनराशि आवंटित की गई है। मुझे अपने वरीकोदर के खाने से द्वेष नहीं है, लेकिन मैं समझती हूं कि राशि के आवंटन में कुछ समानता होनी चाहिए। (व्यवधान) आप वरीकोदर को एक प्रशंसोक्ति के रूप में ले सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि वह अधिक खाना खाता है?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, प्राध्यापकों और शोधकर्त्ताओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा समाप्त की जानी चाहिए। यह हमारी अन्य मांग है, क्योंकि हमारा मत है कि भर्ती के प्रकार के तरीकों से विश्वविद्यालयों की शैक्षिक संस्थाओं और क्षेत्रीय असंतुलन को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक समानता के भ्रांतिजनक स्तर को थोपा नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं कुछ मॉडल प्रश्न पत्रों को देखा है और मेरा विचार है कि जिस प्रकार के 'ओबजेक्टिव क्विज टाइप' के प्रश्न पूछे जाते हैं, वे शोध और शैक्षिक पदों के आवेदकों के लिए उपयुक्त नहीं है।

जहां तक हमारी संस्कृति का सम्बन्ध है, महोदय, मुझे यह जानकर अफसोस है कि क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्रों के लिए आवंटित राशि में कमी की गई है। हम अनुरोध करते हैं कि इसमें वृद्धि की जाए, ताकि अनुसंधान और अधिक व्यापक हो। जनजातीय कला और लोक नृत्यों को विकसित करने के लिए अब कुछ निवेश किया जा रहा है। मेरा केवल यह सुझाव है कि 'अपना उत्सव' और 'भारत-महोत्सव' द्वारा इन्हें शहर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने मात्र से ही इनकी प्रगति नहीं होगी। मेरा यह सुझाव है कि जिस क्षेत्र की ये कलायें हैं वहीं पर इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। उन्हीं

क्षेत्रों के लिए राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक नृतकों को अपने क्षेत्र के ही प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में, हम राज्य और जिला लोक संस्कृति परिषदों के माध्यम से यह कार्य पिछले दस वर्षों से कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने इसमें बहुत ही थोड़े निवेश से सफलता प्राप्त की है इसके लिए आपको अधिक निवेश नहीं करना होगा महिलाओं और बाल विकास के लिए अधिक आवंटन का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अधिक आवंटन से बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियमित रूप से उचित वेतन दिए जा सकेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लाभदायक कार्य कर रहे हैं हम सभी महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और मैं आशा करती हूं कि उन्हें उचित वेतन दिया जायेगा। इसके अलावा, हमें यह देखकर भी हैरानी होती है कि बजट में महिलाओं के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग गठित करने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हम इसके गठन के बारे में जानना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसमें सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जहां तक महिला विकास निगमों और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्था सम्बन्ध है, की निगरानी करने के लिए कि क्या वे निम्नतम स्तर तक कार्य करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं यह आवश्यक है कि न केवल राष्ट्र स्तर पर बल्कि राज्यों में भी राष्ट्रीय सांविधिक आयोग गठित किये जाने चाहिए। अन्त में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की भांति महिलाओं के विकास के बारे में अलग से आयोजना नहीं की जानी चाहिए। इसे समग्र आयोजना के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों को आवंटित किया जाना चाहिए। विभाग को विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि सही आवंटन किया जा सके। हमारा यह विचार नहीं है कि महिलाओं के लिए मात्र आरक्षण करने से ही यह समस्या हल हो जाएगी। इससे कुछ ही महिलाओं को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तथापि पंचायतों और अन्य ऐसे प्रतिनिधि निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इसके लिए आरक्षण नामांकन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ कार्यशील पदों पर महिलाओं का निर्वाचन किया जाना चाहिए। अगर नामकन किया जाता है तो निहित स्वार्थ वाले लोगों को ही इससे लाभ होगा और जिन महिलाओं को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पायेगा।

मेरा विचार है कि केरल राज्य देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो निरक्षरता समाप्त कर देगा। हमने अपने साक्षरता कार्यक्रम के लिए पुस्तकें छापने के लिए रियायती दरों पर 1,750 टन न्यूज प्रिन्ट की मांग की है। हमें आशा है कि इसे मंजूरी दे दी जाएगी। वास्तव में, मैंने बजट के दोष बताए हैं, इसके गुण नहीं बताए हैं, लेकिन ऐसा करके मैंने इस सिद्धान्त का पालन किया है कि हमारे मित्रों को हमारे सबसे अधिक आलोचक होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हीरा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आज मानव संसाधन जुटाने की दिशा पर चर्चा हो रही है।

4.25 म० प०

[डा० शम्भू घुरे पीठासीन हुए]

अभी तक सरकार की करनी और कथनी में फर्क रहा है। उसी तरह से मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर सचमुच हमें मानव का निर्माण करना है तो आपको यह

[श्री हीरा भाई]

देखना पड़ेगा कि भारत में अस्सी करोड़ लोग हैं। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन कमजोर हैं और कौन मजबूत हैं और क्यों मजबूत है? फर्क इतना ही है हजारों-हजारों सालों से आदिवासी और हरिजन बिना शिक्षा के चले आ रहे हैं। चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, राजे-महाराजे की रही हो या अंग्रेजों की सरकार रही हो, यह सोचा कि अगर हरिजन और आदिवासी आगे बढ़ जाएगा तो खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा। उसके बाद हम नई आशा लेकर चले थे कि प्रजातन्त्र शासन हो गया है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब लोग सोचते थे कि नया सूरज उगा है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम यह नहीं कह सकते है लेकिन जो लोग अच्छे हैं उन्हीं का निर्माण किया है और बाकी जो पिछड़े हुए लोग थे वे आज भी पिछले हुए हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप माप-तोल भी कर सकते हैं, परिस्थिति ज्यादा बिगड़ी है, सुधरी नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि देश का निर्माण करना चाहते हैं। यह तो हर व्यक्ति चाहता है लेकिन देहातों में हायर सैकण्डरी, कालेज या दूसरी प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं की मार्फत शिक्षा मिलती है। वहां कई स्कूलों में जैसे 15 या 20 अध्यापक हैं, तो उसमें से आधे अध्यापक आज भी अपनी हाजिरी नहीं देते हैं। अधिकारियों के कहने पर लोग प्रशासन को या शिक्षा विभाग को शिकायत करते हैं तो भी सुनवाई नहीं होती क्योंकि कोई अध्यापक अपनी जगह छोड़कर देहातों में पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। यदि मुश्किल से हस्तांतरण कर भी दिया तो नेताओं की मार्फत वहां से अपना हस्तांतरण रुकवा देगा। फिर लोग कहेंगे कि अभी तक अध्यापक नहीं आ रहा है, हमारी शिकायत पर कुछ नहीं हुआ तो क्या करें। जब उनको वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है तो मन्त्री महोदय की सिफारिश से वहां से वापिस बुला लिया जाता है। ऐसी बातें आज चल रही हैं।

हम सबको समान अधिकार देने की बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते हैं। यही वजह है कि हमारे गांव पिछड़े रह गये हैं। जो योजना यहां से ग्रामों के विकास के लिये बनायी जाती है, वह वहां तक पहुंच नहीं पाती है। योजना का सारा पैसा बिचौलिये ही खा जाते हैं।

आपने आंगनवाड़ी कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाये हुए हैं। ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इसके अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे हैं। वहां झूठी हाजरी भर दी जाती है। इस काम में शिक्षा अधिकारी और सुपरवाइजर आदि मिले होते हैं। अध्यापकों को जो वेतन डेढ़ सौ और दो सौ रुपये प्रति माह मिलता है वे सब अधिकारी लोग आपस में बांट कर खा जाते हैं। सरकार का सारा पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस योजना को बन्द न करें, आप इसकी व्यवस्था अच्छी करें।

प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें यह देखने में आया है कि वह समय पर पुरुषों और औरतों को पढ़ाते नहीं है। कभी उनको दिन में पढ़ाते हैं और कभी रात में पढ़ाते हैं। आप इसको देखें और इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित करें। ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही समाज में सुधार की बात हो सकती है। सरकारी अफसर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। हम जब उनसे कोई शिकायत करते हैं तो वे उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप जो भी योजना शुरू करें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उस पर अमल अच्छी तरह से हो। तभी आपकी कोई योजना सफल हो सकती है।

आप शहरों में खूब तेजी से कालेज खोल रहे हैं लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी नया कालेज नहीं खोल रहे हैं। मैं कुशलगढ़ का निवासी हूं। कांग्रेस पार्टी ने वोट लेने की खातिर वहां कालेज

खोलने की हमेशा बात कहीं और वे चुनावों से पहले कालेज का उद्घाटन भी कर देते थे लेकिन दुख की बात है कि आज तक वहां कोई कालेज खुल नहीं पाया है। एक दिन मेरे सवाल के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया, इन अधिकारियों ने लिखकर दे दिया होगा कि वहां लड़कों की कमी है तो क्या 5-7 साल तक लड़के बैठे रहेंगे ? वहां के लड़के हायर सैकेण्ड्री पास करके कोई गुजरात जाकर पढ़ेगा, कोई मध्य प्रदेश जायेगा, कोई बांसवाड़ा जायेगा तो लड़कों की कमी की कहां पूर्ति होगी इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मेरी अपील है कि अगर आप सही माने में आदिवासियों और हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं तो जहां जरूरत है वहां आप डिग्री कालेज, टैक्नीकल कालेज या कृषि कालेज, जो भी ठीक हो, वहां देने का कष्ट करें। चाहे वहां एक ही बना दें लेकिन वहां खोलने की कृपा करें।

अगर वहां आप संसाधन देने में ढिलाई करेंगे तो आपकी योजना फिजूल जायेगी और हमारी परिस्थिति ज्यों की त्यों रहेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो० मेनन बोलेंगे। वे अब बोल रहे हैं। कल हम वाद-विवाद जारी रखेंगे। माननीय सदस्य इसमें कल भी भाग ले सकते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा मानवसंसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सभा के उन सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की अनुदान मांगों से सम्बन्धित इस वाद-विवाद में भाग लिया है और अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। मैं अपनी बात यह बताते हुए आरम्भ करना चाहता हूं कि उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं। उन्हें ध्यान में रखा गया है तथा मानव संसाधन विकास के सभी पहलुओं के बारे में पूरा ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, मैं कहता हूं कि किसी राष्ट्र के पास उपलब्ध समस्त संसाधनों में से मानव संसाधन अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें यह भी पता है कि शिक्षा, मानव संसाधन विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन इसके साथ-साथ इसकी कुछ बुनियादी विशेषताएं भी जुड़ी हुई, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। ये विशेषताएं संस्कृति, महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों, खेल-कूद युवा कार्य से सम्बन्धित कार्यकलापों की है तथा मानव संसाधन की समृद्धि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से हमने इस क्षेत्र में भारी उपलब्धियां हासिल की हैं और हम इस बात को भली-भांति जानते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। मैं अभी तत्संबंधी आंकड़ों की जानकारी दूंगा। हमने प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विकास किया है। लेकिन वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं आरम्भ में इसी बारे में थोड़ा समय लूंगा। सबसे अधिक असन्तोष असमानता और सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेकर दिखाई देता है और यहां मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा कार्यकलाप होना चाहिए जो सामाजिक न्याय में योगदान दे। इसके माध्यम से एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर गुणों का विकास किया जाना चाहिए। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की भावना पैदा की जानी चाहिए। लेकिन आज दिखाई यह देता है कि समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं हैं—जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताएं, अमीर और गरीब के बीच असमानतायें, लड़के और लड़कियों के बीच असमानतायें

[प्रो० एम० जी० के० मेनन]

ग्रामीण क्षेत्र असहाय हैं, निर्धन लोग असहाय हैं, लड़कियां असहाय हैं और यह सब गत चार दशक से भी अधिक समय से हमने जो प्रयास किए हैं उनके बावजूद है।

शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा की गई अनेक टिप्पणियों और हमें दिए गए सुझावों के लिए मैं बहुत ही आभारी हूं और श्री नरसिंह राव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को तैयार करने से सम्बन्धित पूरी पृष्ठभूमि की बड़ी कुशलता से चर्चा की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें और अन्य सदस्यों जो बताना चाहता हूं वह यह है कि जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, न कि किसी दस्तावेज में जो लिखा है उसी को देखा जाए महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में क्या आवश्यक है, अर्थात यदि मैं भारत के भीतरी इलाकों में जाता हूं, सुदूर क्षेत्रों में जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, आदिवासी क्षेत्रों में जाता हूं, तो मैं क्या देखता है? वहां बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए क्या अवसर उपलब्ध है? वे जिस स्कूल में जाने के योग्य हैं उसका स्वरूप क्या है? वहां साक्षरता का स्तर क्या है? उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए व्यवसाय के अवसर क्या है? इनमें किस प्रकार आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की भावना उत्पन्न की जा सकती है? हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा विगत समय में हमारे द्वारा नियुक्त किए गए अनेक आयोगों अर्थात राधा-कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, 1986 के बावजूद अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और यही कारण है कि शिक्षा नीति से सम्बन्धित प्रश्न पर अनेक सदस्यों ने जोरदार टिप्पणियां की है और सुझाव दिया है कि नई शिक्षा नीति 1086 की समीक्षा करने, उसमें संशोधन करने और यहां तक कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने इस नीति की समीक्षा आरम्भ करने का निर्णय किया है, इसके लिए प्रक्रिया तैयार की जा रही है। लेकिन मैं सभा को एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो हम वास्तव में अपने देश के भविष्य की बात कर रहे होते हैं, हम अपने देश के बच्चों की बात कर रहे होते हैं, हम बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जिनमें व्यावसायिक कौशल नहीं है, जिनमें आत्मनिर्भरता की भावना नहीं है। अतः, हम किसी विशिष्ट भाव से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहे हैं। यह इन सभी का भविष्य जो दांव पर लगा है और हम उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आधार पर एक मत होना पड़ेगा। हमने अब तक जो कुछ किया है उसकी अच्छाइयां बनाए रखनी है और उनका विकास किया जाना चाहिए लेकिन साथ ही साथ उसमे विद्यमान कमियों दूर करना होगा।

मैं उन सभी सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने एक मत से शिक्षा के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। अब वर्तमान सरकार की नीति यह है कि शिक्षा के लिए पूंजीनिवेश में राष्ट्रीय आय की छह प्रतिशत वृद्धि की जाए। जैसाकि वर्ष 1986 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट में मूलतः कहा गया है, यह वृद्धि अवश्य की जाएगी। यह इसलिए क्योंकि यह सरकार शिक्षा पर राष्ट्रीय पूंजी निवेश को सबसे अधिक महत्व देती है। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्र और राज्यों के शिक्षा विभागों के योजनागत और योजना भिन्न व्यय हेतु कुल 11,322 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1989-90 के लिए यह राशि 13,620 करोड़ रुपए थी। इसमें कृषि और मेडिकल शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल है।

दूसरी ओर अनेक सदस्यों ने राष्ट्रीय आय का हवाला दिया है। वर्ष 1989-90 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय आय 3,22,163 करोड़ रुपए बैठती है और इसके अनुसार शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिशतता 4.2 बैठती है। अत:, हम अभी तक पूरी धनराशि आवंटित नहीं कर पाए हैं। हमें इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

यदि आप केन्द्रीय बजट प्रावधान, योजनागत और गैर योजनागत आवंटन पर दृष्टि डालें, तो आप देखेंगे कि इस वर्ष 1990-91 की योजनागत और गैर योजनागत परिव्यय की राशि, वर्ष 1986-87 से लेकर अब तक के व्यय अथवा परिव्यय में की गई क्रमिक वृद्धि की तुलना में सबसे अधिक है। लेकिन मुझे पुन: बताना पड़ेगा—और जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है—कि उपलब्ध धनराशि के संबंध में कुछ बाधाएं हैं, संसाधनों की उपलब्धता में कुछ रुकावटें आ रही हैं। इसलिए, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें हम कार्यान्वित तो करना चाहते थे लेकिन अभी तक ये कार्यान्वित नहीं हुए हैं। लगभग सभी सदस्यों ने ऐसी असमानताओं को कम करने के लिए जो विभिन्न प्रणालियों शिक्षा-स्तर और विद्यालयों में विद्यमान हैं, पूरे देश में विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जैसाकि आपको विदित है, शिक्षा आयोग 1966 जिसे कोठारी आयोग के रूप में उल्लिखित किया जाता है, ने सार्वजनिक शिक्षा की एक सामान्य विद्यालय प्रणाली की सिफारिश की थी, ताकि एक समतावादी एकीकृत समाज के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों एवं समूहों को एक साथ एकत्रित किया जा सके, जाति, पंथ एवं आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई थी, ताकि बराबरी के स्तर की शिक्षा तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो सके और यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित हो, जिसमें सामान्य संहिता तथा अन्य उदार घटक शामिल हों।

मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की है। जबकि सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षा के स्तरों में असमानताओं को कम-से-कम किया जाये, सामान्यत: सरकारी विद्यालयों के लिए के आवंटन हेतु संसाधनों में कमी आई है। इसीलिए अपना स्तर बढ़ाने के मामले में वे बहुत कुछ नहीं कर पाये हैं। तथापि, मैं असमानताओं को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में इस सदन को आश्वासन देता हूं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षा के समय इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जावेगा।

अनेक सदस्यों ने लड़कियों की शिक्षा के प्रश्न के बारे में जोरदार रूप से विचार व्यक्त किए हैं। हम सभी इस वर्ष जिसे हम बालिका वर्ष के रूप में मना रहे हैं, लड़कियों को शिक्षा की सर्वाधिक महत्व देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर, विशेष रूप से भारत के कुछ राज्यों में बहुत कम है तथा इसका भविष्य से सम्बन्धित अन्य सभी पहलुओं और परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ा है।

पाठ्य पुस्तकों के मामले में लिंग भेद को समाप्त करने के लिए इसके मूल्यांकन के प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों के लिए अधिक संख्या में महिला अध्यापकों की भरती, पाठ्य पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, मुक्त वर्दी, उपस्थिति, छात्रवृत्ति तथा विभिन्न राज्यों में अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्र चलाने के लिए 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। देश में सभी

[प्रो० एम० जी० के० मेनन]

सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक तथा अधिकांश राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 10वीं कक्षा तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अनेक राज्यों में लड़कियों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है।

एक माननीय सदस्य प्रो० मालिनी भट्टाचार्य ने एक वक्तव्य दिया था कि 11वीं और 12वीं में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए प्रतिपूर्ति हेतु धन की व्यवस्था की जाये। सातवीं योजना-अवधि के अन्त तक यह भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की जाती थी। अब आठवीं योजना से, जिसका यह प्रथम वर्ष है, इसका वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगी।

लड़कियों के स्कूलों में दाखिले लेने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि पिछले 10 वर्ष की अवधि में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है जो एक महत्वपूर्ण बात है। सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के बारे में भी काफी प्रयास किए गए हैं। इस मद में बजट प्रावधान में वृद्धि की गई है तथा इससे पिछले कुछ वर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि का पता चलता है।

माननीय सदस्यों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रश्न पर काफी समय तक चर्चा की है। तथ्य यह है कि यह एक प्राथमिकता का क्षेत्र है, चूंकि यह रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करता है तथा उच्चतर शिक्षा का एक विकल्प प्रस्तुत है। उच्चतर शिक्षा में स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र द्वारा एक योजना प्रायोजित की गई है। इसका उद्देश्य शैक्षिक अवसरों का विविधीकरण करके अभिनिर्धारित व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करने के निमित्त एक विशेष स्रोत की व्यवस्था करना है तथा व्यक्ति की नियोजनीयता में वृद्धि करना है। श्री नरसिंह राव व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे पूछा है। मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या 62 है और इनके सम्बन्ध में जिन बातों की ओर ध्यान दिया गया है वे हैं पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, सीखने की सामग्री, उपस्करों का ब्यौरा अपेक्षित सहायता रिपोर्ट में पाठ्यक्रमों की जो संख्या दी गई है, जिसका श्री नरसिंह राव जी ने उल्लेख किया है, वह पाठ्यक्रमों की कुल संख्या है। इसलिए, आश्चर्य व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वही पाठ्यक्रम हैं जो दिए गए है तथा ये भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए जिस धन-राशि का उल्लेख किया है, वह वर्ष 1989-90 में 47 करोड़ रुपये थी। अब यह वर्ष 1990-91 में 84 करोड़ रुपये है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और रोजगार क्षेत्र के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। सम्बन्धित स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्नातक-पूर्व स्तर पर पाठ्यक्रमों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहूंगा जिसका उल्लेख अनेक सदस्यों द्वारा किया गया है।

सभापति महोदय : अब आपको और कितने समय की आवश्यकता है ? क्या आप इसे अगले पांच मिनट में समाप्त करेंगे ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : महोदय, मुझे कुछ और समय की आवश्यकता है। मुझे कुल मिलाकर आधे घण्टे की आवश्यकता थी। हम पांच बजे इसे समाप्त कर लेंगे।

सभापति महोदय : क्या आप इसे कल जारी रखना चाहेंगे अथवा इसे आप आज ही समाप्त

करना चाहते हैं ? यदि आप इसे आज ही समाप्त करना चाहते हैं, तो यदि सदस्य ऐसा चाहें, आप जारी रख सकते हैं।

प्रो० एम० वी० के० मेनन : मैं इसे दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : बेहतर है कि वे इसे आज ही समाप्त कर दें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वाद-विवाद कल भी जारी रहेगा। उन्होंने केवल बीच में ही बोलने का अवसर लिया है। यह कोई अन्तिम उत्तर नहीं है। प्रो० मेनन, अब आप जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय दून विद्यालय और सैनिक स्कूल कांवेंट स्कूल अधिक खर्चीले होने के कारण एस० सी० एस० टी० और कमजोर वर्गों के लोग उसमें शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। क्या सरकार इन स्कूलों में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें। प्रो० मेनन जारी रखें।

प्रो० एम० वी० के० मेनन : बड़ी संख्या में सदस्यों ने शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण के प्रश्न का उल्लेख किया है। निःसन्देह यह एक तथ्य है कि धनी घरों के बच्चों को शिक्षा देने वाले पब्लिक स्कूलों तथा सरकारी स्कूलों जहां अनेक में बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है में अन्तर विद्यमान है। 1966 के शिक्षा आयोग ने ऊंचे मानदण्डों को बनाये रखने वाले गैर सरकारी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक भूमिका को मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लोगों की भागीदारी को प्रधानता दी गई है। वास्तव में एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है जिसके बारे में मैं आशा करता हूं कि कि यह संसाधनों को बढ़ाकर किया जा सकता है, यदि सरकार की शिक्षा प्रणाली में बेहतर मानदण्ड सुनिश्चित करने में भी सदस्य मेरा साथ दें। एक अन्य प्रश्न जो अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है, वह प्राथमिक अध्यापकों के बारे में है मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है अध्यापकों का शिक्षा के सम्बन्ध में केंद्र द्वारा एक योजना प्रायोजित की गई है तथा शिविरों में भाग लेने के लिए विद्यालय के अध्यापकों में व्यापक उद्बोधन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसमें पिछले चार वर्षों में साढ़े बारह लाख प्राथमिक अध्यापकों ने भाग लिया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के प्रश्न पर अनेक सदस्यों, विशेष रूप से श्री गोवर्द्धन भागेव तथा श्री कपिल देव शास्त्री द्वारा एक अति महत्वपूर्ण बात कही गई है। उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं। सभी सरकारी विद्यालयों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों और गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा तत्सम्बन्धी राज्य की अपनी भाषा में ही दी जाती है। भाषा भी अल्पसंख्यकों आदिवासी समूहों इत्यादि को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। किन्तु, इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता यह रखी गई है कि ऐसे विद्यालय में कम-से-कम 40 छात्र तथा एक कक्षा में कम-से-कम 10 छात्र हों। समस्या भूत-भूतनीतियों की नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवहार में लाने की है क्योंकि सही संख्या में अध्यापकों की भर्ती

[श्री० एम० ओ० के० नैनन]

करने, लिपि का विकास करने इत्यादि की समस्यायें हैं। जैसाकि आपको विदित है, महोदय एक प्रमुख समस्या बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की है। हम स्कूलों में बच्चे दाखिल करते हैं किन्तु बड़ी संख्या में छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं निरक्षरता की इतनी अधिक दर होने का एक प्रमुख कारण यह भी है।

लेकिन मुझे खुशी है कि प्रारम्भिक तथा प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है और यह एक शुभ संकेत है। बीच में पढ़ाई अधूरी छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधायें, ब्लैकबोर्ड, पर्याप्त संख्या में क्लास रूम तथा जहां पर अध्यापक है वहां दो अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करने होंगे। ये कार्य 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के अन्तर्गत किए जायेंगे। पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों, स्कूल रहित जगहों के बच्चों के लिए, पूरे दिन स्कूल में न पढ़ सकने वाली लड़कियों के लिए कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को पुनर्गठित करने तथा उसकी क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं इसके बाद आता है नई नीति के अनुरूप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और नई पाठ्य पुस्तकें। छात्राओं को निशुल्क वर्दी देने, दोपहर में निःशुल्क भोजन देने, नि शुल्क पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्तियां देने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है, कई सदस्यों ने यह बात कही है कि प्रारम्भिक शिक्षा को वरीयता दी जाती है तथा पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि में कमी आती जा रही है। यह सही है कि हम इस योजना में इस गलती को सुधारना चाहते हैं। पहली योजना में यह खर्च 56 प्रतिशत का और सातवीं योजना में यह घटकर 29 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1950-51 में गैर-योजना क्षेत्र में कुल व्यय 48 प्रतिशत था और इस वर्ष पहले यह घटकर 40 प्रतिशत रह गया। छात्रों की संख्या में वृद्धि होने मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित समस्यायें भी हैं। वास्तव में इस मद पर आज भी उतनी धनराशि व्यय की जा रही है जितनी 30 से 40 वर्ष पहले की जा रही थी। स्पष्टत. कुल संसाधनों के स्तर को तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उपलब्ध धनराशि के प्रतिशत को बढ़ाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : आपके यहां प्रौढ़ शिक्षा चल रही है, हम उसको फ्राड शिक्षा कहते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री० एम० ओ० के० नैनन : महोदय, यहां नवोदय विद्यालय के बारे में एक महत्व पूर्ण उल्लेख किया गया था और अभी कुछ माननीय सदस्यों में बीच में व्यवधान डालकर इस बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान नवोदय विद्यालयों को सहायता दी जाती रहेगी, इन्हें सशक्त बनाया जाएगा तथा इनका विकास किया जाएगा, हालांकि योजना की समीक्षा किए जाने तक कोई नया नवोदय विद्यालय नहीं खोला जाएगा यह पहली बात है, दूसरे हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 78 प्रतिशत छात्रों में से 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं, 11 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं तथा 27 प्रतिशत लड़कियां हैं।

5.00 प० प०

इनमें से चालीस प्रतिशत बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 000 रुपये से भी कम है और इनमें से 16 प्रतिशत ऐसे जो अपने परिवार में पहले पढ़ने वाले हैं।

सात सदस्यों ने नवोदय विद्यालयों के बारे में कहा इस विषय में, मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं योजना में इस उद्देश्य हेतु 250 करोड़ रुपये दिए गए थे। मुख्य बात यह है कि हमें अपने आपसे यह प्रश्न करना है कि जब हमारे पास कुछ निश्चित धनराशि हो तो हम उसे कहां खर्च करें। यही वह मूल प्रश्न है जो हमें अपने आपसे पूछना है क्योंकि अन्य स्कूलों में ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बहुत खराब स्थिति है, इसलिए हमें उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च वरीयता देनी चाहिए। इसलिए जहां तक नवोदय विद्यालयों का सम्बन्ध है, तो जैसा मैंने कहा कि उनकी समीक्षा की जाएगी।

कई सदस्यों ने उच्च शिक्षा से संबन्धित प्रश्न उठाया और इस बारे में, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। सर्वप्रथम, हमारा यह प्रयास होगा कि हम यह सुनिश्चित करें कि उच्च शिक्षा रोजगारोन्मुख हो। रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ाने और सूचना तकनीक के उभरते क्षेत्रों में, इलैक्ट्रोनिकी तथा जीवविज्ञान आदि के नए क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित नए पाठ्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के क्षेत्र में सही कार्य नहीं कर रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आयोग ने बहुत से प्रशंसनीय कार्य किए हैं। संचार माध्यमों और शैक्षिक तकनीक के उपयोग के मुक्त कार्यक्रम में कार्य किया है। मैं चाहूंगा कि छात्रों के हितों के लिए इसका टेलीविजन पर और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। वे विकसित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सामान्य सुविधायें देने से सम्बन्धित रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों के लिए आवश्यक मूल आवश्यकताओं हेतु सी० ओ० एस० आई० एस० योजना के अन्तर्गत कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कालेज मानविकी और समाजविज्ञान सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

यह आम भावना रही है कि आवंटन के मामले में उच्च शिक्षा के पक्ष में भेदभाव किया जाता है। छठी योजना में केन्द्र में शिक्षा के लिए 735 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था जिसमें से उच्च शिक्षा के लिए 245 करोड़ रुपये के जो कुल राशि का एक तिहाई था, सातवीं योजना में, केन्द्र में शिक्षा के लिए 1739 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था जिसमें 420 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के लिए थे जो 33.3 प्रतिशत से घटकर 24.15 प्रतिशत रह गया। हालांकि, इस दौरान विश्व-विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है लेकिन उन्हें आवश्यक सहायता देना संभव नहीं हो सका।

कई सदस्यों ने स्वायत्त कालेजों की बात कही है। स्वायत्तशासी कालेजों का उच्च शैक्षणिक प्रशासन, संवर्धनात्मक सृजनात्मकता और ऊंचे मानदण्डों का विकेन्द्रीकरण करना है। कुछ लोग विद्यार्थियों वाले बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के स्थान पर छोटे-छोटे विश्वविद्यालय चाहते हैं। समस्या यह रही है कि उनमें से अधिकांश ने उचित रूप से अपना कार्य नहीं किया है। शिक्षा नीति, 1986 की प्रस्तावित समीक्षा के साथ इनके कार्यकरण की भी समीक्षा की जाएगी।

डा० संतेश्वर नाथ चौधरी (पटना) : यह एकदम असफल रही है। इसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। इसका निजीकरण और व्यापारीकरण हो गया है।

प्रो० एम० ओ० के० मेनन : निश्चय ही, जैसा मैंने कहा, हम इसकी समीक्षा करेंगे, श्री प्रोब्रीन मानेय, श्री नरसिंहा राव और अन्य सदस्यों ने जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा है कि

[प्रो० एम० जी० के० मेनन]

उन्हें स्थानीय भाषा के बजाय उनकी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इण्डियन लैंगुएज, मैसूर ने इस बारे में प्रयास किए हैं तथा तत्सम्बन्धी प्राइमर, फाकरण तथा ध्वनि के आधार पर पढ़े जाने वाली सामग्री तैयार की है। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि ये सब स्थानीय भाषा की लिपि में हैं और इसे राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के लिए एक सम्पर्क भाषा के रूप में बनाने के लिए तैयार किया गया है। ऐसी लगभग 70 भाषाओं को तैयार किया गया है, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि इस दिशा में अभी और अधिक प्रयास किया जाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए क्योंकि यही एक तरीका है जिससे बच्चा और उसका मस्तिष्क इसे समझ सकता है।

सरकार की प्रत्येक नीति में यह कहा गया है कि शिक्षा आवश्यक रूप से मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मैं इस बारे में पहले ही काफी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई सदस्यों ने संस्कृत का उल्लेख किया है तथा इसे समर्थन देने की बात कही है। मैं इस हेतु बनाई गई वर्तमान योजनाओं का विवरण नहीं दूंगा। देश के 65 विश्वविद्यालयों में संस्कृत को मुख्य विषय के रूप पढ़ाया जाता है तथा इससे सम्बन्धित कई योजनायें भी हैं। लेकिन मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि सरकार संस्कृत को भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग मानती है और इसके विकास तथा अध्ययन, अध्यापन के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

मैं अन्य क्षेत्रों के बारे में कुछ मिनट बाद कुछ बातें कहना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक वक्ता ने संस्कृत के बारे में उच्चतम न्यायालय के एक मामले का उल्लेख किया परन्तु आपने इसका उल्लेख नहीं किया।

प्रो० एम० जी० के० मेनन : समय की कमी के कारण मैं उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करूंगा और मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मुझे संस्कृति, खेल, युवा तथा महिला सम्बन्धी मामले और बाल विकास से सम्बन्धित मामलों को देखने का पर्याप्त समय नहीं मिला। महिला तथा बाल विकास के क्षेत्रों में एक प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रीय आयोग के प्रश्न से सम्बद्ध है, जिसका उल्लेख किया गया है और वह एक ऐसा मामला है जिसे सांविधिक आधार पर स्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

जहां तक बालिकाओं का प्रश्न है, 'क्रेच' और शिशु पालन केन्द्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जैसे ही धन उपलब्ध होगा, हमें आशा है, हम निश्चित रूप से उन्हें अधिक संख्या में स्थापित कर सकेंगे। इस समय इनके लिए धन गैर-योजना निधि के रूप में नियत किया जाता है किन्तु इस सम्बन्ध में माननीया सदस्या श्रीमती भट्टाचार्य के सुझाव पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

5.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभी सदस्यों ने समेकित बाल विकास योजनाओं का उल्लेख किया है, जो इस समय चल रही हैं तथा जो अनिवार्य रूप से छः वर्ष तक के ग्रुप के बच्चों का पालन पोषण करती है। क्योंकि यह आंगनबाड़ी के आधार पर एक समेकित योजना है, अतः आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से

स्थानीय क्षेत्र से लिए जाते हैं और ये स्वयंसेवी कार्यकर्त्ता कतिपय वेतन के आधार पर कार्य करते हैं···

···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालिये। माननीय मंत्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने दीजिए। यह सभी के लिए उपयोगी होगी ?

प्रो० एम० जी० के० मेनन : माननीय सदस्यों ने समेकित बाल विकास योजना का उल्लेख किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं यह योजना 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसमें समेकित रूप से पोषक आहार प्रतिरक्षण और शिक्षा की व्यवस्था है। वास्तव में, ऐसे अनेक समेकित बाल विकास योजना केन्द्र हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किन्तु अनेक माननीय सदस्यों ने विशेषकर भोज्य पदार्थों और पोषक आहार के दृष्टिकोण से अपने अनुभव अभिव्यक्त किये हैं। उन्होंने इन सभी चीजों के संचालन में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। इन बातों की निश्चित रूप से जांच की जा सकती है। किन्तु इस योजना का आधार यह सुनिश्चित करना है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का एक समुदाय में समेकित आधार पर पालन किया जाये। इसीलिए इस योजना को समेकित बाल विकास योजना कहा गया है।

मैं महिला और बाल विकास और एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की चर्चा कर रहा था और इसका गठन राज्य स्तर पर भी होना चाहिए। राष्ट्रीय आयोग के गठन के लिए महिला और बाल विकास विभाग की वार्षिक योजना में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। महिला सम्बन्धी योजना एक पृथक योजना नहीं होनी चाहिए अपितु इस विभाग के समग्र योजना अनुभव के संदर्भ में दिये गये सुझावों में से एक सुझाव यहां रखा जा रहा है। महिलाओं के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के प्रश्न पर, विशेषकर कानूनों की पुनरीक्षा के संदर्भ में, विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक संस्कृति के क्षेत्र का सम्बन्ध है, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार की जायेगी और इसमें कुछ समय लगेगा। किन्तु संस्कृति के बारे में मैं जो एक अत्यधिक महत्व की बात कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी शिक्षा संस्कृति, जैसा कि अनेक सदस्य कह चुके हैं, लगभग एक दूसरे से संबद्ध है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शिक्षा में संस्कृति के केवल वही तत्व शामिल नहीं है जैसा कि अधिकांश व्यक्ति संस्कृति का अर्थ लेते हैं और वे तत्व हैं, नृत्य, नाटक, संगीत, कला प्रदर्शन आदि, अपितु हमारी शिक्षा में वे मूलभूत उपयोगी सिद्धान्त हैं जो मानव को पूर्ण मानव बनाते हैं। हमारी सांस्कृतिक नीति का यही उद्देश्य, न कि यह कि उसका उद्देश्य यथा संभव बड़े पैमाने पर केवल गतिविधियां बनाये रखना होगा। मेरे पास जो समय उपलब्ध है, उसमें मैं सभी मुद्दों पर प्रकाश नहीं डाल पाया हूं और मुझे आशा है कि इसे पूर्ण करने का अवसर मुझे कल प्राप्त हो सकेगा। चर्चा कल समाप्त होगी।

———

5.13 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना (आई०टी०डी०पी०) क्षेत्रों तथा आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति योजना को जारी रखना तथा इस योजना का क्षेत्र बढ़ा कर असम के उत्तरी कछार तथा करबी-अंगलोंग जिलों तक करना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : महोदय, माननीय सदस्यों को विदित

ही है कि समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों के निवासियों के लिए विशेष राज-सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की एक योजना की नवम्बर, 1985 में घोषणा की गयी थी और इसका कार्यान्वयन दिसम्बर, 1985 से शुरू कर दिया था। इस समय इस योजना के अधीन समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाके और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप और दादर तथा नगर हवेली के आदिवासी बहुल राज्य/संघ शासित प्रदेश आते हैं। इस योजना के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे गेहूं और चावल के मासिक आवंटनों में से सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी और गैर-आदिवासी लाभभोगियों को खुले बाजार में चल रहे मूल्यों की अपेक्षा काफी सस्ते दामों पर गेहूं और चावल मुहैया किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अधीन इस समय निर्धारित किया गया गेहूं का अधिकतम निश्चित खुदरा मूल्य 1.79 रु० प्रति किलोग्राम और साधारण चावल का यह मूल्य 2.19 रु० प्रति किलोग्राम है।

यह योजना सर्वप्रथम 31 मार्च, 1986 तक मंजूर की गई थी और बाद में इसकी अवधि वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर बढ़ाई जाती रही है। इस योजना को कल्याण उपाय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। सरकार ने वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कोई संशोधन किए बिना इस योजना को पहली अप्रैल, 1990 से एक और वर्ष जारी रखने का निर्णय किया है।

इस योजना को अब असम के दो पहाड़ी जिलों अर्थात् उत्तरी कछार और कार्बी-आंगलोंग में लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय इन दो जिलों में इस योजना का लाभ पहुंचाने विषयक असम सरकार के काफी पुराने अनुरोध के प्रत्युत्तर में किया था। इस अनुरोध के पीछे उनका तर्क यह था कि इन जिलों की अधिकांश जनसंख्या आदिवासियों की है और ये जिले संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं। इन दो जिलों को छोड़कर इस अनुसूची के अधीन आ रहे सभी इलाकों में यह योजना पहले ही लागू कर दी गयी थी।

———

5.15 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

383 अप मोकामा-बानापुर यात्री रेलगाड़ी में 16-4-90 को आग लगने की घटना

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री हरीश रावत चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, कल का दिन कई मनहूस खबरें लेकर हम लोगों तक आया। मोकामा-बानापुर ट्रेन में आग लगने से कई दर्जन लोगों के झुलस कर मरने की खबर और उधर बस्ती में जहरीला पदार्थ मिला खाना खाने से 100 से ऊपर लोगों के मरने की खबर—ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के दिल को दहलाने देने के लिए काफी है। मैं उन लोगों की तकलीफ, जो एक बन्द रेल के डिब्बे में आग लगने से झुलस कर मरे, किस प्रकार से वे तड़फे होंगे, कितनी पीड़ा और दर्द

उनको हुआ होगा, उसका अहसास कर, इस समय भी मेरी आत्मा कांप जाती है। माननीय रेल मंत्री जी ने कल बहुत ठीक शब्दों में उनकी तकलीफ को गहराई में जाकर अनुभव किया, उन्होंने कहा कि मैं इस समय भी उनकी पीड़ा और तकलीफ का अनुमान लगाकर भयभीत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बाहर से देखने पर यह घटना रेलवे प्रशासन की कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन जब हम गहराई से माननीय मंत्री जी के बयान की छानबीन करते हैं और जो समाचार उनके बयान के बाद छपे हैं और जिस प्रकार की जानकारियां पटना से लोगों को मिल रही हैं, उन जानकारियों के आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस वीभत्स दुर्घटना के लिए रेलवे प्रशासन, दानापुर मण्डल का रेलवे प्रशासक, रेलवे के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी उतने ही दोषी हैं जितना इस प्रकार के अक्षम्य अपराध को करने वाला कोई दूसरा अपराधी हो सकता है। कल माननीय रेल मंत्री के बयान से इस घटना की वास्तविक गम्भीरता तो परिलक्षित होती है, मगर किन लोगों के अपराध का यह परिणाम है, उन लोगों के अपराध की गम्भीरता इससे जाहिर नहीं होती है, इसकी मुझे तकलीफ है। मेरी पार्टी के महासचिव माननीय महावीर प्रसाद जी, जो पटना में घायलों से मिले, उन्होंने जो सूचना हमको उपलब्ध करवाई है, मैं उस सारी सूचना को सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस उद्देश्य से नहीं कि मैं रेल मंत्री जी की या सरकार की आलोचना कर रहा हूं बल्कि इस उद्देश्य से कि इस घटना को, जिसमें लगभग सौ लोगों की जान गई है, हमको एक आंख खोलने वाली दुर्घटना समझना चाहिए और हम सबका प्रयास होना चाहिए, रेल मंत्री का प्रयास होना चाहिए, सरकार का प्रयास होना चाहिए, रेलवे प्रशासन तंत्र का प्रयास होना चाहिए कि दूसरी बार हमको ऐसा दुर्भाग्यजनक अवसर न मिले कि हम सदन के पटल पर इसकी चर्चा करें। चार लापरवाहियां जो स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आती हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बयान में कल इशारा भी किया कि ट्रेन के डिब्बे में, उस बोगी में एक गैस का सिलिंडर रखा हुआ था और उससे गैस का रिसाव जारी था। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वह गैस का सिलिंडर पैसेंजर बोगी में कैसे पहुंचा? जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि रेल के डिब्बे में वार्निंग लिखी रहती है कि "ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना मना है", "रेल में धूम्रपान करना मना है" दोनों प्रकार की वार्निंग के बावजूद रेलवे प्रशासन के लोगों ने, जिस स्टेशन से उस सिलिंडर को रखा गया था, पैसेंजर्स को कैसे इजाजत दे दी? सिलिंडर कोई बेड में ले जाने वाली चीज तो नहीं थी, उसको सबकी नजरों के सामने ले जाया गया होगा, वहां चेकिंग स्टाफ होगा, पुलिस के लोग होंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि उस सेक्शन के अन्दर रेलवे प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की एक मिलीभगत है। कोई व्यक्ति जो कुछ ले जाना चाहे, लोग तो यहां तक कहते हैं कि लोग दीवाली के दिनों में आतिशबाजी का सामान भी ले जाते हैं। अखबारों में छपा है कि उसमें डीजल के डिब्बे भी रखे हुए थे। यह एक गम्भीर बात है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह की मैनलीजेंस के लिए दोषी लोग, उनकी जानकारी आप हमको नहीं बताएं, कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए, रेलवे प्रशासन के लोगों को होनी चाहिए। यह मामला कोई अकेले हमने नहीं बल्कि आप ही की पार्टी के बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने उठाया है और यहां तक कहा कि मुझे इसमें एक षड्यन्त्र की बू लगती है।

मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह कोई इस तरह का सन्देह है या रैशनल प्रैक्टिस है। यदि रैशनल प्रैक्टिस है तो षड्यन्त्र से भी ज्यादा गम्भीर मामला है। दूसरा, अखबारों में भी साफ तौर पर

[श्री हरीश रावत]

छपा है कि इस ट्रेन में जो डेली कम्यूटर्स हैं वे लोग जगह-जगह पर चेन पुल करके ट्रेन को रोक देते हैं, उसको ऐवायड करने के लिए चेन सिस्टम जिसका प्रयोग इमरजेंसी में किया जा सकता था, उसको हटा दिया गया। उसकी जानकारी किसी को नहीं है, रेलवे प्रशासन ने अपने आप निर्णय लिया कि हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, लोग जगह-जगह इसको रोक देते हैं, जिसकी जहां मर्जी आती है वहां पर उतर जाते हैं, इसलिए हम चेन नहीं लगायेंगे ; जिस समय आग लगी थी यदि उस समय चेन होती तो एक-डेढ़ किलोमीटर का फासला तो लोगों ने जलते हुए, तड़पते हुए प्राण त्यागे होंगे दर्जन लोगों ने, कम से कम उस वीभत्स घटना को रोका जा सकता था, कम लोग मरते, बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, लोग चेन पुल कर सकते थे। यदि सारी ट्रेन में चेन किसी भी डिब्बे में होती तो लोग जब चिल्लाए होंगे तो उनके अगल-बगल के डिब्बे वालों ने भी उनका क्रदन, क्रंदन सुना होगा, उनके कानों तक भी पहुंचा होगा। क्योंकि चेन नहीं थी, किसी को रोकने का प्रयास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस चेन को जो इमरजेंसी के अन्दर पूल की जा सकती है, उसको हटाने का निर्णय किसने लिया ? क्या यह निर्णय रेलवे बोर्ड ने लिया या फिर रेलवे के स्थानीय प्रशासन ने लिया। आखिर इस निर्णय के लिए किसी की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ? यह मालूम रहना चाहिए कि इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? जो लोग अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए क्योंकि वे बार-बार चेन पूल करने वाले को रोक नहीं सकते हैं, उन्होंने इस प्रकार का खतरनाक निर्णय लिया और चेन ही हटा दी।

तीसरी लापरवाही जो माननीय मंत्री जी के बयान और अखबारों से मिली है, उससे जाहिर होती है और उसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इसका खण्डन करें या पुष्टि करें, वह है कि जिस डिब्बे में आग लगी उस डिब्बे में चार दरवाजे थे और उन चार दरवाजों मे तीन दरवाजे ऐसे थे जो खुल नहीं सकते थे और कभी खुलते ही नहीं थे, यह खराब पड़े थे, उनका लोक सिस्टम खराब हो गया था, यही कारण है जब लोग जल रहे थे, तड़प रहे थे तो एक ही दरवाजे की तरफ उन्होंने भागने की कोशिश की क्योंकि दूसरे दरवाजों से निकलने का कोई साधन ही नहीं था। यदि चारों दरवाजे ठीक होते तो शायद 2-4 लोगों की जानें जाती और बाकी के बच जाते और कूद जाते। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह कूद नहीं पाये। छत में जो लोग थे, जब आग लगी तो वे कूद कर बच गये और घायल हो गये, उनमें से किसी को चोट लगी, किसी के पैर में और किसी के हाथ मे चोट लगी, लेकिन जो अन्दर थे वह बाहर नहीं निकल पाये।

चौथी सबसे बड़ी लापरवाही यह थी कि छोटे से डिब्बे में सौ-डेढ़ सौ आदमी भेड़-बकरी की तरफ जाने के लिए किस प्रकार मजबूर होंगे ? वहां के डेली पैसेंजरों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने बार-बार रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है जो पटना अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जाते हैं, दूध बेचने के लिए जाते हैं, सब्जियां बेचने के लिए जाते हैं और दूसरी चीजें लेकर जाते हैं, इस कारण ज्यादा ट्रेनें ऐसी छोटल ट्रेनें यहां लगायी जानी चाहिएं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने आग्रह किया कि यदि ट्रेन ज्यादा नहीं लगा सकते हैं तो कुछ ट्रेनें जो यहां से पास होती हैं, उसमें बोगी लगा दें, लेकिन उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। बिहार की तो यह नियति ही बना दी गई है कि चाहे वह अपने यहां से चुनकर किसी को भेजें, चाहे मंत्री को भेजें या किसी और को भेजें, लेकिन उनकी विडम्बना है कि उन्हें जब सुविधायें देने की बात आयेगी तो हर आदमी उसमें कतराने की कोशिश करेगा और उनके

आग्रह को ठुकरा देगा। उसका परिणाम है कि एक ही ट्रेन में कुछ बोगियों में और एक-एक बोगी के अन्दर 100 से ज्यादा लोग भेड़-बकरियों की तरह इकट्ठे हो गये। जो एक दरवाजा खुलने वाला था उसी दरवाजे में लोग आये, उसी दरवाजे में उन्होंने सब्जी वगैरह के बोरे रख दिये, दूध की बाल्टियां रख दीं ताकि निकलने का कोई रास्ता ही न रह जाये। आज यह अखबार में खबर छपी है कि पैसेंजरों ने खुद यह यह काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने लोगों को वहां से हटाने का काम शुरू किया। जो अपनी दूध की बाल्टी और सब्जी के बोरे उसमें रखकर चलते थे, उन्होंने वह काम करना शुरू किया। जो काम रेलवे प्रशासन को करना चाहिए था, वह काम उन लोगों ने खुद किया। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आखिर बार-बार लोगों के आग्रह के बाद वहां पर अगर ट्रेनें नहीं चल सकीं तो कम से कम बोगियां तो आप लगा सकते थे, परन्तु उसको अनदेखा किया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है।

सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के विषय में आपको हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम है और जो आपकी पार्टी के साथी हैं उन्होंने इस विषय में आपको जानकारी दे दी होगी कि वहां मासिक धंधा हुआ है, यात्रियों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। बस महीने में एक बार पुलिस को कुछ दे दीजिए, जिसकी थाने में ड्यूटी है, उसको कुछ दे दीजिए, रेलवे के परमानेंट स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनको दे दीजिए···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : आपके जमाने से यह चल रहा है।

श्री हरीश रावत : इसमें जमाने का सवाल नहीं है। चाहे हमारे जमाने से चल रहा था, यह दुर्भाग्य आपका है कि आप सत्ता में आ गये, यह कालिख आपके माथे पर लग गई है मगर आप समझते नहीं हैं। लेकिन मैं इसको पार्टी पोलिटिक्स का मामला नहीं समझता, यह एक दुर्भाग्यजनक घटना है जिसके लिए हम सब लोग दुखी हैं और मैं तो केवल उन बिन्दुओं की ओर इशारा कर रहा हूं, जो कमजोरियां, जो कमियां इस सारी दुर्घटना के बाद उभरकर सामने आयी हैं ताकि माननीय रेल मंत्री उन बिन्दुओं का निराकरण कर सकें, उन कारणों का निराकरण कर सकें।

आपने अपने बयान में कहा कि हम रेलवे पैसेंजर्स को एजुकेट करने का एक राष्ट्रीय प्रोग्राम चलायेंगे, बहुत अच्छी बात है। रेलवे सेफ्टी के विषय में, चाहे वह आउटसाइड बोगी हो या इनसाइड बोगी हो, लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों के माध्यम से भी जानकारी दी जानी चाहिए, वर्कशाप भी किए जाने चाहिए लेकिन आज इन सारी बातों को देखकर जो बिन्दु मैंने आपके सामने उठाये हैं, उससे तो यह प्रतीत होता है कि सुरक्षा के विषय में जानकारी देने की जरूरत पैसेंजर्स को कम है, पैसेंजर्स से ज्यादा शिक्षित करने की यदि किसी को जरूरत है, माननीय जार्ज फर्नाण्डीज साहब, वह रेलवे प्रशासन और रेलवे कर्मचारी तन्त्र को शिक्षित करने की है, उनको बताने की ज्यादा जरूरत है कि आखिर तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं, मिलीभगत करके, अपनी जेब गर्म करके या जिन पैसेंजर्स के लिए वह ट्रेन बनी है, उन पैसेंजर्स को सुविधा देकर के, उन नियमों का परिपालन करवा कर जिससे सामान्य आदमी का जीवन सुरक्षित रह सकता है।

अखबारों में और दूसरी जगह कई और भी बातें कही गई हैं, मैं कोई आक्षेप, आरोप-प्रत्यारोप के दायरे में नहीं ले जाना चाहता, इस दर्दनाक वाकये की जानकारी मिलते ही आप स्वयं वहां पर गये, आपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके स्तर से सम्भव हो सकती थीं, वह निर्देश वहां पर दिये और आपके निर्देशों के बाद कार्यवाही भी प्रारम्भ हुई। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री भी दुर्घटना स्थल पर

[श्री हरीश रावत]

गये और उन्होंने तत्परता के साथ कुछ कदम भी उठाये। मैं आपकी और उनकी तत्परता की भी सराहना करना चाहता हूं लेकिन जो जानकारियां हमको मिली हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको जानकार तकलीफ होती है। पहली तकलीफ तो इस बात की होती है कि जो नालन्दा मेडिकल कालेज का हास्पिटल है, वहां इतनी सुविधाएं नहीं और लापरवाही की यह हद थी कि जब मुख्य मन्त्री वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद घायल वहां पहुंचे तो उनकी देख-रेख करने के लिए कोई सीनियर डाक्टर मौजूद नहीं था, मेडिकल सुपरिण्टैण्डेण्ट खुद मुख्य मंत्री के पहुचने के बाद वहां पहुंचे, जब उनको मालूम हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी वहां पहुंचे हैं तो उसके बाद उन्होंने वहां पहुंचना गवारा किया। आज भी लोगों का कथन यह है कि कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जो गम्भीर हालत में थे मगर उनकी जान केवल इसलिए नहीं बच सकी क्योंकि सीनियर डाक्टर्स की असिस्टेंस जूनियर डाक्टर्स को उपलब्ध नहीं हो पायी। एक ऐसे ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मिथलेश कुमार का जिक्र किया है, उसके विषय में कहा गया था कि वह 80 परसेंट बर्न के साथ वहां पर एडमिट हुआ था और यदि उसे समय पर टिटनैस का इंजेक्शन दे दिया जाता, समय पर कुछ और इलाज हो जाता तो वह शायद बच सकता था मगर वह व्यक्ति बच नहीं पाया। केवल इतनी जानकारी को लेने के लिए वहां पर जिन्दा रहा कि उसकी बेटी और पत्नी जलकर राख हो गये हैं, मर गये हैं। उसे केवल एक बार होश आया क्योंकि उसका ट्रीटमैंट समय पर नहीं हो पाया।

वहां के विषय में यह जानकारी मिली है कि टिटनैस के इंजेक्शंस जो एक सामान्य प्रकार के इंजेक्शंस हैं, छोटे से छोटे हास्पिटल में उपलब्ध रहने चाहिए, वहां के दो-दो मेडीकल कालेजेज के हास्पिटल्स में उपलब्ध नहीं थे और रेलवे का प्रशासन और हास्पिटल का प्रशासन दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इस प्रकार की दवाइयों का इन्तजाम किसको करना है, रेलवे कहती है, आपको करना है, वह कहते हैं आपको करना है। एम्बुलैंस के नाम पर एक छकड़ा गाड़ी पैसेंजर्स को लाने के लिए थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनको देखा देखा जाना चाहिए। आप वहां पर पहुंचे, आपके पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक तो सारा प्रशासन तंत्र सजग रहा मगर ज्यों ही आप पटना को छोड़कर आए इधर की तरफ तो उसके बाद सारे प्रशासन तन्त्र ने भी छोड़ दिया। हालत यह हो गई है कि जो घायलों के रिश्तेदार वहां पहुंच रहे हैं, उनको जानकारी देने वाला वहां पर कोई नहीं है। यह जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, यह उस व्यक्ति की है, जिसने वहां स्पॉट पर जाकर घायलों से बातचीत की है और जो रिश्तेदार वहां पहुंच सके हैं उनसे बातचीत की है। माननीय महावीर प्रसाद जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं। जब गाड़ियों में इस तरह का हादसा हो जाता है तो उनके रिश्तेदार उनको देखने के लिए आना चाहते थे, क्योंकि आदमी के मन में उत्सुकता रहती है और जब इस तरह का हादसा हो जाता है तो आदमी डरा रहता है, भयभीत रहता है कि मेरा रिश्तेदार या मेरा कोई नजदीकी तो उसमें नहीं है। हालत यह हो गई है कि जब उनके रिश्तेदारों ने उन लोगों को देखने के लिए रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया कि हमारे लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाए तो रेलवे प्रशासन ने उनके इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया। इसके अलावा हास्पिटल में जहां उनको एडमिट करवाया गया है, वहां से वे अपने पेशेंट्स को हटा रहे हैं। जो लोग सक्षम हैं, वे लोग नरसिंह होम में उनको भरती करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर बेसिक फैसीलिटीज नहीं है। वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, उनको वहां पीने का पानी भी नहीं मिल पाया है। पीने का पानी तब उपलब्ध हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और वहां पर टैंकर पहुंचे। इसका मतलब यह कि बिना मुख्य मंत्री

के पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो सका। इस गम्भीर नैगलिजेंस की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इन सारे बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि यह किसी पार्टी पोलिटिक्स का मामला नहीं है, इस प्रकार की जब भी घटना घटती है, तो यह सबके लिए दुर्भाग्यजनक है। वास्तव में हमारे मन में भी उतना ही दर्द है, जितना दर्द आपके मन में है। कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सी भी मानवता है, वह इस तरह की घटना से द्रवित हो होगा। मैं समझता हूं कि आज के दिन आप सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि आप रेलवे के प्रमुख हैं। आपने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को देखा है। आपने उन जले हुए शरीरों को देखा है, उन मृतकों को देखा है, जिनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए और जिनके शरीर को पहचाना भी नहीं जा सकता था। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। आपने अपनी तरफ से वे सारे कदम उठाए हैं, जो उठाए जा सकते थे, मगर एक कदम आप उठाना भूल गए। आपने इस मामले की जांच रेलवे आयुक्त से कराने की बात कही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इन चार-पांच लापरवाहियों का जिनका मैंने जिक्र किया है, वहां पर जो चायल भरती हुए हैं, उनके साथ जिस तरह का बरताव हो रहा है, इन सब कारणों को देखते हुए आपको इसकी जांच रेलवे आयुक्त के बजाए, न्यायिक जांच करवानी चाहिए थी। अच्छा हो, यदि आप हाईकोर्ट के किसी जज से इसकी जांच करवायें, ताकि यह पता लग सके कि आखिर किसकी ऐसी कमजोरियां थीं, कहां पर रेलवे के अन्दर ऐसी कमियां रह गई थीं, जिन कमियों के कारण इस प्रकार की दुखद घटना घटित हुई है। दुःख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारे भी दिल में पीड़ा है इस बात की, कि इस तरह की घटना हमारे देश के अन्दर घटी। हमारे ही भाई, इस देश के नागरिक जिन्दा जानवरों की तरह से जल कर मर गए।

[अनुवाद]

श्री हरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : हम हाल के वर्षों में अब तक हुई सबसे भयानक रेल दुर्घटना पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री रावत ने स्थिति का ब्योरा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहते थे परन्तु यहां हुई चर्चा में उन्होंने दलगत राजनीति ही की है। तथापि, मैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता। उन बातों पर चर्चा करने के अन्य अनेक अवसर आयेंगे।

बिहार में हुई दुर्घटना के बारे में मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक यह कि रेलवे को दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार करना होगा और दूसरा तुरन्त कदम उठाने होंगे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, रेलवे की मांग में वृद्धि हुई परन्तु रेलवे का उसके लिए बढ़ती मांग के अनुरूप विकास नहीं हो पाया। यही एक मुख्य कारण है कि भीड़-भाड़, यातायात का अवरुद्ध होना आदि कठिनाईयां चल रही हैं। अपने बजट भाषण में माननीय रेल मंत्री ने इस सदन को बताया था कि तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियां भी रेलमार्गों पर भीड़-भाड़ के कारण समय पर नहीं चल पाती हैं हमने अपने रेल मार्गों का आवश्यकतानुसार विकास नहीं किया है'''(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में भाषण देना है। आप चर्चा के क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं।

श्री तरित बरन तोपदार : महोदय, मैं विस्तार नहीं करूंगा। अतः, महोदय इस मुद्दे पर दीर्घावधि के आधार पर विचार करना होगा ताकि यदि हम भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना चाहते हैं तो रेलवे को मूलभूत सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का दीर्घकालीन आधार पर विकास करना पड़ेगा। इस समय, दुर्घटनाग्रस्त लोग और उनके परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से जितना मुआवजा घोषित किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। जैसाकि रेल मंत्री ने कहा है सुरक्षा और सुरक्षोपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक प्रचार कार्यक्रम चलाया जायेगा।

दुर्घटना के सम्बन्ध में, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि 'एसिटिलीन सिलेंडर' जिसमें से रिसाव हो रहा था क्यों नहीं जला। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जब किसी अम्ल में प्रतिक्रिया होती है तो उससे आग लगती है यह घनत्व में पांच गुना अधिक हो जाता है। अतः दुर्घटना के स्वरूप से यह स्पष्ट है कि 'एसिटिलीन गैस' का काफी लम्बे समय से रिसाव हो रहा था और सारे डिब्बे में यह गैस भर गई थी। अन्यथा, यदि 'एसिटिलीन गैस' के सिलेंडर में रिसाव के प्रारम्भिक क्षणों में ही आग लग जाती तो उसमें विस्फोट होता। यह रासायनिक प्रक्रिया है। इससे बचा नहीं जा सकता है। अतः, मैं यह मांग करता हूं कि तुरन्त जांच होनी चाहिए और उसमें यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह दुर्घटना कैसे हुई और इसके लिए तुरन्त आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए कि भीड़-भाड़ वाली पैसेन्जर गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय और अन्य निगरानी रखने के कार्य किए जायें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रेल दुर्घटना इतनी हृदय-विदारक है कि सारे देशवासी इसके बारे में सुनकर अवाक रह गए हैं। बिहार में रेल की जो दुर्व्यवस्था है, उसके बारे में मंत्री महोदय जानते हैं। रेलों में अपार भीड़ होती है, लोग छत पर चढ़े होते हैं, इंजन के आगे पीछे बैठे होते हैं, डिब्बों के बीच में और डिब्बों के नीचे जहां पर बैटरी रखी जाती है, सब जगहों पर यात्री सफर करते हैं। ऐसी हालत में इस प्रकार की दुर्घटना सम्भव हो सकती है। रेलवे अधिनियम मुताबिक ज्वलनशील सामग्री रेलों में नहीं ले जाई जा सकती, लेकिन बिहार में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बिहार में सचमुच कोई टिकट खरीदता हो, यह भी सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टिकट न लेते हों, लेकिन पूरे बिहार के बारे में इस तरह से कहना ठीक नहीं है, यह एक प्रदेश का अपमान है। यह कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टिकट न खरीदते हों, लेकिन इस सदन के अन्दर किसी प्रदेश के बारे में इस तरह से कहना आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : पटना स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग देखेंगे तो आपको आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। (व्यवधान)

श्री राम धन : आप लोगों को जानकारी नहीं है, स्वयं प्रधानमंत्री इस बात के गवाह हैं। जब हम जनमोर्चा के कार्यक्रम में जेमुई (मुंगेर) गए थे, वहां से वापिस आए क्यूल में आचार्य राममूर्ति

वगैरह हम लोगों को गाड़ी में बिठाने के लिए ले आए। वहां पर फर्स्ट क्लास में और किसी भी क्लास में कोई जगह नहीं थी और पटना तक हम लोग खड़े होकर आए, आप क्या बात करते है, किससे बात करते हैं। आप बता दीजिए, कितनी ट्रेनों में खतरे की जंजीरें लगी हुई है ? (व्यवधान)

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, टिकट लेने के लिए पंक्ति इतनी लम्बी होती है, लोग कूद कर अलग-बगल से टिकट ले जाते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, जब आपका समय आएगा, आप भी अपनी बात कह दीजिएगा। आप बैठ जाइए।

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है, जो कटु सत्य है, इस संसार में लोग कटु सत्य सुनने के आदी नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में कितनी ट्रेनों में खतरे की जंजीर लगी हुई है ! (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, मैं घटनास्थल पर गया था रेल मंत्री जी भी इस बात को जानते है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, जैसा आप चाहते हैं उनको वैसा बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप भी अपने भाषण में कहिएगा जो कहना है।

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार इसी प्रकार की घटना अपर इंडिया एक्सप्रेस में घटी थी उस समय स्व० श्री राज नारायण जी संसद सदस्य थे। उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि उस गाड़ी से खतरे की जंजीर हटा ली गयी थी। उस समय भी इस प्रकार की घटना घटी थी कि लोग गाड़ी में जलते रहे। क्योंकि गाड़ी में जंजीर नहीं थी अगर गाड़ी में जंजीर होती तो हो सकता है कि गाड़ी रुक जाती और बहुत से लोगों की जानें बच जातीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो खतरे की जंजीर गाड़ियों से हटा दी जाती है उससे रेलवे का फायदा नहीं होता है, लेकिन जनता का नुकसान अवश्य होता है। अभी, 15 तारीख को मैं हिमालयन क्वीन से आ रहा था, धनबाद से जब मैं चला तो रास्ते में खतरे की जंजीर हम खींचते रह गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। वह जंजीर काम नहीं कर रही थी। गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी। एक आदमी ट्रेन में घुस आया था, उसने दूसरे लोगों पर हमला करना चाहा। किसी तरह से सारे पैसेंजर्स ने दरवाजा बन्द करके उसको रोका। इस तरह की स्थिति कभी-कभी पैदा हो जाती है यदि खतरे की जंजीर गाड़ी में न हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि खतरे की जंजीर हर ट्रेन में होनी चाहिए। ऐसा न हो कि रोग का इलाज न कर सकें तो मरीज को ही खत्म कर दो। यह पॉलिसी नहीं बननी चाहिए।

खतरे की जंजीर का गलत इस्तेमाल भी होता है। हर गांव के लोगों में यह प्रथा है, हर गांव का पैसेंजर चाहता है कि गाड़ी उसके घर के सामने रुके। वह खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी रोक देता है। इसलिए खतरे की जंजीर गाड़ियों से हटा दी गयी है। अगर जंजीर होती तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। जिस तरह से गाड़ी में आग लगी, बहुत से लोग

[श्री रामधन]

उसमें थे, तीन दरवाजे बन्द थे और एक दरवाजा खुला था लोगों ने बहुत उपाय किया, रेलवे क्रोसिंग पर चौकीदार ने बताया तो अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। लोग उसमें जिन्दा जल रहे थे और रेल गाड़ी अपनी गति से जा रही थी। इन सारी चीजों को देखने के लिए, जैसे हरीश रावत जी ने कहा कि इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। रेलों में जो अव्यवस्था है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जितनी दुर्व्यवस्था है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, सैकेंड क्लास का पैसेन्जर फर्स्ट क्लास में चलता हो, रिजर्व्ड लोगों के लिए जगह नहीं मिलती है, दूसरे लोग चढ़ जाते हैं, इन सारी चीजों की पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें दो राय नहीं हैं।

रेलवे के अधिकारी और सेफ्टी के अधिकारी केवल सेफ्टी की जांच कर सकते हैं। लेकिन बिहार में रेल की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वर्गीय पण्डित विभूति नारायण मिश्र बराबर इस सदन में इस बात को कहते थे कि वहां पर इतनी दुर्दशा है कि टिकट होल्डर खड़े होकर चलते हैं और बिना टिकट वाले बैठकर चलते हैं। यह बात वर्षों से चली आ रही है। इस मर्ज का इलाज रेलवे ने प्रशासनिक तरीके से न करके दूसरे तरीके से इसको लिया और उसी वजह से यह सारी घटनाएं घटती हैं। दिल्ली से हावड़ा तक का जो सेक्शन है उसमें बहुत सी घटनाएं हुई हैं और बहुत सी गाड़ियां हर हफ्ते, हर महीने डीरेलमेंट हो रही हैं। उसमें इस तरह की दुर्व्यवस्था फैली हुई है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो यह दुर्घटना घटी है मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच की जाये जिससे ठीक नतीजे सामने आयें।

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से यह घटना मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में घटी है। 16 तारीख को यह घटना घटी, जिसे कल विजय कुमार मल्होत्रा काला सोमवार की संज्ञा दे रहे थे। कई दुर्घटनाएं घटीं, दिल्ली में भी आग लगी दुकानों में, पटना में आग लगी ट्रेन में। इसलिए कुछ लोगों को यह आशंका भी निराधार नहीं है कि यह एक राष्ट्रव्यापी षडयन्त्र है जो अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है, उसका यह एक अंग है। चूंकि माननीय रेल मन्त्री जी उस समय वहां गये थे और उन्होंने घटना की जांच का आदेश दिया है इसलिए मैं और इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं, केवल उस बात को दोहराना चाहता हूं जो रामधन जी और हरीश रावत जी ने कही है कि इसकी जांच न्यायिक समिति द्वारा हो। यह घटना केवल रेल की विफलता का प्रमाण नहीं है उसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा।

इसलिए न्यायिक जांच होना आवश्यक है और जांच करने वाली समिति को इस जांच पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ओवर क्राउड होने के कारण, अंजीर की कमी होने के कारण और अन्य सुविधाओं की कमी होने के कारण या किसी गलत व्यक्ति द्वारा गलत ढंग से असिटिलिन सिलेंडर रख जाने के कारण घटना घटी इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मूल बात यह है कि उस क्षेत्र में यह गाड़ी मोकामा से आरा जाने वाली गाड़ी है 383 अप। मैंने पहले भी इसी सदन में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था कि रेल सुविधाओं की दृष्टि से बिहार उपेक्षित है ही, खासकर यह भाग बिहार का विशेष रूप से उपेक्षित है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब ऐसे प्रस्ताव आते हैं माननीय रेल मंत्री जी का यही उत्तर होता है कि अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

नई रेल गाड़ियां चलती हैं तो बिहार में नई गाड़ियां नहीं चलती हैं, नई सुविधाओं को देने की

बात आती है तो बिहार को छोड़ दिया जाता है अपार भीड़ वाले दो डिब्बों में आग लगी और वे जल गये, यात्रियों की संख्या तीन सौ बताई जा रही है। यह निश्चित रूप से अकल्पनीय है कि दोनों डिब्बे जल-जलकर राख हो गये और मरने वालों की संख्या सरकारी सूत्रों के अनुसार केवल 80 बताई जा रही है। दो डिब्बों में ढाई सौ-तीन सौ लोग सफर करते हैं वह इसलिए कि उनके पास यातायात का कोई दूसरा साधन नहीं है। अभी खतरे की जंजीर की चर्चा हो रही थी, वह बड़ी गाड़ियों में है, पैसेन्जर ट्रेन्स में नहीं है। हम रेल मंत्री से मांग करते हैं कि आम आदमी साधारण आदमी जिन पैसेंजर गाड़ियों में सफर करता है उनकी सुविधा पर भी ध्यान रखा जाए। अभी बहस को एक दूसरा मोड़ देने की कोशिश हो रही थी।

6.00 म० प०

लेकिन इस सत्य से इन्कार करना किसी के लिए शायद संभव नहीं होगा कि इन स्थानीय गाड़ियों में, लोकल ट्रेनों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने यह भी सुना कि लोग जल गये, घायल हुए और उनको हम रेलवे अस्पताल तक नहीं पहुंचा सके। चूंकि रेलवे अस्पताल पटना में है और दानापुर में है, इसलिए मैं यह मांग करना चाहूंगा कि इस घटना से सबक लेते हुए माननीय रेल मन्त्री जी पटना के लिए एक सुसम्पन्न रेलवे अस्पताल की स्थापना की बात करें अन्यथा वहां जो अस्पतालों की स्थिति है उससे हम अपरिचित नहीं हैं और माननीय रेल मन्त्री जी भी वहां की स्थिति से अपरिचित नहीं हैं। जब प्राथमरी हैल्थ सेन्टर सामान्य दिनों में सामान्य रोगियों की ठीक से चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, तब इतनी बड़ी घटना घटित होने पर उन अस्पतालों की विफलता स्वाभाविक है। उस गाड़ी में साधारण लोग विशेषकर उस डिब्बे में सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, परीक्षा देने के लिए जाने वाले नौजवान और नौकरी पर जाने वाले लोग यात्रा कर रहे थे। आपका इस ओर भी ध्यान जाना चाहिये। हम सुविधायें जरूर बढ़ा रहे हैं लेकिन जो गाड़ियां दूरस्थ स्थानों पर जाती हैं या उच्च श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधायें दे रहे हैं लेकिन साधारण दर्जे में यात्रा करने वाले सामान्य किस्म के लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। मेरा यही निवेदन है कि इन लोगों की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। इसमें निश्चित रूप से राजनीति जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी लेकिन यह स्थिति वहां हुई है।

जब घायल लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचाने की बात हुई और सरकारी साधन अपर्याप्त सिद्ध हुए तो वहां के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवायें प्रस्तुत कीं लेकिन उनको रोक दिया गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्त्ताओं को अस्पताल में काम करने से रोका गया। शवों का ठीक जगह पर अन्तिम संस्कार करने के लिए आर० एस० एस० के लोग सामने आये तो जिला प्रशासन ने उनसे कहा कि आप लोगों को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसमें भी कहीं न कहीं राजनीति का खेल खेला जा रहा है जिसकी उस समय और इस नाजुक अवसर पर आवश्यकता नहीं थी। यह मामला केवल रेल का ही नहीं बल्कि बिहार की उपेक्षा का सवाल है। जैसा मैंने पहले भी कहा और इस सदन में दूसरी चर्चा के क्रम में माननीय रेल मंत्री की उपस्थिति में कहा था कि हम रेल को लाईफ लाईन आफ दा नेशन कहते हैं। यह राष्ट्र की जीवन रेखा होती है लेकिन आज यह मृत्यु रेखा का पर्याय बन गयी है। रेल में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों की जान-माल की कोई गारण्टी नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी सदन में एक प्रश्न भी रखा था और इसके माध्यम से यह कहा था। आपने तो केवल जी० आर० पी० के माथे यह मढ़ दिया है कि वह यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन आप जो आर० पी० एफ० बनाते हैं तो वह केवल माल की सुरक्षा के लिए है, जान की सुरक्षा के लिए नहीं है। चूंकि यह कहा गया था

[डा० जैनेन्द्र नाथ श्रीवास्तव]

कि ला एण्ड आर्डर राज्य सरकार का मामला है, इसलिए जी आर० पी० को राज्य सरकार के अंतर्गत काम करना होगा और अभी जब माननीय रेल मन्त्री जी ने स्टेट्स पेपर आन रेलवे प्रस्तुत किया और उस पर पटना में एक संगोष्ठी आयोजित हुई जहां पर पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, वहां भी इस बात की मैंने चर्चा की थी कि अगर आप चाहते हैं कि यात्रियों की यात्रा निरापद हो सके तो उनकी जान-माल की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

इस पर आई० जी० (जी० आर० पी०) रेलवे ने कहा कि पिछले दस साल के भीतर बिहार में जी० आर० पी० में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है और उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह हमारे बस की बात नहीं है। रेलवे में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। बड़ी गाड़ियों में—डीलक्स गाड़ी में भी आप अन्य सुविधायें तो प्रदान करते हैं लेकिन दवा और चिकित्सा की कोई सुविधा प्रदान नहीं करते। इस ओर मैंने अनेकों अवसरों पर ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की है लेकिन इस ओर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहा। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि मामला केवल रेल का नहीं। डिब्बे से जो लपटें निकलीं, उनसे बिहार के बहुत सारे विभागों के काले चेहरे उजागर हुए हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में आग लगी, दुकानें जली थीं, तो दिल्ली नगर निगम ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार की सहायता से 6 करोड़ रुपया लगाकर वे यहां की फायर सर्विसेज, शमन सेवा को व्यवस्थित करेंगी।

बिहार में फायर सर्विस नाम की चीज केवल कागजों पर है। कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आपको फायर सर्विस की गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पायेंगी। हम और आप केवल चर्चा ही कर रहे हैं कि लोगों रेलों में टिकट लेकर नहीं चलते, लेकिन फायर सर्विस में तो किसी टिकट को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। यह तो स्पष्टतः प्रशासनिक विफलता का द्योतक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि आज जब हम सदन में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी ओर से बिहार सरकार पर यह दबाव डाला जाये कि वह अपने अग्नि-शमन दस्ते को व्यवस्थित करे, अपनी अग्निशमन सेवा को व्यवस्थित करे। यदि बिहार में यह सेवा व्यवस्थित होती तो इतने लोगों की जानें न गयी होतीं। फायर सर्विस रेलवे के अन्तर्गत नहीं आती बल्कि वह राज्य सरकार के अन्तर्गत है। इसलिये माननीय रेल मंत्री जी को इस विषय में अपनी ओर से प्रयास करना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये। आज वहां जो कुछ हुआ है, बड़ा ही अशुभ है, बड़ा ही अमंगलकारी है। उससे सबक लेकर आगे इस प्रकार की दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके, इस दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दुर्घटना में जो लोग मर गये हैं, उनके परिवारों को कम से कम दो लाख रुपये प्रति परिवार मुआवजा राशि के रूप में दिये जाने चाहियें, जो घायल हो गये हैं, उन्हें पचास हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता राशि मिलनी चाहिये और जिन परिवारों से उनका कमाने वाला उठ गया है, वह अपनी गलती से नहीं बल्कि प्रशासन की गलती से गया है, ऐसे परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रेलवे की सेवा में या अन्य किसी सेवा में, जिसके वह योग्य हो और जहां उसे एडजस्ट किया जा सके, उसे सेवा में स्थान शीघ्र से शीघ्र दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमारा देश पिछले कुछ वर्षों से, संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रत्येक सुबह समाचार-पत्र निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के समाचारों से भरा होता है, हम देखते हैं कि

पूर देश के किसी न किसी भाग में निर्दोष व्यक्तियों को जानवरों की तरह काट दिया जाता है, पिछले तीन दिनों में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, और इन से इतनी भारी हानि हुई है कि राष्ट्र उन्हें सहन करने की स्थिति में नहीं है।

रेलवे के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई दो दुर्घटनाओं के बारे में रेल मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्वीकार किया है कि पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाने के लिए बुरे इरादे से षड्यन्त्र रचा गया है क्योंकि उसी रात मानक नदी पर बने राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण सड़क पुल को भी उड़ा दिया गया था।

श्री नृपेन्द्र मोहन देब (त्रिपुरा पश्चिम) : इसका चित्र हमने देखा था, वह तो दूसरी ओर था।

श्री ए० चार्ल्स : यह सत्य है, मैं केवल इसलिए यह बता रहा हूं कि मेरे विचार से सारे देश में नियोजित तरीके से तोड़-फोड़ की जा रही है। पटना के निकट रेलगाड़ी में आग की दुर्घटना हाल के समय की सबसे अधिक भयानक दुर्घटना है। मुझे आश्चर्य है कि यात्री ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना मना है। फिर भी वह वहां कैसे रखा गया, उसमें लीकेज कैसे हुई और रेल डिब्बे के दरवाजे बन्द क्यों थे। अगर ये सब दुर्घटनाएं थी तो ये वाकई सभी का अजीब संयोग था। जनता दल के नेता श्री बशीर हुसैन ने कहा है कि यह तोड़-फोड़ की साजिश थी क्योंकि रिसते हुए आक्सीजन गैस सिलेंडर को रेल के डिब्बे में रखा गया था। मेरे मित्र जो कह चुके हैं मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अब एक-दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। समूचा राष्ट्र इस भयंकर दुर्घटना के कारणों को जानना चाहता है, यह जानना चाहता है कि क्या यह एक दुर्घटना थी अथवा तोड़-फोड़ की कार्यवाही। हम इस बात को जानना चाहते हैं।

माननीय मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। मैं इस मामले की जांच करने वाले रेलवे अधिकारियों की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। लेकिन, चूंकि इस मामले में संदेह यह है कि क्या यह मात्र दुर्घटना है अथवा तोड़-फोड़ की कार्रवाई है, इसलिए न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए केवल न्यायिक जांच से ही लोगों को इस दुर्घटना के असली कारणों पर विश्वास होगा। केवल न्यायिक जांच ही इस बारे में सच्चाई का पता लगा सकेगी।

एक अन्य मुद्दा जो मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूं, वह जरूरतमंदों को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विलम्ब के बारे में है। इस तथ्य का किसी अन्य सदस्य द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है, दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को, जो अस्पताल ले जाए गए थे, चिकित्सा करने में काफी विलम्ब हुआ। समाचार-पत्रों में यह छपा है कि इन घायलों की चिकित्सा करने में पहले तो विलम्ब इस कारण हुआ कि ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों को उनके घरों से बुलाना पड़ा और बाद में जब वे आये तो उनमें से अधिकांश विशिष्ट व्यक्तियों को देखने लग गये, बजाय इसके कि वे घायलों की चिकित्सा करते। यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री सुरेश पासवान, जिसे एन० एम० सी० अस्पताल लाया गया था, को···

उपाध्यक्ष महोदय : उचित चिकित्सा न किये जाने की बात पहले कही जा चुकी है।

श्री ए० चार्ल्स : यात्रा के समय के अलावा उन्हें कई वी० आई० पी० लोगों के निपटने तक इंतजार करना पड़ा। अतएव जांच में यह पता लगाया जाये कि उस दिन कौन-कौन डाक्टर ड्यूटी पर थे जो ड्यूटी पर उपस्थित न रहकर अपने घर बैठे हुए थे। वहां कितने वी० आई० पी० लोग थे ? एक

[श्री ए० चार्ल्स]

रिपोर्ट के अनुसार वार्डों में बी० आई० पी० लोगों की भीड़ होने की वजह से रोगियों को सांस लेना मुश्किल हो गया था, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा भविष्य में न हो। ऐसे मामलों में रोगियों के लिए परेशानी का कारण बनने की बजाय बी० आई० पी० लोग वार्डों के बारे में पूछताछ कर सकते थे।

दूसरा आरोप यह है कि अस्पताल में दवाइयों की कमी थी। इन सब बातों की जांच की जानी चाहिए। रेलगाड़ियों में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री ने सामान्यत: दिए जाने वाले मुआवजे की राशि से दोगुनी राशि देने की घोषणा की है। किन्तु धन जीवन का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा करना भी अच्छी बात है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि जो भी देने का वायदा किया गया है यह मृतकों के कानूनी वारिसों को दिया जाए। पेरुमन में हुई रेल दुर्घटना के बारे में मैंने सदन तथा माननीय मंत्री को आधा दर्जन से अधिक बार बताया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। इस सत्र में भी इस बारे में एक तारांकित प्रश्न पूछा गया था, माननीय मंत्री ने कहा कि इस बारे में कोई लम्बित मामला नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें पिछले सप्ताह ही एक अभ्यावेदन भेजा था। मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी ऐसे 17 मामले लम्बित पड़े हुए हैं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र, त्रिवेन्द्रम का एक मामला जानता हूं। रेल दुर्घटना में श्री के० ओ० कामक की पत्नी, सास तथा बेटी की जानें गई थीं। उसकी सास और पत्नी के कानूनी वारिसों को मुआवजा दे दिया गया था किन्तु उसकी बेटी का मुआवजा देने के मामले में विभाग केवल 50,000 रुपये दे रहा है। विभाग का यह कहना है कि वह उस पर निर्भर नहीं थी। मेरे ख्याल से संगत उपबंधों में संशोधन तो किया गया है परन्तु उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हालांकि इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है, फिर भी मुआवजा दिया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि मृतक चाहे आश्रित थी या नहीं उसके निकट सम्बन्धी को पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं अपना भाषण एक विनम्र अनुरोध के साथ समाप्त करूंगा ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र को यह पता चल जाए कि वास्तव में क्या हुआ था। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में न्यायिक जांच अवश्य कराई जाये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दुर्घटना हुई है इसमें पीड़ित लोगों में कुछ एक-दो को छोड़कर, तमाम लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ही हैं। यह ट्रेन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ही मोकामा नामक स्थान से चलती है और पटना पहुंचने के पहले, लगभग 85 किलोमीटर तक, यह मेरे क्षेत्र से ही गुजरती है। घटना-स्थल पर मुझको भी जाने का अवसर मिला। यहां इस में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों को तो अखबारों में छपी खबरों से ही पता लगा होगा, लेकिन मैं घटना-स्थल पर मौजूद था। रेल मंत्री इस दुर्घटना की खबर सुनते ही तत्काल वहां पहुंचे। रेल मंत्री महोदय के साथ और अलग से भी मुझे इस दुर्घटना के स्थल पर जाने का मौका मिला। जब मैं बिहार के मुख्य मंत्री के पास बैठा हुआ था, तभी मुझे इसकी सूचना मिली और मैं तुरन्त वहां गया। बिहार के मुख्य मंत्री भी तत्काल गए। जाकर जो कुछ भी देखा, कुछ सदस्यों ने कहा कि बी० आई० पी० के जाने के कारण बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बाधा उत्पन्न नहीं हुई बल्कि रेलवे ऑपरेशन में और सहूलियत हुई, दवा तत्काल उपलब्ध कराने में सहूलियत हुई। बिहार के मुख्यमंत्री को बी० आई० पी० कहा जा सकता है या रेल मंत्री को कहा जा सकता है, यह कहना

बिल्कुल गलत है। उन लोगों के पहुंचने से सुविधा ज्यादा मुहैया हुई, रेसक्यू ओपरेशन ज्यादा तेज हुआ। राम धन जी ने कहा कि बिना टिकट के लोग चलते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह डेली पैसेंजर्स ट्रेन है और इसमें अधिकांशत: लोग सीजनल टिकट लेकर चलते हैं।

इस ट्रेन कट में मेरा घर भी पड़ता है और मैंने व्यक्तिगत रूप से अप एण्ड डाउन मिलाकर कम से कम हजार बार अपने जीवनकाल में सफर किया है। इस ट्रेन की जो व्यवस्था है, मैं भारी मन के साथ कहना चाहता हूं, रेल मंत्री को भी मैंने कहा था जब ये पटना पहुंचे और लौट रहे थे, तब कहा था कि गैस के सिलेंडर के कारण ही आग लगी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई है, इसकी जांच जो कुछ भी कहे। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो यही कहना चाहिए। यह परिपार्टी है बिहार में, आप जांच करवा लें। मुगलसराय से ग्रैंड कोर्ड रूट पर भी वेल्डिंग गैस का सिलेंडर चढ़ाया जाता है और स्टेशन दर स्टेशन उतारा जाता है जबकि रेलवे में प्रयुक्त होने वाले वेल्डिंग गैस सिलेंडर को ट्राली में अलग से लाया जाना चाहिए। इस बात की जांच गोपनीय ढंग से करवा ली जाए तो सच पाएंगे कि घटना गैस सिलेंडर के कारण हुई है। हमने कई लोगों से बाद में भी पूछा है, कई प्रकार से जांच की तो यह नतीजा निकला है। कुछ लोगों ने कहा कि एक दरवाजा था। एक दरवाजा नहीं था, वह बड़ा डिब्बा था, उसमें छ: दरवाजे थे। बीच के दो दरवाजे जाम कर दिए गए थे या किसी प्रकार से उसकी चूंडी खराब हो गई थी। ऐसी परिपार्टी है कि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको जाम कर दो, यह कोई नई बात नहीं है चलती चली आ रही है।

यह जार्ज साहब के कार्यकाल की ही बात नहीं है, यह परिपार्टी जमाने से चली आ रही है। लाख शिकायत डेली पैसेंजर्स के द्वारा की जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है पटना की ओर पश्चिम तरफ से जो ट्रेन आ रही थी पश्चिम तरफ के जो दो दरवाजे थे वहां पर वेल्डिंग गैस सिलेंडर रखा हुआ था वहीं से आग फैली। इसके चलते पश्चिम के दरवाजे से कोई निकल नहीं सकता था तो पूरब की तरफ जो दो दरवाजे थे उसी से लोग निकल रहे थे। सौ-सवा सौ से ज्यादा लोग निकलने में कामयाब हुए हैं। वह बड़ा डिब्बा था। यह गलतफहमी है कि दो डिब्बों में आग लगी है, मात्र एक डिब्बे में आग लगी है और एक डिब्बे में 71 लोग जल मरे, 64 लोग घायल हुए। करीब 25 लोग फर्स्ट-ऐड के बाद मुक्त कर दिए गए। बहुत लोग बच गए जो अस्पताल नहीं गए, कूदकर भाग गए। उस डिब्बे में लगभग 300 लोग सफर कर रहे थे, सफर करने को मजबूर हैं। नीचे और ऊपर जिस तरह सामान रखा जाता है, इस प्रकार की यह स्थिति है। एक दूसरी बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कल जो घटना घटी है, जार्ज साहब गए और इनके रेलवे बोर्ड के सदस्य भी गए थे। वहां ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबन्धक भी थे, लोगों को बुलाया गया था, दानापुर के डी० एम० के० छुट्टी पर हैं क्योंकि उनके साथ एक निजी हादसा हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं है कल की घटना के बारे में।

कल एक अस्पताल में आक्सीजन गैस की कमी हो गई जिसके कारण दो पेसेन्ट मर गए। इस आग लगने की घटना के बाद 71-72 लोग जो मरे थे उसके बाद दो आदमी और मरे। यह घटना के समाचार वाले गए पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक के पास यह कहने के लिए गए कि रेल मंत्री ने कहा है कि हम घायलों की चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध करेंगे और रेल मंत्री ने ऐलान किया था वहां पर जो चली हुई लाशें रखी गयी थीं उन लाशों को सुरक्षित रखने के लिए एयर-कंडीशनर की जरूरत हुई तो रेल मंत्री ने कहा कि तत्काल एयर-कंडीशनर लगाया जाए और कहा था कि हम इलाजकारी प्रबन्ध करेंगे वहां पर जो इनके डाक्टर्स थे, जो रेलवे बोर्ड के सदस्य गए थे उन तमाम लोगों ने मेरी मौजूदगी में कहा कि हम यह सारा खर्चा वहन कर रहे हैं। आक्सीजन का इन्तजाम नहीं हो सका बिहार के अस्पताल

[श्री नीतीश कुमार]

की स्थिति खराब है आज से नहीं एक जमाने से खराब चली आ रही है। उसकी कैपेसिटी ऐसे कंसेव में मुकाबला करने की जो क्षमता है उससे ज्यादा कैजुवल्टी वहां पर थी। आक्सीजन नहीं था। जब अखबार वाले लोग पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक को कहने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना नाम अखबार में नहीं छपवाना है, जाइए, मैं कलकत्ता जा रहा हूं और वह चले गए।

इन्तजाम भी नहीं हुआ और लाठी भी चली। इसलिए जब सुपरिंटेंडेंट के पास लोग गये, उनके खास लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह तो जले पर नमक के समान है। एक तरफ लोगों की मौत हो गई और लोग जलकर मर गये और दूसरी तरफ ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। यह एक प्रकार से रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। गुलजार बाग से थोड़ा आगे जाकर आग लगी। लोग चिल्लाते रहे लेकिन चेन न होने के कारण गाड़ी को रोक नहीं पाये। तीन किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही। छत पर जो लोग सवार थे उन्होंने हिम्मत से वैकयूम सिस्टम काटा जिससे गाड़ी रुक गई। राम धन जी बिहार का मजाक कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिहार में जहां चाहें गाड़ियां रुक सकती हैं। बदमाश लोग बिहार में ही नहीं हैं, वह हर जगह हैं। वहां गाड़ियों को रोकने के लिए चेन की जरूरत नहीं पड़ती है। चेन तो मामूली चीज है। चेन खींच कर बिहार में गाड़ी नहीं रुकती है। वहां वैकयूम सिस्टम काटकर गाड़ी को रोका जाता है। यह एक सोचने का विषय है। इस दुर्घटना में जो लोग मारे गये और घायल हुए वे मेरे परिचित थे और कुछ मेरे मित्र भी थे, कुछ हमारी पार्टी के साथी भी थे और हमारी पार्टी के एक नेता श्री नवल शर्मा भी उसमें मारे गए। वह एक दिन पहले मुझ से मिले थे। दुर्घटना से एक दिन पहले जब मैं अपने क्षेत्र में जहां खलिहान में और झोंपड़ियों में आग लग गई थी गया था तो उस दिन वह मेरे साथ दिन भर थे। मेरे बहुत से मित्र मुझ से उस दिन मिलने आ रहे थे। मेरा कहना है कि इस दुर्घटना में बहुत लापरवाही बरती गई है। जो वहां लोकल ट्रेनें चलती हैं उसमें भयानक लापरवाही बरती जाती है। जाड़े की रात में सफर कीजिये, आपको गाड़ियों की हालत का अन्दाजा हो जायेगा। उसमें शटर नहीं रहता है, पानी का इन्तजाम नहीं होता है और बिजली भी गुल रहती है।

यह एक घनघोर उपेक्षा है। मुकामा दानापुर से चलने वाली ट्रेनों की कोई चैकिंग नहीं करता है। न वहां पानी बिजली और दरवाजे का इन्तजाम होता है। जो दरवाजा खराब होता है उसको सील कर दिया जाता है। ऐसा सौतेला व्यवहार वहां की गाड़ियों के साथ होता है।

पटना के इर्द-गिर्द जो गाड़ियां चलती हैं जिनको उपनगरीय सेवा कह सकते हैं, वहां ट्रेनों की हालत बहुत खराब है मैंने रेल मंत्री जी से बार-बार अनुरोध किया और मांग की लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं जिस इलाके से आया हूं वहां पर यह एक ट्रेन है जो सही समय पर चलती है। राम धन जी को इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है। उस ट्रेन में चेन खींची नहीं जाती है। उसमें सब नौकरी करने वाले लोग और ड्यूटी पर जाने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा गरीब लोग उसमें चढ़ते हैं, सब्जी बेचने वाले और दूध बेचने वाले चढ़ते हैं उसमें चैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारे के सारे सीजनल टिकट लेकर चलते हैं। इस ट्रेन में पहले 17 डिब्बे रहते थे लेकिन उसको घटा कर 13 ही कर दिया गया।

इस बारे में मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि इसमें डिब्बों की संख्या बढ़ायी जाये। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि जो साधारण ट्रेनें हैं और मुकामा से बक्सर के बीच में जो उपनगरीय सेवायें चलती हैं उनको पैसेंजर ट्रेन में

कनवर्ट करके हर हाल्ट स्टेशन में रोकें। मंत्री जी मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें। जो ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं, उनकी भीड़-भाड़ को भी कम करना चाहिए।

रेल मंत्री जी ने रेल बजट पेश करते समय यह ऐलान किया था कि रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों के आश्रितों को दो लाख रुपये दिये जायें। कल जब दानापुर के सीनियर डी० सी० एस० से जो कि माधव राव सिंधिया का चहेता रहा है, से अनुग्रह राशि के बारे में लोग मिलने गए तो उसने अखबार वालों के सामने कहा कि रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया होगा, संसद में, अखबार के सामने अनुग्रह राशि को दोगुना करने का मेरे पास कुछ नहीं आया है, मैं उतना ही दूंगा जितना रेलवे बोर्ड कहता है, यह शर्म की बात है कि रेलवे बोर्ड का मैंबर जाय, रेल मंत्री जाय और जो ऐलान करके आये, उसका अनुपालन नहीं हो। आज पटना के अखबारों में प्रमुखता के साथ सारी खबर छपी है। अभी फ्लाइट से जो लोग आये हैं, पटना से बिहार भवन में उन लोगों ने आज मुझको बताया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा हादसा हो गया और वहां पर ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबन्धक का यह रोल हो कि आक्सीजन सिलेंडर का इन्तजाम करने के लिए अखबार वाले कहें तो वह कहें कि मुझको नाम नहीं छपाना है और वह उपेक्षा करके चले जायें, अटेंडेन्ट्स पर लाठियां चलें और अनुग्रह राशि देने का सवाल आये तो इनके सीनियर डी० सी० एस० कहें कि होता है कोई रेल मंत्री, मैं क्या करूं, मैं वही दूंगा जो रेलवे बोर्ड कहता है, यह पूरी स्थिति है।

हम इस बात के लिए जार्ज साहब की तारीफ करते हैं, जब मैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्य मंत्री के साथ था तो मैंने कहा था कि 3-4 घण्टे के अन्दर जार्ज साहब आयेंगे, रेल मंत्री आयेंगे और उस घटना के 4-5 घण्टे के अन्दर जार्ज साहब पहुंचे। एक तरफ कहां इनकी संवेदना और कहां इनके विभाग के अधिकारियों की संवेदना इसलिए मैं इस बात की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और अन्त में जो लोग मृतक हैं, मैं उनके बारे में अपील करना चाहता हूं कि इनका रेल ट्रिब्यूनल फैसला करता रहेगा, पता नहीं किसका क्लेम क्या देगा, पता नहीं किस आदमी के जीवन की कीमत कितनी आंकेगा, वह जिन्दा रहता तो कितना कमाता, कई फैक्टर्स होंगे, जिसके आधार पर एक आदमी की कीमत इनका रेल विभाग तय करेगा इसलिए एक बार बिल्कुल ही समान रूप से 2-2 लाख रुपया हर मृतक परिवार को मिलना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रेल विभाग में नौकरी दी जाय। जितने लोग घायल हुए हैं, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाय और 50 हजार से एक लाख रुपया तक उनको भी अनुग्रह अनुदान दिया जाय ताकि वह जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो जल जाने के बाद किसी काम के लायक नहीं रह जायेंगे, उनके हाथ-पैर कमजोर हो जायेंगे।

जिसके कारण एक्सीडेण्ट हुआ, उसके एक कारण की ओर मैं ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूं। गैस की दुर्गन्ध के चलते बहुत सारे लोग निकल कर नहीं भाग सके, बेहोश हो गये, यह जांच का विषय है कि किस प्रकार से बेहोश लोग हुए और भागने में असफल रहे। कई लोग बेहोश हो गए, दो आदमी ऐसे हैं जिनकी आंखें चली गई हैं, उनके लिए भी विशेष इलाज का प्रबन्ध होना चाहिए, अनुग्रह राशि का प्रबन्ध होना चाहिए और इस दुर्घटना के बाद जो अधिकारी जांच कोताही कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के अनुपालन में, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उपनगरीय रेल सेवा की सुविधा समुचित सुधार लाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं घटना के प्रति गहरा दुःख व्यक्त करता हूं और मृतक लोगों के परिवार के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं रेल मंत्री के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि घटना के 4-5 घण्टे के अन्दर वह घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया और लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, 16 तारीख की घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है। पौने 10 बजे मोकामा आरा शटल ट्रेन में आग लगी, साढ़े 10 बजे मैं वहां उपस्थित था। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि वहां साधारण आदमी का रहना भी बहुत कठिन हो रहा था। जैसा कि राम धन जी ने कहा कि बिहार के लोग बिना टिकट चलते हैं इसलिए भीड़ होती है तो ऐसी बात नहीं है, बिहार में ट्रेनों की कमी है और इस कमी के चलते जहां 50 लोग बैठते हैं वहां 100, 150, 200 लोग समय पर पहुंचने के लिए चढ़ जाते हैं। वहां सरकारी कार्यालय साढ़े 10 बजे खुलते हैं इस लिए मोकामा आरा शटल ट्रेन सरकारी कार्यालय में काम करने वाले लोगों के लिए उचित रहती है इसलिए उस ट्रेन पर अधिक से अधिक लोग आ रहे थे। यह बेडिंग गैस सिलेण्डर पटना सिटी से चढ़ा था और पटना सिटी के रेलवे कर्मचारियों ने उसे चैक नहीं किया। सिटी से चलने के बाद गुलजार बाग में वह लीक करने लगा और गुलजारबाग से जब ट्रेन चली तो राजेन्द्र हाल्ट तक भी नहीं पहुंच पाई और गैस में जो आग लगी तो लोग इस प्रकार से चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे लेकिन दरवाजा भीड़ के रहते बन्द था इसलिए नहीं निकल पा रहे थे।

दूसरी घटना मुझे बिहार में सन् 1982 में देखने को मिली।

उपाध्यक्ष महोदय : इतना वक्त नहीं है, दूसरे भी माननीय सदस्य हैं, जिनको बोलना है।

श्री जनार्दन यादव : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बिहार में स्थानीय लोगों को आने-जाने में कठिनाई है, इसकी अविलम्ब पूर्ति की जाए। दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से कहना चाहता हूं, दानापुर में रेल मंत्रालय में प्रशासक हैं और कर्मचारी हैं, उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं आया है। जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, इसमें भी सुधार लाना चाहिए। मृतकों के परिवार को दो लाख रुपए दिए जायें। जो अपंग हो गए हैं, जल गए हैं, ऐसे लोगों को कम से कम एक लाख रुपया मिलना चाहिए। वहां मुझे देखने को यह भी मिला है कि एक महिला अपने बच्चे के साथ जल कर मर गई, बच्चा और मां एक-दूसरे से अलग भी नहीं हो पाए हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी आग्रह करना चाहूंगा कि पटना में मेट्रो-ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम हाल ही में हुई अत्यंत दुखद रेल दुर्घटना की चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा है कि एक बार जब ऐसी दुर्घटना हुई थी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था तथा एक दूसरे अवसर पर स्वर्गीय श्री मधु दंडवते ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। ऐसे मामलों में बाद में कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। रेल दुर्घटनाएं होती रही हैं। मैं नहीं चाहता कि श्री जार्ज फर्नांडीस इस्तीफा दें, पर मैं एक बात जानना चाहता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि इसकी जांच में आदेश दे दिए गए हैं। रेल आयोग पहले भी जांच के ऐसे आदेश देता रहा है, आप हमें यह बताएंगे कि इसके लिये कितने व्यक्तियों को दोषी करार

दिया गया और इन अधिकारियों में से कितने दंडित किये गये ? पिछले एक वर्ष की दौरान दो अथवा तीन जांच आयोग बिठाये गये थे । इस मामले में हमने यह देखा है कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जांच के आदेश जारी किये हैं और रेल विभाग के रेल दुर्घटना जांच अधिकारी ने जांच आयोग गठित किया है। वे एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे हैं अथवा यह निर्णय नहीं किया गया है कि राज्य सरकार और जांच आयोग का कार्य क्षेत्र क्या होगा ? विभिन्न मंत्रियों द्वारा उठाये गये मुद्दों को, मैं दोहराना नहीं चाहता । परन्तु यात्रियों को यह स्पष्ट नहीं है कि रेलवे ने अलार्म पद्धति बंद कर दी है अथवा नहीं। पहले कभी रेल मन्त्री यह कहा करते थे कि रेल अलार्म चेनों का रेलों को रोकने के लिये दुरुपयोग किया जाता है रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि आधे रास्ते पर वह भी व्यापारियों और यात्रियों की सुविधा के लिये । क्या रेलवे का इसी आधार पर अलार्म-चेन पद्धति को समाप्त करने का प्रस्ताव है ? जैसाकि आपने बताया है यह दुर्घटना 9.40 बजे (पूर्वाह्न) हुई और कुछ अन्य लोगों के अनुसार 10.12 बजे (पूर्वाह्न) हुई । इसमें 1 घंटे 12 मिनट का अन्तर है । इसमें 70-80 लोग मारे गए । परन्तु इस क्षेत्र के माननीय सदस्य ने कहा है कि 300 लोग इसमें यात्रा कर रहे थे और 100 लोग मारे गए और 72 घायल हुए । मैं जब प्राक्कलन समिति में था तो हमने अलग-अलग स्थानों पर जाकर रेलों का निरिक्षण किया था । हर स्थान पर हमें यही शिकायतें प्राप्त हुई कि दैनिक यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों की संख्या कम है । रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ रहती है । 100 लोगों की क्षमता वाले कंपार्टमेंटों में 300 लोग यात्रा करते है और कुछ यात्री इन डिब्बों की छतों में यात्रा करते है । यह बम्बई, पटना, कलकत्ता और सभी स्थानों पर यही हाल है । 'समाचार पत्रों के अनुसार दूसरे रेलगाड़ी 'कैपिटल एक्सप्रेस' रद्द कर दी गई क्योंकि जैसा कि अपने रेल बजट में कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की है । और इस प्रकार कुछ स्थानीय रेलगाड़ियों रद्द कर दी गई हैं । लम्बी दूरी के यात्रियों के हितों पर ध्यान देना जरूरी है । परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में ग्रामीण और साधारण लोग भी रहते हैं जिनके लिये नगर में रहना संभव नहीं है और ऐसे लोग भी हैं जो नगर से 10-15 किलो-मीटर दूरी पर रहते हैं तथा दूध और सब्जी बेचते हैं । वे प्रतिदिन नगर आते हैं और अपना उत्पाद बेचकर वापस चल जाते हैं । मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं यह अनुरोध करता हूं कि रेलवे बोर्ड को उन दैनिक यात्रियों की संख्या का पता लगाना चाहिए, जो पटना जैसे नगरों में आते हैं और यह पता लगाना चाहिए कि उनके लिए रेलगाड़ियां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं । यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी ही, जैसा कि जिक्र किया गया था, खिड़कियों के दरवाजों पर सब्जियों और दूध के डिब्बे रख दिये जाते है जिससे रास्ता बंद हो जाता है । अब आपने सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहे है और यह प्रथा चालू रहेगी । मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, परन्तु यह भी पता लगाना चाहिए कि रेलवे में काम करने वाले लोगों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है, वे उन्हें निभा रहे हैं अथवा नहीं और क्या उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों से सहयोग प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं अब मैं सियालदाह बर्दवान यात्रा पर था तो मुझे एक रेल अधिकारी मिला जो उसे सौंपे गये दायित्व को निभाना चाहता था, पर उसे ऐसा करने से रोका और पीटा गया तथा फलस्वरूप वह अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सका । यह दूसरा पहलू है : हम जानते हैं कि सभी प्रकार के लोग रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं परन्तु साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलवे कर्मचारियों के लिये सही वातावरण पैदा किया जाए । यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए समुचित ढंग से कार्य करने की स्थिति पैदा की जानी चाहिए । ऐसी स्थिति अभी मौजूद नहीं है । केवल रेल कर्मचारियों और बिहार के यात्रियों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है । देश भर में यह स्थिति है । कई लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं । कहीं ज्यादा और कहीं कम ।

[श्री सन्तोष मोहन देव]

जब रेलवे द्वारा नई रेलगाड़ी आरम्भ करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, तो वह रेलगाड़ी से होने वाली आय का ही हिसाब बताते हैं। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के समक्ष यह निर्णय करने हेतु भेजा जाता है कि रेलगाड़ी का चलाया जाना औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मैंने प्राक्कलन समिति में सह-सभापति के रूप में स्वयं यह बात देखी है। मैं नहीं समझता कि राम धन किसी के विरुद्ध कुछ कहना चाहते थे। संसद सदस्य होने के नाते हमें अपनी भी यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जनता को यह जानकारी दें कि वे बिना टिकट यात्रा करना छोड़ें और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कई समस्याओं को हल करना मुश्किल होगा।

मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को नहीं दोहरा रहा हूं। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने अपने वक्तव्य में यह बताया था कि मुआवजे की राशि दुगुनी कर दी है। क्या यह 1 लाख रुपये में स्थान पर दो लाख रुपये कर दी गई है ? आपने किसे दुगुना किया है ? समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था कि मुख्य मंत्री ने 10,000 रुपये देने की घोषणा की है और उन्होंने आपसे मुआवजे की इस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का अनुरोध किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें।

दूसरा विषय है यात्रियों द्वारा सिलेंडर आदि लेकर यात्रा करने का। मैं कहता हूं कि इस संबंध में ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मैं जब गुवाहाटी से लुमडिंग जा रहा था तो मैंने पाया कि रेलगाड़ी में रसोई गैस भी ले जायी जा रही थी। ऐसे लोगों को दंडित करने के लिये कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया जाता है ? केवल सलाह देने से काम नहीं चलेगा।

अंत में, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, अस्पतालों में डाक्टर इस दुर्घटना के कारण पीड़ित व्यक्तियों को देखने की बजाए अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपचार में व्यस्त थे। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह सुझाव देता हूं कि इस सम्बन्ध में रेलवे को विभिन्न रेलवे स्टेशनों के निकट उचित अस्पतालों में कतिपय प्रबंध करने चाहिए। ऐसा लगता है कि वहां दवाओं की कमी थी, आप विमान से गए थे। यदि वहां दवाओं की कमी थी, तो उन्होंने रेलवे बोर्ड को इसकी सूचना क्यों नहीं दी ? उन्हें दवाएं पहुंचाई जा सकती थीं।

एक सदस्य ने उन दो यात्रियों का जिक्र किया है जिन्हें अधिक चोटें आई थीं और कल अस्पताल में जिनकी मृत्यु हो गई थी। मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र से कुछ अधिकारियों को वहां जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार किया जाए और यदि यह अत्यधिक हो तो उन्हें कलकत्ता अथवा दिल्ली के बड़े अस्पताल में भेजा जा सके क्योंकि मेरे विचार में पटना अथवा दानापुर में समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः इससे पहले कि और व्यक्ति मौत के शिकार हों, यदि दवाओं की कमी है तो समुचित दवाएं सप्लाई की जा सकें और इन मरीजों को बेहतर अस्पताल में भेजा जा सके। आप कृपया इस पर गौर करें।

यद्यपि मैंने पहले कहा था कि रेल मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, मैं यह नहीं चाहता कि वे त्याग पत्र दें बल्कि वह उन्हें इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने की बजाए अधिक जिम्मेदारी बन एं। इस स्थिति के लिये जिम्मेदार निर्धारित की जानी चाहिए। यदि मंत्री त्याग पत्र दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य लोगों को छोड़ दिया जाए। मन्त्री तो सदा ही विशेषाधिकार प्राप्त पुरुष होते हैं, वे त्याग पत्र नहीं देंगे ?

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रेल दुर्घटना के प्रति सदन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और हमारे रेल मन्त्री महोदय तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे, उन लोगों की सहायता के लिए आवश्यक निर्देश दिए, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के मुख्यमन्त्री जी ने भी बहुत तत्परता दिखाई। इस बहस में कई मुद्दे उठाए गए और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया लोकल ट्रेन्स का, पैसिंजर ट्रेन्स का, जिनमें गरीब और साधारण आदमी यात्रा करता है, उसकी तरफ रेल अधिकारियों का ध्यान बहुत कम जाता है, उसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। इन रेलों में ले रोशनी का इंतजाम होता है, न सीटों का इंतजाम होता है, डिब्बे अतिग्रस्त रहते हैं अभी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वहां पर यात्रियों में काफी मार-पीट हुई, क्योंकि डिब्बे में भीड़ बहुत रहती है। सब्जी वाले और दूसरा धंधा करने वाले सामान ले जाते हैं, जिसकी वजह से आदमियों के निकलने और बैठने की जगह नहीं होती। ज्वलनशील पदार्थ रेल में ले जाना अपराध है, इसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि इन गाड़ियों में यह आम रिवाज है। इसके लिए मैं रेल मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि रेलवे में स्पेशल पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। जी० आर० पी० के लोग डेपूटेशन पर रेलवे में आते हैं, इनका काम केवल अनअथराइज्ड बेंडिंग कराना, जबरदस्ती रुपया वसूल करना, धन कमाना है। यात्रियों की सुरक्षा का काम जो इनके जिम्मे है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता। ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं जहां पर लुटेरों में और अपराधों के साथ इनके सम्बन्धों की शिकायतें की गई हैं। लूटों में और अपराधों से ये लोग सम्बन्धित रहते हैं।

श्री राम धन (बालगंज) : नेताओं के साथ भी सम्बन्धित रहते हैं।

श्री बृज भूषण तिवारी : नेताओं के साथ तो रहते ही हैं। यदि वहां पर पुलिस की कायदे की निगरानी होती तो ऐसे लोगों को दंडित किया जा सकता था। इतना ही नहीं ब्रांच टायर और टू टायर के डिब्बों में अनधिकृत यात्री चढ़ जाते हैं, एक टी० टी० कुछ नहीं कर सकता, पुलिस तमाशबीन रहती है और कई जगह तो 10-20 रुपए यात्रियों से वसूल करके इन डिब्बों में बिठाती है, जिसका चाहे कोई सामान ले, किसी की कोई जंजीर खींच ले, किसी का बक्सा उठा ले इसको परवाह उनको नहीं है। यह दुर्घटना अधिकारियों की निष्ठुरता को प्रदर्शित करती है।

इसलिए रेल मन्त्री जी को बहुत ही गम्भीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए। क्योंकि रेलवे, प्रशासन, रेल मन्त्रालय में नौकर शाही का राज है। कोई भी मामला हो, वहां न कानून है, न नियम है। वे नियम केवल गरीब लोगों के लिए हैं, छोटे कर्मचारियों के लिए हैं। वहां नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होता है। जहां कर्मचारियों को सुविधा देनी हो यात्रियों को सुविधा देनी हो, पैसेंजर ट्रेन चले, सुपर-फास्ट ट्रेन चले, एक्सप्रेस गाड़ी चले, मगर उनकी कीमत पर छोटे स्टेशन की गाड़ियों में कटौती की गयी है। मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत ही गम्भीरता से रेलवे प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, बड़ी-बड़ी राजधानियों के नजदीक के लोग हैं, शहरों में मकान की दिक्कत है, इसलिए लोगों को रोजाना आना-जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सुपर फास्ट ट्रेन को कम करके पैसेंजर और शटल-ट्रेन की संख्या बढ़ायी जाए। उसमें ऐसा भी न हो कि जो रिजर्वेट डिब्बा हो, वह लगा दिया जाए। चाहे उसमें चोर चढ़े, डाकू चढ़ें, डीजल चोरी करके ले जाएं या कैरोसन आयल चोरी करके ले जाएं। मेरा कहना यह है कि इन सारी दुव्यवस्था को रोका जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मोकामा-पटना की घटना रेल दुर्घटना

[श्री सत्यनारायण जटिया]

का एक ऐसा अहसास कराती है, जिससे लगता है कि हमारी व्यवस्थाओं में कहीं चूक हो रही है। इन व्यवस्थाओं में समय रहते यदि सुधार नहीं किए जाते तो परिणाम गम्भीर होते हैं।

रेल की जंजीर नहीं है तो रेल रुकेगी नहीं। लोगों का कहना होता है कि रेल में जंजीर लगाने पर बार-बार रेल को रोका जाता है। तो उसके लिए नियम और प्रावधान हैं। यदि रेलगाड़ी में से जंजीर निकालने के बाद ऐसा दुर्घटना हो तो निश्चित रूप से आश्चर्य होगा। रेल की जंजीर खींचने से गाड़ी रुकेगी, जिसने जंजीर खींची उसको सजा मिलेगी। जंजीर न होना, इसका मतलब यह है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क पर चलेंगे नहीं। इस प्रकार की बात समझ में नहीं आती। जंजीर को लगाने से ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है।

सिलेण्डर लीकेज हो गयी। उसमें सिलेण्डर आया कैसे? उसमें इतने लोगों को कैसे भरा? इसका मतलब है कि व्यवस्था में दोष है। मैं इस घटना की तुलना अभी जो घटना हुई उससे करना चाहता हूं। 23 टैंकर नैप्थलिन के एक साथ जल गए और उनके जलने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। 66 हजार 240 लीटर द्रव्य एक टैंकर में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत अधिक भीषण दुर्घटना हुई है। इसका इतना दुष्प्रभाव हुआ कि 25-30 किमी० दूर से आग देखी गयी। इसके कारण आसपास की बस्तियों में भी बहुत नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि घटना पर आइये। मैं सावधानी की बात कर रहा हूं। चाहे सिलेण्डर की बात हो, टैंकर की बात हो तो यदि टैंकर में रिसाव रुक गया होता तो दुर्घटना न हुई होती। बस्ती के हजारों लोगों का जीवन खतरे में हो गया। आपने यूनियन कारबाइड का नाम सुना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, इन सारी बातों के लिए समय बहुत कम है। आप प्वाइंट पर आइये। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरा प्वाइंट यह है कि सारी की सारी चूक होती है, भूल होती है, इसके कारण बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। रेल के बारे में मंत्री जी बहुत जानकार हैं और इनकी सहानुभूति भी है। परन्तु इससे काम नहीं चलेगा। जब तक रेल की व्यवस्था में सुधार नहीं लायेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। रेल में छोटी-छोटी बातें हैं, चाहे पीने के पानी की बात हो, दरवाजे-खिड़कियों की बात हो, रेल में जंजीर की बात हो, स्टेशन पर दुकानों की बात है, इन सारी बातों को, ये बातें देखने में छोटी लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखकर सुधार लाना आवश्यक है।

रेल दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को या घायल व्यक्तियों को कम्पनसेशन दिया जाता है। यह जो घटना घटी है उसमें 100 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। किन्तु उसकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, 13 लोगों को ढाई-ढाई सौ रुपये देकर मुआवजे के रूप में वह भूल गये कि कोई दुर्घटना हुई है। वहां 100 से भी ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनको देखने वाला और उनकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। पांच करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, प्रशासन का और जनता का। लोगों के घर जल गये हैं, मजदूरों के झोंपड़े जल गये हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि रेलों की जो प्लेट होती है उसमें खम्भा लगता है वह सारी की सारी टूट गई और जो डिस्क होती है जिस पर टैंकर चलते हैं वह 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस पर भी रेल विभाग का ध्यान नहीं गया, जबकि लोगों का चला गया। ऐसी दुर्घटनाओं के पूर्व यदि छोटी-छोटी इन बातों पर ध्यान दिया

जाये तो लोगों की जान और माल को बचाया जा सकता है। अतः इस दुर्घटना के साथ-साथ नागदा में जो दुर्घटना हुई है उसमें प्रभावित लोगों को भी क्षतिपूर्ति करें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं माननीय रेलमंत्री के दुःख, दर्द और मनोव्यथा को समझता हूं जो उनके कल के वक्तव्य में व्यक्त हुआ है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि यह केवल एक दुर्घटना ही नहीं बल्कि एक वीभत्स त्रासदी है। यह इस दुखान्त घटना के बारे में उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है।

लेकिन मैं समझता हूं कि उनके लिए अपना दुख, दर्द व संताप अभिव्यक्त करना ही काफी नहीं है। उन्हें और भी कुछ करना है। यह उनके इस्तीफा देने का प्रश्न नहीं है। उन्हें कुछ करके दिखाना है। जब मैं कुछ और करने की बात कहता हूं तो इसका आशय है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की भयानक दुर्घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। यात्रियों की पूरी सुरक्षा की समुचित गारन्टी होनी चाहिए।

मैंने इनके कई भाषण सुने हैं जिसमें इन्होंने रेलवे प्रशासन में बचाव व सुरक्षा के उपायों को उच्च प्राथमिकता दी है। मैं आशा करता हूं कि वे सभा को दिए गए अपने वादे को पूरा करेंगे। यह दुर्घटना मुझे उस दुखदायी स्थिति की भी याद दिलाती है जो उपनगरीय रेलवे में व्याप्त है। मैं भी उपनगरीय रेलवे का एक नियमित यात्री हूं। जो कुछ इस विशेष घटना में हुआ वही कलकत्ता या किसी अन्य स्थान पर किसी भी उपनगरीय रेल सेवा में हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की वीभत्स दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, रेलवे प्रशासन में सुधार करना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्यवश रेल मंत्री का कहना है कि उपनगरीय रेलवे लाभप्रद नहीं है और यह सेवा घाटी राजसहायता से चलाई जाती है। मैं समझता हूं कि यह राजसहायता देने का प्रश्न नहीं है। यह भारी संख्या में हमारे यात्रियों के बचाव व सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए बिना अधिक चर्चा किए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि उपनगरीय रेल सेवा में सुधार हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की वीभत्स घटना देश के किसी भी हिस्से में कभी न घटे।

मैं पुनः सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रश्न पर आता हूं। मुझे कुछ जानकार व्यक्तियों ने बताया है कि लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन ने कुछ अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण तैयार किए हैं। उनकी शिकायत यह है कि उन सुरक्षा उपकरणों को उपयोग में लाने के बजाय रेलवे विभाग विदेशों से कुछ सुरक्षा उपकरणों का आयात करने के लिए अति इच्छुक है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं—ऑब्लिटरेटर वार्निंग सिस्टम; सी० ए० पी० टी०; हॉट बॉक्स डिटेक्टर; लाइट विहिकल चेक और लेवल क्रासिंग वार्निंग डिवाइसेज तथा एस० एस० आई० डिवाइसेज।

यह हमारे अनुसंधान और विकास का परिणाम है। यह अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन की उपलब्धि है। उन साधनों का प्रयोग रेलवे विभाग में हमारी रेलवे प्रणाली की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री महोदय इस पहलू पर समुचित ध्यान देंगे।

जहां तक वित्तीय अभाव का सम्बन्ध है यह एक नियमित शिकायत है। लेकिन इसमें भी कुछ

वास्तविकता है। मैं देखता हूं कि आठवीं योजना में सिग्नल व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भारी धन-राशि अर्थात 2125 करोड़ रुपया नियत किये गये हैं। जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सुरक्षा उपायों पर केवल 454 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये। इसलिए वित्तीय अभाव के कारण अन्य सुरक्षा उपाय प्रतिबन्धित नहीं होने चाहिए जो रेल यात्रियों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

आयुक्त, रेलवे सुरक्षा द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पर सन्देह नहीं किया जा सकता। इस बारे में यह रिपोर्ट है कि केरल में हुई रेल दुर्घटना के कारण आयुक्त, रेलवे सुरक्षा को अपमान के घेरे में लाया गया। उन्हें जानकारी होगी कि आयुक्त, रेलवे सुरक्षा ने टोनर का सिद्धान्त अर्थात् मनगढ़न्त कहानी बनाई जिसे विशेषज्ञ समिति ने पूरी तरह नकार दिया। उसने कुछ और भी सुझाव दिये। इसलिए आयुक्त, रेलवे सुरक्षा पर विश्वास करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच के लिए कोई अन्य प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ताकि इसके कारणों की समुचित जांच की जा सके जिनकी वजह से, रेलवे मंत्री के सब्दों में, यह दुर्घटना हुई।

यह मेरा अनुभव भी रहा है कि रेल मुआवजा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे का भुगतान करने में काफी विलम्ब किया जाता है। मेरे विचार से इस विशेष मामले में सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु सभी कदम उठाने चाहिए कि मुआवजे का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और यदि इसका शीघ्र भुगतान किया जाता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

इस दुर्घटना के दो पहलू हैं। (1) कुछ दुर्घटना-पूर्व की परिस्थितियां हैं। (2) कुछ दुर्घटना के बाद की परिस्थितियां हैं। मेरे विचार से दो जांच समितियां होनी चाहिए। एक रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी निर्धारित करे और दूसरी जांच समिति यह सुनिश्चित करे कि इस सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; क्या दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों और घायल हुए व्यक्तियों की देखरेख करने में कोई खामियां रही हैं।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : इतनी भीषण रेल दुर्घटना इससे पहले हमने नहीं देखी। वर्तमान रेल मंत्री ने कहा है कि वर्ष 1989 के दौरान 556 रेल दुर्घटनाएं हुई। इनमें 142 लोगों की मृत्यु हुई। अब वर्ष का चौथा माह चल रहा है। मैं समझता हूं कि अन्ततोगत्वा हम इस आंकड़े तक पहुंच जायेंगे। इससे रेलवे की सुरक्षा की बात की पोल खुल जाती है। इस दुर्घटना में भारी संख्या में लोगों की जान गई है। माननीय मंत्री ने आरम्भ में जो वक्तव्य दिया था, वह शायद अल्प सूचना पर आधारित था। इसमें 30 लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई थी। फिर उन्होंने इस संख्या को 71 बताया। अब हमें पता चला है कि दो या तीन और लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर हम, इसी प्रकार से संख्या गिनते रहे, तो यह संख्या सौ तक पहुंच जाएगी। प्रश्न यह नहीं है कि कितने लोग मर गए हैं, प्रश्न यह है कि वे कैसे मरे हैं। मामला बहुत गम्भीर है, क्योंकि वे बन्द चैम्बर में फंस गए, लगभग बिल्कुल भून गए। अब उनकी लाश की भी पहचान नहीं की जा सकती। यह एक डरावना दृश्य है।

7.00 म० प०

मैंने व्यक्तिगत रूप से, अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों की जले हुए शव देखे हैं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा मौके का दौरा करने के पश्चात्, उन्हें यह महसूस हुआ होगा कि रिश्तेदारों द्वारा इन शवों को पहचानना और उन्हें अलग करना, कितना भयावह कार्य है। अभी 19 शवों की पहचान नहीं की जा सकी है। कितनी खराब स्थिति है।

यह स्थिति पैदा ही क्यों हुई ? यह हमारी असावधानी से ही स्थिति पैदा हुई, क्योंकि पीछे गाड़ी में, यात्री डिब्बे में ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ रखने की अनुमति दी गई। अगर सिलेंडर फटा नहीं तो इसमें आक्सीजन या एस्टलीन भरी होगी। यह स्पष्ट है कि इसमें से रिसाव हुआ होगा। किसी भी व्यक्ति को, जिसे साधारण जानकारी है, यह बता सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी होगी और सम्भवत: ऐसा ही हुआ होगा। मंत्री महोदय ने बताया है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस मामले की जांच करेगा और मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि इसकी प्रशासनिक जांच कराई जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों ही जांच अपर्याप्त होंगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन बवंडर की जो बात उन्होंने की है, उससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। यह मानना असम्भव है कि एक बवंडर से इतनी भारी रेलगाड़ी त्रिवेन्द्रम के नजदीक पुल से टकरा गई और रेल लाइनें ठीक-ठाक रहीं।

एक माननीय सदस्य : इसने सिर्फ रेलगाड़ी को ही नुकसान पहुंचाया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उन्होंने ऐसी बात कहने का साहस किया है। वास्तव में हैरानी इस बात की है कि उन्होंने इस प्रकार की अनोखी घटना का जिक्र किया है। अगर इसी संगठन को, चाहे इसके प्रमुख बदल गए हों, को जांच करने के लिए कहा जाएगा तो संगठन यह भी कह सकता है कि एक उल्कापिंड डिब्बे से टकरा गया। उनकी यह नई कहानी होगी। बवंडर ही नहीं वह अन्तरिक्ष की बात भी कह सकते हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय अपनी आंखों से मुझे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं।

लेकिन वास्तव में मामला यह है कि क्या रेल मंत्री, सारे राष्ट्र को विश्वास दिला सकते हैं कि दुर्घटना का असली कारण 'क' या 'ख' था। अगर अब भी वह सिलेंडर की बात करते हैं, तो लोग कहेंगे कि मंत्री महोदय किसी बिजली के शार्ट सर्किट या अन्य बात को छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। रेलवे के जिन अधिकारियों ने बवंडर की बात कही है, उन्होंने रेल कर्मचारियों की गलतियों को छिपाने के लिए ऐसा कहा है। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने महसूस किया गया होगा कि करीब 100 यात्रियों की मृत्यु होने पर लोग इसका कारण जानना चाहेंगे ?

दूसरे, यह आश्चर्य की बात है कि चार में से तीन द्वार खुले ही नहीं। वे पहले भी नहीं खुलते थे। इसका अर्थ है कि हमारे डिब्बे खस्ता हालत में हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री चित बसु ने आर० डी० एस० ओ० की सिफारिशों का जिक्र किया है। इनमें से एक सिफारिश 'हाट बॉक्स' का पता लगाने वाली यूनिट के बारे में थी। दूसरी सिफारिश रेलगाड़ी में, विशेषकर यात्री गाड़ी में, 'फायर अलार्म सिस्टम' के बारे में थी। इस यात्री रेलगाड़ी में यह 'सिस्टम' क्यों नहीं था ? इसे रेलगाड़ी में क्यों नहीं लगाया गया ? इस रेलगाड़ी में जंजीर क्यों नहीं थी या वह कार्य क्यों नहीं कर रही थी ? फाटक पर एक आदमी ने पाया कि रेल डिब्बा अन्दर से जल रहा है और उसने जाकर स्टेशन पर अग्रिम सूचना दी। अगर ऐसी स्थिति है, तो मैं नहीं समझता कि क्या किया जाना चाहिए।

मैं रेल मंत्री से इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि काफी वर्ष के पश्चात् एक ट्रेड यूनियन नेता को रेल मंत्री बनाया गया है। दुर्भाग्य से परम्परा यह है कि ऐसे मामले में मंत्री इस्तीफा

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

दे देता है। अपने समय में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। शायद हम उनके इस्तीफा न दिए जाने का भी कोई कारण ढूंढ सकें। लेकिन सामान्य परम्परा यही है।

पहले तो, रेल सुरक्षा के लिए अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए। दूसरे, रेल-गाड़ियों में, उपनगरीय रेलों में, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इनमें अधिक यात्री यात्रा करते हैं और इनकी यात्रा की दूरी भी कम होती है। तीसरे, उपनगरीय रेलों में पर्याप्त संख्या में रेल डिब्बे होने चाहिए। इनकी संख्या में कमी नहीं की जानी चाहिए।

मैं सारे सदन से, दलगत भावना से ऊपर उठकर, सभी से कहना चाहता हूं कि हमें रेल मंत्री की इस भावना में शामिल होना चाहिए कि सभी रेल कर्मचारी हमारे परिवारजन हैं और मृतक परिवारों को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त हम आशा करते हैं कि आगामी समय में, रेल कर्मचारियों और यात्रियों को इस प्रकार के कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे।

श्री सत्येन्द्र कुन्डु (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपको अथवा रेल मंत्री को अपनी बातों से पीड़ा पहुंचाऊं। मैं तो केवल अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं तथा इस सदन के सदस्यों की इस भावना में साझेदार हूं कि जब कोई ऐसी भयानक दुर्घटना होती है, तो हम लोग कितने व्यथित होते हैं।

मैं मंत्री महोदय का भी दुःख समझता हूं, जिन्होंने कहा है : 'मैं अब भी दुर्घटना एवं पीड़ा के बोझ से बोझिल हूं।'

मेरे लिए यह कोई परम्परागत अथवा अभिसामयिक दुर्घटना नहीं है। कोई बम-विस्फोट नहीं हुआ है, पटरी से गाड़ी नहीं उतरी है, कोई टक्कर नहीं हुई है। किन्तु, फिर भी दुर्घटना हो गई है जिसमें सत्तर-अस्सी यात्रियों की मौत हो गई है।

महोदय, मैं एक-दो बात कहना चाहूंगा। यह अच्छी बात है कि हमारे मंत्री महोदय वहां गये, मुख्यमंत्री वहां गये और चिकित्सा-दल तथा अन्य सहायता यथासंभव शीघ्र वहां पहुंची हैं। इससे स्थानीय गाड़ियों में यात्रियों के भयावह जीवन का पता तो चलता ही है। इसने स्थानीय गाड़ियों की खराब स्थिति को उजागर कर दिया है। इसमें ठसाठस भीड़ भरी होती है। वस्तुतः ये रेल के ऐसे डिब्बे लगते ही नहीं हैं जिनमें दैनिक यात्री यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों के साथ बकरियां और गाय ले जाये जाते हैं। इनमें बुरी तरह से भीड़ भरी होती है। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं ? मैं श्री रामधन की इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक यात्री को टिकट खरीदनी चाहिए। मान लें वह टिकट खरीद भी ले, तो वह क्या करे जब उसे वहां बैठने, अपने पैरों पर खड़ा होने की जगह भी न मिले, फिर ऐसी हालत में सीट के बारे में क्या कहा जा सकता है। यह तो एक पहलू है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे गाड़ियों की, विशेष रूप से स्थानीय गाड़ियों की भयावह स्थिति पर ध्यान दें।

इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिलिंडर किसने रखा था तथा इसका मालिक कौन था। यदि इसका पता चल जाये, तो इससे काफी जानकारी मिल सकती है।

मैंने मंत्री महोदय को लिखा था कि इसी प्रकार की मुसीबत कुछ लोगों, रेल कर्मचारियों एवं पुलिस के कारण हावड़ा स्टेशन पर हुई थी। पुलिस तथा कुछ रेल कर्मचारी भी रेलवे नियमों का

उल्लंघन करते हैं। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि कौन इस सिलिंडर को लेकर आया था और किसने इसे रखा था तथा इसमें आग कैसे लगी।

महोदय, मुआवजा-राशि देने के आदेश दिये जा चुके हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि उस बेचारे गार्ड के बारे में कुछ नहीं किया गया है, जिसने सबसे पहले आग देखी थी तथा गाड़ी को रोकने के लिए रेल अधिकारियों को सूचित किया था। यदि उसने सही समय पर सही चेतावनी न दी होती, तो और अधिक लोगों की जानें जा सकती थीं। मैं चाहता हूं कि गार्ड को भी पुरस्कृत किया जाये। ऐसा कहा गया है कि मंत्री महोदय की अनुग्रह-राशि सम्बन्धी भुगतान नहीं किया जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि यहां कोई कठिनाई है, जैसा बताया गया है, तो मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो एक सप्ताह के भीतर अनुग्रह-राशि का भुगतान किया जाये। इससे इस प्रकार की सभी शंकाएं दूर हो जायेंगी कि मुआवजा-राशि सम्बन्धी भुगतान में विलम्ब होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ईश्वर चौधरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय बहुत थोड़ा है और बहुत सारे लोगों ने बोलना है। जो मुद्दे पहले ही उठाए गए हैं कृपया उसको फिर न दोहराएं, कोई नई चीज है तो आप जरूर बोलें।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हृदय विदारक घटना घटी है उसने सबको संवेदना में डाल दिया है। जनरल बोगी उसी स्थान पर भेजी जाती है जहां पर रेल पटरी जर्जर हो। रेल को पता है कि इस बोगी में न लाइट, न पानी है, न बिजली है; कुछ व्यवस्था नहीं है इसलिए अव्यवस्था लाइन पर चलने योग्य है। आपको पता होगा इस सदन में, बिहार की एक उफनाती हुई नदी में पूरी ट्रेन घुस गई और हजारों लोग मर गए थे। पूरे सदन ने चर्चा की थी, क्या हुआ था उस मामले में, किस को मुआवजा दिया गया है, क्या किया इस सदन ने ? हमारे यहां यह कोई नई बात नहीं है। पैसे के बल पर आज कोई सिलिंडर तो क्या, कीरोसीन, डीजल, पेट्रोल क्या अगर हम चाहें कि पूरी बोगी जला देनी है, उड़ा देनी है, लाइन उखाड़ देनी है, कुछ ले लीजिए, पुलिस व्यवस्था इसके लिए तैयार हो जाएगी। आज पुलिस राईफल लेकर चोरी कराती देखी जाती है। इसकी व्यवस्था क्या है, सुरक्षा व्यवस्था जर्जर हो गई है ? लाइट, बिजली, पानी की बात तो है नहीं, रेल की छत पर चढ़ कर लोग चलने के लिए मजबूर क्यों होते हैं ? जब मांग की जाती है कि आप बोगी बढ़ाइए, सवारी गाड़ी बढ़ाइए तो रेल विभाग कहता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मैंने कई बार कहा था कि गया से पटना डबल लाइन की जाए आने-जाने की सुविधा के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई घटना हो जाए तो दूसरी जगह जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कभी भी एक मार्ग की जरूरत पड़ती है तो सिंगल लाइन को खोजा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था की जाए। गरीब का जो परिवार मर गया है। एक आदमी के साथ परिवार के दो-तीन आदमी चलते हैं। कैसे पता लगेगा कि परिवार के कितने आदमी मरे हैं। मैंने इस संदर्भ में कहा था कि मंत्री जी बताएं कि एक-दो आदमियों को मुआवजा दिया है, छः के मरने के बाद मुआवजा दिया है क्या ? बड़े लोगों का तो पता लग जाता है, रिजर्वेशन होता है, पहचान करने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन क्या मंत्री जी ऐसे गरीब-गुरबे को जो मरा है पता लगाकर उसे अधिक से अधिक राशि देंगे जो आपकी घोषित नीति है ? ऐसे कर्मचारी जो अपने परिवार के जीवन का सहारा है, जो मर गया है, ऐसे परिवार को कौन देखेगा, कौन नौकरी देगा, क्या आप उसकी व्यवस्था करेंगे ? रेल विभाग में अगर जगह नहीं है तो क्या अन्य विभाग में उसके लिए व्यवस्था करेंगे ? इन सब परिस्थितियों को

[श्री ईश्वर चौधरी]

बहुत ही गम्भीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। सोचने का मौका इसलिए आता है कि यह सदन घटना घटने के बाद सोचता है। इस सदन में समय रहते ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो सदन में बातें आई हैं उसी को मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं।

जब मैं लोक सभा में नहीं था, मुझे अनेकों बार सवारी गाड़ी में सफर करने का मौका मिला है। उसमें अधिक से अधिक लोग टिकट लेकर चलते हैं और जो टिकट लेकर चलते हैं उसका रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन न होने की वजह से आपको सब पता लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी। ऐसी परिस्थिति में जितनी टिकटें इशू हुई है और जिन-जिन स्टेशनों से उनका पास बना है, आप उसका पता लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारी चर्चा रेल बजट के समय हो चुकी है। अब आप अपनी बात खत्म करें।

श्री ईश्वर चौधरी : दुर्घटना में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी बात कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को मुआवजा दें। जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है उनके प्रति मैं सहानुभूति प्रकट करता है। आप हमारी यह भावना उन परिवारों तक पहुंचायें।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रेल दुर्घटना बहुत दुखद दुर्घटना है। 16 तारीख को तीन जगहों में इस तरह की बड़ी दुर्घटनायें हुई—एक भारत की राजधानी दिल्ली में 300 झुग्गियां जल गई, दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुई और वहां 100 आदमी विषाक्त भोजन खाने से मारे गये और तीसरी घटना 16 तारीख को 9 बजकर 50 मिनट पर मुकामा-दानापुर डिविजन में हुई। इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे गये। जिन पदाधिकारियों की गलती से यह घटना घटी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। यह बात सही है कि रेल में जंजीर नहीं थी। जंजीर केवल मुकामा-दानापुर पैसेंजर गाड़ी में नहीं थी, बल्कि बहुत-सी महत्वपूर्ण गाड़ियों में यह जंजीर नहीं होती है। रेल गाड़ियों में जितनी असुविधायें हैं वह इन पांच महीनों से नहीं हैं बल्कि कई बरसों से हैं। इस असुविधाओं को समाप्त करने में अभी समय लगेगा। इसलिये भी उसमें समय लगेगा कि रेल विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं, वे लोग जंजीर बनाने का काम नहीं, रेल की पटरियों को ठीक करने का काम नहीं, रेल के डिब्बे ठीक करने का काम नहीं बल्कि डिब्बों और जंजीरों को बेचने का काम करते हैं। ऐसा करके वे अपनी हैसियत को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर मन्त्री जी सख्ती से इन चीजों को रोकने लिये भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन चलायेंगे तो उन पर काबू पाया जा सकेगा।

घाटे का बजट इस कारण पेश होता है कि जो भी आमदनी होती है वह पदाधिकारियों के द्वारा लूट ली जाती है। अगर सरकार के द्वारा इसकी जांच कर ली जाये तो नई-नई रेल की पटरियां बन जायेंगी।

मैं मांग करना चाहता हूं कि जो लोग इस दुर्घटना में मारे गये हैं उनको दो लाख रुपया मुआवजा दिया जाये और जो घायल हुए हैं उनके लिये दवा का इंतजाम किया जाये और 50-50 हजार रुपये

मुआवजा दिया जाये। इसके साथ ही जो लोग मरे हैं उनके घर से एक आदमी को नौकरी दी जाये।

बिहार में रेलों की भी कमी है और गाड़ियां भी वहां कम है। पैसेंजर गाड़ियों का अधिक से अधिक इन्तजाम किया जाये जिससे रेल में भीड़ न हो सके। बिहार में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जहां पर लोग छत पर बैठकर यात्रा न करते हों। इस कारण अधिक से अधिक पैसेन्जर गाड़ियां वहां चलायी जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहती लेकिन आपने जो मुझे समय दिया है उसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री को यह निवेदन करना चाहती हूं कि ट्रेन में यह सिलेण्डर कैसे रखा गया, अगर यहां सिलेण्डर ट्रेन में ले जाने की आदत लोगों की है तो जैसे सामान ब्रेक में चला जाता है उसी तरह आप सिलेण्डर के लिए भी एक डिब्बा लगा दीजिए क्योंकि सिलेण्डर के कारण ही इतने पैसेन्जर्स की लाइफ चली गई, यह आपको देखना पड़ेगा। आज हर जगह आग लगी हुई है, चारों तरफ पढ़ते हैं कि इधर आग लगी है, उधर आग लगी है आतंकवादियों ने यहां यह किया वहां यह किया लेकिन यह हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि सिलेण्डर की वजह से भी लोग उसमें मारे गये हैं। इसमें आप एक लाख रुपये या दो लाख रुपये दे सकते हैं लेकिन जो लोग मर गये हैं, उनकी फैमिली को सब्स्टीट्यूट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह देखना है कि उनकी पत्नियों का, उनकी महिलाओं का क्या होगा, उस तरफ आप अपनी नजर ले जाइये। रेल एक्सीडेंटस हमेशा से होते चले आ रहे हैं लेकिन क्यों हो रहे हैं, हमारी टैक्नीक में कोई कमी है या स्लीपर्स में कमी है, उसमें भी आप अपनी नजर ले जाइये। आप तो अनुभवी मन्त्री हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि आप एक लाख रुपये को सदन के सभी सदस्यों की बात मानकर दो लाख कर दीजिए और जो लोग मारे गये हैं उनके बच्चों के लिए कुछ जॉब वगैरह दिलवा दीजिए। एक्सीडेंटस न हों इसके लिए आप फ्यूचर में क्या स्टैप्स लेने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, आप और आपके आफिसर्स इसमें क्या सोचते हैं यह बताइये। मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं जब घर से निकलते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो उस समय लगता है कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं। प्लेन का तो हमारे दिमाग में आ गया है लेकिन रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलती है लेकिन अब ट्रेन में भी वही हालत हो गयी है आज हम किसमें जायें? जो हमारी पिछली पीढ़ियां हैं उसकी तरफ जाना चाहिए क्या? आज टैक्नोलोजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप उसकी तरफ सोच लीजिए। ट्रेन एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं और इनको कैसे रोकें, यह आपकी और सदन की ही समस्या नहीं है, यह पूरे भारत देश और मानवता की समस्या है आज सारे आदमी यही सोच रहे हैं तो आप भी सोच लीजिए।

इसकी तरफ आपको और आपके आफिसर्स को गहरे दिल से सोचना चाहिए।

आपने जो समय दिया उसके लिए आभारी हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के एक्सीडेंट में मारे हुए और घायल लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करते हुए केवल तीन सुझाव यहां रखना चाहता हूं।

एक सुझाव तो यह है कि जो लोग मारे गये हैं और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं, पंगु हो जाते हैं और उनको जो मुआवजा मिलने वाला है, ट्रिब्यूनल की ओर से, वह कहीं 6 महीने के बाद 12 महीने के बाद या दो साल के बाद मिलता है और इस देरी के कारण परिवार काफी परेशान होता, है। जिसका एक्सीडेंट होता है वह आदमी भी परेशान होता है तो मेरा सुझाव यह है ट्रिब्यूनल का एवार्ड

[श्री राम नाईक]

जब तक नहीं आता है तब तक हर महीने जो घायल हुए लोग हैं या मृतक लोग हैं, हर व्यक्ति को एक हजार रुपया मासिक देना चाहिए जिससे उसका परिवार चल सके।

दूसरी बात जो मलाड मम्बई में एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में, मैं कहना चाहता हूं। मैं सारे लोगों को मिलने के लिया गया था उसमें 37 लोग घायल हुए हैं। इन 37 में से दो लोग आपरेशन के लिए आपरेशन थिएटर गए थे। जब अधिकारी लोग एक्स-ग्रेशिया पेमेंट 750 रुपए देने के लिए आए, तो जो आपरेशन थिएटर में गए, उनको आज भी पैसा नहीं मिला है। यह एक उदाहरण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को एक्सग्रेशिया पेमेंट नहीं दिया गया है, उसको आप रिव्यू करें। यदि किसी कारण वश नहीं दिया गया है, तो अधिकारियों को उसका जवाबदेह होना चाहिए और उन लोगों को पैसा देने के लिए भी ख्याल करना चाहिए।

तीसरी बात, जो मैं आज भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जिस प्रकार की देश की हालत चल रही है, सिलिंडर आतंकवादियों ने भी प्लान किया हो सकता है यह बात सही है या नहीं है यह तो जांच करने के बाद ही सामने आएगी। मेरा सुझाव यह है कि आज की स्थिति को देखते हुए, हमें ट्रेन और पटरियां सिक्योरिटी के लिए ज्यादा एलर्ट हो जाना चाहिए। इसका ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट्स कम होने की संभावना है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, तीन दिन पहले राजधानी से मलाड में एक्सीडेंट होने के बाद हम गए तो राजधानी से जाने के बाद भी दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी के हर डिब्बे के बाहर टिकट चैक करने के लिए जो लोग होने चाहिए, वहां वे नहीं थे। इस प्रकार की हालत दिल्ली स्टेशन पर गए चार दिन के पहले की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें सारे स्टेशनों के बारे में अधिक सतर्क होना चाहिए। जब तक इस देश में आतंकवादियों से जोखा है, तब तक हमें एलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी सरकार को ख्याल करना चाहिए। यदि इसके लिए आवश्यक हो तो अलग प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहिए। इसके लिए रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स शायद कम पड़ सकती है। यदि आवश्यक हो तो बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य प्रकार फोर्सेज की मदद लेनी चाहिए। यह भी मेरा मंत्री महोदय के समक्ष सुझाव है।

अन्त में, एक बात को दोहराते हैं कि हर महीने उनको कंपेसेशन मिलना चाहिए, जब तक उनका ट्रिब्यूनल एवार्ड नहीं आता है। यदि आप यह करते हैं तो हम कुछ लोगों को राहत पहुंचायेंगे। इस संदर्भ में मुझे यही निवेदन करना है।

श्री बाऊ बयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है कि यह दुर्घटना घटी है, यह तो चिन्ताजनक स्थिति है ही, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मैं लगातार पिछले एक महीने से पश्चिमी रेलवे की दुर्दशा पर भिन्न-भिन्न प्रश्न उठा चुका हूं। मुझे निवेदन करना है कि पिछले एक महीने में लगातार तीन दुर्घटनायें, दो मालगाड़ियों की और एक ट्रेन की, पश्चिमी रेलवे के रतलाम प्रखण्ड में हुई हैं। आज से छः दिन पहले नेपथा से भरी हुई मालगाड़ी उलट गई और दो किलोमीटर तक रेलपटरी सफा हो गई तथा 70 के लगभग लोग घायल हुए हैं। एक तरफ देश को मंहगाई से बचाने के लिए माननीय रेल मन्त्री जी ने कुछ गाड़िया नान-स्टौपेज चलाई हैं, जैसे राजधानी चलती है और यह तीन-चार स्टेशनों पर ही रुकती है। दिल्ली का माल बम्बई, बम्बई का माल दिल्ली और दिल्ली का माल कलकत्ता पहुंचता है। इस प्रकार की

तेज रफ्तार की मालगाड़ियां प्रारम्भ की हैं। मुझे निवेदन यह करना है कि यह तब तक सफलीभूत नहीं होंगी जब तक आप रेल पटरियों को, पुलियों को और ब्रिजेज का पुनरीक्षण युद्ध स्तर पर नहीं करेंगे। मैं मन्त्री जी का ध्यान ओटा के रेलवे ब्रिज की ओर दिलाना चाहता हूं, उसकी उम्र पूरी समाप्त हो चुकी है, वह कब बनेगा, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं रेल अधिकारियों से समय-समय पर बात करता रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मुझे निवेदन करना है कि आप इसको दिलवायें कि जिस प्रकार दानापुर में यह गड़बड़ी हुई है, कहीं उसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना इस रेल मार्ग पर न हो जाए।

मेरा एक निवेदन यह है कि पश्चिमी रेलवे के अन्दर विद्युतिकरण तेजी से हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिमी रेलवे की गाड़ियों में अब तक तो लोग ट्रेन की ऊपरी छतों पर बैठकर भी यात्रा करते थे लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि रेलवे विद्युतिकरण होने के बाद भी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई नहीं गई। इसलिये आज भी इन डिब्बों में पहले की तरह ही भीड़ लगी हुई है।

मेरा रेल मन्त्री जी से निवेदन है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनायें न घटें, जिससे देश कलंकित हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी मेरे नीतीश भाई ने चर्चा की है उस क्षेत्र गाड़ियों की स्थिति के सम्बन्ध में भी सहमत हूं। गाड़ियों की स्थिति इतनी खराब है कि गैस सिलिण्डर तक गाड़ियों में ले जाये जाये जा रहे हैं। आज रेलवे में आर्थिक भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी भी चीज को आसानी से ले जाया जा सकता है। यह इस बात से उजागर होता है कि गैस सिलिण्डर को भी गाड़ी में ले जाने की इजाजत दी गई। पुलिस व रेल अधिकारी सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं।

दूसरी चीज यह है कि उसी रेलवे स्टेशन के नजदीक में आग बुझाने का स्टेशन और एम० एम० सी० एच० होस्पिटल भी है। सुपरिटेंडेंट साहब लोगों के होस्पिटल पहुंचने के ढाई घण्टे के बाद वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने यह जाहिर किया कि उनको देश की जनता की जान की देख-रेख के प्रति सद्भावना है। अग्निशमन वहां घण्टे के बाद पहुंचा कितनी घृणित दुर्घटनाग्रस्त लोग अपनी गाड़ी से एन० सी० एम० एच० पहुंच गये हैं। इस प्रकार से वहां के घटनापरस्त लोगों की देख-रेख करने की सुविधा मिलती है। वहां बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जाती है और कुछ मामलों को राज्य और केन्द्र के मामला बनाकर लापरवाही बरती जा रही है। मन्त्री की घोषणा के बाद भी रेलवे अधिकारी व एम० एम० सी० एच० के अधिकारी लापरवाही अपना रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से जनता की जान की सुरक्षा की जाये ?

मैं मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब न्यायिक जांच कराई जायेगी। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जो लोग रेल दुर्घटना में जल कर मरे हैं उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाये ? चाहे वह किसान हो या नौकरी वाला हो। जहां तक मुआवजा देने की बात है यह जिम्मेदारी उस क्षेत्र के एम० पी० या विधायक को दी जावे, वह इसकी सिफारिश करे कि किन लोगों को मुआवजा देना ? इस दुर्घटना में जो लोग मारे गये हैं उनको अनुदान दिया जावे तथा दो लाख रुपया मुआवजा दिया जावे जब तक उनको यह रुपया नहीं मिलता है तब तक एक हजार रुपया महीना उनको दिया जावे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि जो घटनायें हुई है वह बहुत अशोभनीय और निन्दनीय हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों का इसमें हाथ है और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिये। माण्यवर, जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी हालत भी बहुत खराब है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को दोबारा न बोलें।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इसको उसी मिनट के अन्दर ही समाप्त कर दूंगा। वहां पर बिजली और पानी तक की भी कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण से लोग टिकट लेना पसन्द नहीं करते। वहां का वातावरण बहुत खराब है। एक तरफ तो बड़ी-बड़ी ट्रेनें लगाई गई इनमें खाने-पीने और हर चीज की व्यवस्था है, दूसरी ओर इनमें टिकट देने वाला कोई नहीं है।

मैं रेल मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अच्छा वातावरण बनाने के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाये जो यह देखे कि इन घटनाओं से कैसे बचा जा सके।

श्री बसई चौधरी (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले मैं बिहार में रेल की दुर्घटना के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे मन्त्री महोदय भी अवगत हैं, क्योंकि वे बिहार से जुड़े हुए हैं। यह बात सही है कि प्रतिदिन बैल्डिंग गैस सिलेंडर और कुकिंग गैस सिलेंडर एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों द्वारा ले जाए जाते हैं और यह काम जी० आर० पी० और रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत से होता है। इसलिए मैं सबसे पहले यह मांग करता हूं कि सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई डिब्बा खराब हो जाता है तो उसको दूसरे राज्यों से हटाकर बिहार राज्य में चलने वाली गाड़ियों में लगा दिया जाता है, जब वह डिब्बा चलने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए कृपा करके ऐसे डिब्बों को बिहार में चलने वाली गाड़ियों में न लगाया जाए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो दुर्घटना हुई, इसमें सामूहिक रूप से लोग मारे गए, इनको मुआवजा भी मिल जाएगा, हो सकता है इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दे दी जाए, लेकिन छिटपुट रूप से जहां लोग मरते हैं, उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए बीमा योजना लागू होनी चाहिए, ताकि उनको मुआवजे के साथ-साथ बीमा योजना से भी कुछ मुनाफा हो सके और उनके परिवार के भरण-पोषण का प्रबन्ध हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि वे बिहार में रेल की बदतर हालत को और वहां पर रेलवे प्रशासन को सुधारने की तरफ विशेष ध्यान देंगे, ताकि वहां पर रेलवे में सुधार हो सके।

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अपघात के बारे में कल मैंने सदन में जो बयान दिया, उसमें मेरी और रेल विभाग के मन की पीड़ा है, यातना है, उसको मैंने वहां पर व्यक्त किया था। हम जब परसों पटना गए थे और जो हालत वहां पर देखी तथा माननीय सदस्यों ने

अपने अनुभव का जो वर्णन यहां पर किया, मेरा अनुभव भी उनसे मिलता है, लेकिन एक दो ऐसी बातें यहां पर कही गई जो सबसे पहले खुलासा मांगती हैं। पहली बात पटना के माननीय सदस्य ने इस अपघात के बारे में कही कि दो डिब्बे जलकर खाक हो गए, लेकिन स्थिति यह है कि दो डिब्बे नहीं जले, एक ही डिब्बा जला है। दूसरी बात कही गई मृतकों की संख्या के बारे में, कई माननीय सदस्यों ने यह बताने की कोशिश की कि असली संख्या को छिपाने की कोशिश की गई है, इस तरह की साजिश हो रही है। मैंने जब सदन में खड़े होकर पूर्वांचल की दो दुर्घटनाओं के बारे में बयान दिया तो उसमें वह जानकारी भी शामिल थी जो सदन में आते-आते मुझे टेलीफोन पर कार्यालय में प्राप्त हुई। टेलीफोन पर बताया गया कि 30 लोगों की मृत्यु की सूचना है। जब मैं सदन से बाहर जा रहा था तब बताया गया कि संख्या 30 नहीं है, असल में कुछ कम है। क्योंकि अभी कोई ठोस खबर प्राप्त नहीं हुई है, किस अस्पताल में कितने लोग हैं, यह सारी जानकारी अभी अपेक्षित है। साढ़े 9 बजे घटना घटी तो जले हुए डिब्बे से लोगों को बाहर निकाल कर अस्पतालों में ले जाया गया। चोट लगे लोगों को उठाकर अस्पतालों में ले जाया गया। एक नहीं तीन अस्पतालों में उनकी भर्ती हुई है। यह सारी जानकारी यहां तक आने में कुछ समय तो लगना था।

जब पटना हवाई अड्डे पर मैं उतरा तो मुझे बताया गया कि सैकड़ों लोग मरे हैं। मैं सबसे पहले अस्पताल गया। पहले मैं नालन्दा मेडिकल कालेज अस्पताल गया, फिर उस अस्पताल की मोरचुरी में गया, जो अलग जगह पर है। उसके बाद पटना अस्पताल गया, तत्पश्चात् मैं घटना स्थल पर पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर थे, पुलिस के, राज्य के, महानगर के उच्च स्तर के अधिकारी वहां पर थे। अस्पतालों के डाक्टरों से मुलाकात हुई, बातें हुई। जो लोग जले हुए या चोट लगे हुए अस्पातालों में पड़े थे, तकरीबन हर व्यक्ति से मैंने उनका नाम पूछकर उनके घर आदि की जानकारी लेने का काम किया। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद जो जानकारी मेरे पास आयी वह परसों तक यह थी कि कुल मिला कर 71 लोग मरे हैं। सदन में आज यह बात फिर दोहराई गयी, अखबारों में भी छपा है कि 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। कौन इस बात को छिपाएगा? क्या बिहार की सरकार मरे हुए लोगों की संख्या को छिपाएगी? अगर छिपाने का काम किया है तो किस लिए? क्या रेल मन्त्रालय मृतकों की संख्या को छिपाने का काम करेगा? यदि करेगा तो किस लिए? इस वक्त जो जानकारी है, 7-8 लोग बहुत ही गम्भीर अवस्था में अस्पताल में है। 60, 70 या 80% अगर शरीर किसी व्यक्ति का जल जाता हो तो उस व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। यह बात आमतौर पर डाक्टर कहते हैं। जिसकी तकदीर अच्छी हो वह बच जाता है। जलने के पांच-छः दिन बाद शरीर में कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए मैं अपने मित्र कुमार मंगलमजी से, जो अभी यहां नहीं है, मिटिंग में कहकर गए हैं, कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होगा कि 71 बताएं और बाद में 100 तक पहुंच जायेंगे। मजाक में टोकने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न होता तो अच्छा होता। क्योंकि हम लोग परेशान होकर यहां बैठे हैं। इस प्रकार से टोकने का कोई औचित्य नहीं है। इस वक्त 74 लोग मर चुके हैं। दोपहर 11.30 बजे सूचना मेरे पास है, मृतकों में से 33 लोगों की पहचान हो चुकी है। इसका मतलब 41 मृतकों की पहचान आज सुबह 11.30 बजे तक नहीं हुई थी। अभी तक अस्पताल में जो भर्ती हैं उनकी संख्या 47 है। नालन्दा मेडिकल कालेज में 26 व्यक्ति भर्ती है, पटना मेडिकल कालेज में 19 हैं, दानापुर के रेलवे अस्पताल में 2 भर्ती है, इस तरह कुल मिलाकर 47 होते हैं।

अध्यक्ष जी, यह दुर्घटना कैसे हुई, इसके बारे में जो बातें यहां पर उठी हैं और पटना से जो सूचना मिली है, मुझे खुद ही बताया गया कि डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेन्स सिविल डीफेन्स, बिहार के डाक्टर

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

हसन जांच कर रहे हैं। उनके द्वारा भेजी गयी जो जानकारी है, वह यह है कि आक्सीजन सिलेंडर था आस्टीलिन नहीं था। इसलिए माननीय सदस्य तोपदार ने कहा कि विस्फोट क्यों नहीं हुआ, अगर आस्टीलिन सिलेंडर होता तो जरूर विस्फोट होता। विस्फोट इसलिए नहीं हुआ कि वह गैस सिलेंडर था, वह जांच के बाद पता चला है। उस सिलेंडर का जो प्रेशर था वह कुछ सेंटीमीटर 200 कि०ग्राम होना चाहिए था, मात्र 24 किलोग्राम था। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस सिलेंडर से गैस बाहर निकल चुकी थी और कुछ ही गैस बाकी थी। यह तो उनका अपना कहना है और यह भी बताया है कि एक सप्ताह के अन्दर उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जायेगी। मगर इस समय उनका यह कहना है कि गैस लीकेज से आग की स्थिति बनी। कैसे गैस से आग फैल गई तेजी से, यह प्रश्न वहां उठना स्वाभाविक है। मुझे अस्पताल में लोगों ने बताया जब मैं उनसे मिला कि सिलेंडर एक अमुक जगह पर था, किसी आदमी ने अपनी बीड़ी जलाने का काम किया और जैसे ही बीड़ी जली तो वहां पर आग लगी और पास में एक महिला थी जिसकी साड़ी को आग लगी। उस साड़ी और बीड़ी के जलने तक ही यह बात नहीं रही, क्योंकि गैस निकल चुकी थी तो इस कारण वह आग तेजी से डिब्बे में फैल गई। सिलेंडर किसने रखा, कई बातें यहां पर माननीय सदस्यों ने कहीं, ठीक है बहुत जायज बातें हैं कि इस प्रकार का गैस सिलेंडर उस कम्पार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए था। जैसे अभी वसई चौधरी ने यहां पर बताया कि उनके बिहार में अक्सर ऐसा होता है। यह नहीं होना चाहिए, हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन ले जाने वाला कोई तो मुसाफिर रहा होगा। परसों मुझको पटना में बताया कि यह तो रेल कर्मचारियों की बदमाशी है और वे लोग रेल के काम के लिए इसको ले जा रहे थे। क्योंकि उस वक्त वह आक्टीलिन सिलेंडर था या नहीं, उसकी जानकारी तब नहीं थी। आमतौर पर यही जानकारी थी कि यह आस्टीलिन सिलेंडर था और रेल कर्मचारी इसे अपने काम से ले जा रहे थे। अब यह तो स्पष्ट हो गया है कि यह आस्टीलिन का सिलेण्डर नहीं था, अब प्रश्न यह है कि आक्सीजन का सिलेंडर कौन रेल का कर्मचारी कहां के लिए ले जा रहा था। परसों हमने जो जांच की उसमें यह बात भी थी कितने रेल कर्मचारी थे। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार तीन कर्मचारी थे। एक स्विच मैन था जिसका गैस से कोई मतलब नहीं है, और वह मारा गया। एक लीवर मैन था और एक अकाउंटेंट क्लर्क था। इनमें से किसी को भी अपने काम के सन्दर्भ में गैस को ले जाने की बात ही नहीं है। इसलिए वह अपने काम से गैस सिलेंडर को ले जा रहे थे इसमें कोई तथ्य नहीं है। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर गैस पहुंची कैसे और मिलीभगत की बात भी कही तो मैं इस बात को कबूल करता हूं कि इस प्रकार का काम या इस प्रकार की अव्यवस्था रेल में, विशेषकर उस इलाके में जहां की हम चर्चा कर रहे हैं, होती है, जिसको रोकने में हम लोग असमर्थ रहे हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि इसमें असमर्थता हम लोगों की रही है।

यह आज की नहीं है, यह पिछले साढ़े चार महीने की असमर्थता नहीं है, एक जमाने की असमर्थता है। माननीय रामधन ने अपना अनुभव बताया जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई कह सकता है कि क्यों रेल कर्मचारी सख्ती करता ? अध्यक्ष जी, अभी चन्द दिन पहले रेल सप्ताह था और उस सप्ताह में कुछ रेल कर्मचारियों को कुछ पुरस्कार देने का कार्यक्रम था और उनमें ऐसे कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया जिन्होंने रेल में कुछ गुण्डों द्वारा उनपर हल्ला किया गया और वे अपनी जगह पर डटे रहे और और मुकाबला करके अपना काम किया। रेल में बिना टिकट चलने वाले ऐसे लोगों द्वारा पिटाई करने के बावजूद भी उसका सामना किया। इस प्रकार का एक किस्सा कुछ दिनों पहले का है। मथुरा स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले कुछ लोगों ने चेन खींचकर गाड़ी से उतरने का

प्रयास किया। वहां कुछ रेल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो दूसरे दिन ये लोग अपने हाथों में हथियार लेकर आये जहां गाड़ी रुकी थी। वहां रेल कर्मचारियों की ऐसी पिटाई की कि ये कहां जाकर अपनी शिकायत करें। तो रेल कर्मचारियों की, उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझपर है। ऐसे मौके पर अगर कोई यह अपेक्षा करे कि पुलिस को बुलाकर गोली क्यों नहीं चलाई या लाठी क्यों नहीं चलाई तो इस बात का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है क्योंकि यह चीज नहीं होगी, और न होनी चाहिये। इस लिए मेरा इतना कहना है कि जहां गलतियां हों उनको दुरुस्त करना चाहिये और जहां बिगाड़ हो उसे भी दुरुस्त करना चाहिये लेकिन इस प्रश्न को लेकर कि किसी रेल कर्मचारी की इसमें साजिश है तो अध्यक्ष जी, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि रेल कर्मचारी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अब सभी माननीय सदस्यों ने चेन पुलिंग के बारे में कहा है कि यह कब से, कैसे और किस कानून के अन्दर बंद थी अध्यक्ष जी, रेल को लेकर दो कानून हैं। एक है 1890 का और दूसरा है 1989 का, जिसको जुलाई से अमल में लाना है। 1989 के कानून से पहले एक ज्वांयट कमेटी बनी थी जिसमें इस सदन के अनेक सदस्य थे और शायद मेरे ख्याल से 20-30 सदस्य लोकसभा से थे और 15 सदस्य राज्यसभा से थे। जो लोक सभा से 30 सदस्य थे उनमें तत्कालीन रेल मन्त्री श्री माधवराव सिंधिया, बसुदेव आचार्य, श्री पी० आर० कुमारमंगलम इत्यादि थे जो इस मुद्दे पर बोले हैं और गहराई से इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसके अतिरिक्त श्री पी० जी० कुरियन सदस्य हैं और अधिकतर ऐसे सदस्य थे जो आज इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्होंने गम्भीरता पूर्वक इस कानून को बनाने में काम किया। राज्यसभा में भी रेल के ऊपर बहुत मजबूती से बोलने वाले सदस्य मिर्जा इरशाद बेग, श्री पी० एन० सुकुल जिनका मजदूर आन्दोलन से सम्बन्ध रहा है। श्री अटल बिहार बाजपेयी थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 45 सदस्यों में मिलकर ज्वांयट कमेटी में बैठकर इस कानून को बनाने में मदद दी।

[अनुवाद]

धारा 59 में कहा गया :

"रेल प्रशासन यात्रियों को ले जा रही प्रत्येक गाड़ी में यात्रियों और गाड़ी के प्रभारी रेल कर्मचारियों के बीच ऐसी कुशल संचार व्यवस्था प्रदान करेगा तथा इसका रख-रखाव करेगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।"

जंजीर ड्राइवर और गार्ड को यह संदेश देने के लिए है कि कुछ गड़बड़ी है।

धारा 59 के परन्तुक में कहा गया है :

"बशर्ते कि जहां रेल प्रशासन सन्तुष्ट है कि गाड़ी में प्रदत्त संचार व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वह उस अवधि के लिए उस गाड़ी में इस व्यवस्था को असम्बद्ध कर सकता है, जो वह उचित समझे।"

[हिन्दी]

यह कानून इस सदन के द्वारा पास किया गया था और आज इस बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उन्होंने मिलकर इसे पास किया था। अब प्रश्न है कि क्या यह कानून गलत है, मैं नहीं कहता कि यह कानून गलत है। मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं है कि उस कानून को पास नहीं करना चाहिए था। जब इस कानून को पास करने की आवश्यकता महसूस की गयी तभी तो इस

[श्री आर्च फर्नान्डीज]

कानून को पास किया गया। ऐसा भी नहीं है कि इस कानून को पास करने की आज आवश्यकता महसूस की गयी हो बल्कि 18.0 का रेलों से सम्बन्धित जो कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था, इन शब्दों में नहीं लिखी थी। उसमें क्या नहीं चाहिए, यह बात नहीं कही गई बल्कि क्या चीज होनी चाहिए, उस बात को कहते हुए, उस कानून में इस जुमले को रखने का काम हुआ ताकि हमारी रेल व्यवस्था ठीक तरह से चलती रहे, कम्यूनिकेशन व्यवस्था के लिए सरकार जैसा महसूस करती है, वैसा कम्पनी के जरिये हो, क्योंकि उस वक्त कम्पनी की रेल होती थी, उस व्यवस्था को रेल के ऊपर लगाने का काम सरकार करे। जब इस व्यवस्था की जरूरत महसूस न की जाये तो सरकार के पास वह अधिकार भी था, कानून के अन्तर्गत, कि उसे वापस भी लिया जा सकता था। अब प्रश्न है कि कब से यह सिलसिला चला, मेरी जानकारी के अनुसार, कम से कम 30 साल पहले तक के दस्तावेज मेरी नॉलेज में आये हैं, उससे पहले के डाक्यूमेंटस अवेलेबल नहीं हो पाये, लेकिन उन्हें खोजा जा सकता है क्योंकि अगर इसे हम बहस का मामला बनाना चाहें तो उन डाक्यूमेंटस की खोजबीन करनी होगी ताकि यह बहस आगे चल सके। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस गाड़ी पर रोक लगाने की कार्यवाही अक्तूबर, 1984 से शुरू हुई, इस गाड़ी की चेन को काटने का काम अक्तूबर, 1984 से हुआ। तब से लेकर अब तक, हर 6 महीने के बाद, उस अवधि को बढ़ाने का काम होता रहा क्योंकि ऐसी व्यवस्था हम एक बार में सिर्फ छः महीने के लिए ही कर सकते हैं, ये रेल बोर्ड के बनाये अपने अंदरूनी नियम हैं, हमारे कानूनों में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, परन्तु रेलवे बोर्ड ने अपने लिए कुछ अंदरूनी कानून बनाये हैं कि इस व्यवस्था को हर 6 महीने बाद बढ़ाने की कार्यवाही होनी चाहिए :

[अनुवाद]

"जहां तक जंजीर का सम्बन्ध है, इसे 383 मोकामा-दानापुर सवारी गाड़ी में अक्तूबर, 1984 से निष्क्रिय कर दिया गया है।"

[हिन्दी]

उस व्यवस्था के सम्बन्ध में, अभी जो ताजा आदेश हुए वे 26-27 मार्च, 1990 को हुए, क्योंकि पिछली 6 महीने की अवधि समाप्त हो गयी थी। फिर 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1990 तक 6 महीनों के लिए उस अवधि को बढ़ाने का काम रेलवे बोर्ड ने किया। अब प्रश्न है कि उसकी क्या जरूरत महसूस की गयी। यदि जरूरत महसूस न की गयी होती तो मेरी समझ के अनुसार वैसा कोई फैसला न लिया गया होता, 1984 से लगातार उस अवधि को हर 6 महीने में न बढ़ाया गया होता। समूचे देश के पैमाने पर विभिन्न गाड़ियों को चेन के माध्यम से बन्द करने का जो काम हुआ, कुल मिलाकर 102 पेयर ऑफ ट्रेन्स में हुआ, उनमें से बाड़ी यह भी थी। उन 102 जोड़ी गाड़ियों में से 60 जोड़ी ट्रेन्स केवल पूर्वी रेलवे की हैं और 5 पूर्वी उत्तर रेलवे की यानी नार्थ ईस्टर्न रेलवे की।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या इसमें लम्बी दूरी की गाड़ियां भी शामिल हैं ?

श्री आर्च फर्नान्डीज : बिहार होकर जाने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

मैं इस अवसर पर उन गाड़ियों की डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जैसा हमारे एक नौजवान साथी, श्री नीतीश कुमार ने कहा कि यही एक गाड़ी है जो समय पर चलती है तो उसके समय पर चलने का मुख्य कारण यही है कि इसकी चेन व्यवस्था को डिसकनैक्ट कर दिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : ऐसा नहीं है कि मार्च, 1984 से पहले यह ट्रेन समय पर नहीं चलती थी, मैंने अनेकों बार इस ट्रेन में यात्रा की है, और इस ट्रेन के समय पर चलने का मुख्य कारण यह है कि ट्रेन डेली कम्यूटर्स के लिए है, इसीलिए समय पर चलती है। हम सब चाहते हैं कि वह सही समय पर चले, सही समय पर पहुंचे। मंत्री जी, आप यह सुधार कर लीजिए।

8.00 म० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जरूर इसकी जांच की जाए, हम तो बिलकुल तैयार हैं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में, बिहार में क्या परेशानियां हैं, इस वक्त गाड़ियों की चेन के मामले में—1986 से लेकर 1989 तक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं 39208 घटनाएं घटीं।

[अनुवाद]

जबकि खींचने के 39,208 मामलों का पता चला है। ये वे मामले हैं जिनका पता चला है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है।

[हिन्दी]

और इसके अलावा होस पाइप डिस-कनैक्शन का सिलसिला है वह 15425 हुआ। दोनों मिला कर कुल 54633 ऐसी घटनाएं घटीं। एक ओर तो यह स्थिति है कि बिना किसी वजह से चेन खींचकर या होस पाइप डिसकनैक्ट कर के बिहार सूबे में गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया।

श्री श्रीराम नाईक : आपके पास तो मंत्री जी सारे देश की इस सम्बन्ध में जानकारी होगी, महाराष्ट्र की भी बता दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : देश की और जगहों में तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बम्बई में, महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दक्षिण में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

मैं केवल बुराई करने की दृष्टि से इस स्थिति को नहीं रख रहा हूं। ऐसा कोई न समझे, बल्कि मैं तो यह बता रहा हूं कि यह वहां पर समस्या है। इसलिए इस बारे में सोचना चाहिए और यदि वहां पर उस डिब्बे में चेन ठीक काम में होती, तो इस प्रकार से इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता था। इस संदर्भ में, मैं इन आंकड़ों को रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि डिब्बा बहुत पुराना है और बिहार में पुराने डिब्बे जाते हैं। मैं सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि बिहार के साथ रेलवे की तरफ से कुछ सौतेला व्यवहार हुआ है। हम इससे इंकार नहीं करते हैं, लेकिन जो डिब्बा जला वह 1988 में बना हुआ डिब्बा है—इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पैराम्बूर, मद्रास का। रेल में 30-35 साल और मेरा ख्याल है कि 35 साल से भी अधिक पुराने डिब्बे चलते हैं। यह डिब्बा केवल डेढ़ साल पुराना है और नवम्बर, 1989 में यह डिब्बा पीरियोडीकल ओवर हाल होकर, अपनी तन्दुरुस्ती बनाकर आया है।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने कहा कि दरवाजे जाम थे, जो बात बताई, मैं पूरे अदब के साथ, माननीय सदस्यों की भावनाओं की इज्जत करते हुए, कहना चाहता हूं कि मैं उस डिब्बे में गया मैं उसी दरवाजे को खोलकर गया, उसके कब्जे निकालकर उस डिब्बे को खोल दिया···

श्री नीतीश कुमार : बीच वाला दरवाजा कहां खोला था मंत्री महोदय ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि मैं बीच वाले दरवाजे से ही अन्दर गया था। जो बात मान्यवर बार-बार कही गई है कि दरवाजे बन्द थे, अखबारों में और अस्पताल में पड़े हुए मुसाफिरों से पूछने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि दरवाजे इसलिए बन्द थे— सब्जियां और दूध, उस दरवाजे से सटाकर, बिलकुल नजदीक रखने का काम हुआ था। स्वाभाविक है, एकाएक, एक झटके में आग कैसे पूरे डिब्बे में फैल गई, यह बात वहां के रेल मुसाफिरों ने जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि हमें यह समझ में नहीं आया कि एकदम कैसे पूरे डिब्बे में आग फैल गई। तो जब सब्जी और दूध बिलकुल डिब्बे के दरवाजे से सटाकर रखे गए हैं और जिस तरह से आदमी उस डिब्बे में भरे हुए थे, तो उससे दरवाजा खुलना सम्भव नहीं था। इसलिए अखबारों में जो बात बार-बार आई और जिसको लेकर अनेक माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि इसके दरवाजे नहीं चल रहे थे। अध्यक्ष जी, हम भी थोड़ा सा रेलवे को जानते हैं। 1988 में बने हुए डिब्बे 1989 के नवम्बर महीने में रेलवे नियमों के अन्तर्गत पीरीयाडिक ओवरहाल कराए गए, डेढ़ साल जिसकी उम्र नहीं हुई, उसके दरवाजे खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि काम के लिए वहां पर भेजे गए, वे उसी लाइन पर चलने वाले डिब्बे थे, उसके दरवाजे नहीं खुल सकते थे, हम भी थोड़ा-बहुत रेल को जानते हैं। इस समस्या को मैं समझ सकता हूं और वह यह है कि उस वक्त दरवाजे खुल नहीं पाए इसलिए आम तौर पर एक बात फैल गई कि दरवाजे खुलने की स्थिति में नहीं थे, इसके सारे दरवाजे जाम थे।

माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि इलाज ठीक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि अस्पतालों में समस्याएं थीं जैसे नालन्दा अस्पताल में, जहां मृतकों के शरीर रखे हुए थे जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मृतकों के शरीर बर्फ लेकर नीचे जमीन पर रखे हुए थे क्योंकि शरीरों को 72 घंटे तक पहचान के लिए रखने का शायद नियम है। कैसे मृतकों के शरीरों को वहां पर रखा जाए? मैंने तत्काल यह कहा कि रेलवे के दफ्तरों में लगे हुए एयर-कंडीशनर्स को वहां से लाकर यहां लगाना चाहिए। जब मैं पटना मेडिकल कालेज अस्पताल गया तो वहां पर भी डाक्टरों ने यही बात कही कि हमारे पास मृतकों के शरीर रखने का इन्तजाम नहीं है। हमने कुल मिलाकर रेलवे के 15 एयर-कंडीशनर्स उसी शाम को दफ्तरों से लेकर उस रात और दूसरे दिन सुबह दो अस्पतालों में लगाने का काम किया। वे एयर-कंडीशनर्स अभी भी वहां पर हैं। हमसे दोनों अस्पतालों के डाक्टरों ने कहा कि जो महंगी दवाई है उसकी हम लोगों के पास कमी है। जिस दवाई की जरूरत थी वह दवाई रेल से वहां पहुंचाने का इन्तजाम हमने कर दिया। अस्पतालों में कितना इन्तजाम हो सकता था, कितना नहीं हो सकता था, इसके बारे में भी यहां पर सवाल उठाया गया है। मुझे यह बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मगर दानापुर रेलवे अस्पताल के जो चीफ मेडिकल आफिसर थे उन्होंने दोनों अस्पतालों के बड़े डाक्टरों से यह बात कही कि इनमें से जिन लोगों को तत्काल दानापुर ले जाने की जरूरत है उनको दानापुर अस्पताल ले जाने का इन्तजाम कर सकते हैं। दोनों जगहों पर डाक्टरों ने यह बात कुछ गुस्से में आकर कही कि नहीं ले जाना चाहिए, हम लोग यहां पर पूरा इलाज करेंगे और यहां से वहां ले जाने

का जो ट्रौमा है उस ट्रौमा में उनको नहीं डालना चाहिए। इसलिए अगर आप दवाई का इन्तजाम करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी बाकी सब चीज हम लोग यहां पर करेंगे। हमने दवाई वगैरह के इन्तजाम के साथ-साथ वहां पर यह भी इन्तजाम किया कि हमारे डाक्टर्स स्टैंड-बाई ड्यूटी पर रहें और रेलवे के डाक्टर दोनों अस्पतालों में स्टैंड-बाई ड्यूटी पर रहे। जहां भी उनकी जरूरत हुई वे वहां पर काम करने के लिए तैयार रहे।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वहां पर हमारे जो वोलंटीयर्स थे उनको वहां से हटा दिया गया और उसके चलते इसमें राजनीति आ गई। मैंने तो सार्वजनिक तौर पर उन नौजवानों का अभिनन्दन किया। जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां पर थे, मैंने देखा कि मरीज पड़ा है और कोई नौजवान उसके मुंह में पानी डाल रहा है, कोई उसको अंगूर खिला रहा है। मैंने इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखा और अभिनन्दन करने का काम किया। परसों शाम को सात-साढ़े सात बजे निकलने तक कम से कम वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जब से यह अवसाद हुआ तब से वहां पर सब राजनीतिक कार्यकर्ता भी सेवा करने के काम में जुटे हुए थे।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो जले हुए, बर्न केसेज हैं उनमें इनफैक्शन होने के ज्यादा चांसेज रहते हैं इसलिए उनको सामान्य रोगियों के साथ रखने की मनाई होती है। मेरा आपसे कहना है कि ऐसे जो बर्न केसेज हैं उनको ऐक्सक्लूसिव, जिससे कि इनफैक्शन न हो सके, ऐसे इन्तजाम करने के लिए कोई विशेष उपाय करने का प्रबन्ध करें।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां एक्सीडेंट होता है वहां पर एकदम इन्तजाम होना तो मुश्किल है।

श्री आर्ले फर्नांडीज : यहां पर जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात हुई उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कमीशनर आफ रेलवे सेफ्टी रेल विभाग का नहीं होता है। इस बारे में आम तौर से लोगों में गलतफहमी है और लोगों के विभाग में यह बात होती है कि वह रेलवे का अफसर होगा और लीपा-पोती करके सब कुछ खत्म करेगा और ऐसे ही रिपोर्ट दे देगा। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने मजाक में कह दिया कि वह टाटनेडो रिपोर्ट दे देगा और फिर सबको माफ करने का काम करेगा।

एक माननीय सदस्य ने सवाल किया कि पिछले सालों में कितने कमीशनरों ने जांच की और जांच के बाद कितनी जगहों में सरकारी कर्मचारियों का दोष पाया गया? इस बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 1988-89 में कमीशनर आफ रेलवे सेफ्टी ने 11 अपघातों की जांच की और जिसमें से इस रिपोर्ट फाइनलाइज करके दे दी गई और उसमें से 7 अपघातों में रेल कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और उन पर कार्यवाही भी हुई। कमीशनर आफ रेलवे सेफ्टी रेल विभाग का अफसर नहीं होता है। वह तो रेलवे की सेफ्टी से सम्बन्धित होता है और वह मिनिस्ट्री आफ सिविल एविएशन के साथ अटैच होता है। अगर कोई कहे कि सिविल एविएशन भी बहुत खतरनाक मामला है, वहां भी अपघात होता है, इस कारण वह भी जांच न करें, फिर यह तो एक अलग बात हो जाती है। यह जो गलतफहमी अनेक माननीय सदस्यों के मन में है, उसे मैं निकालना चाहता हूं। जो कमीशनर आफ रेलवे सेफ्टी इस अपघात में जांच करने के लिए मुकर्रर किया है वह दक्षिण का नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, कमीशनर चार होते हैं, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व और एक पश्चिम। कमीशनर आफ रेलवे सेफ्टी इसमें नार्थ का है और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली गई है। वह 22 तारीख को अपना काम शुरू कर रहे हैं। वह सरकारी जांच के तौर पर उसको कर रहे हैं। वह बजाबता सार्वजनिक

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

नोटिस देकर अपना काम शुरू करेंगे। वह घायल लोगों, मुसाफिरों और अस्पताल में भर्ती सभी लोगों का बयान लेंगे। इतना ही नहीं अगर अस्पताल में किसी का इलाज ठीक तरह से नहीं हुआ होगा तो उसका भी बयान लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो भी जांच होगी उसमें किसी भी बात पर आशंकित होने की सम्भावना नहीं होगी।

केरल के एक्सीडेंट का भी यहां जिक्र हुआ और इसको भी टारनैडो कहा गया। इस बारे में भी कमेटी बैठी थी। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल उसके चेयरमैन थे। सबसे अधिक विशेषज्ञ उस कमेटी में थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ ? उन्होंने कहा कि हम को यह टारनैडो नहीं लगता। उस कमेटी ने यह नहीं बताया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ ? उसमें 100 से अधिक लोग मारे गये। उस एक्सीडेंट में गाड़ी पटरी से उतर कर पानी में गिर गई। इस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में इस सत्र के पहले दिन मैंने पेश की थी। उस रिपोर्ट पर बजट के दौरान और एक विशेष बहस के दौरान चर्चा भी हुई थी लेकिन उस पर किसी ने भी शोध करने की कोशिश नहीं की। माननीय सदस्यों के मन में इस बात को लेकर जो परेशानी है, उसे मैं उनके मन से निकालना चाहता हूं। उसकी पूरी जांच होगी। जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले ऐसा प्रयास किया जायेगा। किसी भी चीज को लेकर अगर उस पर कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो वे अवश्य ही उठाये जायेंगे। जो एक्सपर्टिज इस मामले में आज तक काम करते आये हैं वे ही अब भी इस काम को करेंगे।

नागदा के बारे में एक प्रश्न उठाया गया। मैं दो शब्दों में उसका खुलासा करना चाहता हूं। यह अपघात 11 अप्रैल को हुआ था, दोपहर के सवा तीन बजे, इसमें 63 लोग घायल हुए थे जिनमें से 24 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया, नागदा में जन सेवा अस्पताल में 19 लोगों को दाखिल किया, सिविल अस्पताल, नागदा में 4, रेलवे अस्पताल, रतलाम में एक मगर कुल मिलाकर 63 लोग अस्पताल में गये थे। 24 के अलावा अन्य लोगों को सामान्य उपचार करके वहां से छोड़ दिया गया और 18 तारीख, आज के रोज सुबह तक, जनसेवा अस्पताल, नागदा में 9 हैं, सिविल अस्पताल, नागदा में 4 हैं और रेलवे अस्पताल, रतलाम में एक व्यक्ति है। इसमें रेलवे का जो नुकसान हुआ है, वह तीन करोड़ रुपये का हुआ है और नागरिकों का जो नुकसान है, मकान, झोंपड़ियां, गाड़ी आदि का नुकसान हुआ है, कलैक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें जो कार्यवाही करनी है, उस कार्यवाही को करने में हम लगे हुए हैं। इस बात से मैं माननीय सदस्य जटिया साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं।

मैं अब अन्तिम दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : नागरिकों का जो एक करोड़ का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया गया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सब चीजों के बारे में कानूनी तौर तरीके हैं···

श्री दाऊदयाल जोशी : पैसा दिया गया क्या ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 250 रुपये दिये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : 250 रुपये की कोई कीमत है क्या, आज के जमाने में ?

श्री आर्य कर्नाग्रीव : मैं मानता हूं लेकिन हमारे लिए जो नियम थे उन नियमों के अन्तर्गत कुछ बातें हो गई।

श्री बाबूदयाल जोशी : उनको बदलिये। आपके रहते ऐसे नियम चलते रहेंगे ?

श्री आर्य कर्नाग्रीव : मैं मान रहा हूं, जो चीजें दुरुस्त करने लायक हैं, उनको दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। एक तो इस संदर्भ में जो कम्पेसेशन की बात छेड़ी गई है। अब नागदा के बारे में भी यह सवाल आया, हालांकि नागदा का मामला अलग हिसाब से आता है, इसमें नहीं आता है। कम्पेसेशन कानून के अन्तर्गत एक लाख रुपये का था। इस बार हमारे बजट के ऐलान में हमने यह कहा कि उसको हम दो लाख करेंगे और जब यह नया कानून लागू होगा तो उसके साथ हम उसको दो लाख करेंगे। क्योंकि, नया कानून लागू होने तक पुराना कानून लागू है और इसके अन्तर्गत जो तय हुआ था वह एक लाख रुपये का था मगर इस अपघात के बाद, जिस दिन इस अपघात की पूरी जानकारी आ गई, कल हमने इस बात का इस सदन में ऐलान किया कि एक लाख रुपया पुराने कानून के अन्तर्गत जो नियम बने हैं, उन नियमों के अनुसार एक लाख रुपया मिलेगा मगर जो हमने बजट के अन्दर किया हुआ ऐलान है, जिस पर एक जुलाई से अमल करने की बात है, उसको एक जुलाई से हम नहीं करेंगे, एक अप्रैल से करेंगे और एक लाख की जगह पर दो लाख रुपये की बात हम करेंगे। अब उसमें एक परेशानी है, परेशानी यह है कि कानून है एक लाख रुपये का और हम इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से देने की स्थिति में नहीं हैं, जो एक जुलाई से सदन में पास किया हुआ कानून है इसलिए हम जो दूसरा लाख रुपया है, वह हम रेल की तरफ से वाली कम्पेसेशन तो कानूनी तौर पर आ जायेगा और रेल की ओर से एक लाख रुपया उसके साथ मुआवजे के तौर पर जोड़कर उसको एक की जगह दो लाख रुपया करने का काम हम करेंगे और दो लाख रुपये मृतक के परिवार को देने की बात हो जायेगी, उसी तरह से अन्य जो भी घायल लोग हैं, उनको भी आज तक जो रकम मिलती थी उसको दोगुना करने का काम इस फैसले के अन्तर्गत हमने किया है इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जिन लोगों के संसार बिल्कुल ही खत्म हो गये तो उनको रुपये पैसे से हम कोई राहत देने की बात नहीं कह सकते हैं लेकिन उसके चलते थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो इस माध्यम से देने का काम हम करेंगे इसलिए अगर बिहार के अखबारों ने और कहीं भी इस बात को कोई गलत समझा या कुछ भी छपा हो तो उसमें गलतफहमी के लिए क्योंकि गुंजाइश है, कल के मेरे बयान में इसको हमने स्पष्ट किया था और अगर हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में कोई अण्ट-सण्ट बात कही हो, जैसा यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि अखबारों में कोई बात आई है कि हमारे यहां के महा-प्रबंधक ने कुछ ऐसा कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है तो हम उसकी जांच करेंगे। मुझे यह बात जंचती नहीं कि वह इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से हुए ऐलान से उनको कोई मतलब नहीं है मगर हम उसकी जांच करेंगे, अगर ऐसी कोई भी बात हुई होगी तो फिर उसका जो इलाज करना हो तो इलाज करने की भी बात हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कमी हम नहीं होने देंगे।

श्री ईश्वर चौधरी : कम्पेसेशन देने में आयु की कोई सीमा रखेंगे ?

श्री आर्य कर्नाग्रीव : नये कानून के अन्तर्गत कोई आयु वर्गेरह की सीमा नहीं है, हम परसों आपके यहां पर थे। पुराने नियम के अनुसार 5 हजार था लेकिन 10-10 हजार रुपया मृतक के परिवार को एक्सग्रेशिया, जो कि कम्पेसेशन के साथ नहीं जुड़ा है, उससे बाहर था, चूंकि राम बाबू ने

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

यहां पर जो बात छेड़ी थी कि आप उनको एक-एक हजार रुपया अगले कुछ समय तक दे देंगे तो 10 हजार रुपया हमने पहले ही देने का इन्तजाम किया है।

जिनके घर के लोग चल बसे हैं, चोट लगी है, उनको जहां पहले एक हजार दिया जाता था, वहां उनको अब दोहजार रुपए का इन्तजाम किया है। आपका जो सुझाव है, उसका हम ख्याल रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो कंपेंसेशन आदि का काम है, उसमें विम्लब न हो और किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

मैं अब अन्तिम दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं पहली बात हमारी एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि रेल में सुबह बैठों और शाम का पता नहीं कि घर भी पहुचेंगे या नहीं। यह ठीक है कि ऐसा डर मन में होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की रेलवे हर रोज एक करोड़ 12 लाख मुसाफिरों को ले जाती हैं, इसमें सबरबन्स, लौंग डिसटेंस, फास्ट और स्लो गाड़ियां शामिल हैं। बड़े आराम से चलने वाली एयर-कंडीशंड के डिब्बे आदि और फिर जिस डिब्बे में तीन सौ लोगों को खड़े होना चाहिए वहां पर नौ सौ लोग खड़े होकर तथा जहां पर 80 लोगों को बैठना चाहिए, उसमें 250-300 लोगों खड़े बैठकर इन सब को मिला कर करीब एक करोड़ 12 लाख मुसाफिर रेल से प्रवास करते हैं। हम माननीय सदस्यों को इतना जरूर कहेंगे कि इतना डरने की जरूर नहीं है, रेल कर्मचारी कोशिश करता है कि कहीं भी अपघात न हो, क्योंकि इंजन के ड्राइवर का सबसे पहले अपघात होता है, सबसे पहले उसकी जान जाती है। वह कभी नहीं चाहेगा कि वह खुद मरे और न कोई रेल कर्मचारी ही चाहेगा कि जिस रेल के चलते हुए उसकी जीविका चलती है, वह अपनी जीविका के साधन को खत्म करे। यह कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। इस बात को मुद्दे नजर रखते हुए हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन रेलवे के बारे में हमारे लोग सबसे ज्यादा टिका करते हैं कि हमारे यहां रेल खतरनाक है, हमारे यहां रेलवे में पता नहीं सुबह बैठें और शाम को कहां पहुंच जायें। ठीक है, बोली में जो भाषा का अलंकार है, ये चीजें ठीक हैं लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है।

हम लोग आग की बात करते हैं, अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि आग ही आग हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रेलवे में सुधार हुआ है, यह सुधार किसी राजनीतिक दल का नहीं है, रेल कर्मचारियों का है, रेल प्रशासन का है। मन्त्री कौन रहे, कल कौन था और आज कौन है तथा कल कौन रहेगा, इसका इस चीज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। रेल के अन्दर 1963 में आग की 81 ऐसी घटनायें घटीं और वह घटते-घटते 1986 में 13, 1987-88 में 12, 1988-89 में तीन, 1989-90 में आठ-कहां 25 साल पहले 81 घटनायें थी और कहां आज पिछले चार सालों में आठ, तीन, बारह और तेरह घटनायें घटीं। हमें इस चीज पर गर्व है कि हमारे रेल चलाने वाले कर्मचारियों, रेल के प्रशासक, यह इन सब लोगों का किया हुआ सुधार है। इस सुधार के बारे में मैं मानता हूं कि हमें गर्व है और जिस जगह पर इसको पहुंचाने का काम किया है, उसमें और सुधार हो, हमारी तो यही कोशिश रहेगी। इसमें बिगाड़ लाने की किसी की कोशिश नहीं रहेगी। रेल कर्मचारियों और रेल प्रशासन की नहीं रहेगी। अभी माननीय सदस्य, श्री कुमारमंगलम जी ने कहा कि पिछले साल कुल एक्सीडेंट्स मिलकर 456 हुए और इन पिछले चार महीनों में क्या हुआ ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि संख्या से एक्सीडेंट की बात का पता नहीं होता है। एक्सीडेंट्स का पता तब चलता है, जब पर-मिलियन ट्रेन किलो मीटर्स कितने एक्सीडेंट्स हुए। 1980-81 में पर-मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स हमारी रेल के दो अपघात हुए थे, वह घटते-घटते 1988-89 में 0.9 परसेंट पर आ

गए, 1989-90 में 0.88 परसेंट पर आ गए। उपाध्यक्ष जी, गर्व इस बात का है कि दुनिया में जो बड़ी रेल है, इसमें मैं पाकिस्तान को नहीं जोड़ता हूं, हालांकि पाकिस्तान में 12.45 परसेंट है, मैं उसको हटा देता हूं, तो कनाडा में 1.10 परसेंट; इंगलिस्तान-यूनाइटेड किंगडम जहां से कि यह रेल आई है, वहां 1.88 परसेंट है।

जर्मनी बहुत ही आधुनिक है, प्रिसिशन है, ऐसा लोग कहते हैं, प्रिसाइज बहुत है, वहां पर 1.54 है। फ्रांस जहां पर सबसे तेज चलने वाली गाड़ियां, योरोप की सबसे तेज चलने वाली गाड़ियां हैं, वहां पर 0.88 है और भारत में पिछले साल 0.88 है, इस चीज पर हमको गर्व करना चाहिए, हमको घमंड होना चाहिए। हमारे लोगों ने रेलवे में पिछले कई सालों में इस प्रकार का सुधार किया है, इसमें कर्मचारियों का योगदान है, मन्त्रियों का योगदान नहीं है।

हमने कहा कि एक्सीडेंट बंद हों, कोई नया मन्त्री आया तो पुराने मन्त्री ने कहा कि एक्सीडेंट बंद हों, लेकिन यह कोई छूमंतर की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें मेहनत है, काम के साथ लगन है, लोगों का ठीक ढंग से काम करने का संकल्प है। अगर हम लोग और यह सदन तारीफ नहीं करेगा तो और कौन करेगा। क्या दुनिया कहे कि हिन्दुस्तान में रेलवे एक्सीडेंट्स सबसे कम होते हैं, फ्रांस में ज्यादा होते हैं, क्या यह फ्रेंच लोग कहेंगे। कभी तो उन कर्मचारियों की पीठ पर हाथ रखकर हमको कहना चाहिए कि आपने बढ़िया काम किया है। मुझे इस बात की परेशानी है, बहुत परेशानी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि किन परिस्थितियों में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, इसके बारे में कभी न कभी सोचना जरूरी है। माननीय सदस्यों ने आज के अखबारों में पढ़ा होगा रेल पटरी पर पड़े हुए एक बम को गैंगमैन ने खोज कर बहुत बड़े अपघात से रेल को बचाया, ज्यादा दूर नहीं दिल्ली के पास मथुरा की बात है। पंजाब जैसा इलाका, जहां पर इतनी जबरदस्त परेशानी है, लेकिन रेल चलती है, किसी भी वक्त पंजाब में रेलगाड़ी को खतरा है। लोगों ने बंद का ऐलान किया, लेकिन रेल कर्मचारी ने रेल चलाई। हर रात को, शाम के बाद 12 घंटे, दूसरे दिन सुबह तक रेल कर्मचारी, गैंगमैन पैदल चलते-चलते पटरी की रख वाली करता है एक-साथ सुरक्षा कर्मचारी उसके साथ रहता है। इस तरह से कितने ही अपघातों को रोक कर कर्मचारियों ने मुसाफिरों को बचाने का काम किया है, इसकी तारीफ कभी न कभी, कहीं हम लोगों को करनी चाहिए हम मानते हैं कि सुधार होना चाहिए, सुधार की जरूरत है, हम सुधार करेंगे इसके लिए हम तत्काल कुछ कदम उठा रहे हैं।

पहली बात हमने यह की है कि रेलगाड़ी में विस्फोटक पदार्थ न ले जाए जाएं, इसके लिए विशेष प्रयास परसों 16 तारीख से ही हमने शुरू कर दिए हैं। आदेश निकाल कर इस काम में लगे हैं, समूचे देश के पैमाने पर इसको किया जा रहा है। दूसरा यह कि रेल कर्मचारी विस्फोटक पदार्थ रेल गाड़ी में लेकर न चलें, इसके बारे में भी सख्ती से साथ काम किया जाएगा। तीसरा जो हमारे आफिसर हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ है, वे लोग अगर रेल में किसी भी कारण से जा रहे हैं तो यह नहीं कि आराम से सफर करना है, उनकी जो ड्यूटी बाहर रहते हुए है, रेल के अन्दर भी उनको वही ड्यूटी निभानी है और ऐसी चीजों पर नजर रखनी है, रेल की सेफ्टी और सिक्यूरिटी का ध्यान रखना है, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जी० आर० पी० और आर० पी० एफ० के० जरिए रेलवे में स्पेशल चैक कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसकी मिली भगत की बात माननीय सदस्यों ने कही है, इस पर भी कार्यवाही का काम हो जाएगा, लेकिन अन्ततोगत्वा हमारे हाथ में यही दो हथियार हैं, जिनके जरिए हमको ऐसी चीजों को रोकने का काम करना है। इनके जरिए स्पेशल चैक चलाने का काम किया जाएगा। पांचवीं बात यह कि बड़ी मात्रा में, समूचे देश में खासकर बिहार में एक अभियान चलाया

जाएगा टेलीविजन तथा प्रचार माध्यमों से, सिनेमा स्लाइडस से, जिससे पदार्थों को गाड़ी में ले जाने से रोका जा सके। इसी तरह से सामान रखकर दरवाजा बन्द होने की स्थिति न आए, ऐसी स्थिति से लोग अपने को बचाने का काम करें, इस बारे में भी कार्यवाही की जाएगी। चैन खींचने का सिलसिला बन्द करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया जाएगा माननीय सदस्यों ने अनअथराइज की शिकायत की है, रेल के डिब्बों में बैंडर्स अपने साथ आग भी लेकर आते हैं, कहीं पर गैस सिलेंडर भी हो तो पता नहीं हम लोगों को कहां पहुंचाने की हो जाएगी इन शिकायतों पर रोक लगाने का ठोस काम हमने अपने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि इनके बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार में जो यह अपघात हुआ, बिहार के माननीय सदस्यों को एक अगल बैठक में करूंगा। बिहार में रेल व्यवस्था के बारे में जो शिकायत है, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार रेलवे प्रशासन और चुने हुए सभी माननीय सदस्य मिल कर किस तरह से इस समस्या का निदान हो सकता है, इस बारे में विशेष प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बहस में हिस्सा लेकर अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। उनके सुझावों क्रियान्वित करना मेरा फर्ज है। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

8.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, 19 अप्रैल 1990/29, चैत्र 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनराइट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6